भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-3

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I: परिचय		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों की प्रयुक्तता	1.2	1
निरंतर बचत	1.3	1
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधी अंतरित निधियां	1.4	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	2
निधियों का अवरोधन	1.6	2
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.7	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	3
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां	1.9	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी	1.10	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाई	1.11	5
स्वायत्त निकायों के लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा पटल पर रखने में विलम्ब	1.12	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण	1.13	6
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
शिक्षा विभाग		
सर्व शिक्षा अभियान	2.1	7
उद्योग विभाग		
उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली	2.2	25
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन	2.3	45
शहरी विकास विभाग		
नगर निगम, शिमला की कार्यप्रणाली	2.4	66

अध्याय-III: अनुपालना लेखापरीक्षा		
पशुपालन विभाग (हिमाचल प्रदेश पशुधन एवं पौल्ट्री विकास बोर्ड)		
लिक्विड नाइट्रोजन गैस के उत्पादन पर परिहार्य व्यय	3.1	89
प्राथमिक शिक्षा विभाग		
रसोई शालिका-एवं-गोदामों के निर्माण में विलम्ब	3.2	90
वन विभाग		
वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम का कार्यान्वयन	3.3	91
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
जन स्वास्थ्य अवसंरचना के गैर-सृजन के कारण निधियों का अवरोधन	3.4	95
ट्रामा केन्द्रों की स्थापना	3.5	96
उच्च शिक्षा विभाग		
शिक्षकों के वेतन पर अनुचित व्यय	3.6	97
उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग		
छात्रावासों तथा आवासीय निवास के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.7	99
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि पर निष्फल व्यय	3.8	100
प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.9	101
उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर अनुत्पादक व्यय	3.10	102
आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग		
अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को अतिरिक्त भुगतान और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि	3.11	103
योजना विभाग		
पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन	3.12	104
लोक निर्माण विभाग		
फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ	3.13	110
अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	3.14	112
सड़क/पुल के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय और संविदाकार को अनुचित लाभ	3.15	113
भोड़ी-खरजान सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.16	114

बंडी-धरोह सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.17	115
सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय	3.18	116
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग		
पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास के अंतर्गत निर्माण कार्यों के गैर-निष्पादन के कारण निधियों का अवरोधन	3.19	117
परिवहन विभाग (हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण)		
बस अड्डा के निर्माण पर निरर्थक व्यय	3.20	118
जनजातीय विकास विभाग		
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन	3.21	119
शहरी विकास विभाग		
पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए निधियों का अवरोधन	3.22	125
महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
बालिका कल्याण एवं संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन	3.23	126

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	**विवरण**	**संदर्भ**	
		परिच्छेद	**पृष्ठ संख्या**
1.1	चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्षवार विघटन	1.10	133
1.2	31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों में टिप्पणित अनियमितताओं को दर्शाता विवरण	1.10	134
1.3	स्वायत्त निकायों के लेखा की प्रास्थिति दर्शाने वाला विवरण	1.12	135
2.1	छात्रों की अधिगम उपलब्धी एवं प्रगति में वृद्धि की समीक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान परियोजना दल द्वारा संचालित सर्वेक्षण के निष्कर्ष	2.1.20	136
2.2	सरकार द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले कार्यों को दर्शाता विवरण	2.4.6.1	137
3.1	वर्ष 2011-14 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत वास्तविक बजट तथा बजट के पुनर्विनियोजन का वर्षवार विवरण	3.12.1.3	138

प्रस्तावना

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से अन्तर्विष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; आवश्यकतानुसार, 2013-14 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सर्वशिक्षा अभियान, उद्योग विभाग की कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा नगर निगम शिमला की कार्य प्रणाली पर चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा आधिक्य/निष्फलता/परिहार्य/निरर्थक व्यय, संविदाकारों को अनुचित लाभ, निधियों का अवरोधन, निरर्थक निवेश, निधियों का अपवर्तन, आदि से अन्तर्ग्रस्त 23 परिच्छेद शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 13,164 करोड़ से ₹ 19,739 करोड़ बढ़ गया, 2009-10 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय ₹ 11,151 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़ कर 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ हो गया जबकि पूंजीगत व्यय चार *प्रतिशत* घटकर 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 1,943 करोड़ से ₹ 1,856 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

सर्वशिक्षा अभियान के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- जिला स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए समुदाय एवं मूल स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.1.7.1)

- राज्य में 454 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (ग्रामीण क्षेत्र: 429 तथा शहरी क्षेत्र: 25) के पास अपने स्वयं के भवन नहीं थे।

(परिच्छेद 2.1.10.2)

- 2012-13 तक संस्वीकृत ₹ 467.52 करोड़ की लागत के 78950 सिविल कार्यों में से ₹ 44.48 करोड़ मूल्य के 5696 कार्य जून 2014 तक अपूर्ण रहे थे। संस्वीकृत राशि, किया गया व्यय, पूर्णता की तिथि इत्यादि के कार्यवार विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

(परिच्छेद 2.1.11.1)

- 2009-14 के दौरान 877 तथा 1252 के मध्य के प्राथमिक विद्यालयों में दो अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति मात्र एक अध्यापक था। इसी तरह से उपरोक्त अवधि के दौरान 50 तथा 113 के मध्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन अध्यापकों के मानकों के प्रति एक अध्यापक था।

(परिच्छेद 2.1.12)

- अगस्त 2014 तक बाल शिकायत निवारण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण को नामित/गठित नहीं किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए प्रशासनिक तंत्र भी अगस्त 2014 तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.1.17)

उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- विभाग ने मानव संसाधनों, कच्चेमाल, विपणन स्थलों, आदि की उपलब्धता से अंतर्विष्ट औद्योगिक सामर्थ्य के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।

(परिच्छेद 2.2.6.1)

- कुल बिक्री, निर्गम मूल्य, लाभ प्रदता, रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं सीमा, आदि, यह देखने के लिये कि क्या ये सार्वजनिक राजकोष पर कर रियायतों तथा इमदादों के भार के अनुरूप थे, के अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

(परिच्छेद 2.2.6.2 तथा 2.2.6.3)

- पट्टा धन की ₹ 40.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां सरकारी खाते में इन्हें जमा करने के बजाए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बद्दी की निकाय निधि को अनियमित रूप से अपवर्तित की गई थी तथा ₹ 14.03 करोड़ विभागीय व्यय के प्रति अनियमित रूप से प्रयोग किये गए थे।

(परिच्छेद 2.2.7.5)

- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के अवसंरचनात्मक विकास से सम्बंधित 151 निर्माण कार्यों/संचालन/पूर्ण न होने के कारण ₹ 62.46 करोड़ निष्पादन अभिकरणों के पास 12 से 60 महीनों तक अवरोधित पड़े रहे।

(परिच्छेद 2.2.8.6 तथा 2.2.9.2(ii))

- औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयुक्त न होने से ₹ 21.02 करोड़ का किया गया व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा।

(परिच्छेद 2.2.8.2, तथा 2.2.9.2(i))

- विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा गतिविधियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए निर्धारित आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(परिच्छेद 2.2.13)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- गांव तथा जिला जल सुरक्षा योजनाओं से विस्तृत जल सुरक्षा योजनायें जिनमें जन सांख्यिकी, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना, आदि सम्मिलित है, नहीं बनाई गई।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- 2009-14 के दौरान ₹ 11.50 करोड़ से लेकर ₹ 82.17 करोड़ के मध्य भारत सरकार की निधियों की अप्रयुक्ति व अपवर्तन के कारण भारत सरकार से अनुमोदित आवंटनों के प्रति ₹ 87.42 करोड़ कम जारी हुए।

(परिच्छेद 2.3.8.2 व 2.3.8.4)

- 2009-14 के दौरान ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण कार्यों के अंतरण न करने से राज्य भारत सरकार के ₹ 59.27 करोड़ के प्रोत्साहन से वंचित रहा।

(परिच्छेद 2.3.8.7)

- राज्य में वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया।

(परिच्छेद 2.3.9.1)

- अगस्त 2014 तक 2009-14 के दौरान पूर्ण किए जाने को अनुबंधित 509 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से ₹ 88.46 करोड़ खर्च करने पर भी 197 स्कीमें अपूर्ण पड़ी थी।

(परिच्छेद 2.3.9.2)

- 2009-14 के दौरान 48 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लक्ष्य के प्रति केवल 14 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई तथा रासायनिक व जीवाण्विक प्रदूषण जांच की अपेक्षित 21.02 लाख संख्या के प्रति केवल 1.66 लाख परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 0.72 लाख परीक्षण किए गए।

(परिच्छेद 2.3.11.1 व 2.3.11.2)

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र दुर्बल था। 2009-14 के दौरान स्कीमों के आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए अनुश्रवण व छानबीन यूनिट तथा समूह आधारित संगठनों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करना आदि स्थापित नहीं किए गए।

(परिच्छेद 2.3.12.2 व 2.3.12.3)

नगर निगम, शिमला की कार्यप्रणाली के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- योजना बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निगम ने वार्ड सभाएं तथा वार्ड समितियां गठित नहीं की थी। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएं एवं विकास योजनाएं भी नहीं बनाई गई थी।

(परिच्छेद 2.4.6.2 व 2.4.6.3)

- 2009-14 के दौरान ₹ 271.38 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति नगर निगम ने ₹ 242.53 करोड़ का व्यय किया परिणामत: ₹ 28.85 करोड़ की बचतें हुई।

(परिच्छेद 2.4.7.1)

- नगर निगम द्वारा वितरित पानी की लागत व वसूली प्रभारों के मध्य ₹ 55.24 करोड़ का अन्तर था और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित पानी के सम्बन्ध में ₹ 161.74 करोड़ के दायित्व बकाया थे। मार्च 2014 तक किराया, उपकर तथा भूमि, भवन, मोबाईल टावर व पार्किंग भूभाग पर कर के सम्बन्ध में ₹ 8.84 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था।

(परिच्छेद 2.4.9.2, 2.4.14.1, 2.4.14.3 से 2.4.14.5)

- छ: मल अभिक्रिया संयंत्रों (35.63 मिलियन लीटर प्रतिदिन अधिष्ठापन क्षमता)को लगाने हेतु ₹ 74 करोड़ खर्च करने के बावजूद वास्तविक प्रयुक्ति 4.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (13 *प्रतिशत*) थी, परिणामत: बिना अभिक्रिया मलजल, बिना निकासी रहा तथा खुले में छोड़ दिया गया।

(परिच्छेद 2.4.10.1)

- अनाधिकृत निर्माण को रोकने तथा पता लगाने का तंत्र अपर्याप्त था। पता लगाए गए मामलों में भी (73 *प्रतिशत* लम्बित) नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.4.14.2)

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत ₹ 24 करोड़ से स्वीकृत 636 निवास यूनिटों में से केवल 40 यूनिट पूर्ण किए गए, 136 प्रगतिरत थे और शेष 460 यूनिटों के कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किए गए।

(परिच्छेद 2.4.17.1)

- जुलाई 2014 तक हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार परियोजनाओं/स्कीमों, आदि के अनुश्रवण एवं निरीक्षणार्थ आवधिक तन्त्र विद्यमान नहीं था।

(परिच्छेद 2.4.18.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा

वन प्रबंधन की गहनता स्कीम का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ की गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आगजनी नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 10 से 33 *प्रतिशत* के मध्य थी। फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया तीन भवनों का निर्माण (संस्वीकृत लागत ₹ 0.43 करोड़) ₹ 0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण था।

(परिच्छेद 3.3)

छात्रावासों तथा आवासीय रिहायिशों के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप उनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.7)

अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को भुगतान आधिक्य और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि

अस्पताल के निर्माण पर वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने से विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.56 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली के गैर-अनुपालन से ₹51.60 लाख की ब्याज हानि के अतिरिक्त ₹ एक करोड़ सरकारी लेखा से बाहर रहे।

(परिच्छेद 3.11)

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन

स्कीम के दिशा निर्देशों के विपरीत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकताओं के अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ के मध्य निधियां आहरति कर और बैंकों में रखी गई थी। 2011-14 के दौरान पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹10.31 करोड़ के लिए 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। 11

निष्पादन अभिकरणों द्वारा जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के लिए संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे जिसमें चार से 72 महीनों का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 3.12)

फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ

विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल सिद्ध हुआ।

(परिच्छेद 3.13)

सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.18)

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन

दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों द्वारा 2011-14 के दौरान बिना पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये ₹13.35 करोड़ के लिए 552 कार्य संस्वीकृत किये गए थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2.15 करोड़ के 124 अस्वीकार्य कार्य भी संस्वीकृत किये गए थे। पुल के निर्माण कार्य के पूर्ण न होने के कारण तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.21)

कल्याण एवं बालिका संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन

किशोरी छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत 40 से 49 *प्रतिशत* पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु की) 2011-14 के दौरान आवृत्त की गई । बेटी है अनमोल योजना में पहचान किए गए 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त नहीं किए गए थे अत: उपरोक्त अवधि के दौरान 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे । मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ की कमी तथा मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी थी।

(परिच्छेद 3.23)

अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग और 62 स्वायत्त निकाय हैं। 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट प्राक्कलनों एवं उनके प्रति वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है:

तालिका-1.1

2009-14 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	4582	4377	5340	5279	5971	5690	6651	6618	7196	7046
सामाजिक सेवाएं	4086	3902	4929	4979	5669	5147	6635	6131	7117	6706
आर्थिक सेवाएं	2994	2868	3393	3682	3819	3049	4517	3418	4873	3591
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	4	6	6	12	12	7	7	3	9
योग (1)	**11666**	**11151**	**13668**	**13946**	**15471**	**13898**	**17810**	**16174**	**19189**	**17352**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**2160**	**1943**	**1814**	**1789**	**1899**	**1810**	**2059**	**1955**	**2104**	**1856**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**51**	**70**	**225**	**227**	**390**	**493**	**379**	**469**	**342**	**531**
लोक ऋण की चुकौती	**920**	**867**	**879**	**870**	**1099**	**1128**	**1930**	**2117**	**1714**	**1704**
आकस्मिक निधि	---	---	---	---	---	--	---	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	**1987**	**6421**	**1987**	**7162**	**1987**	**8526**	**2288**	**8285**	**2828**	**9227**
अंतरोकड़ शेष	---	**281**	---	**635**	---	**569**	---	**(-) 295**	--	**(-) 887**
योग (2)	**5118**	**9582**	**4905**	**10683**	**5375**	**12526**	**6656**	**12531**	**6988**	**12431**
सकल योग (1+2)	**16784**	**20733**	**18573**	**24629**	**20846**	**26424**	**24466**	**28705**	**26177**	**29783**

स्रोत: राज्य सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और वित्त लेखे

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों की प्रयुक्तता

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 13164 करोड़ से बढ़कर ₹ 19739 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 11151 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर 2013-14 में ₹ 17352 करोड़ हो गया। 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9913 करोड़ से 51 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 14965 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय ₹ 1943 करोड़ से चार *प्रतिशत* घटकर ₹ 1856 करोड़ हो गया।

वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 से 88 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय 9 से 15 *प्रतिशत* सम्मिलित था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत विकास दर पर वृद्धि हुई।

1.3 निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान चार मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचत थी जैसा कि **तालिका-1.2** में ब्यौरा दिया गया है।

---

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

तालिका-1.2
2009-14 के दौरान निरंतर बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-दत्तमत						
1.	03-न्याय प्रशासन	2.84	16.51	15.96	14.78	16.71
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	9.99	7.78	9.43	6.89	13.44
3.	20-ग्रामीण विकास	2.06	4.06	75.07	72.69	60.04
पूंजीगत-दत्तमत						
4.	29-वित्त	4.18	1.84	1.67	5.07	4.52

स्रोत: विनियोजन लेखे

2011-12 (₹ 57.86 करोड़), 2012-13 (₹ 18.16 करोड़) और 2013-14 (₹ 17.81 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अंतर्गत बचत का महत्त्वपूर्ण भाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत था। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करता है।

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधी अंतरित निधियां

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से बाहर विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1671 करोड़ सीधे अंतरित किये। परिणामस्वरूप, ये राशियां वार्षिक लेखों (वित्त लेखों और विनियोजन लेखों) के क्षेत्र से बाहर रहीं।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.3** में दिये गये हैं।

तालिका-1.3
भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजनागत अनुदान	2052	2634	2647	2526	2025
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2731	2680	3342	4179	3765
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	1	27	28	17
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	339	343	505	580	507
योग	**5127**	**5658**	**6521**	**7313**	**6314**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	14.65	10.36	15.25	12.15	(-) 13.66
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	50	45	45	47	40

2009-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 5127 करोड़ से बढ़कर ₹ 7313 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 के दौरान ये ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6314 करोड़ हो गये। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इनकी प्रतिशतता 40 और 50 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1.6 निधियों का अवरोधन

विभिन्न विभागों/अभिकरणों की ओर से कार्यों के निष्पादन के लिए अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्राप्त निधियां अस्थायी रूप से अल्पकालिक शीर्ष "लोक निर्माण कार्य निक्षेप" के अंतर्गत रखी जाती हैं। ऐसी निधियां एक अनिश्चित अवधि के लिए अप्रयुक्त नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि उनके लम्बे समय तक रखाव के परिणामस्वरूप धन सामान्य बजट प्रक्रिया के बाहर रहता है और सरकारी निधियों का अवरोधन होता है।

नौ लोक निर्माण कार्य मण्डलों[2] में जुलाई 2005 तथा मार्च 2013 के मध्य 86 निक्षेप निर्माण कार्यों[3] के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों/अभिकरणों से प्राप्त ₹ 12.22 करोड़ निर्माण स्थलों की अनुपलब्धता (71 मामले), पर्याप्त निधियों की कमी (एक मामला) और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता (14 मामले) जैसे कारणों से निर्माण कार्यों को आरम्भ न करने के कारण अप्रयुक्त रहे।

सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य)। स्पष्ट रूप से, सम्बंधित मण्डलों द्वारा विभिन्न विभागों/अभिकरणों से प्राप्त ₹ 12.22 करोड़ एक अनिश्चित अवधि के लिए अप्रयुक्त रखे गए। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने और ग्राहक विभागों के साथ मामला निपटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं, आदि, गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, अधिकृत वित्तीय शक्तियों के स्तर, शेयर धारको के आंतरिक नियंत्रण तथा सरोकारों और विगत लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम निर्धारण के साथ आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार निश्चित किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात् लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को एक मास के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं, में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

2013-14 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 763 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 42 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/गतिविधियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण कमियां जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है प्रतिवेदित की हैं। ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कार्यकारी विभाग को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप/प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए और

2 बैजनाथ: ₹ 0.53 करोड़ (पांच), बंगाणा: ₹ 0.15 करोड़ (एक), डलहौजी: ₹ 0.30 करोड़ (तीन), घुमारवीं: ₹ 2.73 करोड़ (नौ), जोगिन्द्रनगर: ₹ 0.58 करोड़ (13), कांगड़ा: ₹ 0.23 करोड़ (छः), मण्डी मण्डल – II: ₹ 0.74 करोड़ (पांच), पद्धर: ₹ 6.22 करोड़ (32) और पांवटा साहिब: ₹ 0.74 करोड़ (12)

3 शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण/मरम्मत: 26 (₹ 5.06 करोड़), स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण/मरम्मत: 18 (₹ 5.79 करोड़), लिंक सड़कों का निर्माण/मरम्मत: 32 (₹ 0.70 करोड़) और अन्य कार्य: 10 (₹ 0.67 करोड़)

छ: हफ्तों के अंदर उनका उत्तर प्रेषित के लिए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की गैर-प्राप्ति के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों के अंत में निरपवाद रूप से सूचित किये गये हैं। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 26 परिच्छेद सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए थे। इनमें से मात्र दो परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुए हैं (दिसम्बर 2014)। मामला नवम्बर 2014 में राज्य मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से युक्त लेखापरीक्षा परिणाम विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि तथा लेखापरीक्षा के सूचनाधीन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किए गए थे।

748 मामलों में इंगित किए गए ₹ 1.85 करोड़ की वसूली के प्रति सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 2013-14 के दौरान 125 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि **तालिका-1.4** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-1.4

2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई और विभागों द्वारा स्वीकार/वसूल की गई वसूलियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों का विवरण	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई और विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां		2013-14 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त भुगतान की वजह से अधिक भुगतान	748	1.85	125	0.10

1.10 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण लेन-देन की नमूना जांच द्वारा संचालित करता है एवं महत्त्वपूर्ण लेखा तथा अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के उपरान्त लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता चली महत्त्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का जब मौके पर निपटान नहीं होता है, तब इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को अगले उच्च प्राधिकारी को एक प्रति के साथ, निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार हफ्तों के भीतर अपनी अनुपालना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। गंभीर अनियमितताओं को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को प्रेषित किये जाने वाले लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाया जाता हैं।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2014 को 30146 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों से युक्त बकाया 8129 निरीक्षण प्रतिवेदन **तालिका-1.5** में दिए गए हैं।

तालिका-1.5

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद

(₹ करोड़)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	5792	23779	9819.83
2.	सामान्य क्षेत्र	1360	4093	7781.75
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	977	2274	1076.29
	कुल	**8129**	**30146**	**18677.87**

सितम्बर 2013 तक आयुर्वेद विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित 109 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[4] को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2014 के अंत तक 383 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित लगभग ₹ 296.92 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 840 परिच्छेद बकाया रहे। इनमें से वर्ष 1969-70 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित सबसे पुरानी मदों का एवं ₹ 10.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 220 परिच्छेदों का 10 वर्षों से अधिक समय से निपटान नहीं किया गया था। इन बकाया 383 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 840 परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में और अनियमितताओं के प्रकार का विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में परिच्छेदों का लम्बन सरकारी विभागों की जवाबदेही की कमी दर्शाता है।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर शीघ्र तथा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मामले पर गौर करने की सिफारिश की जाती है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाई

प्रशासनिक विभागों द्वारा लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समस्त लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं समीक्षाओं पर इसकी परवाह न करते हुए कि लोक लेखा समिति द्वारा इनका जांच हेतु अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं, स्व: प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणियां जो उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, को दर्शाती हैं, भी प्रस्तुत करनी थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की 31 अगस्त 2014 की स्थिति **तालिका-1.6** में दी गई है।

तालिका-1.6

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2014 को लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां	राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति हेतु देय तिथि
सिविल/ सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों-गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2010-11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	01	6.4.2012	5.7.2012
	2011-12	शिक्षा	01	9.4.2013	8.7.2013
		श्रम एवं रोजगार	01		
		बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	01		
		राजस्व	01		
		महिला एवं बाल विकास	01		
	2012-13	विविध विभाग	25	21.2.2014	20.5.2014
राज्य वित्त	2012-13	वित्त तथा विविध विभाग	सभी अध्याय	21.2.2014	20.5.2014

4 आयुर्वेद: 15 और ग्रामीण विकास: 94

1.12 स्वायत्त निकायों के लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा पटल पर रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा अनेक स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा के न्यस्तीकरण, लेखापरीक्षा को लेखों का प्रतिपादन, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन और इसे विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति **परिशिष्ट-1.3** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे 10 महीनों से विलम्बित थे जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब एक से चार महीनों के मध्य था। वर्ष 2013-14 के लिए सभी 14 निकायों के सम्बंध में लेखे अगस्त 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है, अत: लेखों को अंतिम रूप देने और लेखापरीक्षा को शीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को छोड़कर 13 स्वायत्त निकायों के वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी किये गये पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के लिए एक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[5] जारी किया जा चुका है और इसे विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। 2013-14 के लिए सभी 14 निकायों हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए लेखों की गैर-प्रस्तुति के कारण लम्बित हैं।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण

विगत दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण उनके मुद्रा मूल्य सहित **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

2011-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		परिच्छेद		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रारूप परिच्छेद
2011-12	2	731.33	19	176.52	2	1
2012-13	3	579.78	22	679.17	1	7

2013-14 के दौरान राज्य सरकार को चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 26 लेखापरीक्षा परिच्छेद जारी किए गए थे। तथापि, सरकार से मात्र दो परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुआ था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 2049.77 करोड़[6] के मुद्रा मूल्य युक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 23 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट किए गए हैं।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला

6 निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹ 1879.92 करोड़ और लेखापरीक्षा परिच्छेद: ₹ 169.85 करोड़

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

2.1 सर्व शिक्षा अभियान

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2000-01 में प्रतिष्ठापित सर्व शिक्षा अभियान एक विस्तृत एवं एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा "बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009" के नाम से एक अधिनियम अधिनियमित किया गया था जो अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

मुख्य विशेषताएं:

- ***जिला स्तरीय वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए समुदाय और जमीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई।***

  (परिच्छेद 2.1.7.1)

- ***राज्य में 454 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (ग्रामीण क्षेत्रः 429 तथा शहरी क्षेत्रः 25) के पास अपने स्वयं के भवन नहीं थे।***

  (परिच्छेद 2.1.10.2)

- ***2012-13 तक संस्वीकृत ₹ 467.52 करोड़ की लागत के 78950 सिविल कार्यों में से ₹ 44.48 करोड़ मूल्य के 5696 कार्य जून 2014 तक अपूर्ण रहे। संस्वीकृत राशि, किया गया व्यय, पूर्णता की तिथि इत्यादि के कार्यवार विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये।***

  (परिच्छेद 2.1.11.1)

- ***2009-14 के दौरान 877 से 1252 के मध्य प्राथमिक विद्यालयों में दो अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति मात्र एक अध्यापक था। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान 50 से 113 के मध्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन अध्यापकों के मानदंडों के प्रति एक अध्यापक था।***

  (परिच्छेद 2.1.12)

- ***अगस्त 2014 तक बाल शिकायत निवारण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण को नामित/गठित नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए प्रशासनिक तंत्र भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।***

  (परिच्छेद 2.1.17)

2.1.1 परिचय

सर्वशिक्षा अभियान राज्य सरकार की साझेदारी से मिशन के रूप में सम्पूर्ण देश को आवृत्त करते हुए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2000-01 में प्रतिष्ठापित भारत सरकार का एक व्यापक एवं एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। यह विकेन्द्रीकृत तथा संदर्भ विशिष्ट योजना एवं एक प्रक्रिया आधारित, समयबद्ध कार्यान्वयन नीति द्वारा शिक्षा को सर्वव्यापी तथा गुणवत्ता में सुधार की एक

पहल है। कार्यक्रम समयबद्ध उद्देश्यों के साथ सभी लिंग तथा सामाजिक वर्ग भेद को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर दूर करने पर जोर देता है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने "बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009" नाम से एक अधिनियम भी अधिनियमित किया जो अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधान के अधीन कानूनी तौर पर अनिवार्य मानदण्डों तथा मानकों एवं अनिवार्य नि:शुल्क अधिकारों शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ संरेखन होने थे।

2.1.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

योजना का कार्यान्वयन समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत राज्य कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जा रहा है। राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में कार्य कारी परिषद द्वारा चलाई जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक (मिशन निदेशक के रूप में) तथा राज्य परियोजना निदेशक इसमें उनकी सहायता करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, यह योजना जिला परियोजना अधिकारियों, खण्ड संसाधन समन्यवयकों, क्लस्टर संसाधन समन्वयकों तथा ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रभावी थी;
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से निर्धारित की गई थी तथा मुख्य हस्तक्षेप मानदण्डों के अनुसार निष्पादित किये गए थे;
- शैक्षणिक मानकों की गुणवत्ता सुधारने में सरकार के प्रयास प्रभावी एवं मितव्ययी थे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ था; तथा
- कार्यक्रम का निर्विघ्न कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

2009-14 की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की संवीक्षा अप्रैल से अगस्त 2014 के बीच में मिशन निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक, 12 जिलों में से तीन[1] जिला परियोजना अधिकारियों, इन जिलों में पड़ने वाले 37 शिक्षा खण्डों में से 10 खण्ड संसाधन समन्वयकों[2] तथा उपरोक्त खण्ड संसाधन समन्वयकों के अंतर्गत पड़ने वाले 120 विद्यालयों (1337[3] विद्यालयों में से 60 प्राथमिक तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा की गई थी। इकाइयों का चयन प्रतिदर्श पद्धति को परिवर्तित किये बिना सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर किया गया था।

उप सचिव (शिक्षा) के साथ आरम्भिक बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड तथा लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र पर चर्चा की गई थी (22 अप्रैल 2014)। दिसम्बर 2014 में आयोजित समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। राज्य सरकार के विचारों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

---

[1] बिलासपुर, शिमला तथा सिरमौर

[2] बिलासपुर सदर, कोटखाई, कुमारसेन, मतियाना, नौहराधार, पांवटा साहिब, सराहन (शिमला), सराहां (सिरमौर), सुन्नी तथा स्वारघाट

[3] प्राथमिक: 953 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 384

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

योजना के कार्यान्वयन के आकलन के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नवत् स्रोतों से लिये गये:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम व विनियम;
- सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं एवं अनुदेश;
- विभागीय नियमावली/नीतियां/नियम एवं विनियम; तथा
- सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति पर नियमावली तथा स्कीम/कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

2.1.6 विगत निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के **परिच्छेद 3.1** द्वारा पूर्व में हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा सम्मिलित की गयी थी। विगत निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों में जमीनी स्तरीय कार्यकर्त्ताओं को शामिल किये बिना जिला एवं बस्ती योजनाओं को बनाना, समय पर सिविल कार्यों का पूर्ण न होना, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी तथा निधियों के अपवर्तन एवं अप्रयुक्तता के अन्य मामले थे। सरकार ने अप्रैल 2007 में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के उत्तर में निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना के प्रति प्रतिबद्धता जताई। लोक लेखा समिति ने विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना चाही थी (अगस्त 2012)। तथापि, विगत लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामले तदनन्तर रहे जैसा कि वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान साबित हुआ।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.7 योजना

2.1.7.1 जमीनी स्तरीय कार्यकर्त्ताओं को शामिल किये बिना बस्ती/जिला स्तरीय योजनाओं को बनाना

सर्व शिक्षा अभियान के दिशानिर्देश बस्ती/जिला स्तरीय योजनाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक ग्राम/बस्ती, खण्ड तथा जिला स्तर पर कोर योजना दल जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, नेताओं, अध्यापकों तथा परिजनों जैसे जमीनी स्तरीय कार्यकर्त्ताओं से उचित प्रतिनिधित्व शामिल हो, के गठन की परिकल्पना करता है। दिशानिर्देशों में आगे योजना के नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण सहित परिप्रेक्ष्य एवं वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी का प्रावधान है। योजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योजनाकर्त्ताओं को योजना के विभिन्न पहलुओं पर एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाना तथा आवश्यकता परक योजनाओं की तैयारी के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान नमूना जांच के लिए चयनित जिलों में जिला एवं खण्ड स्तर पर कोर दल गठित किये गए थे किन्तु ग्राम/विद्यालय स्तर पर इनका गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह पाया गया था कि 2009-14 के दौरान किसी भी स्तर पर परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी तथा विद्यालय, समूह तथा खण्ड स्तर की विकास योजना को ध्यान में रखे बिना जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई थी। निवास स्तर पर बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं[4] नहीं समझी गई थी तथा 2009-14 के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सम्पूर्ण योजना जिला स्तर पर जमीनी स्तरीय कार्यकर्त्ताओं को शामिल किये बिना बनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हुआ तथा कुछ विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की तैनाती नहीं हुई जैसाकि **परिच्छेद 2.1.10, 2.1.11** तथा **2.1.12** में दर्शाया गया है। सम्बंधित जिला परियोजना अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल- मई 2014)।

---

4 आधारभूत संरचना आवश्यकताएं, पर्याप्त शिक्षण कक्षों की उपलब्धता, अध्यापकों के लिए मांग, इत्यादि

2.1.8 वित्तीय निष्पादन

2009-14 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निधियां तथा उनके प्रति किए गए व्यय से सम्बंधित स्थिति **तालिका 2.1.1** में दी गई है।

तालिका- 2.1.1

2009-14 के दौरान जारी निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	संस्वीकृत परिव्यय	अथ शेष	प्राप्त निधियां				कुल निधियों की उपलब्धता	किया गया व्यय	अप्रयुक्त शेष
			भारत सरकार	राज्य	तेरहवां वित्त आयोग	विविध प्राप्ति			
2009-10	166.41	27.89	86.08	57.39	--	1.66	173.02	146.31 (85)	26.71 (15)
2010-11	254.81	26.71	137.87	65.46	20.00	1.96	252.00	219.74 (87)	32.26 (13)
2011-12	302.62	32.26	141.93	70.37	21.00	3.92	269.48	188.43 (70)	81.05 (30)
2012-13	333.29	81.05	107.37	72.81	23.00	25.52	309.75	265.77 (86)	43.98 (14)
2013-14	215.05	43.98	114.53	62.64	24.00	4.32	249.47	198.00 (79)	51.47 (21)
	1272.18		**587.78**	**328.67**	**88.00**	**37.38**		**1018.25**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े। कोष्ठक में दिये आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तेरहवां वित्त आयोग 2009-14 के लिए संस्वीकृत ₹ 1272.18 करोड़ के परिव्यय के प्रति राज्य परियोजना निदेशक के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 1069.72 करोड़[5] थी जिनमें से ₹ 1018.25 करोड़ प्रयुक्त हुए, परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 51.47 करोड़ की बचत हुई। 2009-14 के दौरान राज्य में निधियों की प्रयुक्तता में कमी 13 से 30 *प्रतिशत* थी जो दर्शाती है कि विभाग ने उपलब्ध निधियों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया था।

नमूना जांच किये गए जिलों में 2009-14 के दौरान ₹ 300.42 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति ₹ 293.52 करोड़ प्रयुक्त किये गये थे, परिणामस्वरूप ₹ 6.90 करोड़ अल्प प्रयुक्त हुए।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में निधियों को जारी किये जाने के कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विगत वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां भी सम्बंधित वर्षों के दौरान पूर्णत: उपयोग में नहीं लाई गई थी।

2.1.8.1 केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा निधियों का अल्प जारीकरण

सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय मानकों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य सहभाजन व्यवस्था 2009-10 के लिए 60:40, 2010-11 से आगे 65:35 अनुपात में थी। 2009-14 के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अल्प जारीकरण की स्थिति **तालिका 2.1.2** में दी गई है।

तालिका- 2.1.2

2009-14 के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अल्प जारीकरण की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	संस्वीकृत परिव्यय	जारी की जाने वाली निधियां		वास्तविक रूप से जारी निधियां		अल्प जारीकरण की राशि	
		भारत सरकार	*राज्य*	*भारत सरकार*	*राज्य*	*भारत सरकार*	*राज्य*
2009-10	166.41	99.85	66.56	86.08	57.39	13.77	09.17
2010-11	254.81	165.63	89.18	137.87	65.46	27.76	23.72
2011-12	302.62	196.70	105.92	141.93	70.37	54.77	35.55
2012-13	333.29	216.64	116.65	107.37	72.81	109.27	43.84
2013-14	215.05	139.78	75.27	114.53	62.64	25.25	12.63
योग	**1272.18**	**818.60**	**453.58**	**587.78**	**328.67**	**230.82**	**124.91**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

5 1 अप्रैल 2009 को अथ शेष (₹ 27.89 करोड़) जमा भारत सरकार से प्राप्त निधियां (₹ 587.78 करोड़), राज्य सरकार (₹ 328.67 करोड़), तेरहवां वित्त आयोग (₹ 88.00 करोड़) तथा विविध प्राप्तियां (₹ 37.38 करोड़)

यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान संस्वीकृत परिव्यय के प्रति दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारों (केन्द्र: ₹ 230.82 करोड़ तथा राज्य: ₹ 124.91 करोड़) द्वारा ₹ 355.73 करोड़ का अल्प जारीकरण हुआ था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 2009-14 के दौरान केन्द्र से निधि का प्रवाह विभाग द्वारा निधियों की अल्प प्रयुक्तता के कारण प्रभावित हुआ था।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निधियों का अल्प जारीकरण विभिन्न स्तरों पर अव्ययित शेष तथा बकाया अग्रिमों के कारण था।

2.1.8.2 तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान का जारीकरण

तेरहवें वित्त आयोग ने 2010-14 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 88 करोड़ की राशि राज्य के प्रावधान के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उनके अंश तथा सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य से अपेक्षित अंशदान के मध्य के अंतराल को भरने की दृष्टि से जारी की। अनुदान इस प्रतिबद्धता के साथ जारी किया गया था कि 2010-15 के दौरान राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किया गया व्यय वेतन के अतिरिक्त (योजना जमा गैर-योजना) कम से कम आठ *प्रतिशत* वार्षिक बढ़ना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिबद्धता के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर ₹ 1318.41 करोड़[6] के किये जाने वाले अपेक्षित व्यय के प्रति उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य ने ₹ 1294.66 करोड़[7] का व्यय किया। अत: व्यय में अपेक्षित वृद्धि ₹ 23.75 करोड़ की सीमा तक कम हुई तथा भारत सरकार की प्रतिबद्धता पूर्ण नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं के सुधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

संयुक्त निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) ने बताया (सितम्बर 2014) कि उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आवंटित किये गए बजट के अनुसार व्यय किया गया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विभाग को तेहरवें वित्त आयोग की प्रतिबद्धता के अनुसार बजट की मांग करनी चाहिए थी।

2.1.9 स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में से एक 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में लाकर राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता हासिल करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-14 के दौरान राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण क्रमश:4,40,990 से 3,61,046 (18 *प्रतिशत*) तथा 3,26,882 से 2,53,241 (23 *प्रतिशत*) तक कम हुआ था। तथापि, अन्य प्रबंधन प्राथमिक स्कूलों[8] में बच्चों का पंजीकरण उपरोक्त अवधि के दौरान 2,68,245 से 3,54,808 (32 *प्रतिशत*) तक बढ़ा। यह दर्शाता है कि राज्य ने इसके स्कूलों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता हासिल करने के राज्य सरकार के प्रयासों ने सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में परिकल्पित वांछित परिणामों का उपार्जन नहीं किया था।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या में कमी, निजी स्कूलों की तरफ बच्चों का पलायन, आदि पंजीकरण में कमी के प्रमुख कारण थे। तथापि,

---

6 2010-11: ₹ 292.58 करोड़; 2011-12: ₹ 315.99 करोड़; 2012-13: ₹ 341.27 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 368.57 करोड़

7 2010-11: ₹ 294.57 करोड़; 2011-12: ₹ 299.07 करोड़; 2012-13: ₹ 345.82 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 355.20 करोड़

8 अन्य प्रबंधक प्राथमिक स्कूलों में निजी, स्थानीय निकाय, निजी सहायता प्राप्त तथा निजी गैर-सहायता प्राप्त, जनजातीय कल्याण स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, *मदरसे*, इत्यादि, शामिल हैं

तथ्य यह है कि विगत 14 वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बावजूद सरकार के सरकारी स्कूलों में पंजीकरण वृद्धि के प्रयास अप्राप्य रहे।

2.1.10 आधारभूत सुविधाएं

2.1.10.1 स्कूल के बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त प्रावधान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 और 25 में प्रत्येक स्कूल के लिए बुनियादी ढांचा मानकों तथा मापदण्डों जैसे प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए सर्व मौसम भवन में प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक शिक्षण कक्ष तथा तीन कक्षों सहित एक कार्यालय-सह-प्रधानाध्यापक का कक्ष और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए चार कक्षों का प्रावधान है। लड़के और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधनों, सभी बच्चों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा, पुस्तकालय, स्कूल में मध्याहन भोजन पकाया जाने के लिए रसोई घर, खेल का मैदान, चारों तरफ की दीवार/तारबंदी इत्यादि उपलब्ध करवाकर स्कूल भवन की सुरक्षा की व्यवस्था का प्रावधान भी सुनिश्चित करना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रत्येक स्कूल में ये सुविधाएं 31 मार्च 2013 तक उपलब्ध करवाई जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में 15,162 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: 10,650 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 4,512) में से 17,824 बच्चों के पंजीकरण वाले 577 (चार *प्रतिशत*) स्कूल[9] एक मात्र शिक्षण कक्ष में चल रहे थे तथा 1,00,208 बच्चों के पंजीकरण वाले 4,075 (27 *प्रतिशत*) स्कूल[10] मार्च 2014 तक दो शिक्षण कक्षों में चलाए जा रहे थे जो राज्य में स्कूलों में कक्षों के अपर्याप्त प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करता है।

2009-14 के दौरान राज्य में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्कूल की बुनियादी ढांचों की उपलब्धता की वर्षवार स्थिति **तालिका 2.1.3** में दी गई है।

तालिका- 2.1.3

2009-14 के दौरान राज्य में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्कूली बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	राज्य में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल	लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन वाले स्कूल	पेयजल सुविधा वाले स्कूल	मध्याहन भोजन पकाने के लिए रसोई घर वाले स्कूल	खेल के मैदान वाले स्कूल	चारदीवारी/ तारबंदी वाले स्कूल	पुस्तकालय वाले स्कूल
2009-10	15045	8143 (54)	14641 (97)	3728 (25)	9463 (63)	7010 (47)	आंकड़े उपलब्ध नहीं
2010-11	15072	9737 (65)	14646 (97)	7990 (53)	9318 (62)	6497 (43)	तदैव
2011-12	14945	14457 (97)	14745 (99)	12216 (82)	9272 (62)	7339 (49)	तदैव
2012-13	15053	14633 (97)	14893 (99)	13094 (87)	12323 (82)	9461 (63)	14805 (98)
2013-14	15162	14684 (97)	14997 (99)	13506 (89)	12728 (84)	10319 (68)	14875 (98)

स्रोत: विभागीय आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों में अवसंरचना सुविधाओं में काफी हद तक सुधार हुए। 2013-14 के दौरान 11 *प्रतिशत* स्कूलों (1,656 स्कूल) में मध्याहन भोजन पकाने के लिए रसोई घर नहीं थे, 32 *प्रतिशत* स्कूलों (4,843 स्कूल) में चार दीवारी/तारबंदी नहीं थी तथा 16 *प्रतिशत* स्कूल (2434

9 प्राथमिक स्कूल: 373 (6,681 बच्चे पंजीकृत तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 204 (11,143 बच्चे पंजीकृत)

10 प्राथमिक स्कूल: 3,622 (82,185 बच्चे पंजीकृत) तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 453 (18,023 बच्चे पंजीकृत)

स्कूल) बिना खेल के मैदान के थे। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि मार्च 2014 तक 99 *प्रतिशत* स्कूलों में पेयजल सुविधा तथा 97 *प्रतिशत* स्कूलों में लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन थे।

नमूना जांच किये गए तीन जिलों के नमूना जांचित 120 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: 60 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 60), में से 12 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: सात तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: पांच) में लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन नहीं थे, छः उच्च प्राथमिक स्कूलों के पास पेयजल सुविधा नहीं थी, 10 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: तीन तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: सात) में रसोई घर नहीं थे, 23 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: 12 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 11) के पास खेल के मैदान नहीं थे, 78 स्कूलों (प्राथमिक स्कूल: 39 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 39) में चार दीवारी नहीं थी तथा 44 स्कूल (प्राथमिक स्कूल: 25 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 19) बिना पुस्तकालय सुविधा के थे।

सम्बंधित जिला परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि अपर्याप्त निधियों के कारण सभी स्कूलों में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि इन स्कूलों को आगामी वर्ष के वार्षिक कार्य योजना बजट में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत्त किया जाएगा । उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 2009-14 के दौरान विभाग के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी।

2.1.10.2 स्वयं के भवन के बिना चल रहे स्कूल

सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली, 2010 के परिच्छेद 26.1 में सिविल कार्यों के अंतर्गत नए स्कूल भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, इत्यादि के निर्माण के लिए प्रावधान हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 15,162 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में से 454 स्कूल[11] (ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल: 429 तथा शहरी क्षेत्र के स्कूल: 25) या तो किराये पर या फिर किराया-मुक्त आवास में चलाए जा रहे थे क्योंकि इन स्कूलों के पास उनके अपने स्वयं के भवन नहीं थे। यह पाया गया था कि मार्च 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए स्कूल भवनों के निर्माणार्थ उनके सुचारू संचालन हेतु कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (अगस्त 2014) कि जिलों से किराये पर आवास तथा किराया मुक्त स्कूल भवनों के लिए नए स्कूल भवनों के निर्माणार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्कूलों के सुचारू संचालनार्थ किराये पर तथा किराया मुक्त आवासीय स्कूलों के लिए नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए था।

2.1.11 सिविल कार्य

2.1.11.1 अपूर्ण सिविल कार्य

2002-13 के दौरान राज्य में ₹ 467.52 करोड़ की लागत पर भवनों, चार दीवारियों, प्रसाधनों, पुस्तकालयों आदि के निर्माण के लिए 78,950 सिविल कार्य संस्वीकृत किये गए थे। इनमें से ₹ 422.64 करोड़ की लागत के 73,254 कार्य (93 *प्रतिशत*) जून 2014 तक पूर्ण किये जा चुके थे तथा ₹ 44.88 करोड़ के 5696 संस्वीकृत कार्य (सात *प्रतिशत*) जून 2014 तक अपूर्ण रह गए थे। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा संस्वीकृत राशि, किया गया व्यय, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, कार्य पूर्णता की तिथि, इत्यादि, का वर्षवार विवरण अनुरक्षित नहीं किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में कार्य की पूर्णता में हुए वास्तविक विलम्ब, अगर कोई है, का पता नहीं लग सका।

---

11 प्राथमिक स्कूल: 230 तथा उच्च प्राथमिक स्कूल: 224

नमूना जांच किए गए तीन जिलों में 2003-13 के दौरान ₹ 6.20 करोड़ की लागत के 744 कार्य संस्वीकृत किये गए थे जिन्हें संस्वीकृति की तिथि से दो से आठ महीने के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। तथापि, ये कार्य जून 2014 तक ₹ 4.46 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद भी अपूर्ण पड़े थे।

सम्बंधित जिला परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जून 2014) कि कार्य स्कूल प्रबंधन समिति तथा निष्पादन अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी और राज्य परियोजना निदेशक द्वारा अपर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाए जाने के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके थे। राज्य परियोजना निदेशक ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि भविष्य में कार्यों का अनुश्रवण राज्य परियोजना निदेशक के स्तर पर किया जाएगा।

2.1.11.2 जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के भवनों के निर्माण पर अनियमित व्यय

सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली, 2010 का परिच्छेद 26.2 जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण को प्रतिबन्धित करता है।

यह देखा गया था कि जून 2014 तक 20 जीर्ण-शीर्ण स्कूलों (15 प्राथमिक स्कूल: ₹ 0.89 करोड़ तथा पांच उच्च प्राथमिक स्कूल: ₹ 5.46 करोड़) के लिए भवनों के निमार्ण हेतु 2012-14 के दौरान ₹ 6.35 करोड़ का व्यय किया गया था। उपरोक्त व्यय सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के विपरीत था।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि व्यय परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदनोपरांत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण पर व्यय सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2.1.11.3 प्रारूप सेल की स्थापना न करना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए ढ़ांचे के परिच्छेद 6.10.3 के अनुसार सम्पूर्ण स्कूल विकास योजना हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर सिविल कार्य इकाई में एक प्रारूप सेल स्थापित करना अपेक्षित था।

यह देखा गया था कि राज्य/जिला स्तरीय सिविल कार्य इकाइयों में प्रारूप सेल स्थापित नहीं किये गए थे। यह दर्शाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये बिना स्कूल भवनों के निर्माण कार्य शुरू किये गए थे। समापन सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षण कक्षों/भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक निर्माण कार्य विभाग से वास्तुकारों आदि को तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु लगाया जाएगा।

2.1.12 अध्यापकों की उपलब्धता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक स्कूल हेतु राज्य अथवा जिला अथवा खण्ड के लिए एक औसत रूप में शिक्षकों की तैनाती के बजाय 40:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात को सुनिश्चित करते हुए अध्यापकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान उपलब्ध करता है तथा शिक्षक तैनाती में शहरी-ग्रामीण असंतुलन नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर छात्र-शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक न होते हुए एक प्राथमिक स्कूल के लिए कम से कम दो अध्यापक होंगे। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक स्कूल के लिए कम से कम तीन अध्यापक तथा जहां छात्र पंजीकरण 100 से अधिक है वहां तीन अध्यापक तथा एक मुख्याध्यापक होना चाहिए।

मार्च 2014 तक राज्य में 15162 स्कूल (प्राथमिक: 10650 तथा उच्च प्राथमिक: 4512) थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2009-14 के दौरान कुल मिलाकर छात्र-शिक्षक अनुपात 13:1 से 17:1 था जो कि संतोषजनक था । उपरोक्त अवधि के दौरान छात्र-शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 13:1 से 15:1 था तथा शहरी क्षेत्र के स्कूलों में 16:1 से 18:1 था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि राज्य में 2013-14 के दौरान चार प्राथमिक स्कूलों में नियमित अध्यापक नहीं थे तथा 2009-14 के दौरान दो अध्यापकों से कम वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या 877 से लेकर 1252 थी। उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य स्तर पर एक अध्यापक वाले उच्च प्राथमिक स्कूल 50 से लेकर 113 थे तथा तीन अध्यापकों से कम वाले 193 से 363 थे।

नमूना जांच किये गए 60 प्राथमिक स्कूलों में से 12[12] प्राथमिक स्कूलों में 24 से 1218 दिनों की अवधि के लिए एक अध्यापक रहे तथा 2009-14 के दौरान दो[13] प्राथमिक स्कूलों में 12 से 319 दिनों की अवधि के लिए कोई अध्यापक नहीं था। इस प्रकार, नमूना जांच किये गए 60 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2009-14 की अवधि के दौरान पांच[14] उच्च प्राथमिक स्कूलों में विभिन्न समयावधियों पर 17 से 485 दिनों की अवधि के लिए एक अध्यापक था तथा चार[15] उच्च प्राथमिक स्कूलों में 13 से 201 दिनों की अवधि के लिए कोई नियमित अध्यापक नहीं था। यह दर्शाता है कि 2009-14 के दौरान प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की तर्कसंगत तैनाती के लिए विभाग ने कदम नहीं उठाए थे।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सरकार द्वारा जब भी आवश्यकता हुई अध्यापकों की कमी वाले स्कूलों में अध्यापकों की तर्कसंगत तैनाती हेतु संगठित प्रयास किये गये थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विभाग ने स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती उपरोक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित नहीं की।

2.1.12.1 अध्यापकों को प्रशिक्षण में कमी

सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रतिवर्ष अध्यापकों के लिए 10 दिन का सेवारत प्रशिक्षण, पहले से नियोजित अकुशल अध्यापकों के लिए 60 दिन का रिफ्रेशर कोर्स तथा नए भर्ती हुए अध्यापकों के लिए 30 दिन के प्रवेश प्रशिक्षण का प्रावधान उपलब्ध करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

- 2009-14 के दौरान 2,38,810 सेवारत अध्यापकों को प्रत्येक के लिए 10 दिनों की अवधि का प्रशिक्षण देने हेतु ₹ 34.85 करोड़ आवंटित किये गये थे। इसके प्रति 2,02,207 (85 *प्रतिशत*) सेवारत अध्यापकों को उपरोक्त अवधि के दौरान 10 से 15 दिनों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु ₹ 24.79 करोड़ प्रयुक्त किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप इस घटक के तहत ₹ 10.06 करोड़ की अप्रयुक्ति हुई।
- 2012-13 के दौरान ₹ 2.18 करोड़ व्यय से 3627 अप्रशिक्षित अध्यापकों को आवृत्त करने वाले रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन को छोड़कर, 2009-14 के दौरान कोई रिफ्रेशर कोर्स संचालित नहीं किया गया था।
- 2009-13 के दौरान नव नियुक्त अध्यापकों को प्रवेश प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करवाया गया था। 2013-14 के दौरान प्रवेश प्रशिक्षण हेतु चयनित 666 अध्यापकों में से मात्र 82 (12 *प्रतिशत*) अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया था। इस हस्तक्षेप पर ₹ 13.32 लाख के निधियों के आवंटन के प्रति मात्र ₹ 1.63 लाख ही प्रयुक्त किये गये थे।

अत: प्रशिक्षण के लिए योजना सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं की गई थी तथा अध्यापकों के कौशल उन्नति का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

---

12 जिला बिलासपुर: डोहारियां तथा लखनपुर: जिला शिमला: बेदार देहु, घासीगांव, कण्डा, मझगांव, रंगोरी, शिलारू, सुनारघाटी तथा तलारा तथा जिला सिरमौर: शिल्लाहान

13 जिला बिलासपुर: डोहारियां तथा जिला शिमला: घासीगांव

14 जिला बिलासपुर: धमना: जिला शिमला; चावला बोहल तथा जिला सिरमौर: ज्वालापुर, हीरपुर तथा खोरोंवाला

15 जिला बिलासपुर: बडयात; जिला शिमला: किलरा तथा जिला सिरमौर: हीरपुर तथा खेरोंवाला

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (अगस्त 2014) कि सेवारत प्रशिक्षण के मामले में कमी लक्षित अध्यापकों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नतियों के कारण थी, 2009-12 के दौरान रिफ्रेशर कोर्स राज्य सरकार के राष्ट्रीय स्कूल संस्थान, नोएड़ा द्वारा प्रशिक्षण देने के निर्णय के कारण संचालित नहीं किये गए थे तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू किये जाने के बाद अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा के कारण 2009-13 के दौरान प्रवेश प्रशिक्षण का संचालन नहीं किया गया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि लक्ष्यों को निर्धारित करते समय सभी पहलुओं को देखा जाना चाहिए था।

2.1.12.2 सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान की गति-विधियों पर संवेदीकरण तथा उन्मुखीकरण के लिए ₹ 30 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर एक वर्ष में दो दिनों की अवधि के लिए एक गांव में अधिकतम छः व्यक्तियों को सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रावधान उपलब्ध करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान प्रशिक्षित किये जाने वाले 7,01,964 सामुदायिक नेताओं के प्रति मात्र 5,89,141 सामुदायिक नेताओं को ₹ 24.19 करोड़ के आंवटित बजट के प्रति ₹ 17.78 करोड़ का व्यय करने के बाद प्रशिक्षण दिया गया था। अतः, उपरोक्त अवधि के दौरान सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण में 1,12,823 (16 *प्रतिशत*) की कमी थी तथा ₹ 6.41 करोड़ अल्प प्रयुक्त हुए।

नमूना जांच किए गए तीन जिलों में 2009-14 के दौरान 2,25,882 सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के प्रति, 1,97,150 (87 *प्रतिशत*) सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान 28,732 (13 *प्रतिशत*) सामुदायिक नेताओं को कम प्रशिक्षण दिया गया।

तथ्यों को स्वीकारते हुए जिला परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

2.1.13 अध्यापकों की नियुक्ति

2.1.13.1 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों का नियोजन सुनिश्चित किये बिना वेतन की प्रतिपूर्ति

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति पर नियमावली के **परिच्छेद 21.2** से **21.4** तथा **21.7** सर्व शिक्षा अभियान के लिए अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन पर व्यय की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया था कि नए प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम दो अध्यापक तथा नए उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए तीन अध्यापक नियुक्त किये जाने थे, ऐसे अध्यापक पुनर्नियोजन द्वारा उपलबध नहीं करवाये जाने थे। ऐसे मामलों में वर्तमान अध्यापकों के स्कूल-वार आंकड़े, अतिरिक्त अध्यापक, रिक्ति स्थिति तथा स्कूलों में अध्यापकों की वास्तविक तैनाती भी राज्य परियोजना निदेशक द्वारा अनुरक्षित की जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान क्रमशः 16 तथा 1243 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रतिमाह प्रति अध्यापक ₹ 6,000 से लेकर ₹ 16,416 की भिन्न दरों पर 3761 पैरा अध्यापकों के वेतन की प्रतिपूर्ती पर इन स्कूलों में तैनात/नियुक्त अध्यापकों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित किये बिना ₹ 315.89 करोड़[16] का व्यय किया गया था। अतः, सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के विपरीत स्कूलों में अध्यापकों की वास्तविक तैनाती को सत्यापित किये बिना प्रतिपूर्ति की गई थी।

[16] 2009-10: ₹ 38.26 करोड़; 2010-11: ₹ 66.73 करोड़; 2011-12: ₹ 69.57 करोड़; 2012-13: ₹ 69.39 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 71.94 करोड़

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वेतन की भविष्य में वास्तविक प्रतिपूर्ति किये जाने से पहले अध्यापकों की सूची प्राप्त की जाएगी।

2.1.13.2 रिसोर्स कर्मियों को वेतन की अनियमित प्रतिपूर्ति

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली के परिच्छेद 39.16 में प्रावधान है कि खण्ड रिसोर्स समन्वयक तथा समूह रिसोर्स समन्वयक में रिसोर्स कर्मियों के पद वर्तमान वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापकों के हस्तांतरण द्वारा भरे जाने थे तथा सम्बंधित स्कूलों में परिणामित रिक्तियां राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित प्राथमिक अथवा पैरा अध्यापकों द्वारा भरी जानी थी।

2009-14 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक द्वारा सम्बंधित खण्ड रिसोर्स समन्वयकों/समूह रिसोर्स समन्वयकों में रिसोर्स कर्मियों के रूप में नियोजित अध्यापकों के स्थान पर प्राथमिक स्कूलों[17] तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों[18] में नियुक्त किये गये पैरा अध्यापकों के वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को ₹ 76.08 करोड़[19] का भुगतान किया गया। तथापि, यह देखने में आया था कि रिसोर्स कर्मी का कार्य अध्यापकों द्वारा उनके सम्बंधित स्कूलों के कार्य के साथ-साथ किया गया था तथा 2009-14 के दौरान उनके स्थान पर पैरा अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप रिसोर्स कर्मियों के वेतन की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई ।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (जुलाई 2014) कि वेतन की प्रतिपूर्ति इसलिए की गई क्योंकि खण्ड रिसोर्स समन्वयक/समूह रिसोर्स समन्वयक खण्ड तथा समूह स्तर के शैक्षणिक संस्थानों का अभिन्न हिस्सा थे। वैसे भी उनके वेतन की प्रतिपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन के व्यापक हित में थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड रिसोर्स समन्वयकों/समूह रिसोर्स समन्वयकों के वेतन की प्रतिपूर्ति नियमों की अपेक्षा से मेल नहीं खाती क्योंकि खण्ड रिसोर्स समन्वयक तथा समूह रिसोर्स समन्वयक शैक्षणिक कर्त्तव्यों के बोझ के बिना पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जाने थे तथा परिणामित रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किये गए पैरा अध्यापकों के वेतन की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

2.1.14 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अन्य प्रमुख हस्तक्षेप

2.1.14.1 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायता

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में प्रावधान है कि अक्षमता के प्रकार, वर्ग एवं मात्रा से परे विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त वातावरण में शिक्षा उपलब्ध करवानी है। 2009-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकारियों द्वारा स्कूलों में ऐसे बच्चों को विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चे पर ₹ 3000 व्यय करने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान राज्य में पहचान किये गए 88,642 बच्चों में से 79,007 बच्चों को विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप 9,635 (11 *प्रतिशत*) पहचान किये गए बच्चों को दी गई सेवाओं में कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया था कि ₹ 20.89 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति ₹ 15.07 करोड़ (72 *प्रतिशत*) का ही व्यय किया गया था तथा ₹ 5.82 करोड़ (28 *प्रतिशत*) अव्ययित रह गया जिसे आवृत्त नहीं किये गये छात्रों पर प्रयुक्त किया जा सकता था।

---

17 2009-10: 545; 2010-11: 545; 2011-12: 622; 2012-13: 615 तथा 2013-14: 615

18 2009-10: 646; 2010-11: 549; 2011-12: 364; 2012-13: 390 तथा 2013-14: 425

19 2009-10: ₹ 10.56 करोड़; 2010-11: ₹ 14.42 करोड़; 2011-12: ₹ 18.40 करोड़; 2012-13: ₹ 18.46 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 14.24 करोड़

उपरोक्त व्यय में 2009-14 के दौरान 24 गैर सरकारी संगठनों में 2,750 बच्चों को घर आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रति बच्चे पर प्रतिवर्ष ₹ 3,000 की दर पर व्यय किये गए ₹ 3.22 करोड़ भी शामिल हैं। वित्तीय मानदण्डों के अनुसार, इस हस्तक्षेप के अंतर्गत किया गया व्यय 2,750 बच्चों के लिए ₹ 0.83 करोड़ तक सीमित रखना अपेक्षित था। अत:, निर्धारित सीमा के आधिक्य में ₹ 2.39 करोड़ का व्यय किया गया।

तीन नमूना जांच किये गए जिलों में 26,471 (बिलासपुर: 8,456; शिमला: 13,741 तथा सिरमौर: 4,274) अक्षम बच्चों में से 24,181 (बिलासपुर: 8,456; शिमला: 11,451 तथा सिरमौर: 4,274) अक्षम बच्चों (91 *प्रतिशत*) को, शिमला जिले के 2,290 बच्चों को अनावृत छोड़ते हुए, ₹ 5.53 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से ₹ 4.53 करोड़ का व्यय करते हुए सहायता प्रदान की गई।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि इस हस्तक्षेप के तहत बचत राज्य में विशेष प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण थी तथा गैर सरकारी संगठनों के मामले में मानदण्डों के विपरीत व्यय का आधिक्य बच्चे-बच्चे की भिन्न अक्षमता पर निर्भर होने से था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि लक्षित लाभार्थियों को आवृत्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए तथा गैर सरकारी संगठनों के मामले में व्यय को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए।

2.1.14.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली के परिच्छेद 35.3 (च) में नियमित अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावशाली शिक्षण कक्ष प्रबंधन पर संवेदनशील बनाने हेतु गहन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान प्रशिक्षित किये जाने के लिए लक्षित 1.18 लाख अध्यापकों की संख्या के प्रति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावशाली शिक्षण कक्ष प्रबंधन पर 1.04 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 0.14 लाख अध्यापकों (12 *प्रतिशत*) को कम प्रशिक्षण मिला। तथ्यों को स्वीकारते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समापन बैठक में बताया कि स्कीम के अंतर्गत 100 *प्रतिशत* प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाएगा।

2.1.14.3 नए नजदीकी स्कूल खोलने में कमी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नियम 2011 के साथ पठित शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान के अनुसार आस-पड़ोस में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल जिसमें न्यूनतम 25 बच्चे हों क्रमश: 1.5 किलोमीटर तथा तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थित होने चाहिए। बच्चों की पहुंच हेतु पहले स्कूल एवं समाज के प्रतिचित्रण पर व्यापक प्रयोग किया जाना था। अंतरालों तथा क्षेत्रों जहां नए स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है, की पहचान करने के लिए प्रयोग किये जाने थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को वर्तमान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों को तर्कसंगत करना तथा तदनुसार स्कूलों के विलय अथवा बंद करने से सम्बंधित उपयुक्त निर्णय भी लेना था।

2011 के दौरान विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल पहुंच की प्रचलित स्थिति निर्धारित करने हेतु 2106 समूहों वाले 118 शिक्षण खण्डों को आवृत्त करते हुए 12 जिलों में एक स्कूल प्रतिचित्रण प्रयोग किया गया था। 68 लाख की आबादी वाले 29,890 बस्तियों वाले कुल 17,938 गांवों/शहरी वार्डों का सर्वेक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 297 नजदीकी बस्तियों की पहचान की गई थी जहां नए स्कूल खोले जाने की आवश्यकता थी जिनके प्रति राज्य सरकार द्वारा मात्र 90 स्कूल अधिसूचित किए गए हैं। तथापि, अगस्त 2014 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के लिए कोई युक्तिकरण नहीं किया

गया था। स्पष्टतया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अधिनियम कार्यान्वित होने के चार वर्षों से अधिक होने के बाद भी नहीं की गई ।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि जनता की मांग के अनुसार तथा एक बस्ती विशेष में विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नए स्कूल खोले गए हैं। उत्तर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि दिसम्बर 2014 तक विभाग द्वारा कोई युक्तिकरण प्रभावी नहीं किया गया।

2.1.14.4 वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की सुविधा का उन्नयन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी बच्चों के लिए पूर्णकालिक स्कूली सुविधाओं का प्रावधान करता है। अधिनियम के अनुसार सभी शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्रों का नियमित प्राथमिक स्कूलों के रूप में उन्नयन किया जाना अपेक्षित था तथा शिक्षा गांरटी स्कीम में वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर रहे बच्चों को एक समयबद्ध तरीके से पूर्णकालिक स्कूलों की मुख्य धारा से जोड़ना अपेक्षित था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए ढ़ांचे के अनुसार 2009-10 के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्र नहीं खोले जाने थे तथा शिक्षा गारंटी स्कीम का प्रावधान मात्र 2011-12 तक समर्थित किया जाना था। इस तरह से, मार्च 2012 तक सभी शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्रों का नियमित स्कूलों में उन्नयन अथवा यदि अपेक्षित नहीं है तो बंद किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2009 तक राज्य में 197 शिक्षा गांरटी स्कीम/वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा केन्द्र प्रचालन में थे जिनमें से 127 केन्द्र मार्च 2014 तक कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह देखा गया था कि 2009-14 के दौरान इन केन्द्रों पर अध्ययनरत 3,913 बच्चों में से मात्र 1,198 बच्चों का नियमित स्कूलों में नामांकन किया गया और मार्च 2014 तक 2715 बच्चों को पूर्णकालिक स्कूलों में मुख्य धारा से जोड़ना अभी भी बाकी था।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (जुलाई 2014) कि शिक्षा गांरटी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा केन्द्र उन बस्तियों में अस्थाई तौर पर खोले गए थे जहां स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान की गई थी अथवा जहां अक्सर प्रवास हुआ करता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को इन केन्द्रों में अध्ययनरत सभी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना था जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में परिकल्पित था।

2.1.15 नवीन गतिविधियां

2.1.15.1 शैशवकाल देखभाल एवं शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए शैशवकाल देखभाल एवं शिक्षा हेतु प्रति वर्ष ₹ 15.00 लाख तक का प्रावधान किया गया था। ये निधियां अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाडी केन्द्रों के प्राथमिक स्कूलों के बिल्कुल नजदीक अथवा इनमें होने के साथ प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों के समय की समकालीन होने पर प्रयुक्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-12 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक द्वारा निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को अग्रिम दिये गए ₹ 4.50 करोड़ में से महिला एवं बाल विकास विभाग ने सितम्बर 2014 तक ₹ 3.26 करोड़ का प्रयोग कर लिया था। शेष ₹ 1.11 करोड़ दिसम्बर 2013 में राज्य परियोजना निदेशक को वापिस कर दिये गये थे तथा ₹ 0.13 करोड़ महिला एवं बाल विकास विभाग के पास दिसम्बर 2014 तक अव्ययित पड़े थे। निधियों के कम प्रयोग के कारण भारत सरकार ने 2012-14 के दौरान निधियां जारी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। अत: निधियों की उचित प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं की गई।

तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वापिस की गई निधियों को कार्यक्रम के अन्य घटकों के अंतर्गत प्रयुक्त कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को प्रयुक्त न किये जाने से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवीन गतिविधियों के अभिप्रेत लाभों से बच्चे वंचित रह गए।

2.1.15.2 सभी उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर सहायता से लर्निंग स्कीम का कार्यान्वयन न होना

सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली, 2010 के परिच्छेद 38.3 में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 'नवीन गतिविधि' का प्रावधान है। 2009-13 के दौरान इस घटक के अंतर्गत ₹ 50.00 लाख का अनुदान प्रति जिला प्रति वर्ष के लिए अनुमत था। राज्य में मई 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई थी। वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियमावली, 2010 के परिच्छेद 38.2 के अनुसार शिक्षकों को भी कम्प्यूटर सहायता से लर्निंग के अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अनुरक्षण एवं संसाधन सहयोग में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया था कि राज्य में स्कीम के अंतर्गत 4512 उच्च प्राथमिक स्कूलों में से मात्र 1077 स्कूल ही ₹ 22.50 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 19.65 करोड़ का व्यय करने के बाद आवृत्त किये गए थे। अत:, मार्च 2014 तक राज्य के 3435 उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर सहायता से लर्निंग स्कीम क्रियान्वित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों में बच्चे अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया था कि मार्च 2014 तक कम्प्यूटर सहायता से लर्निंग के अंतर्गत आवृत्त 1077 उच्च प्राथमिक स्कूलों में से मात्र 795 उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु आवृत किये गए थे। परिणामस्वरूप 282 कम्पयूटर स्थापित उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं थे।

तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भारत सरकार से इस उद्देश्य हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण शेष स्कूल इस स्कीम के अंतर्गत आवृत्त नहीं किये जा सके थे। उत्तर सही नहीं है क्योंकि आवंटित निधियां भी पूर्णत: प्रयुक्त नहीं की गई थी।

2.1.16 बच्चों को नि:शुल्क वर्दियों/पुस्तकों का वितरण

2.1.16.1 वर्दियों का वितरण न किया जाना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के लिए ₹ 400 की सीमा तक सरकारी स्कूलों में I से VIII कक्षा में अध्यनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बंधित बच्चों एवं सभी लड़कियों के लिए दो जोड़े वर्दियों के वितरण का प्रावधान है। भारत सरकार ने 2012-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक लड़की तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए दो जोड़े नि:शुल्क वर्दियों के उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 34.85 करोड़ जारी किये थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

(i) बिलासपुर जिले के सदर खण्ड के तीन[20] प्राथमिक स्कूलों में 2012-13 के दौरान 229 बच्चों को वर्दियां उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। सम्बंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों ने बताया (मई-जून 2014) कि इन बच्चों को देरी से प्रवेश लेने के कारण वर्दियां उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान के अनुसार नि:शुल्क वर्दियां बच्चों का हक थी।

[20] राजकीय प्राथमिक स्कूल डियारा, राजकीय प्राथमिक स्कूल लखनपुर तथा राजकीय प्राथमिक स्कूल चंगर

(ii) नमूना जांच किये गए 84 स्कूलों में 2012-14[21] के दौरान 3539 बच्चों को दो जोड़े नि:शुल्क वर्दियों की हकदारी के प्रति मात्र एक जोड़ा वर्दी ही उपलब्ध करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया था कि नमूना जांच किये गए 120 स्कूलों में 2013-14 के दौरान नौ से लेकर 11 महीनों के विलम्ब के बाद शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर अक्तूबर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य एक समय पर दो जोड़े वर्दियों के वितरित किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को समय पर अभिप्रेत लाभों से वंचित रखा गया था। सम्बंधित प्रभारी अध्यापकों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से वर्दियों के प्राप्त न होने के कारण वर्दियां वितरित नहीं की जा सकी थी।

2.1.16.2 बच्चों को पुस्तकों का वितरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए ढ़ांचा प्रावधान करता है कि सर्व शिक्षा अभियान सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ₹ 150 प्रति बच्चा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹ 250 प्रति बच्चा की ऊपरी सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों हेतु प्रावधानों का समर्थन करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान नमूना जांच किये गए जिलों के उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा नि:शुल्क लागत पर बच्चों को वितरण करने हेतु ₹ 9.95 करोड़ लागत की पुस्तकें खरीदी गई थी। यह देखने में आया था कि 2009-14 के दौरान नमूना जांचित 120 स्कूलों में उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा/ब्लॉक द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति देर से करने के कारण पुस्तकों के वितरण में 30 और 237 दिनों के बीच विलम्ब हुआ था जिससे इन स्कूलों में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

सम्बंधित स्कूल के प्रभारी अध्यापक ने बताया (अप्रैल-जून 2014) कि पुस्तकों के वितरण में विलम्ब उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा/खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से देरी से पुस्तकें प्राप्त होने के कारण हुआ। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भविष्य में मामले पर सावधानी बरती जाएगी।

2.1.17 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन एवं अनुपालना

लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 (4) के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मार्च 2011 में राज्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 बनाई तथा शिक्षा का अधिकार अधिनयम, 2009 के अंतर्गत विभिन्न अनिवार्य अधिसूचनाएं जारी की थी जो तुरंत प्रभाव के साथ लागू की गई। तथापि, यह देखने में आया कि अपेक्षानुरूप राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 तक बनाए गए नियम एवं जारी की गई अधिसूचनाएं राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं रखे गए थे।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2011 में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सात अन्य सदस्यों सहित निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया था। इसके बाद यह शैक्षणिक प्राधिकारी अभिज्ञापित कर दिया गया तथा अप्रैल 2013 में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया था। अत: राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2014 तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के अनुसार राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी संवर्गों से सम्बंधित बच्चों के लिए 25 *प्रतिशत* आरक्षण तथा अधिनियम के लागू होने (अप्रैल 2010) के तीन वर्षों के विलम्ब के बाद उन पर किये गए व्यय

[21] 2012-13: 1934 बच्चे (49 स्कूल) तथा 2013-14: 1605 बच्चे (35 स्कूल)

की प्रतिपूर्ती अधिसूचित (मार्च 2013) की थी। तथापि, अगस्त 2014 तक उपरोक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश नहीं बनाए गए थे।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35 (2) तथा 35 (3) के अनुसार राज्य सरकार ने सितम्बर 2013 में अधिनियम के लागू होने (अप्रैल 2010) से तीन वर्षों से अधिक के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण के गठन के सम्बंध में अधिसूचना जारी की थी। तथापि, जैसा अपेक्षित है, अगस्त 2014 तक स्थानीय प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 32 (1) तथा (2) के अनुसार स्कूल, खण्ड तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण हेतु स्थानीय प्राधिकरण की परिकल्पना/गठन नहीं किया गया था तथा बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 तक कोई शिकायतों का निवारण और प्रशासनिक तंत्र स्थापित नहीं किया था। परिणामस्वरूप राज्य में बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रत्याभूत उनके प्राथमिक शिक्षा के अधिकार तथा अभिव्यक्ति के अधिकार से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण से वंचित रह गए थे।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि इस सम्बंध में नियम/दिशा निर्देश संशोधित कर दिये जाएंगे। समापन सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमों, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था, में प्रत्येक पहलू को शामिल कर दिया जाएगा। तथापि, तथ्य यह रहा कि विगत चार वर्षों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधान कार्यान्वित नहीं किये गए हैं।

2.1.18 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.1.18.1 शासकीय निकाय एवं कार्यकारी परिषद की अपर्याप्त बैठकें

हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी-एवं-सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण के एशोसियेशन मेमोरेण्डम के परिच्छेद 15 तथा 34 के अनुसार शासकीय निकाय की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार तथा कार्यकारी परिषद् की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान शासकीय निकाय की अपेक्षित 10 बैठकों के प्रति कोई बैठक नहीं हुई थी। इसी तरह, 2009-14 के दौरान कार्यकारी समिति की 20 बैठकों के प्रति मात्र 13 (65 *प्रतिशत*) बैठकें ही हुई थी जिसके परिणामस्वरूप सात बैठकें कम हुई।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि उपरोक्त अवधि के दौरान मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के कारण शासकीय निकाय की बैठकें नहीं हो सकी थी। उन्होने आगे कार्यकारी समिति की बैठकों में न्यूनता के लिए प्रशासकीय कारणों को जिम्मेदार ठहराया। विवाद स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बंधित निकायों द्वारा बैठकों का नियमित संचालन सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुश्रवण के लिए महत्त्वपूर्ण था।

2.1.18.2 राज्य सलाहकार परिषद का विलम्बित गठन एवं बैठकों के आयोजन में कमी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 34 (1) प्रभावशाली तरीके से अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देने हेतु केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद की परिकल्पना करती है। राज्य सलाहकार परिषद की बैठकें तिमाही में होनी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन नवम्बर 2011 में एक वर्ष से अधिक के विलम्ब के बाद किया गया था। 2011-14 के दौरान, अपेक्षित 10 बैठकों के प्रति मात्र एक बैठक हुई थी जिसके परिणामस्वरूप नौ बैठकें कम हुई। तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भविष्य में राज्य सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाएंगी।

2.1.18.3 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देश में अंतर्ग्राही आंतरिक लेखापरीक्षा दल के माध्यम से अथवा एक अंतर्ग्राही लेखापरीक्षा दल की अनुपलब्धता के मामले में सनदी लेखापालों के माध्यम से निधियों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र उपलब्ध करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2014 तक राज्य कार्यान्वयन सोसायटी तथा इसके जिला तथा उप-जिला कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए कोई अंतर्ग्राही आंतरिक लेखापरीक्षा दल गठित नहीं किया गया था। 2009-14 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान शिमला की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखापाल ने भी संचालित नहीं की थी। 2009-13 के दौरान सनदी लेखापाल द्वारा जिला परियोजना अधिकारियों तथा उप-जिला इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा 61 तथा 78 *प्रतिशत* के मध्य की थी जबकि अगस्त 2014 तक 2013-14 के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

राज्य परियोजना अधिकारी ने बताया (अगस्त 2014) कि सभी स्कूल, जिले एवं उप-जिला कार्यालयों को आवृत करने के प्रयास किये गए थे किन्तु सनदी लेखापाल की तरफ से इकाइयों को आवृत करने में कमी आई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

2.1.19 मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के आवधिक अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। यह देखने में आया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अनुश्रवण दल ने सर्व शिक्षा अभियान की कार्य प्रणाली के आकलन हेतु 2009-12 के दौरान छः जिलों को आवृत किया था तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, जहां राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में अवसंरचना, अध्यापकों तथा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जागरूकता, इत्यादि, की कमी से अंतर्ग्रस्त कमियां उजागर की थी।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (अगस्त 2014) कि विश्वविद्यालय दल के निष्कर्ष भारत सरकार तथा राज्य सरकार के साथ सांझा किये गए थे तथा कमियों को चिह्नित करने के लिए राज्य को पर्याप्त निधियां उचित दिशा निर्देशों सहित जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपर्याप्तताएं स्कीम के प्रारम्भ होने से 13 वर्षों की अवधि के बाद भी सतत् बनी हुई हैं।

2.1.20 छात्र अधिगम उपलब्धी

अनुसंधान मूल्यांकन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के बाद छात्रों की अधिगम उपलब्धी एवं विकास में वृद्धि का आकलन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक चरण पर प्रत्येक तीन वर्षों के बाद आवधिक रूप से संचालित किया जाना था।

2013-14 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक द्वारा छात्रों की अधिगम उपलब्धी एवं विकास में वृद्धि के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। आकलन सर्वेक्षण हिन्दी, अंग्रेजी, गणित तथा पर्यावरण विज्ञान के लिए संचालित किया गया था। आधारभूत सर्वेक्षण परिणामों (**परिशिष्ट-2.1**) ने कक्षा-II से

कक्षा-VIII के छात्रों के कमजोर अधिगम स्तर को दर्शाया। इसलिए राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को वांछित स्तर तक उन्नत करने की आवश्कता है।

राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2014) कि प्राथमिक कक्षाओं में अधिगम की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभाग प्राथमिक कक्षाओं में विशेष साक्षरता एवं संख्यावाचक प्रणोदन प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रियाधीन है तथा सभी स्कूलों में अध्यापकों को पुस्तकालय क्रियाशील करने के अतिरिक्त ई-ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है।

2.1.21 निष्कर्ष

2009-14 के दौरान किसी भी स्तर पर परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं थी तथा वार्षिक कार्य योजनाएं स्कूल, समूह तथा खण्ड स्तरीय विकास योजनाओं को ध्यान में लाये बिना जिला स्तर पर तैयार की गई थी। बहुत से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में अपेक्षित संख्या में अध्यापक, शिक्षण कक्ष तथा उनके अपने भवन नहीं थे। स्कूलों में अवसंरचना सुविधाओं को सुधारने हेतु बहुत सारे सिविल कार्य अपूर्ण रह गए हैं। अध्यापकों को अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करवाया गया था तथा बच्चों को नि:शुल्क वर्दियों व पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलम्ब था। अगस्त 2014 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधान जिनमें सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी वर्गों के बच्चों को 25 *प्रतिशत* नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिकायत निवारण हेतु स्थानीय प्राधिकरण का गठन आदि सम्मिलित हैं, कार्यान्वित नहीं किये गए थे। शासकीय निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठकों के आयोजन में भी कमी देखी गई थी।

2.1.22 सिफारिशें

सरकार ध्यान दें:

(i) योजना में स्कूल/गांव स्तर पर पणधारियों को शामिल करना तथा निधियों का समयबद्ध प्रयोग सुनिश्चित करना;

(ii) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार स्कूलों को अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए सिविल कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करना; तथा

(iii) शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं अनुपालना हेतु प्रभावशाली कदम उठाना।

लेखापरीक्षा परिणाम अक्तूबर 2014 में सरकार को संदर्भित कर दिये गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

उद्योग विभाग

2.2 उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली

राज्य उद्योग विभाग राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की सतत प्रयुक्ति, मानव कौशल के विकास, उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहन, नए रोजगार के अवसरों का सृजन, औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं का विकास, आदि, के माध्यम से उद्योगों के विकास के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

मुख्य विशेषताएं:

- ***विभाग ने मानव संसाधनों, कच्चेमाल, विपणन स्थलों, आदि की उपलब्धता से अंतर्विष्ट औद्योगिक सामर्थ्य के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।***

  (परिच्छेद 2.2.6.1)

- ***कुल बिक्री, निर्गम मूल्य, लाभ प्रदता, रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं सीमा, आदि, यह देखने के लिये कि क्या ये सार्वजनिक राजकोष पर कर रियायतों तथा इमदादों के भार के अनुरूप थे, के अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।***

  (परिच्छेद 2.2.6.2 तथा 2.2.6.3)

- ***पट्टा धन की ₹40.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां सरकारी खाते में जमा करने के बजाय औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बद्दी की निकाय निधि को अनियमित रूप से अपवर्तित की गई थी तथा ₹14.03 करोड़ विभागीय व्यय के प्रति अनियमित रूप से प्रयोग किये गए थे।***

  (परिच्छेद 2.2.7.5)

- ***औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के अवसंरचनात्मक विकास से सम्बंधित 151 निर्माण कार्यों के संचालन/पूर्ण न होने के कारण ₹ 62.46 करोड़ निष्पादन अभिकरणों के पास 12 से 60 महीनों तक अवरोधित पड़े रहे।***

  (परिच्छेद 2.2.8.6 तथा 2.2.9.2(ii))

- ***औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के प्रयुक्त न होने से ₹ 21.02 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।***

  (परिच्छेद 2.2.8.2 तथा 2.2.9.2(i))

- ***विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा गतिविधियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए निर्धारित आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।***

  (परिच्छेद 2.2.13)

2.2.1 परिचय

उद्योग विभाग राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की सतत् प्रयुक्ति, मानव कौशल के विकास, उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहन, नए रोजगार अवसरों का सृजन, औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं का विकास, आदि, के माध्यम से उद्योगों के विकास के उत्थान के लिए उत्तरदायी है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव (उद्योग) विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है तथा विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक उद्योग बजटीय नियंत्रण तथा 12 जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक की अध्यक्षता महाप्रबंधक और छः रेशम उत्पादन

मण्डल प्रत्येक की अध्यक्षता रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम उत्पादन अधिकारी के माध्यम से विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- स्कीमों के लक्ष्यों के वितरण के संदर्भ में प्रभावशाली योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन विद्यमान था;
- आवंटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में वित्तीय प्रशासन कुशल था;
- स्कीम का कार्यान्वयन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावशाली था;
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

2.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए राज्य स्कीमों[22] तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों[23] के कार्यान्वयन के सम्बंध में विभाग के निष्पादन सहित सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को आवृत्त करने वाली विभाग की लेखापरीक्षा फरवरी 2014 तथा जुलाई 2014 के मध्य संचालित की गई थी। इकाइयों का चयन बिना परिवर्तन की सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति पर आधारित था। निदेशक उद्योग, चार[24] (12 में से) जिला औद्योगिक केन्द्र तथा चार[25] (छ: में से) रेशम उत्पादन मण्डलों सहित नौ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच संचालित की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पहले, मई 2014 में आयोजित किए गए उद्घाटन सम्मेलन में निदेशक उद्योग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणाम अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा अनुस्मारक जारी कर उपलब्ध हुए आंकड़ों की समीक्षा तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के बाद तैयार किये गए थे। जनवरी 2015 में प्रधान सचिव (उद्योग) के साथ हुए समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। राज्य सरकार के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभाग की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के आकलन हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नवत् स्रोतों से व्युत्पन्न किये गये थे:

- हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग प्रोत्साहन नियमावली-2004 तथा वर्ष 2003 में संस्वीकृत भारत सरकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज;
- विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के दिशा निर्देश;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम एवं बजट नियमावली; तथा
- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्र/अधिसूचनाएं।

---

22 ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम/ग्रामीण दस्तकारी कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम/औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम तथा ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

23 रेशम उत्पादन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अवसंरचना विकास के लिए राज्य को सहायता के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं एवं निर्यात स्कीम तथा औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम

24 चम्बा, हमीरपुर, सोलन तथा ऊना

25 देहरा, मण्डी, नादौन तथा पालमपुर

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 योजना

विभाग की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए योजना एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है। इस सम्बंध में पाई गई कमियों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.2.6.1 सर्वेक्षण

जिला औद्योगिक केन्द्रों से आवधिक अंतरालों पर परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी हेतु मानव संसाधनों एवं कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन स्थलों और अन्य घटकों सहित औद्योगिक सामर्थ्य के आकलन के लिए जिलों के औद्योगिक सर्वेक्षण संचालित एवं अद्यतन करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ऐसे संचालन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह संकेत करता है कि नई औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किसी क्षेत्र विकास योजना पर आधारित नहीं था। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण का संचालन किया जा रहा है। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने 2009-14 के दौरान सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।

2.2.6.2 विशेष पैकेज/प्रोत्साहनों के अंतर्गत लाभों का परिमाण

राज्य के औद्योगिक विकास को त्वरित एवं निवेशक विश्वास वर्धन के लिए भारत सरकार ने प्रोत्साहन के विशेष पैकेज को संस्वीकृत किया (जनवरी 2003) तथा इसके पूरक में राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश प्रोत्साहन नियमावली-2004 के अंतर्गत अपने प्रोत्साहन के पैकेज को संस्वीकृत किया था। उपरोक्त नियमों के उद्देश्यों में से एक औद्योगिक इकाइयों में मूल हिमाचलियों के लिए 70 *प्रतिशत* रोजगार उपलब्ध करना था।

विभाग ने अनुश्रवण नहीं किया कि क्या भारत सरकार के विशेष पैकेज राज्य सरकार प्रोत्साहन नियमावली-2004 के अधीन राजकोषीय प्रोत्साहनों एवं इमदादों की उपलब्धता के साथ स्थापित औद्योगिक इकाइयां हिमाचलियों के लिए 70 *प्रतिशत* रोजगार सृजन के उद्देश्यों को दरअसल पूरा कर रहे थे। यह देखने के लिए कि क्या इकाइयों द्वारा कुल बिक्री, निर्गम मूल्य, लाभप्रदता, रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं सीमा, लाए गए वास्तविक नये निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वर्धन की सीमा राजकोष पर कर रियायतों एवं इमदादों के भार के भीतर, अनुरूप थे जिनका अनुवर्ती परिच्छेदों में निर्दिष्ट किया जा रहा है, का अनुश्रवण करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। मूल हिमाचलियों के लिए 70 *प्रतिशत* रोजगार के सम्बंध में प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन सम्मेलन में बताया कि कार्य श्रम एवं रोजगार विभाग को सौंपा गया था तथा आवश्यक आंकड़ा प्राप्त कर लिया जायेगा। तथापि, तथ्य यह रहा कि विभाग ने 2009-14 के दौरान इसका अनुश्रवण नहीं किया था।

2.2.6.3 कर रियायतों तथा इमदादों से उद्योगों द्वारा राज्य में विनिर्माण विकास के लिए योगदान

2008-09 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों के योगदान की प्रवृति **तालिका-2.2.1** में दी गई है।

तालिका- 2.2.1

2008-09 से 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों का योगदान:

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (करोड़)	41483	48189	57452	64957	73710	82585
वार्षिक वृद्धि (*प्रतिशत*)		16.17	19.22	13.06	13.48	12.04
पंजीकृत विनिर्माण उद्योग* का योगदान (करोड़)	5705	7841	9962	11471	12117	12976
वार्षिक वृद्धि (*प्रतिशत*)		37.4	27	15.1	5.6	7
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पंजीकृत विनिर्माण उद्योग का अंश (*प्रतिशत*)		16.27	17.33	17.66	16.43	15.71

स्रोत: सांख्यिकी विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

*टिप्पणी: चालू मूल्यों पर

राज्य में औद्योगिक प्रगति राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रगति के अनुरूप नहीं थी।

राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ-साथ पंजीकृत विनिर्माण उद्योगों का योगदान **चार्ट-2.2.1** में दिया गया है।

चार्ट-2.2.1

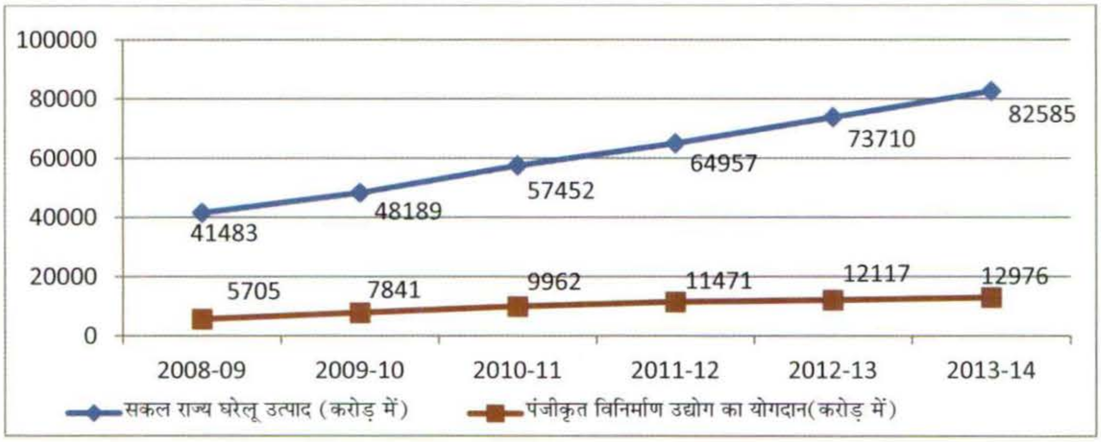

योगदान में वर्ष दर वर्ष प्रगति अनियमित थी। 2009-14 के दौरान सभी पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल योगदान ₹ 54,367 करोड़ था जबकि लाभकारी इकाइयों को उपलब्ध करवाए गए केन्द्र एवं राज्य राजकोष पर कर रियायतें एवं इमदादों का कुल राजकोषीय भार ₹ 35,606 करोड़[26] था। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि राज्य भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक अवस्थाएं कठिन हैं। उत्तर विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि राज्य में औद्योगिक प्रगति राजकोष पर राजकोषीय भार के अनुरूप नहीं थी।

2.2.6.4 रोजगार सृजन

रोजगार सृजन भारत सरकार प्रोत्साहन पैकेज 2003 के साथ-साथ राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली 2004 दोनों का मूल उद्देश्य था।

(i) 2009-14 के दौरान इकाइयों के पंजीकरण एवं रोजगार सृजन की स्थिति **तालिका-2.2.2** में दी गई है।

[26] केन्द्र: ₹ 35411 करोड़ तथा राज्य: ₹ 195 करोड़

तालिका-2.2.2
2009-14 के दौरान इकाइयों के पंजीकरण और प्रतिस्थापित तथा रोजगार सृजन का विवरण

(रोजगार संख्या में)

वर्ष	इकाइयों का पंजीकरण		प्रतिस्थापित इकाइयां		अवधि के दौरान प्रस्तावित औसत रोजगार	प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा वास्तविक रूप में उपलब्ध करवाया गया औसत रोजगार
	संख्या	प्रस्तावित रोजगार	संख्या	प्रस्तावित रोजगार		
2009-10	1709	51,750	1,055	13,704	30	13
2010-11	848	18,203	990	13,742	21	14
2011-12	1342	26,572	872	10,713	20	12
2012-13	799	14,573	805	9,337	18	12
2013-14	913	15,687	633	6,014	17	10
योग	**5611**	**1,26,785**	**4,355**	**53,510**		

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

उपरोक्त अवधि के दौरान रोजगार सृजन की घटती प्रवृति थी क्योंकि औद्योगिक इकाइयों से सृजित रोजगार 2009-10 में 13,704 से घटकर 2013-14 में 6,014 रह गया। 2009-14 के दौरान प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा रोजगार सृजन का औसत 17 से 30 के प्रस्तावित औसत रोजगार के प्रति 10 तथा 14 के मध्य था।

(ii) इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोजगार सृजन का आंकड़ा इकाई धारकों द्वारा उनके पंजीकरण के समय पर उपलब्ध करवाए गए रोजगार प्रमाण पत्रों के आधार पर अभिलिखित किया गया था तथा इसे औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों द्वारा न तो अनुश्रवित किया गया और न ही सत्यापित किया गया था।

समापन समारोह में प्रधान सचिव (उद्योग) द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 निधियों के संसाधन एवं अनुप्रयोग

2009-14 की अवधि के लिए विभाग की निधियों के संसाधन एवं अनुप्रयोग की वर्षवार स्थिति **तालिका-2.2.3 तथा 2.2.4** में दी गई है।

तालिका-2.2.3
2009-14 के दौरान बजट के माध्यम से प्राप्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़)

प्राप्तियों का शीर्ष	निधियों का वर्षवार आवंटन											
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर
वेतन एवं मजदूरी	0.21	20.25	0.26	22.50	0.31	24.80	0.37	28.78	0.39	28.14	1.54	124.47
प्रशासन	0.65	1.24	0.69	1.23	0.76	1.40	0.77	1.62	0.77	1.79	3.64	7.28
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	4.49	0	4.37	0	6.47	0	9.64	0	5.83	0	30.80	0
राज्य प्रायोजित स्कीम	18.48	4.48	23.52	3.87	24.43	6.17	35.38	18.60	34.49	22.80	136.30	55.92
योग	**23.83**	**25.97**	**28.84**	**27.60**	**31.97**	**32.37**	**46.16**	**49.00**	**41.48**	**52.73**	**172.28**	**187.67**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

टिप्पणी: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आंकड़े राज्य बजट के अनुसार हैं तथा भारत सरकार से सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित निधियों को सम्मिलित नहीं करते।

तालिका-2.2.4

2009-14 के दौरान निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़)

व्यय का शीर्ष	किये गये व्यय का वर्षवार विखण्डन											
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर	योजनागत	आयोजनेत्तर
वेतन एवं मजदूरी	0.21	20.15	0.29	23.97	0.33	24.64	0.37	28.82	0.39	28.13	1.59	125.71
प्रशासन	0.64	1.24	0.69	1.23	0.75	1.40	0.77	1.56	0.77	1.79	3.62	7.22
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	4.49	0	4.37	0	6.47	0	9.63	0	5.83	0	30.79	0
राज्य प्रायोजित स्कीम	18.47	4.47	23.51	3.87	25.59	6.23	35.22	18.42	36.16	22.81	138.95	55.80
योग	**23.81**	**25.86**	**28.86**	**29.07**	**33.14**	**32.27**	**45.99**	**48.80**	**43.15**	**52.73**	**174.95**	**188.73**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-2.2.3 तथा **2.2.4** से देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान सम्पूर्ण व्यय अनुमोदित आवंटित निधियों से ₹ 3.73 करोड़ तक बढ़ गया था। वेतनमान में संशोधन तथा वेतन बकाया राशि के भुगतान आदि के कारण ₹ 4.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय 2010-11 (₹ 1.49 करोड़), 2011-12 (₹ 1.07 करोड़) तथा 2013-14 (₹ 1.67 करोड़) के दौरान हुआ था। 2009-10 (₹ 0.13 करोड़) तथा 2012-13 (₹ 0.37 करोड़) के दौरान रिक्त पदों, वेतन बकाया राशि तथा लाभार्थियों/उद्यमियों को इमदाद/सहायता अनुदान के कम भुगतान के कारण ₹ 0.50 करोड़ की बचत हुई थी। अगस्त 2014 तक अतिरिक्त व्यय नियमित नहीं किया गया था।

2.2.7.2 बजट नियंत्रण

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, प्रतिवर्ष विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट आकलन तथा वित्तीय वर्ष हेतु आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण क्रमशः 25 अक्तूबर तथा 01 दिसम्बर तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक उद्योग ने 2009-14 वित्तीय वर्षों के लिए बजट आकलन 53 से 88 दिनों के विलम्ब के बाद तथा उपरोक्त अवधि के लिए आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों का विवरण 67 से 74 दिनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया था। निदेशक ने बताया (जुलाई तथा नवम्बर 2014) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से देरी से प्राप्त होने के कारण बजट आकलन और आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक को निर्धारित समयसूची के अनुसार बजट आकलन, इत्यादि, की प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

2.2.7.3 व्यय नियंत्रण

एक चरणबद्ध तरीके से व्यय को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने विभागीय प्राधिकारियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए व्यय की तिमाहीवार प्रतिशतता[27] निर्धारित (सितम्बर 1995) की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष की चतुर्थ तिमाही में 25 की निर्धारित प्रतिशतता के प्रति व्यय 26 तथा 39 *प्रतिशत* [28] के मध्य था जो व्यय के उपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता था।

---

27 व्यय की प्रतिशतता: प्रथम तिमाही: 20, द्वितीय तिमाही: 25, तृतीय तिमाही: 30 तथा चतुर्थ तिमाही: 25

28 2009-10: 37 *प्रतिशत*, 2010-11: 31 *प्रतिशत*. 2011-12: 38 *प्रतिशत*, 2012-13: 39 *प्रतिशत* तथा 2013-14: 26 *प्रतिशत*

परिणामस्वरूप, निधियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में खजाने से आहरित की गई थी तथा लम्बी अवधि के लिए अप्रयुक्त रही जैसाकि आगामी परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

(ii) आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में, 2009-14 के दौरान प्रत्येक वर्ष की चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता 31 तथा 37 के मध्य थी।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि विभाग भविष्य में मानकों के अनुरूप व्यय नियमित करेगा।

2.2.7.4 अप्रयुक्त निधियां एवं रोकड़ बही में प्राप्ति का लेखांकन न होना

राज्य वित्तीय नियमावली अनुबद्ध करती है कि वास्तविक जरूरत के बिना कोष से धन अग्रिम रूप में आहरित नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी मौद्रिक लेन देनों को रोकड़ वही में पुस्तांकित करना चाहिए जब भी वे किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) नमूना जांच किये गए जिला उद्योग केन्द्र, सोलन में 2009-14 के दौरान कार्यों के निष्पादन एवं स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 6.69 करोड़[29] में से महाप्रबंधक ने 31 मार्च 2014 तक बैंक में ₹ 2.55 करोड़ की अप्रयुक्त राशि को छोड़ते हुए कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 4.14 करोड़ जारी किये थे। राज्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष[30] के अंत में ₹ 0.61 करोड़ तथा ₹ 2.55 करोड़ के मध्य की निधियां अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधन, जिला उद्योग केन्द्र ने राशि को रोकड़ बही अथवा अन्य अभिलेखों में प्रविष्ट नहीं किया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया था कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन द्वारा उद्यमियों से प्राप्त (सितम्बर 2005 तथा मई 2013 के मध्य) ₹ 83.17 लाख का औद्योगिक क्षेत्र प्रतिफल भी रोकड़ बही अथवा अन्य किसी अभिलेख में प्रविष्ट किये बिना कोष में जमा करवाया था। उचित अभिलेखों की अनुपस्थिति में कोष में जमा की गयी एवं प्रतीत हुई, प्राप्ति की सही राशि लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी थी।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सोलन ने बताया (जुलाई 2014) कि भविष्य में रोकड़ बही/खाता बही अनुरक्षित कर लिये जाएंगे।

(ii) निदेशक ने ₹ 47.45 लाख हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को बसाल औद्योगिक क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य निष्पादनार्थ आहरित एवं जारी किए थे (अक्तूबर 2011)। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य स्कीमों के अन्तर्गत कार्य निर्माण के कारण अक्तूबर 2014 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। स्पष्टतया उपरोक्त नियमों के विपरीत वास्तविक जरुरत के बिना निधियां आहरित की गई थी तथा 36 महीनों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अनावश्यक रूप से अपने पास रखी गई।

निदेशक ने बताया (मई तथा अक्टूबर 2014) कि अन्य स्कीमों के अन्तर्गत कार्य का निष्पादित किया था तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से राशि वापस लेने तथा कोषागार में जमा करने के लिए कहा गया था। उत्तर व्याख्या नहीं करता कि आवश्यकता सुनिश्चित किये बिना निधियां आहरित एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी क्यों की।

---

29 01 अप्रैल 2009 को अथशेष: ₹ 0.73 करोड़: 2009-14 के दौरान प्राप्ति: ₹ 5.83 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 0.13 करोड़

30 2009-10: ₹ 0.61 करोड़; 2010-11: ₹ 0.63 करोड़; 2011-12: ₹ 1.65 करोड़; 2012-13: ₹ 1.77 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 2.55 करोड़

2.2.7.5 राजस्व प्राप्तियां सरकारी लेखा में जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 4.1 में प्रावधान है कि विभागीय प्राप्तियों का तुरन्त निर्धारण, संग्रहण किया जाए तथा कोष में भुगतान की जाए। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली, 2007 का नियम 7 अनुबंध करता है कि विभागीय प्राप्तियां विभागीय व्यय की पूर्ति हेतु विनियोजित नहीं की जाएगी अथवा राज्य की संचित निधि से पृथक अन्यत्र रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत 2009-14 के दौरान जिला औद्योगिक केन्द्र, सोलन के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सिगल विंडो क्लेयरेंस ऐजेंसी, बद्दी द्वारा उद्यमियों से जारी किये पट्टा धन के प्रीमियम ₹ 54.56 करोड़ में से ₹ 14.03 करोड़ भूमि अधिग्रहण के भुगतान के लिए प्रयुक्त किये गए थे तथा ₹ 40.53 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बद्दी की निकाय निधि में जमा किये गए थे।

समापन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने बताया कि प्राप्तियां औद्यागिक क्षेत्र के विकास के लिए निकाय निधि में जमा करवाई गई थी। तथापि, तथ्य यह रहा है कि राशि को सरकारी लेखा से बाहर रखते हुए तथा इनका खर्च कर उपरोक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

2.2.7.6 पुराने बकाया औद्योगिक ऋणों की वसूली न करना

औद्योगिक विकास अधिनियम, 1971 के तहत राज्य सहायता के अन्तर्गत विभाग ने सीड/मार्जिन धन ऋणों (औद्योगिक ऋण) के रुप में लघु उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसी तरह, राज्य स्कीम के अन्तर्गत विभाग ने मार्जिन धन ऋणों के रुप में लघु-उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश के लिये 10 से 15 *प्रतिशत*[31] की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की थी। ऋण भुगतान की तिथि से 12 वर्षों के भीतर वसूल किए जाने थे। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि:

- 1956-57 तथा 1980-81 के मध्य भुगतान किये गए ₹ 73.68 लाख (मूलधन: ₹ 13.37 लाख तथा ब्याज ₹ 60.31 लाख) के औद्योगिक ऋण मार्च 2014 तक 706 ऋणधारकों से वसूल किए बिना पड़े थे।
- 1979-80 तथा 1999-2000 के मध्य 536 लघु उद्यमियों को अनुदानित ₹ 1.47 करोड़ (मूलधन ₹ 0.38 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.09 करोड़) के मार्जिन धन ऋण मार्च 2014 तक वसूल किए बिना रहे।

निदेशक ने बताया (जुलाई तथा नवम्बर 2014) कि सम्बन्धित महाप्रबन्धकों को ऋणधारकों से ऋणों की वसूल न किए जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया तथा शीघ्रता से ऋण की वसूली हेतु निर्देश दिए गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि चूककर्त्ताओं को नोटिस भेजने के अतिरिक्त भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली से अंतर्ग्रस्त पुन: किसी कार्रवाई की पहल नहीं की गई थी।

2.2.8 अवसंरचना विकास-राज्य स्कीमें

2.2.8.1 राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं की स्थिति

विभाग राज्य में बेहतर औद्योगिक वृद्धि हेतु औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के सृजन, विकास तथा अनुरक्षण और औद्योगिक अवसंरचना की उन्नति के लिए उत्तरदायी था।

---

[31] सामान्य श्रेणी के मामले में 10 *प्रतिशत* तथा अनुसूचित तथा अनुसूचित जन-जाति श्रेणी के मामले में 15 *प्रतिशत* की दर पर

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने 2009-14 के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना हेतु लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया। विभाग ने 2008-13 के दौरान छः स्थानों[32] पर 93.529 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया और चार औद्योगिक क्षेत्रों[33] तथा दो औद्योगिक सम्पदाओं (हमीरपुर जिले में अगवीं भूलीं व खिआलोहकरांई) की स्थापना अधिसूचित की (जून 2011 से मई 2013) जिसमें से खिआलोहकरांई स्थित औद्योगिक सम्पदा के विकासार्थ भूमि अंतरण को नवम्बर 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि दत्तनगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र और अगवीं भूलीं स्थित औद्योगिक सम्पदा को विकसित नहीं किया गया था जैसाकि नीचे इंगित है:

- राज्य सरकार ने ₹ 69.47 लाख हेतु अगवीं भूलीं स्थित दस शैडों के निर्माण को अनुमोदित किया (मार्च 2010) और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को पहली किस्त के रूप में ₹ 10.00 लाख जारी किए (मार्च 2010)। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने प्रस्तावित औद्योगिक सम्पदाओं के कार्य स्थल को सम्पर्क मार्ग की अनुपलब्धता के कारण कार्य को नवम्बर 2014 तक कार्यान्वित नहीं किया। ₹ 10.00 लाख की निधियां 50 महीनों से अधिक तक हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास अवरूद्ध रही।
- सरकार ने दत्तनगर स्थित औद्योगिक प्लाटों के विकासार्थ ₹ 96.41 लाख अनुमोदित किए (नवम्बर 2013) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को पहली किस्त के रूप में ₹ 45.00 लाख जारी किए (नवम्बर 2013)। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण नवम्बर 2014 तक कार्य का कार्यान्वयन आरम्भ नहीं किया तथा ₹ 45.00 लाख की निधियां हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास 12 महीनों तक अवरूद्ध रही।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना हेतु लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि यह समय लेने वाली प्रक्रिया थी और निर्माण कार्य आरम्भ करने की कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, तथ्य यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के विकासार्थ कार्यों को नवम्बर 2014 तक आरम्भ नहीं किया गया।

2.2.8.2 औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव

हिमाचल प्रदेश उद्योग प्रोत्साहन नियमावली 2004 के अनुसार उद्यमियों को दो वर्षों की अवधि हेतु प्लाटों का आवंटन अनंतिम रूप से किया जाना था। तथापि, पट्टा अनुबंधों के होने के पश्चात् उनका स्वामित्व आवंटतियों को सौंपा जाना था। आवंटतियों को स्वामित्व सौंपने की तिथि से दो वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

(i) औद्योगिक क्षेत्र बसाल पर निष्फल व्यय

विभाग ने 2010-12 के दौरान ₹ 92.05 लाख[34] के व्यय सहित ₹ 12.71 करोड़ मूल्य की भूमि पर बसाल, ऊना जिला में 40 प्लाटों को काटा। उद्योगों को लगाने हेतु उद्यमियों को प्लाटों का आवंटन 2010 तथा 2012 के मध्य किया गया। तथापि, उद्यमियों को आवंटित 40 प्लाटों के प्रति केवल एक उद्यमी ने

---

32 अगवीं भूली (हमीरपुर): 2.163 हेक्टेयर; बसाल (ऊना): 16.560 हेक्टेयर; दत्तनगर (शिमला); 0.767 हेक्टेयर; खिआलोहकरांई (हमीरपुर): 0.170 हेक्टेयर; लोधी माजरा: 45.617 हेक्टेयर तथा मझोल (सोलन): 28.252 हेक्टेयर

33 बसाल, दत्तनगर, लोधी माजरा तथा मझोल

34 सर्वेक्षण कार्य आदि: ₹ 4.36 लाख (फरवरी 2010), सड़क निर्माण: ₹ 50.00 लाख (अक्तूबर 2011) तथा *नाले* का जलमार्गीकरण: ₹ 37.69 लाख (अक्तूबर 2011)

औद्योगिक प्रशासन की स्थापना की और 39 उद्यमियों ने बाढ़ सम्भावित क्षेत्र तथा प्लाटों के ऊपर से उच्च वेग/कम वेग लाईनों के गुजरने के कारण जून 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया था। विभाग ने 2013-14 के दौरान 39 प्लाटों में से 20 प्लाटों का आवंटन रद्द कर दिया और शेष 19 प्लाट परित्यक्त पड़े हुए थे। स्पष्टत:, विभाग ने कार्य स्थल की व्यवहार्यता की जांच किए बिना औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया, जिससे ₹ 92.05 लाख का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.71 करोड़ मूल्य की 16.56 हेक्टेयर भूमि का सदुपयोग भी नहीं किया गया।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि औद्योगिक क्षेत्र बसाल में अवसंरचना सुविधा विकसित करने की कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के कार्यान्वयन से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए था।

(ii) औद्योगिक क्षेत्र, बनालगी के विकास पर निष्फल व्यय तथा उद्यमियों से प्रीमियम प्राप्त न होना

विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकासार्थ सोलन जिले में बनालगी 10.087 हेक्टेयर क्षेत्र की सरकारी भूमि का अधिग्रहण (जुलाई 1997) किया। 2004-05 के दौरान विभाग ने 13 औद्योगिक क्षेत्रों/प्लाटों को काटा तथा ₹ 50.46 लाख के प्रीमियम पर अगस्त 2004 व नवम्बर 2005 के मध्य उद्यमियों को आवंटित किया। विभाग ने 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण हेतु ₹ 35.00 लाख का व्यय भी किया। तथापि, यह देखा गया कि किसी भी उद्यमी ने सड़कों की चौड़ाई, विद्युत, जलापूर्ति, आदि अवसंरचना के अभाव के कारण वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया। विभाग ने मार्च 2008 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य 12 उद्यमियों के आवंटन रद्द कर दिए और एक उद्यमी[35] के सम्बंध में मामला जून 2014 तक न्यायालय के विचाराधीन था। अत:, अवसंरचना सुविधाओं के अभाव में ₹ 35.00 लाख का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, इन उद्यमियों से ₹ 25.26 लाख का प्रीमियम भी वसूला नहीं गया।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण तथा जलापूर्ति हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

2.2.8.3 औद्योगिक क्षेत्रों के प्रीमियम तथा शैडों के किराए की अवसूली

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग प्रोत्साहन नियमावली 2004 में प्रावधान है कि औद्योगिक उद्यमों, जन उपयोगिताओं, सामाजिक अवसंरचना और अन्य इसी प्रकार के क्षेत्रों के स्थापनार्थ औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं तथा जहां-कहीं विभाग के पास उपलब्ध अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर भूमि को सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर आंवटित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-10 से 2013-14 तक औद्योगिक प्लाटों के प्रीमियम/उद्यमियों को पट्टे/किराए पर दिए गए औद्योगिक शैडों के किराए के सम्बंध में कुल ₹ 7.03 करोड़[36] की वसूलियां नवम्बर 2014 तक नहीं की गई थी। निदेशक ने बताया (मई व नवम्बर 2014) कि बाजारी मंदी, मौसमी कार्य, मुकदमेबाजी, यूनिटों को बंद करने आदि के कारण प्रीमियम/किराए की वसूली नहीं की जा सकी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिशीघ्र राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार को देय राशि समय पर जारी की जानी चाहिए।

---

35 हिमालयन कॉटन यार्नस लिमिटेड

36 दो महीनों से अधिक; 333 मामले: ₹ 1.44 करोड़; 14 महीनों से अधिक; 361 मामले: ₹ 1.79 करोड़; 26 महीनों से अधिक 375 मामले: ₹ 1.43 करोड़; 38 महीनों से अधिक; 404 मामले: ₹ 1.32 करोड़ तथा 50 महीनों से अधिक; 345 मामले: ₹ 1.05 करोड़

2.2.8.4 जन सुविधा केन्द्र के कार्य की अपूर्णता

पीरस्थान औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में जन सुविधा केन्द्र के निर्माणार्थ निदेशक ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को ₹ 2.11 करोड़ (जुलाई 2010: ₹ 1.54 करोड़ तथा फरवरी 2012: ₹ 0.57 करोड़) जारी किए। कार्य को छ: महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 2012 के दौरान कार्य का कार्यान्वयन आरम्भ किया तथा मई 2014 तक केवल ₹ 46.89 लाख मूल्य का कार्य कार्यान्वित किया। समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण 27 से 46 महीनों हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास ₹ 1.64 करोड़ की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त सम्बंधित लाभार्थियों को वांछित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन सम्मेलन में बताया कि कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्र करने हेतु सभी सम्बंधितों को अनुदेश जारी किए जाएगें।

2.2.8.5 सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होना

राज्य वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 (बी)5 में प्रावधान है कि कार्य जिनकी पूर्णता में अधिक समय लिए जाने की संभावना हो के सम्बंध में खजाने से राशि को नहीं निकाला जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को नालागढ़ रोपड़ सड़क से औद्योगिक क्षेत्र, बीर पलासी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माणार्थ छ: महीनों के भीतर कार्य पूर्णता की शर्त पर ₹ 1.30 करोड़ की राशि जारी (अगस्त 2010) की गई थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वन भूमि आने के कारण कार्यों को नवम्बर 2014 तक आरम्भ नहीं किया। स्पष्टत:, उक्त नियम के विपरीत निकाली गई निधियां हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास 51 महीनों हेतु अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त, कार्य के कार्यान्वयन के बिना सम्बंधित लाभार्थी वांछित अवसंरचना सुविधा से वंचित रहे।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि वन भूमि आने के कारण कार्य को आरम्भ नहीं किया गया तथा कार्यान्वयन एजेंसी को राशि का प्रत्यर्पण करने को कहा गया था (अक्तूबर 2014)। उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि वन अनुमति सुनिश्चित किए बिना कार्यों के लिए निधियां क्यों जारी की गई।

2.2.8.6 अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों की स्थिति

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2003) के अनुसार प्रयोक्ता विभाग तथा कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों/स्कीमों को समयबद्ध ढंग से करवाने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

(i) 2009-14[37] के दौरान ₹ 71.08 करोड़ के स्वीकृत 395 कार्यों में से कार्यान्वयन एजेंसियों ने ₹ 14.19 करोड़ का व्यय करके 245 कार्यों का निर्माण पूर्ण किया तथा ₹ 56.89 करोड़ के 150 कार्य[38] मई 2014 तक अपूर्ण पड़े हुए थे जिनमें से 75 कार्य 12 से 60 महीनों तक अपूर्ण पड़े थे जिससे सम्बंधित लाभार्थी वांछित लाभों से वंचित रहे। तथापि, निदेशक ने पूर्ण/अपूर्ण कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय के कार्यवार ब्यौरे को अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किया था। अत: उक्त अनुदेशों के विपरीत निदेशक ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का आवधिक अनुश्रवण नहीं किया।

[37] 2009-10: ₹ 15.03 करोड़; 2010-11: ₹ 13.59 करोड़; 2011-12: ₹ 13.65 करोड़; 2012-13: ₹ 14.18 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 14.63 करोड़

[38] सड़कों, जलापूर्ति स्कीमों, सरकारी/आवासीय भवनों, विद्युतीकरण कार्यों आदि का निर्माण

(ii) नमूना जांच किए गए चार जिला उद्योग केन्द्रों में 2009-14 के दौरान ₹ 11.73 करोड़ हेतु संस्वीकृत 61 कार्यों में से 41 कार्यों को ₹ 4.63 कोड़ के व्यय से पूर्ण किया गया था तथा ₹ 7.10 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 20 कार्य मई 2014 तक अपूर्ण पड़े हुए थे जिसमें से 12 कार्य 14 से 50 महीनों के लिए अपूर्ण पड़े थे। जिला उद्योग केन्द्रों ने अपूर्ण कार्यों पर किए गए व्यय का कार्यवार ब्यौरा भी अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किया था। अत: सरकार के उक्त अनुदेशों के विपरीत जिला उद्योग केन्द्रों ने भी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया था।

प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन सम्मेलन में बताया कि कार्य के शीघ्र कार्यान्वयन तथा परियोजनाओं/स्कीम के प्रभावी अनुश्रवणार्थ आवश्यक डाटाबेस अनुरक्षित करने के लिए सभी सम्बंधित कर्मियों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

2.2.9 अवसंरचना सुविधाएं-केन्द्रीय स्कीमें

2.2.9.1 सार्वजनिक बही-स्त्रावी अभिक्रिया संयंत्र की स्थापना, कौशल उन्नयन तथा सड़क चौड़ावा

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने बद्दी बरोटीवाला स्थित औषधीय एवं सम्बद्ध उद्योग समूह में अवसंरचनात्मक सुविधाओं[39] के उन्नयन हेतु भारत सरकार (₹ 58.28 करोड़), राज्य सरकार (₹ 7.00 करोड़), अवधि ऋण (₹ 6.00 करोड़) तथा उद्योग अंशदान (₹ 9.22 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले ₹ 80.50 करोड़ के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (नवम्बर 2010)। कार्य को स्पेशल परपज व्हीकल, बद्दी अवसंरचना द्वारा 24 महीनों के भीतर कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियन एजेंसियों[40] द्वारा परियोजना को उपलब्ध करवाए गए ₹ 67.95 करोड़ में से ₹ 55.88 करोड़[41] स्पैशल परपज व्हीकल द्वारा 2010-14 के दौरान सार्वजनिक बही-स्त्रावी संयंत्र (₹ 31.00 करोड़), दक्षता विकास केन्द्र निर्माण (₹ 8.68 करोड़), सड़कों के निर्माण (₹ 13.74 करोड़), प्रशासकीय व्यय (₹ 2.46 करोड) पर प्रयुक्त किए गए। निम्नांकित कमियां ध्यान में आई:

- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति देर से प्राप्त होने के कारण परियोजना के मुख्य घटक सार्वजनिक बही-स्त्राव संयंत्र का कार्य नवम्बर 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया था। स्पैशल परपज व्हीकल ने मार्च 2011 में पर्यावरण अनुमति मांगी थी जो फरवरी 2013 में प्राप्त हुई और कार्य मार्च 2013 में आरम्भ किया गया। कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण सार्वजनिक बही-स्त्राव संयंत्र की प्राकलित लागत ₹ 53.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 60.95 करोड़ हो गई।
- सड़क का चौड़ाई व सुदृढ़ीकरण कार्य समय पर विधिक औपचारिकता पूर्ण न होने के कारण नवम्बर 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया तथा इस पर ₹ 13.74 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

---

39 सार्वजनिक बही-स्त्रावी संयंत्र: ₹ 53.80 करोड़, सड़क चौड़ाई व सुदृढ़ीकरण: ₹ 17.24 करोड़, कौशल विकास केन्द्र: ₹ 8.10 करोड़, अचल परिसम्पत्तियां ₹ 0.16 करोड़ तथा प्रशासकीय व्यय: ₹ 1.20 करोड़

40 भारत सरकार: ₹ 52.44 करोड़ (2010-11: ₹ 17.48 करोड़, 2012-13: ₹ 17.48 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 17.48 करोड़); राज्य सरकार: ₹ 6.30 करोड़ (2012-13: ₹ 2.10 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 4.20 करोड़); औद्योगिक अंशदान: ₹ 5.61 करोड़ (2010-11: ₹ 0.82 करोड़, 2011-12: ₹ 2.47 करोड़, 2012-13: ₹ 1.60 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 0.72 करोड़) तथा आवधिक ऋण 2013-14: ₹ 3.60 करोड़

41 2010-11: ₹ 0.59 करोड़, 2011-12: ₹ 8.76 करोड़; 2012-13: ₹ 15.29 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 31.24

- कौशल विकास केन्द्र का कार्य मई 2013 में ₹ 8.10 करोड़ की स्वीकृत लागत के प्रति ₹ 8.68 करोड़ के व्यय से पूर्ण किया गया परिणामत: ₹ 0.58 करोड़ का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।
- प्रशासकीय व्यय हेतु अनुमोदित ₹ 1.20 करोड़ की प्राकलित लागत के प्रति स्पैशल परपज व्हीकल, बद्‌दी अवसंरचना ने ₹ 2.46 करोड़ का व्यय किया जिसके कारण ₹ 1.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनियमित था।

स्पष्टत:, स्पैशल परपज व्हीकल के पूर्व पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए बिना निधियां जारी की गई जिसके कारण न केवल समय पर निधियों की अप्रयुक्ति हुई अपितु कार्यों की अपूर्णता भी हुई जिससे लाभार्थी वांछित लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक बही-स्राव संयंत्र घटक पर ₹ 7.15 करोड़ की लागत वृद्धि, कौशल विकास एवं प्रशासकीय व्यय शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1.84 करोड़ के अतिरिक्त व्यय ने भी परियोजना के अन्य अपूर्ण घटकों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

निदेशक ने बताया (मई व नवम्बर 2014) कि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब का कारण भारत सरकार से पर्यावरण अनुमति प्राप्ति में विलम्ब और समय पर विधिक औपचारिकताएं पूर्ण न करना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि स्वीकृत करने से पूर्व आवश्यक पर्यावरण अनुमति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

2.2.9.2 अवसंरचना विकास और निर्यात स्कीम हेतु राज्यों को सहायता

निर्यात के विकास व वृद्धि हेतु अवसंरचना सृजन की दृष्टि से भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2002-03 में निर्यात अवसंरचना विकास तथा सम्बद्ध कार्यकलाप योजना के अंतर्गत राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिये निधियां सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

(i) बद्‌दी में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को गोदाम, भण्डारण, परिरक्षा तथा पोतभार संचालन जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने हेतु ₹ 57.45 करोड़[42] की परियोजना लागत से बद्‌दी स्थित इनलैंड कन्टेनर डिपों के स्थापनार्थ राज्य सरकार और कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया (अक्तुबर 2008)। इनलैंड कन्टेनर डिपों सुविधा कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को भूमि सौंपने के पश्चात 15 महीनों के भीतर प्रचालनीय की जानी थी। परियोजना के चरण-I में (प्राकलित लागत: ₹ 9.38 करोड़) गोदाम, प्रशासकीय भवन, सीमा दीवार आदि का निर्माण सम्मिलित था। परियोजना के चरण-II को चण्डीगढ़ बद्‌दी रेल सम्पर्क चालू होने के पश्चात् आरम्भ किया जाना था तथा उस समय तक सड़क आधारित सेवा मुहैया करवाई जानी थी।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने इनलैंड कन्टेनर डिपों हेतु कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को 95 वर्षों हेतु ₹ एक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के सामान्य पट्टे पर 6.524 हेक्टेयर (17.2 एकड़) परिमापित सरकारी भूमि अंतरित की (अप्रैल 2009) तथा इनलैंड कन्टेनर डिपो को सड़क सम्पर्क के निर्माणार्थ ₹ 4.30 करोड़ की मुआवजा लागत पर 1.39 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया। इनलैंड कन्टेनर डिपों की सुरक्षा कार्य 2011-12 के दौरान ₹ 2.75 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया और सम्पर्क

42 राज्य सरकार (इनलैंड कन्टेनर डिपों की स्थापना हेतु भूमि: ₹ 19.40 करोड़, सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण: ₹ 4.31 करोड़ तथा सम्पर्क मार्ग निर्माण: ₹ 0.32 करोड़) भारत सरकार (कार्य स्थल सुरक्षा कार्य: ₹ 2.75 करोड़, सम्पर्क मार्ग निर्माण: ₹ 2.89 करोड़) तथा कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (आई0सी0डी0 का विकास: ₹ 27.78 करोड़)

सड़क 2013-14 के दौरान ₹ 2.70 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई। परियोजना का चरण-I भी मई 2013 में ₹ 10.00 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया जा चुका था। तथापि केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी न करना और स्टाफ की तैनाती न करने के कारण इनलैंड कन्टेनर डिपो नवम्बर 2014 तक प्रचालनीय नहीं किया गया था। इनलैंड कन्टेनर डिपों को प्रचालनीय बनाने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 19.75 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा क्योंकि सम्बंधित लाभार्थी वांछित लाभों से वंचित रहे। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। तथ्य यह है कि विभाग ने मामला नियमित रूप से भारत सरकार के साथ नहीं उठाया।

(ii) कन्टेनर पार्किंग सुविधा की स्थापना

निर्यात एवं सम्बद्ध कार्यकलाप अवसंरचना विकास हेतु राज्य को सहायता स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार (₹ 11.13 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि के रूप में (₹ 3.29 करोड़) लागतांश आधार पर बद्दी, बरोटीवाला में कन्टेनर पार्किंग सुविधा के निर्माणार्थ ₹ 14.42 करोड़ की परियोजना अनुमोदित की (अक्तूबर 2013) तथा बद्दी बरोटीवाला में कन्टेनर पार्किंग सुविधा के निर्माणार्थ पहली किस्त के रूप में ₹ 5.57 करोड़ (भारत सरकार का 50 *प्रतिशत* भाग) जारी किए। राशि को अक्तूबर 2013 के दौरान आर.टी.जी.एस.[43] के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किया गया था। परियोजना को 21 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था।

संवीक्षा दर्शाती है कि कार्य को उपयुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वयन हेतु नहीं लिया गया था। स्पष्टत: विभाग ने भारत सरकार को प्रस्ताव देने से पूर्व बाधा-मुक्त कार्यस्थल को सुनिश्चित नहीं किया था परिणामत: हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास 14 महीनों हेतु बड़ी राशि का अवरोधन हुआ। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि कार्यस्थल का अंतरण किया जा चुका था (सितम्बर 2014) तथा उक्त कार्य हेतु निविदाएं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आमंत्रित की जा चुकी थी। तथापि, तथ्य यह है कि कार्य विगत 13 महीनों से आरम्भ नहीं किया गया था।

2.2.10 प्रशिक्षण कार्यक्रम-राज्य क्षेत्र

2.2.10.1 उद्यमिता विकास कार्यक्रम/औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम

स्व-रोजगार जोखिम उठाने को स्थानीय ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उद्यमीयता कौशल विकसित करने के मुख्य ध्येय से विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों/औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत दो एजेंसियों[44] द्वारा चार प्रकार[45] के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने 2009-14 के दौरान ₹ 1.16 करोड़ का व्यय करके 6,860 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया। तथापि, विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के परिचालन तथा कार्यान्वयन का प्रभाव जानने हेतु अनुवर्ती अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। समापन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने बताया कि भविष्य में उपरोक्त पहलू का अनुश्रवण किया जाएगा।

---

43 रिअल टाईम ग्रॉस सैटलमेंट

44 उद्यमीयता विकास हेतु हिमाचल प्रदेश केन्द्र तथा हिमाचल परामर्श संगठन

45 औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम: तीन दिन, अल्पावधि उद्यमीयता विकास कार्यक्रम: सात दिन, अल्पावधि उत्पाद विशिष्ट उद्यमीयता विकास कार्यक्रम: 14 दिन तथा दीर्घावधि उत्पाद विशिष्ट उद्यमीयता विकास कार्यक्रम: 30 दिन

2.2.10.2 ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम/ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम

ग्रामीण जनसाधारण को उनका अपना स्वरोजगार लगाने हेतु प्रोत्साहन/मार्गदर्शन की दृष्टि से 1979 के दौरान ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम/ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम स्कीम आरम्भ की गई थी। स्कीम के अंतर्गत, ग्रामीण दस्तकारों की दक्षता का उन्नयन उन्हें विकसित तकनीकों व औजारों के साथ अपेक्षित प्रशिक्षण (तीन से 12 महीनों तक) मुहैया करवाकर और उन्हें उनके व्यवसायों में लगवाकर उनकी कमाई में वृद्धि/परिपूरक के सक्षम बनाकर किया जाता है। प्रशिक्षण परम्परागत व्यवसायों में यथा सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, टोकरी बनाना, लोहार, धातु/काष्ठ दस्तकारी आदि दस्तकारी शिक्षक/प्रशिक्षक शिक्षकों द्वारा दिया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान स्कीम के अंतर्गत ₹ 5.37 करोड़ के वित्त से 33,100 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य के प्रति विभाग द्वारा ₹ 4.79 करोड़ के व्यय से (औजार सामान सहित) 36,241 लाभार्थी आवृत्त किए गए थे। यद्यपि उपरोक्त अवधि के दौरान उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक थी, विभाग ने स्कीम के अंतर्गत पृथक रूप से आवृत्त लाभार्थियों का व्यवसायवार ब्यौरा तथा प्रशिक्षण एवं औजार सामान पर किया गया व्यय अनुरक्षित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभाव जानने हेतु प्रशिक्षित लाभार्थियों द्वारा चलाए गए व्यवसायों की अनुवर्ती अनुपालना भी सुनिश्चित नहीं की गई। समापन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने बताया कि भविष्य में उपरोक्त पहलू का अनुश्रवण किया जाएगा।

2.2.11 रेशम उत्पादन उद्योग को बढ़ावा देना

रेशम उत्पादन कृषि आधारित श्रम संवेदी ग्रामीण कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और आधार तंत्र को सुदृढ़ कराने, रेशम उत्पादों, आदि की मूल्य वृद्धि बढ़ाने के उद्देश्यों से विभाग ने राज्य में पृथक रेशम पालन विंग स्थापित किया।

2.2.11.1 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम भारत में रेशम की सभी किस्मों के बढ़ावे हेतु विभिन्न घटकों सहित रेशम पालन तथा रेशम उद्योग के विकासार्थ भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण व अभिग्रहणार्थ यह एक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है।

(i) निधियों की उपलब्धता एवं प्रयुक्ति

वर्ष 2009-14 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड से उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त ₹ 13.92 करोड़ की उपलब्धता के प्रति विभाग ने ₹ 12.11 करोड़ का व्यय किया तथा ₹ 1.81 करोड़ अप्रयुक्त रहे, जिसमें से ₹ 0.13 करोड़ निदेशक द्वारा निधियन एजेंसी को प्रत्यर्पित किया गया। निदेशक द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2014)।

(ii) चौकी पालन केन्द्रों की अपूर्णता के कारण निष्फल व्यय

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चौकी पालन केन्द्रों की लागत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों द्वारा क्रमशः 80:10:10 के अनुपात में वहन की जानी है। मण्डी रेशम उत्पादन मण्डल की नमूना जांच में 2010-11 व 2011-12 के दौरान 102 चौकी पालन केन्द्रों का निर्माण ₹ 83.75 लाख[46] की लागत पर स्वीकृत किया गया था। इस उद्देश्यार्थ केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 2010-11 (₹ 18.60 लाख)

---

46 केन्द्रीय भाग: ₹ 67.00 लाख; राज्य भाग: ₹ 8.38 लाख तथा लाभार्थी भाग: ₹ 8.37 लाख

तथा 2011-12 (₹ 48.40 लाख) के दौरान 102 चौकी पालन केन्द्र शैडों के निर्माणार्थ 102 लाभार्थियों को ₹ 67.00 लाख की सहायता मुहैया करवाई। तथापि यह देखा गया कि यद्यपि मण्डल ने कार्य पर ₹ 75.37 लाख का व्यय किया (केन्द्रीय भाग: ₹ 67.00 लाख तथा लाभार्थी भाग: ₹ 8.37 लाख) किन्तु राज्य भाग के ₹ 8.38 लाख प्राप्त न होने के कारण नवम्बर 2014 तक शैडों का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया। परिणामत: ₹ 75.37 लाख का व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा। प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन बैठक में तथ्यों को स्वीकार किया।

(iii) लेखाओं को प्राप्त न करना

2010-11 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलोर से ₹ 14.80 लाख की प्राप्ति पर निदेशक ने राशि को (अगस्त 2010:₹ 13.91 लाख तथा मार्च 2011: ₹ 0.89 लाख) रेशम उत्पादन अधिकारी, मण्डी को उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के समूह बढ़ावा घटक के अंतर्गत ओक टॅस्सर रेशम उत्पादन के विकासार्थ जारी किए। यह देखा गया कि रेशम उत्पादन अधिकारी, मण्डी ने राशि[47] को और आगे वैज्ञानिक-सी, अनुसंधान विस्तार केन्द्र, केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड, पालमपुर को जारी किया था। तथापि, केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड, पालमपुर ने राशि का लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मार्च 2014 तक आगे केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड, बैंगलोर के निदेशक को प्रेषित नहीं किया जिसके बिना लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या राशि वांछित उद्देश्यार्थ प्रयुक्त की गई थी।

प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन बैठक में अपने स्टाफ को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

2.2.11.2 परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना

निदेशालय तथा नमूना जांचित आठ यूनिटों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था परिणामत:, विभाग के पास उपलब्ध वास्तविक भूमि, भवनों, आदि का पता नहीं लगाया जा सका। तथ्यों को स्वीकारते हुए निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि परिसम्पत्ति पंजिकाओं के अनुरक्षणार्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जा चुके थे।

2.2.11.3 पावती बिना सामान जारी करना

वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि जन विभागीय उपयोग अथवा बिक्री, आदि हेतु स्टॉक से जब सामग्रियां जारी की जाती हैं, तो भण्डार के प्रभारी सरकारी कर्मचारी द्वारा यह देखना चाहिए कि उपयुक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र दिया गया है । सामग्रियों को जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति से, जिसे वितरित अथवा प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं, लिखित पावती प्राप्त की जाये।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांचित रेशम उत्पादन मण्डल, पालमपुर में ₹ 39.18 लाख की भण्डार मदें अप्रैल 2010 व मई 2013 के मध्य रेशम उत्पादन केन्द्रों (₹ 3.82 लाख) तथा लाभार्थियों (₹ 35.36 लाख) को प्राप्तकर्त्ताओं से पावती प्राप्त किए बिना जारी की गई थी। प्राप्तियों के अभाव में भण्डारों की चोरी की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

रेशम बीज संरक्षण अधिकारी, पालमपुर ने बताया (जून 2014) कि सम्बंधित केन्द्रों की सूचियों में हस्ताक्षरों को प्राप्त कर लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भण्डार मदों के वास्तविक प्राप्तकर्त्ताओं से उपयुक्त पावतियां प्राप्त नहीं की गई थी।

47 जनवरी 2011: ₹ 1.94 लाख; जून 2011: ₹ 12.86 लाख

2.2.11.4 नूरपुर रेशम मिल की अवप्रयुक्ति

कृमिकोष से रेशमी सूत बनाने के उद्देश्य से नूरपुर रेशम मिल वर्ष 1964 में स्थापित की गई थी। अगस्त 2006 तक यह विभिन्न एजेंसियों[48] द्वारा चलाई गई थी और इसके भवन के लाभकारी उपयोग हेतु 33 वर्षों के पट्टे आधार पर एक रूपए के वार्षिक किराए सहित ₹ 9.79 लाख मूल्य की निवल परिसम्पत्तियों पर उद्योग विभाग को सितम्बर 2006 में अंतरित की गई। विभाग ने जून 2011 से रेशम उत्पादन विंग के प्रशिक्षण उद्देश्य सहित नूरपुर रेशम मिल को चलाने का निर्णय लिया (मई 2011)।

रेशम उत्पादन मण्डल, देहरा की अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि 2009-14 के दौरान 30,000 किलोग्राम रेशमी सूत[49] चरखी पर लपेटने की क्षमता के प्रति केवल ₹ 51,850 मूल्य का 20.6 किलोग्राम (0.06 *प्रतिशत*) रेशमी सूत बनाया गया। इसके अतिरिक्त, 2011-14 के दौरान 80 लाभार्थियों के लक्ष्यों के प्रति केवल 33 (41 *प्रतिशत*) लाभार्थियों को रेशम उत्पादन उद्योगों को अपनाने के लिये कौशल विकासार्थ दो बैचों में एक महीने की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया था। इसी समय विभाग ने 2009-14 के दौरान ₹ 19.54 लाख (स्टाफ का वेतन व भत्ते: ₹ 18.24 लाख और कच्चा माल व अन्य खर्चे ₹ 1.30 लाख) का व्यय किया। स्पष्टत:, नूरपुर रेशम मिल की अप्रयुक्ति से ₹ 19.54 लाख का व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा।

प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन बैठक में बताया कि व्यवहार्य रूप से मितव्ययी बनाने के लिए मिल का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

2.2.12 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.12.1 संस्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत कर्मी

मार्च 2014 को संस्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत कर्मी की समग्र स्थिति **तालिका-2.2.5** में दी गई है।

तालिका- 2.2.5
मार्च 2014 को संस्वीकृत स्टाफ के साथ-साथ कार्यरत कर्मी का ब्यौरा

क्रमांक	स्टाफ की श्रेणी	संस्वीकृत स्टाफ	कार्यरत कर्मी	रिक्ती स्थिति (*प्रतिशत में*)
1.	राजपत्रित (प्रशासन)	69	56	13 (19)
2.	राजपत्रित (तकनीकी/क्षेत्रीय)	88	51	37 (42)
3.	अराजपत्रित (मंत्रीपदीय)	166	78	88 (53)
4.	अराजपत्रित (तकनीकी/क्षेत्रीय)	401	205	196 (49)
5.	चालक	33	19	14 (42)
6.	चतुर्थ श्रेणी	443	340	103 (23)
	योग	**1200**	**749**	**451 (38)**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-2.2.5 से देखा जा सकता है कि 1200 की संस्वीकृत संख्या के प्रति समग्रत: 451 कर्मियों की (38 *प्रतिशत*) कमी थी। प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन बैठक में बताया कि तकनीकी पदों को भरने का मामला राज्य मंत्री मण्डल में रखा जाएगा।

---

48 पंजाब सरकार (1964-1966); हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (1966-1968); खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (1968-2006)

49 3000 किलोग्राम रेशमी सूत प्रति यूनिट प्रति वर्ष बनाने की क्षमता वाले दो यूनिट

2.2.12.2 श्रम शक्ति के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण

लेखापरीक्षा में निम्नांकित देखा गया:

- विभाग ने प्रशिक्षण नीति 2009 का पालन नहीं किया क्योंकि न तो सभी कर्मियों को आवृत करने हेतु प्रशिक्षण योजना बनाई गई न ही 2009-14 के दौरान प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया।
- यद्यपि विभाग ने प्रशिक्षण नियम पुस्तिका बनाई थी किन्तु जुलाई 2014 तक उसका अनुमोदन सरकार से प्रतीक्षित था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि भविष्य में नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2.13 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.2.13.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन का साधन है जो यह सुनिश्चित करता है कि योजनानुसार उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण का उपयुक्त रूप से पालन नहीं किया जा रहा था जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **वार्षिक प्रशासकीय निरीक्षणों का न किया जाना**

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उद्योग निदेशालय ने 2009-14 के दौरान पांच वर्षों में 36 कार्यालयों के अपेक्षित 180 निरीक्षणों के प्रति 52 निरीक्षण[50] किए तथा निरीक्षणों में कमी 61 व 83 *प्रतिशत* के मध्य रही। आठ नमूना जांचित यूनिटों में उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिशतता कमी 40 तथा 100 के मध्य रही जो इंगित करती है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण यथानिर्धारित नहीं किए थे। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाएंगे।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन**

वित्त विभाग ने विभाग में एक सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) और एक अनुभाग अधिकारी तैनात किए जिन्हें विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का प्रबंध करवाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग में तैनात आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ निदेशालय के दैनिक कार्य को कर रहे थे और 2009-14 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का पूर्णतः अभाव था।

निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मुहैया स्टाफ वित्तीय रिपोर्ट पर नियंत्रण करने को तैनात किया जाना चाहिए था और प्रभावी रूप से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

2.2.13.2 शिकायत निवारण

राज्य सरकार के अनुदेशों (दिसम्बर 2007) की अनुपालना में समयबद्ध ढंग से शिकायतों/उपालंभों के निपटान सुनिश्चित करने हेतु निदेशक उद्योग के कार्यालय में शिकायत निवारण कक्ष का गठन किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि उद्योग निदेशालय में शिकायत निवारण कक्ष अगस्त 2014 तक नहीं गठित किया गया था। निदेशक ने बताया (नवम्बर 2014) कि शिकायत निवारण कक्ष नवम्बर 2014 में गठित किया जा चुका था।

---

50 2009-10: 11; 2010-11: 14; 2011-12: 13; 2012-13: आठ तथा 2013-14: छ:

2.2.13.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के परिणाम और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एक प्रभावी साधन है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- जुलाई 2014 तक राज्य औद्योगिक नीति, 2004 के प्रभावी तथा कुशल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित नहीं की गई थी। परिणामत: विभाग में कार्यान्वित कार्यक्रमों/स्कीमों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था।
- विभाग ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया जो निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के स्तरों पर निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करें। परिणामत:, अधिकांश राशि अव्ययित रही और बड़ी संख्या में कार्य कई वर्षों तक अनिष्पादित/अपूर्ण रहे।
- स्वरोजगार वेंचरों, आदि की स्थापना हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आवधिक अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु विभाग में कोई तंत्र विद्यमान नहीं था जिससे दिए गए प्रशिक्षण के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

प्रधान सचिव (उद्योग) ने समापन बैठक में बताया कि सम्बंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.13.4 उद्यमियों का सर्वेक्षण

जैसाकि पूर्ववर्ती परिच्छेदों में बताया गया कि, विभाग में उपयुक्त अनुश्रवण तंत्र विद्यमान नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने चार नमूना जांचित जिलों के 40 लाभार्थियों (प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र से दस लाभार्थी) के लाभार्थी/उद्यमियों का सर्वेक्षण करवाया जो औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न पैरामीटरों पर उनके संतुष्टि स्तर से सम्बद्ध था और उनकी प्रतिक्रिया **तालिका-2.2.6** में दी गई है।

तालिका-2.2.6

क्रमांक	पैरामीटर	प्रतिक्रिया
1.	चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता	अच्छा: 38 *प्रतिशत*; औसत: 27 *प्रतिशत*; व बुरा: 35 *प्रतिशत*
2.	शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता	अच्छा: 33 *प्रतिशत*; औसत: 42 *प्रतिशत*; व बुरा: 25 *प्रतिशत*
3.	औद्योगिक बही-स्राव/अवक्रमण अपशिष्ट का निपटान	अच्छा: 45 *प्रतिशत*; औसत: 22 *प्रतिशत*; व बुरा: 33 *प्रतिशत*
4.	परिवहन सुविधा की उपलब्धता	अच्छा: 48 *प्रतिशत*; औसत: 22 *प्रतिशत*; व बुरा: 30 *प्रतिशत*

समापन बैठक में प्रधान सचिव (उद्योग) ने बताया कि अपेक्षित सुविधाओं को क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा मुहैया करवाया जाना था। तथापि, तथ्य यह है कि उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता से औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उद्यमी/कार्य शक्ति होनी थी।

2.2.14 निष्कर्ष

विभाग ने मानव संसाधनों, कच्चे माल, मण्डी मार्ग, आदि की उपलब्धता सहित औद्योगिक क्षमता के निर्धारणार्थ कोई औद्योगिक सर्वेक्षण नहीं करवाया था। विभाग अनुश्रवण नहीं कर रहा था कि क्या लगाए गए औद्योगिक यूनिट रोजगार सृजन के उद्देश्य को वस्तुत: पूर्ण कर रहे थे तथा उत्पादन मूल्य की कुल बिक्री, लाभप्रदत्ता विस्तार व रोजगार सृजन की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु तंत्र नहीं था जिससे देखा जाता कि ये कर रियायत तथा उपदानों के भार के अनुरूप थे। पट्टा राशि प्रीमियम के सम्बंध में बड़ी मात्रा में सरकारी प्राप्तियों को विभागीय व्यय के लिए विधायिका के प्राधिकार का हनन करके अनियमित रूप से आवर्तन/प्रयुक्ति की गई। स्कीमों/परियोजनाओं को मितव्ययी, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि योजनानुसार औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं को विकसित नहीं किया गया और

अवसंरचना विकास से सम्बंधित कार्य कार्यान्वयन के बिना रहे। स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण/पालना का अभाव था। विभाग में संतोषप्रद परिणामों हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र निर्बल था।

2.2.15 सिफारिशें

सरकार/विभाग को ध्यान रखना होगा:

(i) राज्य की औद्योगिक सम्भाव्यता जानने हेतु विस्तृत औद्योगिक सर्वेक्षण करवाना चाहिए;

(ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि केवल तभी जारी करना जब परियोजनाओं को अपेक्षित भूमि की उपलब्धता, वन व पर्यावरण अनुमति, आदि सहित सभी अनुमोदनों को सुनिश्चित कर लिया जाए;

(iii) सभी राजस्व प्राप्तियों को सरकारी लेखे में जमा करवाना तथा राज्य विधायिका के प्राधिकरण के बिना उससे विभागीय व्यय को रोकना; और

(iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ करना-विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति, नियमित निरीक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा, शिकायत निवारण आदि का अनुश्रवण करवाना।

लेखापरीक्षा परिणामों को अक्तूबर 2014 में सरकार को भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

2.3 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य जल के बहुल स्त्रोतों की प्रयुक्ति, तंत्र संपोषण की सुनिश्चितता, सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से जल गुणवता कार्यक्रम का संस्थानीकरण, जनसाधारण में जागरूकता सृजन, श्रम शक्ति प्रशिक्षण तथा ऑनलाईन प्रबंधन सूचना तंत्र के माध्यम से कार्यान्वयन में पारदर्शिता की सुनिश्चितता द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुनिश्चित करना है। महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नांकित हैं:

मुख्य बातें:

- ***गांव तथा जिला जल सुरक्षा योजनाओं से विस्तृत जल सुरक्षा योजनायें जिनमें जन सांख्यिकी, भौतिक विशेषताएं, जल स्त्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना, आदि सम्मिलित है, नहीं बनाई गई।***

  (परिच्छेद 2.3.6.1)

- ***2009-14 के दौरान ₹ 11.50 करोड़ से लेकर ₹ 82.17 करोड़ के मध्य भारत सरकार की निधियों की अप्रयुक्ति व अपवर्तन के कारण भारत सरकार से अनुमोदित आवंटनों के प्रति ₹ 87.42 करोड़ कम जारी हुए।***

  (परिच्छेद 2.3.8.2 व 2.3.8.4)

- ***2009-14 के दौरान ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण कार्यों के अंतरण न करने से राज्य, भारत सरकार के ₹ 59.27 करोड़ के प्रोत्साहन से वंचित रहा।***

  (परिच्छेद 2.3.8.7)

- ***राज्य में वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया।***

  (परिच्छेद 2.3.9.1)

- ***अगस्त 2014 तक 2009-14 के दौरान पूर्ण किए जाने को अनुबंधित 509 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से ₹ 88.46 करोड़ खर्च करने पर भी 197 स्कीमें अपूर्ण पड़ी थी।***

  (परिच्छेद 2.3.9.2)

- ***2009-14 के दौरान 48 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लक्ष्य के प्रति केवल 14 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई तथा रसायनिक व जीवाण्विक प्रदूषण जांच की अपेक्षित 21.02 लाख संख्या के प्रति केवल 1.66 लाख परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 0.72 लाख परीक्षण किए गए।***

  (परिच्छेद 2.3.11.1 व 2.3.11.2)

- ***आंतरिक नियंत्रण तंत्र दुर्बल था। 2009-14 के दौरान स्कीमों के आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु अनुश्रवण व छानबीन यूनिट, समूह आधारित संगठनों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करना आदि स्थापित नहीं किए गए।***

  (परिच्छेद 2.3.12.2 व 2.3.12.3)

2.3.1 परिचय

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 1972-73 में समूचे भारत में आरम्भ किया गया था। स्कीम का नाम 01 अप्रैल 2009 से बदलकर "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" कर दिया जिसमें पेयता, पर्याप्तता, सुविधा, समर्थता तथा निष्पक्षता के अनुसार जल उपलब्धता कायम करने की सुनिश्चितता पर अधिकांश

जोर दिया गया जबकि पंचायती राज संस्थानों और सामुदायिक संगठनों से अंतर्ग्रस्त विकेन्द्रीयकृत पहुंच अपनाना भी था। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बहुल जल स्रोतों की प्रयुक्ति तंत्र कायम करने की सुनिश्चितता, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता कार्यक्रम का संस्थानीकरण, लोगों में जागरूकता लाना, श्रमशक्ति प्रशिक्षण द्वारा सुरक्षित पेय जल सुनिश्चित करना और ऑनलाईन प्रबंधन सूचना तंत्र के माध्यम से कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

कार्यक्रम का कार्यान्वयन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिसके प्रशासनिक प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव जो सदस्य सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के रूप में कार्य करते हैं किया जाता है। प्रमुख अभियंता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य हैं जिसकी सहायतार्थ निदेशक, जल एवं स्वच्छता प्रोत्साहन संगठन, चार क्षेत्रों (हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी व शिमला) के मुख्य अभियंता और 13 वृतों के अधीक्षण अभियंता हैं। निष्पादन कार्य 48 मण्डलों द्वारा किया जाता है जिसके प्रत्येक के मुखिया अधिशासी अभियंता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य में देखना था कि क्या:

- योजना प्रक्रिया कुशल और प्रभावपूर्ण थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था;
- स्कीमों का कार्यान्वयन मितव्ययी, कुशल व प्रभावी था तथा बस्तियों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाया गया; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त था।

2.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति बदले बिना के आधार पर चयनित तीन[51] (चार में से) मुख्य अभियंताओं, छ:[52] (13 में से) अधीक्षण अभियंताओं, 17 (48 में से) अधिशासी अभियंताओं[53] तथा निदेशक, जल एवं स्वच्छता प्रोत्साहन संगठन के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा मार्च तथा अगस्त 2014 के मध्य की गई। मार्च 2014 में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) के साथ आरम्भिक बैठक की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र मानदण्ड तथा पद्धति पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिलेखों की संवीक्षा, प्रश्नोत्तरी जारी करके उपलब्ध ब्यौरे का विश्लेषण, लेखापरीक्षा ज्ञापन तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय अधिकारियों से प्राप्त उत्तरों के पश्चात निकाला गया। लेखापरीक्षा परिणामों को जनवरी 2015 में आयोजित समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ चर्चा की गई और राज्य सरकार के विचार प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निर्धारणार्थ प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नांकित स्रोतों से प्राप्त किए:

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्कीम तथा कार्यान्वित दिशा-निर्देश;
- वार्षिक कार्य योजनाएं/परियोजना प्रतिवेदन;

---

51 हमीरपुर, मण्डी तथा शिमला

52 बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, नाहन, शिमला तथा सुन्दरनगर

53 आनी, अर्की, बड़सर, बिलासपुर,देहरा,घुमारवीं,हमीरपुर, कुल्लू-I, कुल्लू-II , मण्डी, नाहन, नौहराधार, पधर, शिमला-I, सोलन, सुन्दरनगर तथा सुन्नी

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता;
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं व अनुदेश;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली; तथा
- स्कीमों/कार्यक्रमों के अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 योजना

2.3.6.1 विस्तृत योजनाएं बनाना

(i) ग्रामीणों की योजना, कार्यान्वयन, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण में सक्रिय भागीदारी निश्चित करने के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं को बनाने का प्रावधान है जिनमें अन्य बातों के साथ जन सांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना तथा गांव के अन्य ब्यौरे सम्मिलित किए जाने थे। जिलों की ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं जिला स्तर पर समेकित की जानी थी जिससे जिला जल सुरक्षा योजनाओं के गठन का आधार तैयार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान राज्य में ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं नहीं बनाई गई और परिणामत: जिला जल सुरक्षा योजनाएं भी गठित नहीं की गई थी। ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं तथा जिला जल सुरक्षा योजनाएं न बनाने से कार्यक्रम के विकेन्द्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

(ii) कार्यक्रम को निश्चित दिशा देने तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति की गई प्रगति के नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत जल सुरक्षा योजनाओं को बनाने हेतु कार्यक्रम दिशा-निर्देश मुहैया करवाए गए हैं। स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को विशिष्ट राज्य नीति ढांचा बनाना अपेक्षित था। इस ढांचे पर तथा राज्य द्वारा रखे गए विस्तृत लक्ष्य के आधार पर एक पांच वर्षीय चल योजना बनाई जानी थी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उप-लक्ष्य और प्राथमिकताएं, केन्द्र के साथ आपसी परामर्श के आधार पर निर्धारित की जानी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने न तो कोई राज्य क्षेत्र नीति ढांचा बनाया न ही यहां परिकल्पित कोई पांच वर्षीय चल योजनाएं गठित की। अत:, विभाग ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्राप्ति में राज्य द्वारा की गई प्रगति का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम सुनिश्चित करने को पांच वर्षीय चल योजना, ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं तथा जिला जल सुरक्षा योजनाएं गठित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.3.7 कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानिक ढांचा

2.3.7.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को राज्य स्तर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में पंजीकृत समिति बनाने का प्रावधान है जिसका मुखिया मुख्य सचिव होगा। राज्य सरकार ने पहले 2007 में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन गठित किया और नवम्बर 2010 में 10 विभागों[54]

[54] ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विद्युत, कृषि, वित्त, सूचना एवं लोक सम्पर्क व शहरी विकास

के प्रधान सचिवों को सदस्य के रूप में तथा प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) संयोजक के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यक्रम की समीक्षा हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने 2009-14 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम 10 बैठकों के प्रति केवल चार बैठकें[55] आयोजित की, जिसमें कार्यक्रम से सम्बंधित कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए। अतः, उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन और प्रबंधन की समीक्षा/अनुश्रवण नहीं किया गया।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जलापूर्ति परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन और प्रबंधन का नियमित बैठकों के माध्यम से प्रभावपूर्वक अनुश्रवण किया जाएगा।

2.3.7.2 राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति के गठन का प्रावधान है तथा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं/स्कीमें और सहायक कार्यकलाप राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित स्कीमों की प्रगति, पूर्णता व चालू करने की समीक्षा भी राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा की जानी हैं। राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति का गठन प्रमुख अभियंता सदस्य सचिव तथा अन्य सदस्यों[56] सहित प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में नवम्बर 2010 में किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान आयोजित नौ बैठकों में राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा 1091 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों (अनुमानित लागत: ₹ 671.12 करोड़) को राज्य तकनीकी एजेंसी से तकनीकी व्यवहारिकता सुनिश्चित किए बिना अनुमोदित किया गया जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में इंगित है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति ने बैठकों में विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची पर आधारित परियोजना प्रस्तावों को स्कीमों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की जांच तंत्र के बिना पारित कर दिया। निजी परियोजना का अनुमोदन अथवा परियोजनाओं की सूचियों के प्रलेख तक नहीं दिए गए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा वास्तव में मूल्यांकित, विवेचित तथा अनुमोदित किये गये थे।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2014) कि विभाग द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन अनुश्रवण किया जा रहा था। तथापि, सच्चाई यह है कि स्कीमों को राज्य तकनीकी एजेंसी के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चितता के बिना राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति से अनुमोदित करवाया गया था तथा निष्पादित स्कीमों का अनुश्रवण भी राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा नहीं किया गया था।

2.3.7.3 राज्य तकनीकी एजेंसी

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों स्रोत की कामयता पर बल देने तथा सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर दोनों के कार्यकलापों हेतु कार्य योजना बनाने में सहायता के साथ विश्वस्त व लागत प्रभावी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना व प्रारूप में सहायता करना था। ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की उनकी राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन से पहले राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा जांच की जानी भी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि राज्य सरकर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर को कार्यक्रम हेतु राज्य तकनीकी एजेंसी के रूप में नामजद किया था (अगस्त 2009) किन्तु 2009-14 के दौरान राज्य

[55] 5 अगस्त 2009, 3 जून 2010, 20 अक्तूबर 2010 तथा 31 जनवरी 2011

[56] प्रधान सचिव (वित्त), भारत सरकार के प्रतिनिधि, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, राज्य व केन्द्रीय जल आयोग तथा राज्य तकनीकी एजेंसी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा सूचीबद्ध तकनीकी विशेषज्ञ समूह, निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान

तकनीकी एजेंसी ने न तो कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति की बैठकों में भाग लिया न ही किसी तकनीकी कार्य का निष्पादन किया। राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति को बाद में पंजाब इंजीनियरिंग कालेज प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय चण्डीगढ़ राज्य तकनीकी एजेंसी के रूप में नामजद (जनवरी 2014) की गई। समापन बैठक में अतिरिक्त सचिव ने बताया कि भविष्य में राज्य तकनीकी एजेंसी को स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ योजना एवं परिरूप में सम्मिलित किया जाएगा।

2.3.7.4 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने सभी 12 जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन गठित किए (अक्तूबर 2010) जिसमें प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य सचिव के रूप में जिला मुख्यालयों पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल के अधिशाषी अभियंता तथा नौ अन्य सम्बद्ध सदस्य थे। जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों को त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण तथा समेकित करना, जिला जल सुरक्षा योजनाओं को बनाना, अन्य सम्बंधित कार्यक्रमों का अभिसरण करना तथा स्कीमों की प्रगति की कार्य स्थिति की समीक्षा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला जल सुरक्षा मिशनों के निष्पादन का कोई ब्यौरा प्रमुख अभियंता स्तर पर अनुरक्षित नहीं किया गया था। नमूना जांचित सात जिलों में उक्त दिशा-निर्देशों में परिकल्पित कार्यों का निष्पादन जिला जल सुरक्षा मिशनों द्वारा नहीं किया गया क्योंकि अक्तूबर 2010 व मार्च 2014 के मध्य आयोजित किये जाने के लिए अपेक्षित 98 बैठकों के प्रति जिला जल सुरक्षा मिशनों द्वारा 25 बैठकें[57] आयोजित की गई (26 *प्रतिशत*)। अत: कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला जल सुरक्षा मिशनों द्वारा प्रभावपूर्वक नहीं की गई थी।

2.3.7.5 ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति

ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति का गठन ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना, अनुश्रवण, कार्यान्वयन तथा परिचालन व अनुरक्षणार्थ स्थायी समिति के रूप में ग्रामीणों की सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान राज्य में 3243 ग्राम पंचायतों में से 972 ग्राम जल सुरक्षा समितियों (30 *प्रतिशत*) का गठन किया गया तथा इन ग्राम जल सुरक्षा समितियों ने भी ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं बनाने, अनुश्रवण/ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों, आदि की सामाजिक लेखापरीक्षा सहित परिकल्पित कार्यकलापों का निष्पादन नहीं किया था। प्रमुख अभियंता ने बताया (अगस्त 2014) कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का ब्यौरा अद्यतन करने के निर्देश दिए जा चुके थे।

2.3.8 वित्तीय प्रबंधन

2.3.8.1 निधियन पैटर्न

कार्यक्रम का निधियन तीन घटकों[58] के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार में 50:50 के अनुपात में और अन्य घटकों[59] हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्णत: किया जाना है। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों को सीधे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जारी किया जाता है जो कि पुन: सम्बंधित मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के माध्यम से कार्यकारी मण्डलों को जारी की जाती है। राज्य सरकार अपना भाग विभिन्न बजटीय अनुदानों के माध्यम से आवंटित करती है।

57 बिलासपुर: छ: , हमीरपुर: पांच, कुल्लू: तीन, मण्डी: चार, नाहन: शून्य, शिमला: दो तथा सोलन: पांच

58 विस्तार, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा जल गुणवत्ता क्षेत्र समस्याएं

59 कायमता, मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं तथा सहायता कार्यकलाप

2.3.8.2 निधियों की उपलब्धता तथा प्रयुक्ति

2009-14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित आवंटन एवं निधियों की उपलब्धता तथा उसके प्रति किए गए व्यय की समग्र स्थिति **तालिका-2.3.1** में दी गई है।

तालिका- 2.3.1

2009-14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित आवंटन एवं निधियों की उपलब्धता तथा उसके प्रति किए गए व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	अनुमोदित आवंटन		उपलब्ध निधियां				व्यय		अप्रयुक्त निधियों	
	भारत सरकार का भाग	राज्य सरकार का भाग	भारत सरकार की शेष निधियां	भारत सरकार से प्राप्ति[60]	जमा ब्याज	राज्य द्वारा आवंटित	भारत सरकार[61]	राज्य	भारत सरकार	राज्य आधिक्य (+) / बचतें (-)
2009-10	187.29	132.71	5.20	142.86	0.32	112.96	136.88	121.76	11.50	8.80
2010-11	201.90	179.13	11.50	234.36*	1.28	180.81	167.26	183.50	79.88	2.69
2011-12	156.13	197.50	79.88	146.03	1.51	167.79	145.25	176.01	82.17	8.22
2012-13	153.59	175.85	82.17	102.24	0.72	161.96	142.98	164.57	42.15	2.61
2013-14	144.82	186.57	42.15	130.82	1.10	173.77	153.28	149.49	20.79	(-) 24.28
योग	**843.73**	**871.76**		**756.31**	**4.93**	**797.29**	**745.65**	**795.33**		**(-) 1.96**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

*टिप्पणी: आंकड़ों में 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 40.00 करोड़ सम्मिलित है किन्तु वास्तव में 2010-11 में प्राप्त हुए।

तालिका-2.3.1 से देखा जा सकता है कि:

- 2009-14 के दौरान ₹ 1715.49 करोड़ (भारत सरकार का भाग: ₹ 843.73 करोड़ व राज्य का भाग: ₹ 871.76 करोड़) के अनुमोदित आवंटन के प्रति भारत सरकार ने ₹ 756.31 करोड़ जारी किए और राज्य सरकार ने ₹ 797.29 करोड़ आवंटित किए परिणामत: ₹ 161.89 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 87.42 करोड़ तथा राज्य: ₹ 74.47 करोड़) कम जारी/ आवंटित हुए। भारत सरकार द्वारा निधियों को कम जारी करने का कारण विभाग द्वारा निधियों की अप्रयुक्ति/अपवर्तन था। राज्य भाग के अल्प आंवटन के सम्बंध में विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

- 2009-14 के दौरान भारत सरकार की ₹ 766.44 करोड़[62] की निधियों की उपलब्धता के प्रति विभाग ने ₹ 745.65 करोड़ का व्यय किया तथा ₹ 11.50 करोड़ और ₹ 82.17 करोड़ के मध्य की निधियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रही परिणामत: उपरोक्त उल्लिखित अनुमोदित आवंटनों के प्रति कम निधियां जारी हुई। इसके अतिरिक्त, बुक किया व्यय केवल कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी लेखे से जारी राशि प्रदर्शित करता है न कि स्थल पर कार्यान्वित कार्यों पर वास्तव में खर्च राशि क्योंकि अधिकांश निधियां अप्रयुक्त रहीं और भारी संख्या में कार्य अपूर्ण पड़े थे जैसाकि **परिच्छेद 2.3.9.2** और **2.3.9.12** के अंतर्गत इंगित है।

---

60 विस्तार एवं जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र: ₹ 465.35 करोड़; परिचालन एवं अनुरक्षण: ₹ 67.72 करोड़; कायमता: ₹ 95.79 करोड़; मरूस्थल विकास कार्यक्रम: ₹ 35.53 करोड़; सी0आर0एफ0: ₹ 69.80 करोड़ तथा सहायता कार्यकलाप: ₹ 22.12 करोड़

61 विस्तार एवं जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र: ₹ 510.39 करोड़; परिचालन एवं अनुरक्षण: ₹ 65.48 करोड़ कायमता: ₹ 74.98 करोड़; मरूस्थल विकास कार्यक्रम: ₹ 5.59 करोड़; सी0आर0एफ0: ₹ 65.46 करोड़ तथा सहायता कार्यकलाप: ₹ 23.75 करोड़

62 1 अप्रैल 2009 को अथ शेष: ₹ 5.20 करोड़; 2009-14 के दौरान प्राप्तियां: ₹ 756.31 करोड़ तथा 2009-14 के दौरान अर्जित ब्याज: ₹ 4.93 करोड़

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रोकी गई निधियों को जारी करवाने हेतु मामला भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा।

2.3.8.3 राज्य अनुरूप निधियां

दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का निधियन विस्तार, जल गुणवत्ता क्षेत्र तथा परिचालन एवं अनुरक्षण घटकों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है। पुन: राज्य सरकार को कार्यक्रम लेखे में, जिसमें भारत सरकार की निधियां अंतरित की गई, राज्य निधियों को अनुकूल किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में निम्नांकित कमियां पाई गई:

(i) राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ बजटीय शीर्षों के माध्यम से ₹ 797.29 करोड़ जारी किए किन्तु विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत और निधि आवंटित नहीं की गई। अत: इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य अनुरूप निधियों को कार्यक्रम में लेखाबद्ध/अंतरित नहीं किया गया।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2014) कि उपरोक्त अवधि के दौरान निधियों को बजटीय शीर्षों के माध्यम से जारी किया गया था। उत्तर कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का संपोषक नहीं है क्योंकि भारत सरकार की निधियों के साथ अनुरूप राज्य भाग की उपयुक्त प्रयुक्ति की सुनिश्चितता हेतु राज्य के भाग को कार्यक्रम लेखे में जमा करवाया जाना चाहिए था।

(ii) 2009-14 के दौरान विस्तार, जल गुणवत्ता तथा परिचालन व अनुरक्षण घटक के अंतर्गत अपेक्षित आंवटन किए जाने वाले ₹ 283.04 करोड़ के राज्यांश के प्रति नमूना जांचित मण्डलों[63] के अधिशाषी अभियंताओं को केवल ₹ 32.98 करोड़ (12 *प्रतिशत*) आवंटित किए गए। अत:, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत ₹ 250.06 करोड़ का अपेक्षित राज्य अनुरूप भाग खर्च नहीं किया गया।

2.3.8.4 मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की अप्रयुक्ति तथा अपवर्तन

कम वर्षा तथा अपर्याप्त जल उपलब्धता वाली बस्तियों की अत्याधिक खराब स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में मरूस्थल विकास कार्यक्रम घटक के अंतर्गत निधियों का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

- 2009-13[64] के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 35.53 करोड़ में से 2009-11[65] के दौरान ₹ 27.66 करोड़ राज्य एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सामान्य विस्तारार्थ अपवर्तित किए गए जो अनियमित थे तथा परिणामत: 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा उस सीमा तक निधियों का अल्प जारीकरण हुआ।
- 2009-14 के दौरान शेष ₹ 7.87 करोड़ में से ₹ 5.16 करोड़ कार्यान्वयन मण्डलों को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी किया गया। और ₹ 2.71 करोड़ 13 से 46 महीने कार्यक्रम लेखे में अवरूद्ध रहे जिससे लोग वांछित लाभों से वंचित रहे।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2014) कि मरूस्थल विकास कार्यक्रम निधियां प्रयुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि कोई मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्र अनावृत्त नहीं रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मरूस्थल कार्यक्रम निधियों को प्रयुक्त करने हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था।

---

63 आनी, अर्की, कुल्लू-I, नौहराधार, पधर, शिमला-I और सुन्नी

64 2009-10: ₹ 30.66 करोड़, 2010-11: ₹ 2.57 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 2.30 करोड़

65 2009-10: ₹ 26.66 करोड़ तथा 2010-11 ₹ 1.00 करोड़

2.3.8.5 निधियां जारी करने में विलम्ब

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा राज्य अनुरूप भाग सहित प्राप्त केन्द्रीय आवंटन की सारी राशि बिना विलम्ब के, किसी भी मामले में इसकी प्राप्ति पश्चात 15 दिनों से अधिक नहीं, कार्यान्वयन मण्डलों को जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन से मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं को निधियों के जारी करने में विलम्ब 14 से 648 दिनों के मध्य था और अधीक्षण अभियंताओं और नोडल मण्डलों से कार्यान्वयन मण्डलों को एक से 331 दिनों के मध्य रहा। निधियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण निधियों की प्रयुक्ति तथा स्कीमों का कार्यान्वयन समय पर नहीं हो सका।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2014) निधियों को विलम्ब से जारी करने का कारण क्षेत्रीय यूनिटों से मांगों की विलम्बित प्राप्ति था। सच्चाई यह है कि वार्षिक कार्य योजनाओं में अनुमोदित लक्ष्यों के अनुसार प्रमुख अभियंता ने निधियों को जारी नहीं किया।

2.3.8.6 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का अपवर्तन

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर निधियों का अपवर्तन निषिद्ध है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांचित 11 मण्डलों[66] में 2009-14 के दौरान जन गुणवत्ता (₹ 1.31 करोड़), सामान्य विस्तार (₹ 2.75 करोड), प्राकृतिक आपदा सहायता निधि (₹ 3.45 करोड़) तथा कायमता (₹ 3.15 करोड़) घटकों में से कार्यक्रम क्षेत्र से बाहर की मदों/कार्यकलापों[67] के प्रति ₹ 10.66 करोड़ का अपवर्तन किया गया जो अनियमित था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मई-अगस्त 2014) कि प्राकृतिक आपदा सहायता निधियां गलती से पुस्तांकित की गई थी तथा अन्य घटकों के अंतर्गत निधियों के अपवर्तन उद्देश्यार्थ पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं होने के कारण किया गया था। अधिशाषी अभियंताओं के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में इस प्रकार के व्यय का प्रावधान नहीं है।

2.3.8.7 प्रोत्साहन की अनुपलब्धता

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में राज्य में सुधार लाने तथा ग्रामीण पेयजलापूर्ति क्षेत्र विकेन्द्रीकरण हेतु ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जनसंख्या द्वारा प्रबंधन, परिचालन एवं अनुरक्षणार्थ राज्यों को निधियों के आवंटन में 10 *प्रतिशत* अधिमान का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने ₹ 59.27 करोड़ (भारत सरकार द्वारा 2010-14 के दौरान जारी कुल निधियों का 10 *प्रतिशत*) के प्रोत्साहन की प्रयुक्ति नहीं की क्योंकि विभाग राज्य में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण जनसंख्या को ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के प्रबंधन के कार्यों के हस्तांतरित करने में विफल रहा। समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि भारत सरकार से प्रोत्साहन पाने का मामला देखा जाएगा।

2.3.8.8 विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अग्रिम भुगतान को अंतिम व्यय के रूप में प्रभारित

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के परिच्छेद 13.4 के अनुसार व्यय की मदें, जिनका आवंटन अंतिम लेखा शीर्ष को समायोजित नहीं किया जा सकता, उचन्त शीर्ष "विविध कार्य अग्रिम" कार्यों के

---

[66] आनी, बड़सर, बिलासपुर, घुमारवीं, कुल्लू-I, कुल्लू -II, नाहन, पधर, शिमला-I, सोलन तथा सुन्दरनगर

[67] हैंड पम्पों को लगाना (274): ₹ 7.81 करोड़; नाबार्ड स्कीमें (चार): ₹ 0.52 करोड़; आवास, निरीक्षण कुटियां व अन्य कार्य, (33): ₹ 0.42 करोड़ शहरी जलापूर्ति स्कीमें (10): ₹ 1.46 करोड़ और उठाऊ/बहाव सिंचाई स्कीमें (42): ₹ 0.45 करोड़

कार्यान्वयन पर लम्बित समायोजन या तो वास्तविक वसूली अथवा सम्बद्ध लेखा शीर्ष को अंतरण के अंतर्गत रखे जाते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 14 मण्डलों[68] में 1998 बस्तियों हेतु 75 उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों को विद्युत आपूर्ति हेतु ₹ 8.88 करोड़ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को अग्रिम दिए (जून 2009 तथा मार्च 2014) गये थे। व्यय को उचन्त शीर्ष "विविध कार्य अग्रिम", कार्यों के कार्यान्वयन पर लम्बित समायोजन के अंतर्गत रखने के बजाय स्कीमों के लेखे के अंतिम शीर्ष के नामे द्वारा अंतिम व्यय के रूप में प्रभारित किया गया। 75 उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों में से 30 स्कीमों को विद्युत आपूर्ति मुहैया करवाई गई थी। जुलाई 2014 तक सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं द्वारा अग्रिम भुगतानों के सम्बंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मार्च-अगस्त 2014) कि उपलब्ध बजट आंवटन की उपयोगिता प्रदर्शित करने हेतु अग्रिम भुगतानों को अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किया गया था और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डलों की कार्रवाई उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत थी।

2.3.8.9 सामग्री को अनियमित दर्ज करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (ख) (5) तथा 15.2 (ख) में आवश्यकता के बिना अथवा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक खरीदी गई सामग्री की लागत को कार्य के नामें करने जैसे अनियमित स्टॉक समायोजन की मनाही है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांचित दस मण्डलों[69] में 91 स्कीमों/कार्यों के प्रति ₹ 13.38 करोड़ लागत की सामग्री इसकी वास्तविक प्रयुक्ति के बिना दर्ज (दिसम्बर 2009 व मार्च 2014 के मध्य) की गई थी। बाद में, कार्यों पर केवल ₹ 0.62 करोड़ मूल्य की सामग्री प्रयुक्त की गई और ₹ 9.67 करोड़ मूल्य की सामग्री स्टाक में अप्रैल 2010 तथा जुलाई 2014 के मध्य अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में ली गई। ₹ 3.09 करोड़ मूल्य की सामग्री जुलाई 2014 तक असमायोजित पड़ी हुई थी। अत:, स्टाक समायोजन वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर निधियों के प्रत्यर्पण रोकने मात्र को अनियमित रूप से किया गया था। अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मई-अगस्त 2014) कि पुस्तांकन केवल बजट प्रयुक्त करने को किया गया था। उत्तर राज्य वित्तीय नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत है।

2.3.9 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.3.9.1 बस्तियों की व्याप्ति की प्रगति

कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण बस्तियों[70] की व्याप्ति को प्राप्त करना था। स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल पहुंच न होने वाली बस्तियों को प्राथमिकता दी जानी थी।

राज्य में 2009-14 के दौरान पेयजल सुविधा सहित बस्तियों की व्याप्ति की स्थिति **तालिका-2.3.2** में दी गई है।

68 आनी, अर्की, बडसर, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, कुल्लू -II, मण्डी, नौहराधार, पधर, शिमला-I, सोलन, सुन्दरनगर तथा सुन्नी

69 अर्की, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, कुल्लू –I, कुल्लू -II, मण्डी, नौहराधार, पधर, सोलन तथा सुन्नी

70 बस्ती शब्द का प्रयोग गांव के भीतर एक-दूसरे के निकट रहने वाले परिवारों के समूह को परिभाषित करने को किया गया है। गांव में एक से अधिक बस्ती हो सकती है किन्तु इसके विपरीत नहीं

तालिका- 2.3.2
2009-14 के दौरान पेयजल सुविधा वाली बस्तियों की व्याप्ति की संख्या का ब्यौरा

(बस्तियों की संख्या)

श्रेणी	पेयजल व्याप्ति वाले लोगों की प्रतिशतता	बस्तियां (मार्च 2009)	बस्तियां (मार्च 2014)	2009-14 के दौरान विस्तार हेतु लक्षित बस्तियां	2009-14 के दौरान आवृत्त बस्तियां
कुल बस्तियां		**53,205**	**53,604**	**17,607**	**18,093**
श्रेणी 0	0 *प्रतिशत*	11,841	0	2,643	2,440
श्रेणी 1	> 0 व < 25 *प्रतिशत*	1,633	6,866	6,440	6,507
श्रेणी 2	> 25 व < 50 *प्रतिशत*	1,930	4,094	3,495	3,649
श्रेणी 3	> 50 व < 75 *प्रतिशत*	3,204	7,980	3,012	3,016
श्रेणी 4	> 75 व < 100 *प्रतिशत*	865	4,753	619	622
श्रेणी 5	100 *प्रतिशत*	33,732	29,911	1,398	1,859

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-2.3.2 से देखा जा सकता है कि पर्याप्त तथा सुरक्षित पेयजल पहुंच वाली शून्य *प्रतिशत* अथवा जनसंख्या के भाग वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर पहले से 100 *प्रतिशत* आवृत्त वाली 1,859 बस्तियों को 2009-14 के दौरान आवृत किया गया था। इसके बावजूद 2009-14 के दौरान 100 *प्रतिशत* जनसंख्या को पेयजल उपलब्धता अप्रैल 2009 में 33,732 बस्तियों से घटकर मार्च 2014 को 29,911 रह गई। अत: विभाग ने पेयजल कमी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों को लेने की प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की और वर्ष 2012 तक पर्याप्त सुरक्षित पेयजल वाली सभी ग्रामीण बस्तियों के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि बस्तियों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जायेगें तथा 100 *प्रतिशत* श्रेणी वाली बस्तियों को पेयजल उपलब्धता की कमी का कारण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों के स्रोतों के जल स्तर में आई कमी था। तथापि, सच्चाई यह है कि विभाग वर्ष 2012 तक पर्याप्त सुरक्षित पेयजल सहित सभी ग्रामीण बस्तियों को आवृत्त करने के लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहा।

2.3.9.2 योजनाओं का कार्यान्वयन

कार्यान्वयनार्थ ली गई, पूर्ण की गई तथा वे जो 2009-14 के दौरान अपूर्ण रही स्कीमों के कार्यवार समेकित अभिलेखों को प्रमुख अभियंता स्तर पर अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किया गया था। तथापि, सभी नमूना जांचित मण्डलों में स्कीमों के कार्यान्वयन के ब्यौरे **तालिका-2.3.3** में दिए गए हैं।

तालिका- 2.3.3
2009-14 के दौरान नमूना जांचित मण्डलों में स्कीमों के कार्यान्वयन का ब्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित स्कीमें		आरम्भ नहीं की गई स्कीमें		कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत/ली गई स्कीमें		मार्च 2014 तक पूर्ण की जाने वाली स्कीमें		पूर्ण की गई स्कीमें		मार्च 2014 तक अपूर्ण स्कीमें	
	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या	आकलित लागत	संख्या	आकलित लागत	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
03/2009 से पहले	325	230.40	3	11.81	322	230.58	301	211.60	200	118.36	101	73.01
2009-10	88	112.81	3	3.80	85	109.01	46	17.77	29	3.97	17	8.28
2010-11	136	69.56	5	2.68	131	65.13	82	16.00	53	4.11	29	5.14
2011-12	161	81.89	19	26.71	142	53.99	59	7.02	22	1.80	37	1.83
2012-13	92	30.75	12	2.30	80	27.54	21	1.23	8	0.44	13	0.20
2013-14	57	128.48	49	127.57	8	0.89	0	0	0	0	0	0
योग	**859**	**653.89**	**91**	**174.87**	**768**	**487.14**	**509**	**253.62**	**312**	**128.68**	**197**	**88.46**

स्रोत: नमूना जांचित मण्डलों द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-2.3.3 से देखा जा सकता है कि:

- ₹ 653.89 करोड़ हेतु अनुमोदित 859 स्कीमों में से ₹ 174.87 करोड़ की अनुमोदित लागत वाली 91 स्कीमें तकनीकी स्वीकृतियों आदि को अंतिम रूप न देने के कारण अगस्त 2014 तक स्वीकृत/आरम्भ नहीं की गई थी।
- कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत/ली गई 768 स्कीमों में से 2009-14 के दौरान ₹ 253.62 करोड़ की आकलित लागत वाली 509 स्कीमें पूर्ण की जानी अनुबंधित थी। इसमें से केवल 312 स्कीमों को ₹ 128.68 करोड़ का व्यय करने के पश्चात पूर्ण किया गया और 197 स्कीमें, जिन पर ₹ 88.46 करोड़ खर्च किया गया, कार्यस्थल झगड़ों, ठेकेदारों के धीमें कार्यों, विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता, कार्य मौसम की कमी के कारण अगस्त 2014 तक अपूर्ण पड़ी हुई थी। स्कीमों की पूर्णता का विलम्ब छ: तथा 77 महीनों के मध्य रहा जिससे लोग इच्छित लाभों से वंचित रहे।
- इस तथ्य के बावजूद कि अप्रैल 2009 से पूर्व आरम्भ की गई स्कीमें अपूर्ण थी, 2009-14 की अवधि के दौरान 446 नई स्कीमें (आकलित लागत: ₹ 256.56 करोड़) निष्पादन हेतु आरम्भ की गई। मण्डलों द्वारा छोड़ी गई स्कीमों, विशेषत: त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत,की पूर्णता पहले सुनिश्चित किए बिना नई स्कीमों को लेने की कार्रवाई अविवेकी थी।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि भविष्य में भूमि, आदि की उपलब्धता को स्कीमों को लेने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा तथा नई स्कीमों को स्वीकृत करने की बजाय पुरानी स्कीमों को पूर्ण करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

2.3.9.3 बंद पड़ी स्कीमों पर निष्फल व्यय

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यार्थ वन भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। अन्य मामलों में भी विभाग को स्कीमों को निष्पादन हेतु लेने से पूर्व बाधा मुक्त भूमि सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सात नमूना जांचित मण्डलों[71] में 243 बस्तियों को आवृत्त करने हेतु ₹ 13.21 करोड़ हेतु स्वीकृत (अक्तूबर 2007 व दिसम्बर 2010 के मध्य) 11 जलापूर्ति स्कीमें फरवरी 2012 तथा जून 2014 के मध्य पूर्ण की जानी निर्धारित थी। स्कीमों को जनवरी 2009 और मई 2013 के मध्य निष्पादन हेतु लिया गया था। तथापि, उनका निष्पादन वन संरक्षण अधिनियम (पांच मामले) के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त न करने तथा निजी भूमि/स्थानीय स्रोत झगड़ों (छ: मामले) के कारण जुलाई 2010 तथा नवम्बर 2013 के मध्य रोक दिया गया था। यद्यपि अधिशाषी अभियंताओं ने भूमि उपलब्धता हेतु पंचायत प्रस्ताव प्राप्त किये थे किन्तु यह निजी भूमि हेतु प्रयोज्य नहीं था। स्कीमें जून 2014 तक निलम्बित अवस्था में पड़ी हुई थी। इसी बीच जून 2014 तक इन स्कीमों के निष्पादन पर ₹ 7.98 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। स्कीमों की अपूर्णता ने सम्बंधित लाभार्थियों को पर्याप्त पेयजल सुविधा से वंचित रखा तथा व्यय 10 से 49 महीने निष्फल रहा।

सम्बंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मार्च-अगस्त 2014) कि स्कीम वन अनुमति प्राप्त न होने तथा अन्य भूमि/स्रोत झगड़ों, आदि के निपटान के बिना पूर्ण नहीं की जा सकी। उत्तर

[71] अर्की, घुमारवीं, मण्डी, नौहराधार, पधर, सुन्दरनगर व सुन्नी

स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि स्कीमों का निष्पादन आरम्भ करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए था।

2.3.9.4 जलापूर्ति स्कीम के निष्पादन पर निष्फल व्यय तथा परिहार्य हानि

मण्डी जिले में सदर क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा मुहैया करवाने को ब्यास नदी से गांव सुका कुन तथा इसके साथ के क्षेत्रों को तीन वर्षों के भीतर पूर्ण की जाने हेतु निर्धारित उठाऊ जलापूर्ति स्कीम हेतु ₹ 5.03 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान (अक्तूबर 2008) की गई। कार्य की तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में निष्पादन (दिसम्बर 2009) हाथ में लिया गया किन्तु ₹ 3.23 करोड़ का व्यय करने के बावजूद कार्य[72] जुलाई 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया था।

पुन: संवीक्षा दर्शाती है कि स्कीम के अंतर्गत पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति और निर्माण कार्य को छ: महीनों में पूर्ण करने की शर्त पर मण्डी की एक फर्म को ₹ 0.32 करोड़ में दिया गया (जनवरी 2011)। तथापि, फर्म निश्चित समय में पम्पिंग मशीनरी मुहैया करवाने में विफल रही तथा विभाग द्वारा अनुबंध के खण्ड 53 व 54 के अंतर्गत ठेके को ₹ 0.05 करोड़ की पेशगी राशि को जब्त करके रद्द (जून 2013) कर दिया गया।

विभाग ने पुन: उसी फर्म को मुख्य अभियंता (केन्द्रीय क्षेत्र) मण्डी के अनुमोदन के बिना ₹ 0.71 करोड़ का कार्य दे दिया (दिसम्बर 2013)। यद्यपि फर्म द्वारा पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति कर दी गई थी (मार्च 2014) किन्तु उसे पम्प घर का निर्माण न होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका था। फर्म को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से बहिष्कृत करने की बजाए विभाग द्वारा दोषी फर्म को वही कार्य पुन: देने की कार्रवाई तर्कसंगत नहीं थी, विभाग द्वारा दोषी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। अत: स्कीम को चालू न करने के कारण पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति एवं निर्माण में असाधारण विलम्ब के कारण ₹ 0.39 करोड़ की परिहार्य हानि के अतिरिक्त ₹ 3.23 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए अधिशाषी अभियंता ने बताया (अगस्त 2014) कि पम्पिंग मशीनरी प्राप्त करने में विलम्ब का कारण पम्पिंग मशीनरी के विशेष विवरण की समाकृति में विलम्ब था और संशोधित विशेष विवरण अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य देने से पूर्व विशेष विवरण पहलु को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

2.3.9.5 कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में स्कीमों का कार्यान्वयन

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाली सभी ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी। लेखापरीक्षा में निम्नांकित देखा:

- नमूना जांचित चार[73] मण्डलों में 2010-14 के दौरान अधिशाषी अभियंताओं ने अन्य राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत (नाबार्ड, पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, आदि) 13 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ किया और ₹ 6.41 करोड़ का व्यय किया। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत ₹ 11.00 करोड़ की आकलित लागत वाली इन स्कीमों को, यह जाने बिना कि इनका कार्यान्वयन अन्य राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत भी आरम्भ किया गया (मार्च 2010 तथा अप्रैल 2013

72 विंच कक्ष तथा रेल एवं ट्रॉली प्रणाली, रेपिड सेण्ड फिलटर बेड, राईजिंग मेन रॉ वाटर स्टेज आदि अभी भी अपूर्ण

73 बडसर, कुल्लू-I, मण्डी तथा पधर

के मध्य) और अगस्त 2014 तक उनके कार्यान्वयन पर ₹ 2.72 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

- नमूना जांचित पांच[74] मण्डलों में राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति ने फरवरी 2009 तथा जनवरी 2012 के मध्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 51 बस्तियों को आवृत करने हेतु ₹ 2.91 करोड़ की 12 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों को अनुमोदित किया था किन्तु इन स्कीमों का कार्यान्वयन आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि मण्डलों ने अन्य राज्य स्कीमों के अंतर्गत बस्तियों को आवृत्त किया था। इन स्कीमों को अगस्त 2014 तक भारत सरकार से बन्द नहीं करवाया गया जो विभाग की दोषपूर्ण योजना को दर्शाती है क्योंकि निधियों को अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों हेतु मुहैया करवाया जा सकता था।

अधिशासी अभियंता, कुल्लू-II ने बताया (अगस्त 2014) कि पहले स्वीकृत स्कीमों का कार्यान्वयन उनके स्रोतों पर झगड़ों के कारण नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस पहलू पर स्कीमों को स्वीकृत करने से पूर्व ध्यान दिया जाना चाहिए था। अन्य मण्डलों से उत्तर प्रतीक्षित थे।

2.3.9.6 गैर-अनुमत लागत वृद्धि

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कीमों की लागत वृद्धि भारत सरकार की निधियों में से अनुमत नहीं है तथा इस सम्बंध में व्यय राज्य के सामान्य बजट से वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांचित 12 मण्डलों[75] में ₹ 33.28 करोड़ की आकलित लागत पर स्वीकृत (अक्तूबर 2007 व जून 2011 के मध्य) 86 स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ अधिशासी अभियंताओं ने 2008-14 के दौरान ₹ 49.25 करोड़ का व्यय किया परिणामत: ₹ 15.97 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत लागत वृद्धि का वहन राज्य बजट की बजाए भारत सरकार की निधियों से किया गया।

2.3.9.7 वन भूमि के विचलन हेतु गैर-अनुमत व्यय

कार्यक्रम के दिशा-निर्देश गैर-वानिकी उद्देश्यार्थ वन भूमि के विचलन हेतु क्षतिपूर्ति के सम्बंध में व्यय करने की अनुमति नहीं देते।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांचित तीन मण्डलों[76] में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर 2007 तथा जून 2011 के मध्य ₹ 26.66 करोड़ की आकलित लागत अनुमोदित 13 जलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं द्वारा कार्यक्रम निधियों से गैर-वानिकी उद्देश्यार्थ वन भूमि के विचलनार्थ क्षतिपूर्ति वनरोपण, आदि के रूप में ₹ 63.34 लाख[77] का भुगतान किया गया (नवम्बर 2011 व मार्च 2014 के मध्य)। अतः, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत व्यय अनियमित था। अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि की (अप्रैल-जुलाई 2014) तथा बताया कि व्यय गलती से पुस्तांकित किया गया।

---

74 कुल्लू-I, कुल्लू-II, पधर, शिमला तथा सुन्दरनगर

75 आनी, अर्की, बड़सर, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, कुल्लू-I ,कुल्लू-II, मंडी, पधर, सुन्दरनगर व सुन्नी

76 मण्डी, पधर, व सुन्दरनगर

77 सम्पकूप, जल अभिक्रिया संयंत्र, पम्प घर, भण्डारण टैंकों, उत्थापक कूप, फिल्टर बेड आदि

2.3.9.8 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा शासित चिह्नित बस्तियों हेतु निधियों का अपवर्तन

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा शासित[78] बस्तियों हेतु क्रमशः कम से कम 25 *प्रतिशत* तथा 10 *प्रतिशत* निधियां चिह्नित करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अभियंता प्रमुख स्तर पर उपरोक्त बस्तियों हेतु चिह्नित निधियों का ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया। तथापि, नमूना जांचित छः मण्डलों[79] में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत अनुमोदित (अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य) 22 पेयजल आपूर्ति स्कीमों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा शासित बस्तियों हेतु चिह्नित ₹ 2.83 करोड़ की निधियां विभाग द्वारा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत 2009-14 के दौरान विभाग द्वारा उन बस्तियों पर प्रयुक्त की गई जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा शासित नहीं थी। अतः, सम्बद्ध लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे। अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए (जुलाई-अगस्त 2014) चूक के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.9.9 तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांचित 12 मण्डलों[80] में ₹ 88.20 करोड़ हेतु सितम्बर 2007 तथा नवम्बर 2013 के मध्य प्रशासकीय रूप से अनुमोदित 205 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें उनकी तकनीकी स्वीकृतियों प्राप्त किए बिना कार्यान्वयनार्थ ली गई, जिस पर जुलाई 2014 तक ₹ 27.38 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। स्कीमों का कार्यान्वयन उनकी व्यावहारिकता सुनिश्चितता के बिना अनियमित था।

सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मार्च-अगस्त 2014) कि भविष्य में आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृतियां स्कीमों को आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए थी।

2.3.9.10 दोषपूर्ण आकलनों को बनाना

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित सभी स्कीमों का कार्यान्वयन छः महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि बड़सर मण्डल में आंशिकतः आवृत्त 42 बस्तियों को जून 2011 के दौरान ₹ 3.07 करोड़ की लागत पर दो जलापूर्ति स्कीमों को अनुमोदित की गई। तथापि, स्कीमों को स्रोतों पर जल के कम निकलने के कारण मार्च 2014 तक कार्यान्वयनार्थ नहीं लिया गया। पुनः, अधिशासी अभियंता ने राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति से अनुमोदन लेते हुए आकलनों को बनाने से पूर्व क्षीण अवधि में स्रोतों पर जल की अपेक्षित प्रमात्रा की उपलब्धता निश्चित नहीं की। परिणामतः सम्बंधित लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

2.3.9.11 कार्यों का अलाभकारी कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांचित तीन मण्डलों[81] के अधिशाषी अभियंताओं ने चार जलापूर्ति स्कीमों का मुख्य भाग उनको 96 भागों/अनुबंधों (अनुमानित लागत: ₹ 1.25 करोड़) में विखण्डित करके 57 ठेकेदारों को ₹ 1.54 करोड़ की लागत पर दिया (जुलाई 2009 तथा मार्च 2014)। ठेकेदारों द्वारा दी गई निविदित दरें निविदा में भरी गई राशि से 29 *प्रतिशत* नीचे (28 मामले) तथा 301 *प्रतिशत* ऊपर

---

[78] अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित बस्तियों की 40 *प्रतिशत* जनसंख्या

[79] हमीरपुर, कुल्लू-I ,कुल्लू-II, मंडी, पधर, सुन्दरनगर व सुन्नी

[80] अर्की, बड़सर, बिलासपुर, देहरा, घुमारवीं, कुल्लू-II, नाहन, नौहराधार, शिमला-I, सोलन, सुन्दरनगर तथा सुन्नी

[81] कुल्लू-II, मण्डी तथा पधर

(68 मामले) के मध्य रहे। अत: प्रतिभागी दरों का लाभ प्रत्येक स्कीम हेतु चलायमान इकहरी निविदा द्वारा प्राप्त नहीं किया। स्कीमों के विखण्डन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया।

सम्बंधित मण्डल के अधिशासी अभियंताओं ने बताया (जुलाई-अगस्त 2014) कि स्कीमों को समय पर पूर्ण करने हेतु विखण्डित किया था और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य उनके विखण्डन पश्चात भी अपूर्ण थे।

2.3.9.12 कायमता के अंतर्गत स्कीमों का कार्यान्वयन

'कायमता' घटक के अंतर्गत कार्यों में टैंकों तथा पुराने कुंओं की गाद निकालना, वर्षा जल ग्रहण ढांचे, उप-तल बांधों का निर्माण, जल विभाजक, चैक डैम, अधिक शोषित क्षेत्रों में बोर वैल खुदाई का नियमन, आदि सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-14 के दौरान कायमता घटक के अंतर्गत कार्यान्वयनार्थ लिए गए 448 कार्यों (अनुमानित लागत: ₹ 41.21 करोड़) में से 133 कार्यां को ₹ 14.06 करोड़ के व्यय पश्चात पूर्ण किया गया और 315 कार्य अगस्त 2014 तक अपूर्ण पड़े हुए थे। स्कीम की अपूर्णता के परिणामस्वरूप इच्छित लाभों से लोगों के वंचित होने के अतिरिक्त ₹ 27.15 करोड़ का अवरोधन हुआ। समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाएगा।

2.3.9.13 जलापूर्ति स्कीमों का परिचालन एवं अनुरक्षण

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत के भीतर सभी जलापूर्ति स्कीमें ग्राम पंचायत द्वारा तथा बहु ग्रामीण अथवा अधिकांश जलापूर्ति स्कीमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुरक्षित की जानी थी और व्यय को सहायक कार्यकलाप निधियों से *जलरक्षक* को भुगतानों के प्रति खर्च नहीं किया जाना था जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यकलापों हेतु लगाए गए थे। लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

- विभाग ने पेयजल आपूर्ति स्कीमों पर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के वहनार्थ परिचालन एवं अनुरक्षण निधि पंचायती राज संस्थाओं को जारी नहीं की और 2009-14 के दौरान नमूना जांचित मण्डलों द्वारा वार्षिक परिचालन एवं अनुरक्षण योजनाएं नहीं बनाई गई। इसके अतिरिक्त, नमूना जांचित दो मण्डलों[82] में परिचालन एवं अनुरक्षण घटक के अंतर्गत आवंटित ₹ 0.22 करोड़ 2011-14 के दौरान नगर जलापूर्ति स्कीमों और बहाव सिंचाई स्कीमों के 18 कार्यों पर खर्च किए जो कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र से बाहर थे। समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि परिचालन एवं अनुरक्षण निधियां, जो नगर एवं जलापूर्ति स्कीमों पर प्रयुक्त की गई, परिशोधित की जाएगी।
- सात नमूना जांचित जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों[83] में ₹ 5.06 करोड़ का व्यय 2009-14[84] के दौरान भण्डारण टैंको के नीचे जलापूर्ति स्कीमों के परिचालनार्थ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए गए जल रक्षकों को भुगतान पर किया गया जोकि कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत था। निदेशक ने बताया (सितम्बर 2014) कि राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति के निर्णय अनुसार (अक्तूबर 2013) भुगतान जारी किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति का निर्णय कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

---

82 हमीरपुर तथा कुल्लू-I

83 बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू-I, मण्डी, नाहन, शिमला-I तथा सोलन

84 2009-10: ₹ 0.16 करोड़; 2010-11: ₹ 0.26 करोड़ 2011-12: ₹ 0.92 करोड़; 2012-13: ₹ 1.61 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 2.11 करोड़

2.3.9.14 केन्द्रीय आबकारी छूट प्राप्त न करने के कारण राज्य राजकोष को हानि

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार (सितम्बर 2002 तथा मई 2011 के मध्य), बिना जांच का जल इसके स्रोत से जल भण्डारण टैंक को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित पाईपों और वितरण नेटवर्क में प्रयुक्त 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर से अधिक के बाह्य ब्यास की पाईपों हेतु भी आबकारी शुल्क से छूट उपलब्ध थी।

यह देखा गया कि पांच नमूना जांचित मण्डलों[85] में, ठेकेदारों ने 2009-14 के दौरान सात स्कीमों के राईजिंग मेन हेतु माईल्ड स्टील इलेक्ट्रीक रेसिस्टिड वेल्डिड 10498 प्रवाही मीटर पाईपों की आपूर्ति की, उन्हें बिछाया एवं उन्हें जोड़ा। तथापि, विभाग द्वारा संविदा प्रलेखों में उत्पाद शुल्क छूट का कोई खण्ड सम्मिलित न करने के कारण विभाग उपरोक्त अवधि के दौरान आबकारी शुल्क छूट को प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण राज्य के राजकोष को हानि हुई।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि भविष्य में विभाग ठेकेदारों के माध्यम से पाईपों की खरीद करते समय केन्द्रीय आबकारी छूट प्राप्ति हेतु संविदा अनुबंध में आवश्यक खण्ड सम्मिलित करेगा।

2.3.10 सहायक कार्यकलाप

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायक कार्यकलापों की निधियां जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के अंतर्गत संचारण तथा क्षमता विकास यूनिटों द्वारा लिए जाने वाले जागरूकता, सृजन व प्रशिक्षण कार्यकलापों को सहायता मुहैया करवाने, जिला व उप मण्डलीय जल परीक्षण कार्यकलापों को सहायता मुहैया करवाने, जिला व उप मण्डलीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, साधारण जल गुणवत्ता परीक्षणों और सूचना प्रबंधन प्रणाली हेतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सहायता मुहैया करवाने का जिला एवं उप मण्डलीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में अधिक उत्तरदायित्व, प्रभावी अनुश्रवण तथा पारदर्शिता लाने को निचले स्तर के कर्मियों को फील्ड परीक्षण बैगों व प्रशिक्षण देने पर प्रयुक्त की जानी थी।

2.3.10.1 कार्यकलापवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष 2009-14 हेतु सहायक कार्यकलापों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का घटकवार ब्यौरा **तालिका-2.3.4** में दिया गया है।

तालिका- 2.3.4

वर्ष 2009-14 हेतु सहायक कार्यकलापों के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा

(संख्या में)

वर्ष	लक्ष्य					उपलब्धियां				
	सूचना, शिक्षा व संचारण	मानव संसाधन एवं विकास	उपकरण	हार्डवेयर	सामुदायिक प्रशिक्षण	सूचना, शिक्षा व संचारण	मानव संसाधन एवं विकास	उपकरण	हार्डवेयर	सामुदायिक प्रशिक्षण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2009-10	169994	189	13	52	0	60400	4	6	0	0
2010-11	891	1610	20	362	1722	5	1960	14	163	1722
2011-12	6044	1482	45	544	8859	21	7503	2	51	5345
2012-13	118981	7098	67	2754	6663	96610	3107	14	5	418
2013-14	117776	4630	84	869	5482	84416	5237	114	203	5930
योग	413686	15009	229	4581	22726	241452 (58)	17811 (119)	150 (66)	422 (9)	13415 (59)

स्रोत: सूचना जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन द्वारा दी गई

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

[85] आनी-दो स्कीमें-1520 प्रवाही मीटर एम.एस.ई.आर.डब्ल्यू. पाइपों सहित फ्लैंग; कुल्लू-1: एक स्कीम-2750 प्रवाही मीटर एम.एस.ई.आर.डब्ल्यू. पाइप; पधार-एक स्कीम-3004 प्रवाही मीटर; नौहराधार-एक स्कीम-400 प्रवाही मीटर एम.एस.ई.आर.डब्ल्यू. पाइप; सोलन-दो स्कीम-2824 प्रवाही मीटर एम.एस.ई.आर.डब्ल्यू. पाइप

तालिका-2.3.4 से देखा जाएगा कि मानव संसाधन एवं विकास के अंतर्गत 2009-14 के दौरान समग्र उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से उच्चतर थी। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचारण, उपकरण, हार्डवेयर तथा सामुदायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धियों में गिरावट क्रमश: 42, 34, 91 तथा 41 *प्रतिशत* की सीमा तक रही।

2.3.10.2 अनुसंधान एवं विकास

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त श्रमशक्ति तथा अवसंरचना सहित अनुसंधान एवं विकास कक्षों की स्थापना करना अपेक्षित था। कक्ष को राज्य तकनीकी एजेंसी और अनुश्रवण व मूल्यांकन यूनिटों के साथ सम्पर्क रखना तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रतिवेदनों का अध्ययन करना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2014 तक ऐसा कोई अनुसंधान एवं विकास कक्ष राज्य सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया।

2.3.11 जल गुणवत्ता अनुश्रवण तथा निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी घटक के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को उच्च स्तर पर नोडल इकाई, मध्यवर्ती स्तरों पर जिला प्रयोगशालाओं तथा निचले स्तरों पर ग्राम पंचायतों जैसे यूनिटों पर स्थापित किया जाना है। जिला प्रयोगशालाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर जांचे गए जल के नमूनों का कम से कम 30 *प्रतिशत* परीक्षण करना होता है तथा सभी मामलों में जहां लोगों द्वारा दूषण की सम्भावना सूचित की गई हो, जिला जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए सभी नमूनों का (सभी सकारात्मक परीक्षण किए गए नमूनों सहित) 10 *प्रतिशत* राज्य स्तर पर जांचा जाना होता है। ग्राम पंचायतों की अपनी फील्ड जांच किटों को बनाने की क्षमता तथा क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता अनुश्रवणार्थ पूर्ण परिचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व परिकल्पित किया गया है।

2.3.11.1 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना

लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

- उप-मण्डलीय स्तर पर ₹ 3.10 करोड़ की आकलित लागत पर 48 प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति केवल 14 प्रयोगशालाओं को 2009-14 के दौरान ₹ 0.38 करोड़ का व्यय करके स्थापित किया गया, परिणामत: 34 प्रयोगशालाओं (71 *प्रतिशत*) की कमी रही।
- ₹ 68.00 लाख के आकलित लागत पर 17 प्रयोगशालाओं (एक राज्य स्तर पर तथा 16 जिला स्तर पर) को सुदृढ़ करने के लक्ष्य के प्रति 2009-14 के दौरान ₹ 8.06 लाख का व्यय करके केवल 3 जिला प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ किया गया। परिणामत:, 14 प्रयोगशालाओं (82 *प्रतिशत*) की कमी रही जबकि सितम्बर 2014 तक जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों के पास ₹ 59.94 का अवरोधन हुआ।

इस प्रकार, प्रयोगशालाओं को स्थापित न करने के कारण विभाग राज्य में 2009-14 के दौरान लोगों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने में विफल रहा जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में इंगित है।

2.3.11.2 जल गुणवत्ता जांच

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पेयजल स्रोतों की जांच जीवाणु दूषण हेतु कम से कम वर्ष में दो बार तथा रसायन दूषणार्थ वर्ष में एक बार की जानी होती है। 2009-14 के दौरान जल स्रोतों पर किए जाने वाले जल गुणवत्ता के अपेक्षित परीक्षण, निर्धारित लक्ष्य व उसकी उपलब्धि का ब्यौरा **तालिका-2.3.5** में दिया गया है।

तालिका- 2.3.5

2009-14 के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षणों के लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा

वर्ष	जल स्रोतों की संख्या	अपेक्षित जल गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या	रसायनिक एवं जीवाणु परीक्षण		
			लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (*प्रतिशत*)
2009-10	138864	416592	0	532	--
2010-11	138864	416592	7200	5295	1905 (26)
2011-12	138864	416592	48000	8245	39755 (83)
2012-13	141798	425394	48000	9010	38990 (81)
2013-14	142347	427041	63000	48629	14371 (23)
योग		**2102211**	**166200**	**71711 (43)**	

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना

तालिका-2.3.5 से देखा गया कि परिकल्पना अनुसार 21,02,211 रसायनिक व जीवाणु परीक्षणों को किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 2010-14 के दौरान निर्धारित परीक्षणों के लक्ष्य आवश्यकताओं के अनुसार आनुपातिक नहीं किये गये तथा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि भी केवल 43 *प्रतिशत* सीमा तक रही। उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिशतता कमी 23 व 83 के मध्य रही। इस प्रकार, विभाग ने लोगों के लिए जल गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की तथा भारी संख्या में लोग जलजनित रोगों से संक्रमित हुए जैसाकि **परिच्छेद 2.3.11.4** में इंगित है।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रयोगशालाओं में उपयुक्त जल परीक्षण करवाकर गुणवत्तायुक्त जल सुविधा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया गया। तथ्य यह है कि विभाग ने कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त संख्या में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित/सुदृढ़ नहीं किया।

2.3.11.3 फील्ड परीक्षण किटें

फील्ड परीक्षण किटों का मुख्य उद्देश्य मूल रसायनिक तथा जीवाणु पैरामीटरों सहित जल की गुणवत्ता पर प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त करना था बशर्ते स्थापित प्रयोगशालाओं में तद्नन्तर परीक्षण के माध्यम से पुष्टि की जाए। इन किटों की प्रयुक्ति अनुदेशों का पालन करके अथवा साधारण प्रशिक्षण द्वारा किसी भी स्थान पर कोई भी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने 1,16,902 फील्ड परीक्षण किटों/शीशियों (रसायनिक फील्ड परीक्षण किटें: 6,225 तथा जीवाणु शीशियां: 1,10,677) का प्रापण किया तथा ₹ 2.77 करोड़ का कुल व्यय करके 2009-14 के दौरान 14,474 व्यक्तियों को फील्ड परीक्षण किटों का प्रशिक्षण दिलवाया। यह भी देखा गया कि 2009-10 के दौरान फील्ड परीक्षण किटों के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण करवाने के लक्ष्य नहीं रखे गए। वर्ष 2010-14 के लिए निर्धारित फील्ड परीक्षण किटों के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षणों[86] की 2,03,944 के लक्ष्यों के प्रति केवल 59,491 परीक्षण[87] (29 *प्रतिशत*) किए गए। इसके अतिरिक्त, विभाग ने स्थापित प्रयोगशालाओं में अनुवर्ती परीक्षणों की पुष्टि का ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया। निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2014) कर लिया।

2.3.11.4 जलजनित रोग

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2009-13 के दौरान राज्य में 20,96,851 मामले जलजनित रोगों[88] के तथा 83 मृत्यु के सामने आए जो अधिकांशत: अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित जल गुणवत्ता प्रबंधन में कमियों के कारण थे। इस प्रकार, उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल मुहैया करवाने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रहा।

86 2010-11: 24,000; 2011-12: 64,860; 2012-13: 78,084 और 2013-14: 37,000

87 2010-11: 524; 2011-12: 1,117; 2012-13: 7,789 और 2013-14: 50,061

88 डायरिया/डिसैन्टरी: 14,19,645; गास्ट्रोंटेरिटिस: 1,76,915; टाइफाईड: 4,95,829 तथा वाइरल हेपेटाइटिस: 4,462

2.3.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग द्वारा कार्यान्वयनार्थ लिए गए कार्यक्रमों का परिणाम व प्रभाव जानने हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र एक प्रभावपूर्ण साधन है। लेखापरीक्षा ने निम्नांकित कमियां देखी:

2.3.12.1 परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(i) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति के अनुमोदन से ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करना अपेक्षित था और विभाग को इन अध्ययन रिपोर्टों के प्रकाश में सुधारात्मक कदम उठाने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने कार्यक्रम के अंतर्गत 2009-14 के दौरान परियोजना अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्यकलाप नहीं किए।

(ii) राज्य सरकार को राज्य तकनीकी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यकलापों, अर्थात् ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं जो परियोजनाओं की कायमता पर मुख्य बल सहित थी। का नियमित अनुश्रवण तथा मूल्यांकन और मध्य-प्रक्रियागत शुद्धियों को करने, यदि अपेक्षित हो, हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2009-14 के दौरान राज्य तकनीकी एजेंसी के माध्यम से ऐसा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन नहीं करवाया गया।

2.3.12.2 अनुश्रवण एवं जांच यूनिट

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को फील्ड स्तर पर कार्यक्रम के गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण एवं जांच यूनिट स्थापित करना और जलापूर्ति स्कीमों के मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों को एकत्रित करना, ब्यौरा अनुरक्षण व समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा 2009-14 के दौरान अनुश्रवण एवं जांच यूनिट स्थापित नहीं किया गया। समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा बताया कि कार्यक्रम अनुश्रवण एवं जांच यूनिट का प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा।

2.3.12.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रत्येक छः मास पश्चात समुदाय आधारित संगठनों (ग्रामीण जलापूर्ति समिति/उपभोगी समूह) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी थी कि किए गए कार्य निर्देश के अनुसार हैं तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टी जानने हेतु मूल सूचकों के साथ-साथ अनुश्रवणार्थ स्थानीय विकसित मानदण्डों के अनुसार पुनर्निवेशन मुहैया किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के साथ-साथ व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं था। समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा।

2.3.12.4 अन्य कार्यक्रम/स्कीमों के साथ व्याप्ति

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना, आदि के साथ अभिसरण हेतु प्रावधान है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जल परीक्षणों को करने हेतु सहायता और महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ मजदूरों की सेवाओं की प्रयुक्ति में राज्य सरकार कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ अभिसरण का प्रावधान

नहीं किया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए (सितम्बर 2014) प्रमुख अभियंता ने इसके कारणों को नहीं बताया।

2.3.12.5 आवश्यकता/प्रयुक्ति जाने बिना पाईपों की खरीद

राज्य वित्तीय नियमावली के नियम 15.2 (ख) के अनुसार भण्डारण अत्यधिक मितव्ययी ढ़ंग तथा लोक सेवाओं की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना होता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान राज्य के सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत विभाग द्वारा आरम्भ की जा रही ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के निर्माण/अनुरक्षणार्थ ₹ 494.47 करोड़ की 97143.93 मीट्रिक टन जस्तेदार लोहे की पाईपों की खरीद की गयी। इसमें से कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विशिष्ट/पृथक आवश्यकता और उनकी वास्तविक प्रयुक्ति जाने बिना ₹ 263.66 करोड़ का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम लेखे को (भारत सरकार की निधियां) प्रभारित किया गया जो उपरोक्त नियमों के विपरीत था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2014) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से समेकित आवश्यकता मांगी गई थी तथा तद्नुसार आपूर्ति आदेश दिए गए और आवश्यकता को द्विशाखित करना सम्भव नहीं था। उत्तर राज्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत भण्डार का प्रापण पृथक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए था।

2.3.12.6 निरीक्षण

विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार ने उनके क्षेत्राधिकार[89] अधीन मण्डलों में कार्यों की प्रगति के निरीक्षण एवं अनुश्रवणार्थ अनुदेशों को जारी (जून 2006) किया।

नमूना जांचित 17 मण्डलों में 2009-14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अभियंताओं, अधीक्षक अभियंताओं तथा अधिशाषी अभियंताओं के द्वारा स्कीमों के 340, 1020 व 10,200 निर्धारित निरीक्षणों के प्रति क्रमश: 72, 246, 3253 निरीक्षण किए गए, परिणामत: 79, 76 और 68 *प्रतिशत* की कमी रही। स्पष्टत:, विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुश्रवण को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं किया गया था।

प्रमुख अभियंता तथा सम्बंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने इसके कारणों को नहीं बताया।

2.3.13 निष्कर्ष

विभाग की प्रबंधन योजना कमजोर थी क्योंकि 2009-14 के दौरान जन सांख्यिकी संबंधी, भौतिक रूपरेखा, जल स्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना तथा गांव के अन्य ब्यौरे से युक्त ग्रामीण एवं जिला जल सुरक्षा योजनाओं और पंचवर्षीय चल योजनाओं जैसी विस्तृत योजनाएं नहीं बनाई गई तथा विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की थी। वित्तीय प्रबंधन कुशल नहीं था क्योंकि निधियों को विलम्ब से जारी करना, भारत सरकर की प्रोत्साहन निधियों का अवसर खोना, निधियों का अपवर्तन, आवंटित निधियों की अप्रयुक्ति, आदि दृष्टांत देखे गए। राज्य में वर्ष 2012 तक पर्याप्त सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सहित सभी ग्रामीण बस्तियों को आवृत्त करने का लक्ष्य मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया था। उपयुक्त छानबीन, दोषपूर्ण आकलन, भूमि का अभिग्रहण न करना, कार्यों का अनुश्रवण न होना, आदि के बिना कार्यों को शुरू करने के कारण स्कीमों का समय तथा लागत बढ़ी। जल गुणवत्ता परीक्षण अपर्याप्त था क्योंकि अपेक्षित स्तरों तक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित/सुदृढ़ नहीं किया गया था। जीवाणु तथा रसायनिक प्रदूषण हेतु पेयजल स्रोतों के परीक्षणार्थ निर्धारित लक्ष्य राज्य में उपलब्ध स्रोतों की संख्या के अनुरूप नहीं थे। स्कीमों के आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु अनुश्रवण एवं जांच यूनिट स्थापित करने, समुदाय आधारित संगठनों द्वारा

[89] मुख्य अभियंता: तिमाही, अधीक्षण अभियंता: छमाही तथा अधिशासी अभियंता: 10 प्रति मास

सामाजिक लेखापरीक्षा करने, अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, आदि सहित आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान नहीं था।

2.3.14 सिफारिशें

सरकार/विभाग को ध्यान देना होगा:

(i) स्कीमों को अनुमोदित करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता, वन अनुमति और अन्य विधिक औपचारिकताओं से सम्बंधित सभी जांच सूचियों को बनाना सुनिश्चित करना;

(ii) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षणों को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर पर्याप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विद्यमान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना; तथा

(iii) स्कीमों की आवधिक प्रगति की समीक्षा हेतु अनुश्रवण व जांच यूनिट की स्थापना, समुदाय आधारित संगठन से सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना आदि द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना।

लेखापरीक्षा परिणामों को अक्तूबर 2014 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

शहरी विकास विभाग

2.4 नगर निगम, शिमला की कार्यप्रणाली

जलापूर्ति, सड़के, मलव्यवस्था प्रणाली, ठोस कचरे का एकत्रितकरण व निपटान, नालियों की सफाई, पार्किंग भूभाग, गली की लाईटें, आदि जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाना नगर निगम, शिमला का उत्तरदायित्व है। यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सिटी भी है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नांकित हैं:

मुख्य बातें:

- *योजना बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निगम ने वार्ड सभाएं तथा वार्ड समितियां गठित नहीं की थी। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएं एवं विकास योजनाएं भी नहीं बनाई गई थी।*

  (परिच्छेद 2.4.6.2 व 2.4.6.3)

- *2009-14 के दौरान ₹ 271.38 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति नगर निगम ने ₹ 242.53 करोड़ का व्यय किया, परिणामत: ₹ 28.85 करोड़ की बचतें हुई।*

  (परिच्छेद 2.4.7.1)

- *नगर निगम द्वारा वितरित पानी के लागत व वसूली प्रभारों के मध्य ₹ 55.24 करोड़ का अन्तर था और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित पानी के सम्बन्ध में ₹ 161.74 करोड़ के दायित्व बकाया थे। मार्च 2014 तक किराया, उपकर तथा भूमि, भवन, मोबाईल टावर व पार्किंग भूभाग पर कर के सम्बन्ध में ₹ 8.84 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था।*

  (परिच्छेद 2.4.9.2, 2.4.14.1, 2.4.14.3 से 2.4.14.5)

- *छः मल अभिक्रिया संयंत्रों को प्रतिष्ठापित क्षमता 35.63 मिलियन लीटर प्रतिदिन लगाने हेतु ₹ 74 करोड़ खर्च करने के बावजूद वास्तविक प्रयुक्ति 4.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (13 प्रतिशत) थी, परिणामत: बिना अभिक्रिया मलजल बिना निकासी रहा तथा खुले में छोड़ दिया गया।*

  (परिच्छेद 2.4.10.1)

- *अनाधिकृत निर्माण को रोकने तथा पता लगाने का तंत्र अपर्याप्त था। पता लगाए गए मामलों में भी (73 प्रतिशत लम्बित) नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई थी।*

  (परिच्छेद 2.4.14.2)

- *जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत ₹ 24 करोड़ से स्वीकृत 636 निवास युनिटों में से केवल 40 यूनिट पूर्ण किए गए, 136 प्रगतिरत थे और शेष 460 यूनिटों के कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किए गए।*

  (परिच्छेद 2.4.17.1)

- *जुलाई 2014 तक हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार परियोजनाओं/स्कीमों, आदि के अनुश्रवण एवं निरीक्षणार्थ आवधिक तन्त्र विद्यमान नहीं था।*

  (परिच्छेद 2.4.18.1)

2.4.1 परिचय

नगर निगम, शिमला भारत की प्राचीनतम् नगर पालिकाओं में से एक है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.70 लाख की जनसंख्या सहित 32.30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आवृत्त करती है। नगर निगम की प्रभावपूर्ण कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया (अक्तूबर 1994)। अधिनियम के अनुसार नगर निगम के अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य कार्यों में सम्मिलित थे:

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं का बनाना;
- जलापूर्ति, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबन्धन;
- शहरी योजना, भवनों, सड़कों एवं पुलों का निर्माण;
- गन्दी बस्ती सुधार एवं उन्नयन तथा शहरी गरीबी उपशमन;
- गली की लाईटे, पार्किंग भूभाग तथा जन परिवहन सहित जन सुख-सुविधाएं।

शिमला शहर को 25 पार्षद वार्डो में बांटा गया है और यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत एक मिशन सिटी भी है।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रशासकीय मुखिया है। दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के उद्देश्यार्थ सभी कार्यकारी एवं प्रशासकीय शक्तियां उसमें निहित है। नगर निगम आर्गेनोग्राम नीचे दिया गया है:

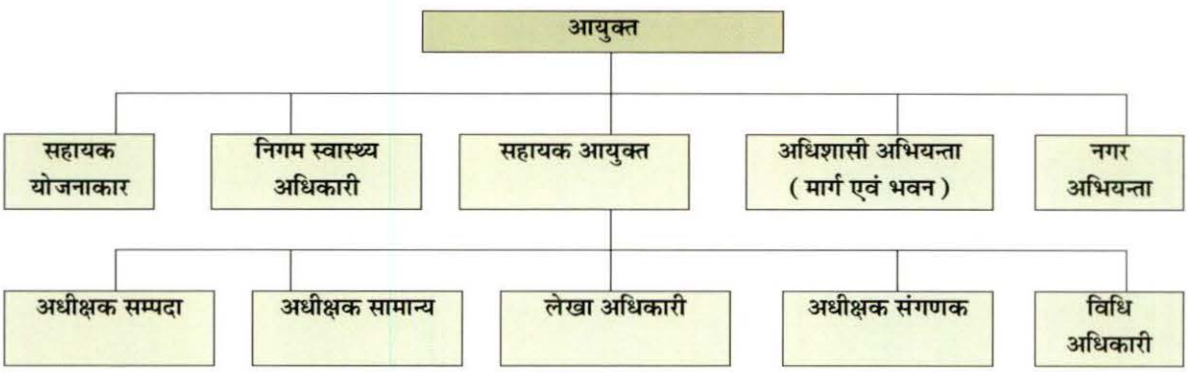

नगर निगम की गठित विधायिका में मेयर, उप मेयर तथा 28 पार्षद (निर्वाचित: 25 और नामित: 03) सम्मिलित है। नगर निगम के दैनिक कार्यों को करने हेतु मुख्य निर्णयों को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

नगर निगम के लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से निर्धारण करना था कि क्या:

- विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी योजना तथा कार्यक्रम प्रबन्धन विद्यमान है;
- नगर निगम में आवंटित प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में कुशल वित्तीय प्रबन्धन विद्यमान है और संसाधन अधिकांशत: प्रयुक्त किए गए;
- जलापूर्ति, मलजल/ठोस कचरे का निपटान, प्राप्तियों का एकत्रीकरण, भवनों के निर्माण की जांच, आदि का निष्पादन प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा रहा था; और
- आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र विद्यमान था।

2.4.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति एवं पद्धति

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर 2009-14 की अवधि से आवृत्त निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2014 से जुलाई 2014 के दौरान किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में नगर निगम कार्यों के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा इसके आदेश-पत्र के संदर्भ में नगर निगम के निष्पादन का निर्धारण आवृत्त था।

20 मई 2014 को आयोजित प्रारम्भिक बैठक में नगर निगम के आयुक्त के साथ लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा पद्धति पर चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास के साथ दिसम्बर 2014 में आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई और सरकार के विचार प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किए गए।

2.4.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

नगर निगम की कार्यप्रणाली के निर्धारणार्थ प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नांकित स्रोतों से लिये गए:

- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994;
- राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं एवं अनुदेश;
- नगर निगम, शिमला की प्रशासकीय नियम पुस्तिका व विभाग की अन्य नियम पुस्तिका/ नीतियां/नियम एवं विनियम; और
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

लेखापरीक्षा परिणाम

2.4.6 योजना

2.4.6.1 शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तान्तरण

संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में पांच वर्षों में एक बार नगर निगम के चुनावों को करवाने तथा 18 कार्यों के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है (**परिशिष्ट-2.2**)।

अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि नगर निगम के चुनाव नियमित हो रहे थे। तथापि, केवल 12 कार्य नगर निगम द्वारा पूर्णतः किए जा रहे थे, तीन आंशिक रूप से तथा शेष तीन जुलाई 2014 तक सरकार द्वारा (**परिशिष्ट-2.2**) नगर निगम को अंतरित नहीं किए गए थे।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (अप्रैल 2014) कि छोड़े गए कार्यों को राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा था। सच्चाई यह है कि शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण से सम्बन्धित 74वें संशोधन अधिनियम को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया।

2.4.6.2 वार्ड सभाओं तथा वार्ड समितियों की स्थापना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में एक वर्ष में दो बैठकों में वार्डों की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने हेतु वर्ष के दौरान वार्ड की मतदाता सूचियों में सभी व्यक्तियों सहित प्रत्येक वार्ड में वार्ड

सभा के गठनार्थ प्रावधान है। इसी भांति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में विभिन्न कार्यों[90] को करने हेतु वार्ड सभा द्वारा नामित किए जाने वाले अध्यक्ष के रूप में वार्ड पार्षद तथा नौ प्रवर सदस्यों से युक्त नगर निगम सदन के गठन के छः महीनों के भीतर प्रत्येक वार्ड हेतु वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है। वार्ड के विकासात्मक मामले और योजनाओं की चर्चा हेतु वार्ड समिति की द्विमासिक बैठकें करवाई जानी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जुलाई 2014 तक 25 वार्डों में से किसी ने भी वार्ड सभाओं तथा वार्ड समितियों (दो[91] वार्डों को छोड़कर) का गठन नहीं किया। वार्ड सभाओं की अनुपस्थिति में दो वार्ड समितियों का गठन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। वार्ड समितियों के गठन न करने के कारण परिकल्पित कार्यों का निष्पादन प्रभावपूर्ण नहीं किया गया जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित है।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (अप्रैल 2014) कि इस सम्बन्ध में पार्षदों को अनुदेश जनवरी 2013 और दिसम्बर 2013 में जारी कर दिए गए थे। उत्तर में वार्ड सभाओं तथा वार्ड समितियों के गठन न करने के कारण नहीं बताए गए।

2.4.6.3 वार्षिक कार्य योजनाएं तथा विकास योजनाएं न बनाना

राज्य सरकार की कार्यालय नियम पुस्तिका में नगर निगम को कार्यक्रमों के उपयुक्त एवं सुव्यवस्थित वैचारिकता तथा कार्यान्वयनार्थ वार्षिक कार्य योजनाओं को बनाना अपेक्षित है। पुनः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार प्रत्येक नगर निगम को जिले की विकास योजना में समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक नगर निगम द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए विकास योजना बनाना अपेक्षित होता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि नगर निगम द्वारा 2009-14 के दौरान न तो वार्षिक कार्य योजना न ही जिला योजना बनाई गई थी। परिणामतः, नगर निगम द्वारा विकासात्मक कार्यों/स्कीमों को तदर्थ आधार पर कार्यान्वित करवाया गया।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण जिला योजना/वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाई जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजनाएं न बनाने के कारण इसके कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमा रहा जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में दिया गया है।

2.4.7 वित्तीय प्रबन्धन

2.4.7.1 संसाधन एवं व्यय

नगर निगम की 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु संसाधनों एवं निधियों की प्रयुक्ति की वर्षवार स्थिति **तालिका-2.4.1** तथा **2.4.2** में दी गई है।

90 वार्षिक वार्ड योजना बनाना, विभिन्न विकासात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन, वार्ड में ठोस कचरा प्रबन्धन में सहायता देना, जलापूर्ति व गली की लाईटों की व्यवस्था में कमियों का पता लगाना, स्वच्छता कार्य का निरीक्षण, कला, संस्कृति एवं क्रीड़ा कार्यकलापों को प्रोत्साहन, निगम को समय पर निगम को देय करों, फीसों और अन्य देय बकाया आदि को एकत्रित करने में सहायता

91 सितम्बर 2012 में वार्ड संख्या तीन और पांच

तालिका- 2.4.1
नगर निगम का 2009-14 के दौरान संसाधनों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

प्राप्ति शीर्ष	निधियों की उपलब्धता की वर्षवार स्थिति					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अपनी आय (सम्पत्ति कर, दुकान किराया, पार्किंग फीस, संयोजित फीस, टॉवर फीस, पानी प्रभार आदि)	32.60	32.27	34.38	36.97	28.41	164.63
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें*	5.37	1.58	20.68	9.34	25.02	61.99
राज्य प्रायोजित स्कीमें	4.79	11.05	17.57	7.90	3.45	44.76
कुल	**42.76**	**44.90**	**72.63**	**54.21**	**56.88**	**271.38**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

* टिप्पणी: ये आंकड़े नगर निगम बजट के अनुसार हैं और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सीधे अंतरित निधियों को सम्मिलित नहीं करते।

तालिका- 2.4.2
वर्ष 2009-14 के दौरान निधियों के अनुप्रयोग का ब्यौरा

(₹ करोड़)

व्यय शीर्ष	किए गए व्यय का वर्षवार विखण्डन					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
वेतन एवं मज़दूरी	25.13	27.82	33.42	37.48	29.41	153.26
प्रशासन	12.77	20.62	3.91	2.32	1.47	41.09
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	0.91	0.40	9.17	1.60	13.36	25.44
राज्य प्रायोजित स्कीमें	4.03	5.43	7.17	3.09	3.02	22.74
कुल	**42.84**	**54.27**	**53.67**	**44.49**	**47.26**	**242.53**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

टिप्पणी: वर्ष 2012-13 व 2013-14 के आंकड़े नगर निगम द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप न देने के कारण अनन्तिम हैं।

तालिका-2.4.1 तथा **2.4.2** के ब्यौरे का विश्लेषण निम्नांकित दर्शाता है:

- नगर निगम के समग्र संसाधनों में 2009-10 के दौरान ₹ 42.76 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 56.88 करोड़ तक की 33 *प्रतिशत* वृद्धि हुई। तथापि नगर निगम की अपनी आय 2009-10 में ₹ 32.60 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 28.41 करोड़ (13 *प्रतिशत*) रह गई।
- 2009-14 के दौरान ₹ 271.38 करोड़ की निधियों की कुल उपलब्धता के प्रति नगर निगम ने मार्च 2014 तक ₹ 28.85 करोड़ के (11 *प्रतिशत*) अव्ययित शेष को छोड़ते हुए ₹ 242.53 करोड़ (89 *प्रतिशत*) खर्च किए। पुन: 2009-14 हेतु आकस्मिक अग्रिमों के सम्बन्ध में ₹ 9.42 करोड़ असमायोजित पड़े हुए थे जैसाकि **परिच्छेद 2.4.7.4** में विवर्णित है। अत: बचतों को कुछ सीमा तक घटाया जा सकता था।
- नगर निगम द्वारा जुलाई 2014 तक 2012-13 तथा 2013-14 के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया था जो कि नगर निगम में व्यय पर नियन्त्रण की कमी इंगित करता है। आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि सम्बंधित स्कंधों से अतिरिक्त सूचना की कमी के कारण लेखे नहीं बनाए गये।

2.4.7.2 बजट आकलनों का बनाना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1994 में बजट आकलनों को वार्षिक रूप से बनाने और राज्य सरकार को उसको प्रस्तुत करने, आकलनों के पूर्ववर्ती वर्ष के फरवरी के अंतिम सप्ताह से अधिक विलम्बित नहीं, का प्रावधान है जिससे उनकी राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च से पूर्व अनुमोदन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान नगर निगम ने बजट आकलनों की समय पर प्रस्तुत नहीं किया तथा 12 से 44 दिनों के मध्य का विलम्ब था जिससे बजट आकलनों के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन में 10 से 81 दिनों के मध्य का अपरिहार्य विलम्ब हुआ जो बजट आकलनों की समय पर न बनाने तथा अनुमोदित न करने को इंगित करता है। यह नगर निगम में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

आयुक्त ने बताया (मई 2014) कि स्टाफ कमी के कारण अनुसूचित तिथियों की पालना नहीं की जा सकी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बजट आकलनों को निर्धारित समय सारणी के भीतर बनाना तथा प्रस्तुत करना चाहिए था।

2.4.7.3 स्थापना एवं अन्य प्रशासकीय लागतें

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 75 (1) के प्रावधानानुसार नगर निगम को इसके कुल व्यय की एक तिहाई सीमा तक स्थापना व्यय करना अपेक्षित था।

यह देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत 2009-14 के दौरान स्थापना पर ₹ 80.84 करोड़ के अपेक्षित व्यय (₹ 242.53 करोड़ के कुल व्यय का एक तिहाई) के प्रति नगर निगम ने 153.26 करोड़ का व्यय किया परिणामत: ₹ 72.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। उपरोक्त अवधि के दौरान स्थापना खर्चे कुल व्यय के 51 से 84 *प्रतिशत* के मध्य हुए। अत:, नगर निगम ने 2009-14 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कम व्यय किए।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि जनवरी 2006 से वेतनमानों के संशोधन के कारण स्थापना व्यय उच्चतर रहा। उत्तर को इन तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि 2013-14 के दौरान प्राप्तियों में भारी कमी थी और नगर निगम ने 2009-14 के दौरान इसको देय विभिन्न प्राप्तियों के एकत्रीकरण को सुनिश्चित करने हेतु **(परिच्छेद 2.4.14.1 तथा 2.4.14.4)** प्रभावी पग नहीं उठाए।

2.4.7.4 आकस्मिक अग्रिमों का असमायोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष जो सामान खरीदने अथवा सेवाएं लेने हेतु या यथानिर्धारित किसी अन्य विशेष उद्देश्यार्थ अग्रिमों की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया गया था। पुन: उक्त नियमावली के नियम 189 के अंतर्गत उपबन्ध 3 के अनुसार बकायों सहित समायोजन बिलों को, यदि कोई हो, अग्रिम आहरण के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होता है।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि नगर सीमाओं के भीतर विभिन्न विकास कार्यकलापों को चलाने हेतु स्वीकृत ₹ 23.95 करोड़ के 3790 आकस्मिक अग्रिम 31 मार्च 2014 तक सरकारी विभागों, अधिकारियों/कर्मचारियों, ठेकेदारों, आदि के प्रति समायोजनार्थ लम्बित थे। लम्बित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका-2.4.3** में दिया गया है।

तालिका- 2.4.3
लम्बित आकस्मिक अग्रिम का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़)

क्रमांक	लम्बन	अग्रिमों की संख्या	राशि
1.	10 वर्षों से अधिक	2838	8.50
2.	पांच वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्षों से कम	496	6.03
3.	एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्षों से कम	407	8.33
4.	एक वर्ष से कम	49	1.09
कुल		**3790**	**23.95**

स्रोत: नगर निगम द्वारा आपूरित सूचना

लम्बन नगर निगम की भारी राशियों से अंतर्ग्रस्त अग्रिमों के समायोजन सम्बंधित विधिक प्रावधानों को लागू करने में ढ़िलाई को इंगित करता है।

आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि बकाया अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु कठोर पगों को उठाने के सभी सम्बंधियों को अनुदेश जारी किए जा चुके थे।

2.4.8 मानव संसाधन प्रबंधन

2.4.8.1 स्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत कर्मी

नगर निगम में मार्च 2014 को स्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत कर्मियों की समग्र स्थिति **तालिका**- **2.4.4** में दी गई है।

तालिका- 2.4.4
स्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत कर्मियों की स्थिति

(संख्या में)

स्टाफ श्रेणी	स्वीकृत स्टाफ	कार्यरत	स्टाफ स्थिति आधिक्य (+) कमी (-)
तकनीकी (ग्रुप ए, बी व सी)	155	146	(-) 09 (06)
गैर-तकनीकी (ग्रुप ए व बी)	12	05	(-) 07 (58)
गैर-तकनीकी (ग्रुप सी)	126	83	(-) 43 (34)
ग्रुप डी	812	870	(+) 58 (07)

स्रोत: नगर निगम द्वारा आपूरित सूचना

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता इंगित करते हैं।

यह देखा जा सकता है कि मार्च 2014 को विभिन्न ग्रुपों के अंतर्गत तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ के संवर्गों में जनशक्ति संसाधनों की कमी 6 से 58 *प्रतिशत* के मध्य थी। लिपिक संवर्ग (ग्रुप सी) में स्टाफ की कमी से नगर निगम के प्रतिदिन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, ग्रुप डी के संवर्ग में सात *प्रतिशत* की सीमा तक अधिक स्टाफ था।

आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि ग्रुप डी संवर्ग के अंतर्गत अधिक स्टाफ राज्य सरकार की नीति के अनुसार लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु दैनिक भोगी स्टाफ के नियमितीकरण, नियोजित करने के कारण था।

2.4.9 कार्यक्रम प्रबंधन

2.4.9.1 जलापूर्ति प्रणाली

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति नगर निगम का एक प्रधान कार्य है।

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने जलापूर्ति हेतु सेवा स्तरीय बेंचमार्कों को आरम्भ किया। इन बेंचमार्कों के मुख्य उद्देश्य अंतिम उपभोक्ता तक सेवाओं के वितरण में सुधार करना था। वर्ष 2012-14 के दौरान सेवा स्तरीय बेंचमार्कों तथा उनके प्रति उपलब्धियों को **तालिका-2.4.5** में दिया गया है।

तालिका- 2.4.5

क्रमांक	सूचक	बेंचमार्क	वास्तविक उपलब्धि
1.	जलापूर्ति कनेक्शनों की व्याप्ति	100 *प्रतिशत*	80 *प्रतिशत*
2.	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति	135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
3.	पानी कनेक्शनों के मीटरिंग की सीमा	100 *प्रतिशत*	70 *प्रतिशत*
4.	गैर-राजस्व पानी की सीमा	20 *प्रतिशत*	45 *प्रतिशत*
5.	जलापूर्ति की निरन्तरता	24 घंटें	1.20 घंटें
6.	आपूरित पानी की गुणवत्ता	100 *प्रतिशत*	100 *प्रतिशत*
7.	ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80 *प्रतिशत*	100 *प्रतिशत*
8.	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली	100 *प्रतिशत*	100 *प्रतिशत*
9.	जलापूर्ति सम्बंधित प्रभारों के एकत्रीकरण में दक्षता	90 *प्रतिशत*	80 *प्रतिशत*

स्रोत: नगर निगम द्वारा आपूरित सूचना

उपरोक्त सेवा स्तर बेंचमार्कों के प्रति जलापूर्ति से सम्बंधित निम्नांकित कमियां ध्यान में आई:

- मानकों के अनुसार उपभोक्ताओं को 135 लीटर पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति की जानी थी जबकि नगर निगम ने 2009-14 के दौरान 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपूरित किया, परिणामत: उपभोक्ताओं को 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम पानी की आपूर्ति हुई।

- सेवा स्तर बेंचमार्कों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता का पानी कनेक्शन मीटर युक्त होना चाहिए। किन्तु नगर निगम, शिमला ने अक्तूबर 2012 से आगे समान दर पानी वितरण प्रणाली अपनाई।

- निष्पादन सूचकों के अनुसार पानी की आपूर्ति 24 घण्टों करना अपेक्षित था जबकि नगर निगम, शिमला प्रतिदिन केवल 1.20 घण्टे पानी की आपूर्ति कर रहा था।

- निगम द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता 100 *प्रतिशत* उपलब्धि दर्शाई गई थी तथापि, निगम पानी के नमूनों की जांच या तो इसकी अपनी प्रयोगशालाओं से अथवा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशालाओं से करवा रहा था और पानी की जांच हेतु, जिस एजेंसी से पानी प्राप्त किया जा रहा था उसके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र तंत्र/एजेंसी नहीं थी।

- पानी आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली की दर्शाई गई 100 *प्रतिशत* उपलब्धता गलत थी क्योंकि निगम को **परिच्छेद 2.4.9.3** में उल्लेख के अनुसार वितरण के दौरान पानी रिसाव के कारण ₹ 71.51 लाख की हानि उठानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, नगर निगम द्वारा उपरोक्त

अवधि के दौरान दिए गए ₹ 45.27 करोड़ के बिलों में से ₹ 40.78 करोड़ एकत्रित किए गए जिसके कारण ₹ 4.49 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

- बेंचमार्कों के अनुसार, नगर निगम द्वारा आपूरित कुल पानी के 20 *प्रतिशत* तक गैर-राजस्व पानी की आपूर्ति की जानी अपेक्षित थी। तथापि, नगर निगम ने 2009-14 के दौरान 45 *प्रतिशत* गैर-राजस्व पानी की आपूर्ति की जोकि परिणामत: ₹ 24.00 करोड़[92] की हानि सहित निर्धारित सीमा से 25 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण पर्याप्त नहीं था जैसाकि **परिच्छेद 2.4.13** में वर्णित है।

आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि पानी की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए दिन में 24 घण्टें पानी मुहैया करवाना सम्भव नहीं था। तथापि, सच्चाई यह है कि नगर निगम ने मानकों के अनुसार उपभोक्ताओं को पानी मुहैया नहीं करवाया था।

2.4.9.2 पानी प्रभारों की लागत एवं वसूली के मध्य अंतर

(i) नगर निगम, शिमला द्वारा राज्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से पानी प्राप्त किया जाता है। जलापूर्ति स्कीमों का परिचालन एवं अनुरक्षण भी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम का उत्तरदायित्व घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु पानी का वितरण करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि नगर निगम द्वारा 2009-14 के दौरान ₹ 96.02 करोड़ की लागत का 6.67 करोड़ किलो लीटर पानी प्राप्त किया गया था जिसके प्रति अंतिम उपभोक्ताओं से पानी प्रभारों के सम्बंध में नगर निगम ने ₹ 40.78 करोड़ की राशि वसूल की, परिणामत: पानी प्रभारों की लागत तथा वसूली के मध्य अंतर के कारण ₹ 55.24 करोड़ की हानि हुई। तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि हानि के कारण उपभोक्ताओं को गैर-राजस्व पानी की आपूर्ति करना और सर्दियों में पानी के मीटरों में आई खराबी थे। तथापि, सच्चाई यह है कि नगर निगम पानी प्रभारों की लागत व वसूली के मध्य अंतर कम करने में विफल रहा।

(ii) अभिलेखों की संवीक्षा पुन: दर्शाती है कि ₹ 164.70 करोड़ (1 अप्रैल 2009 को अथ शेष ₹ 52.97 करोड़ तथा 2009-14 के दौरान दिए गए बिल: ₹ 111.73 करोड़) नगर निगम द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी की आपूर्ति हेतु भुगतान की जानी थी, जिसमें से 2009-14 के दौरान ₹ 2.96 करोड़ का भुगतान किया गया और मार्च 2014 को ₹ 161.74 करोड़ शेष राशि बकाया थी। यह इस तथ्य का द्योतक था कि नगर निगम ने उपरोक्त अवधि के दौरान पानी प्रभारों के दायित्व का वहन नहीं किया था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि वित्तीय कठिनाई तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी प्रभारों में वृद्धि के कारण नगर निगम समय पर भुगतान नहीं कर सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर निगम को दरों के संशोधन, बकायों की वसूली, आदि द्वारा अपने वित्त बढ़ाने की सम्भावना ढूंढनी चाहिए थी।

---

92 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से खरीदे गए ₹ 96.02 करोड़ की लागत के कुल पानी के 25 *प्रतिशत* की दर पर

2.4.9.3 पानी की अल्प प्राप्ति के कारण हानि

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम को नगर क्षेत्र के भीतर पानी की पर्याप्तता व स्वास्थ्यकारिता का पता लगाना और उचित लागत पर अंतिम उपभोक्ता तक पानी मुहैया करवाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने 2009-14 के दौरान 6.72 करोड़ किलो लीटर पानी की आपूर्ति की जिसके प्रति नगर निगम, शिमला द्वारा 6.67 करोड़ किलो लीटर पानी प्राप्त किया गया जिससे मुख्य जलाशयों से 0.05 करोड़ किलो लीटर पानी की अल्प प्राप्ति हुई परिणामत: नगर निगम को ₹ 71.51 लाख की हानि हुई। यह भी देखा गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए तथा नगर निगम द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए पानी की प्रमात्रा मापने हेतु पानी के मीटर अप्रैल 2014 तक नहीं लगाए गए।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (अप्रैल 2014) कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूर्ति की जा रही पानी की प्रमात्रा पम्पों से निकले पानी के अनुपात पर गणित की गई थी। उत्तर यथातथ्य नहीं है क्योंकि नगर निगम को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित पानी की उचित प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए था।

2.4.10 सीवर व्यवस्था प्रणाली

2.4.10.1 सीवर जल अभिक्रिया संयंत्रों की अवप्रयुक्ति

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2005 में किए गए अध्ययन के अनुसार शहर में उत्पन्न सीवर जल की प्रमात्रा का अनुमान 177 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगाया गया था। वर्ष 2011 की 1.70 लाख की आवासीय जनसंख्या हेतु नगर में उत्पन्न हो रहे सीवरजल का स्तर 30.09 मिलियन लीटर प्रतिदिन था । अक्तूबर 2005 में ₹ 74 करोड़ के व्यय से 35.63 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले छ:[93] सीवर जल अभिक्रिया संयंत्रों को प्रारम्भ किया गया था।

तथापि, यह देखा गया कि मार्च 2014 को सीवरजल अभिक्रिया संयंत्रों की प्रयुक्ति क्षमता स्थापित 35.63 मिलियन लीटर अधिष्ठापन क्षमता के प्रति केवल 4.8 मिलियन लीटर पेयजल (13 *प्रतिशत*) थी। उत्पन्न मलजल की निकासी न होना तथा इसकी सीवरजल अभिक्रिया संयंत्रों पर अल्प प्राप्ति का न होना/जोड़ों का टूटना, पाईपों का पुराना होना, और बहुत स्थानों पर सीवरव्यवस्था नेटवर्क का विद्यमान न होना मुख्य कारण थे। अभिक्रिया बिना मलजल, जो बिना निकासी के था, खुले में छोड़ दिया गया जिससे पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ। अत:, छ: सीवरजल अभिक्रिया संयंत्रों की स्थापना पर ₹ 74 करोड़ खर्च करने के बावजूद प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मुहैया करवाने तथा निकासी स्थलों पर जलस्रोत अनुप्रवाह के दूषण की जांच के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

समापन बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विस्तृत सीवरव्यवस्था नेटवर्क की कल्पना और कार्यान्वयनार्थ पग उठाए जा रहे थे।

---

93 लालपानी: 19.35 मिलियन लीटर प्रतिदिन; संजौली मल्याणा: 4.44 मिलियन लीटर प्रतिदिन; ढ़ली 0.76 मिलियन लीटर प्रतिदिन; स्नोडन: 1.35 मिलियन लीटर प्रतिदिन; नार्थ डिस्पोजल: 5.80 मिलियन लीटर प्रतिदिन तथा समरहिल: 3.93 मिलियन लीटर प्रतिदिन

2.4.11 ठोस कचरा प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार ठोस कचरा प्रबन्ध नगर निगम का आवश्यक कार्य है। उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नगर निगम ने 2006 में प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रित करने का कानून बनाया। इन उपनियमों को लागू करवाना शिमला पर्यावरण धरोहर संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। ठोस कचरा अभिक्रिया सुविधा तारादेवी-टुटू बाईपास पर भरगाल में जब निजी भागीदारी पद्धति पर जून 2013 से आगे परिचालित की जा रही है।

ठोस कचरा प्रबंधन सूचकांकों हेतु शहरी विकास मंत्रालय के बेंचमार्क तथा 2012-14 के दौरान उनके प्रति उपलब्धियां **तालिका-2.4.6** में दी गई हैं।

तालिका- 2.4.6

क्रमांक	सूचक	बेंचमार्क	वास्तविक उपलब्धि
1.	ठोस कचरा प्रबन्धन सेवा की परिवार स्तर व्याप्ति	100 *प्रतिशत*	85 *प्रतिशत*
2.	नगर ठोस कचरा एकत्रीकरण की दक्षता	100 *प्रतिशत*	78 *प्रतिशत*
3.	एकत्रित नगर ठोस कचरा की सीमा	80 *प्रतिशत*	15 *प्रतिशत*
4.	नगर ठोस कचरा पृथक्करण की सीमा	100 *प्रतिशत*	10 *प्रतिशत*
5.	नगर ठोस कचरा निपटान की वैज्ञानिक सीमा	100 *प्रतिशत*	शून्य
6.	उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में दक्षता	80 *प्रतिशत*	74 *प्रतिशत*
7.	नगर ठोस कचरा सेवा में लागत वसूली की सीमा	100 *प्रतिशत*	10 *प्रतिशत*
8.	नगर ठोस प्रभारों के एकत्रीकरण में दक्षता	90 *प्रतिशत*	44 *प्रतिशत*

स्रोत: नगर निगम द्वारा आपूरित सूचना

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि ठोस कचरा प्रबन्धन सेवा एवं निगम ठोस कचरा एकत्रीकरण की परिवार पर व्याप्ति 2012-14 के दौरान बेंचमार्कों के प्रति 15 से 22 *प्रतिशत* कम थी। उपरोक्त अवधि के दौरान ठोस कचरा प्रबन्धन का एकत्रीकरण, पृथक्करण, लागत वसूली और प्रभारों के एकत्रीकरण में दक्षता 10 तथा 44 *प्रतिशत* के मध्य रही। उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के प्रति उपलब्धि निगम द्वारा 74 *प्रतिशत* दर्शाया गया/तथापि, समय पर शिकायत पंजिकाओं के अनुचित अनुरक्षण के कारण शिकायतों का समाधान **परिच्छेद 2.4.13** में उल्लिखित अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सका। निगम ठोस कचरा का वैज्ञानिक निपटान के बेंचमार्क के प्रति 2012-14 के दौरान कोई उपलब्धि नहीं थी। ठोस कचरा प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नांकित कमियां देखने को मिलीं:

- यह देखा गया कि 2009-14 के दौरान 1,31,218 टन[94] (लगभग) कूड़ा उत्पन्न हुआ जिसके प्रति नगर निगम द्वारा 1,24,100 टन कूड़ा एकत्रित किया गया, परिणामत: 7,118 टन कूड़ा कम एकत्रित हुआ। केवल 1,04,025 टन कूड़ा अभिक्रिया हेतु ढोया गया तथा शेष 27,193 टन कूड़ा निपटान/अभिक्रिया के बिना रहा। नगर ठोस कचरे के अवैज्ञानिक निपटान से न केवल नगर ठोस कचरा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ अपितु पर्यावरण एवं जल ढ़ांचो पर बुरा असर हुआ।

94 2009-10: 21,900; 2010-11: 24,638; 2011-12: 25,550; 2012-13: 26,280 तथा 2013-14: 32,850

- प्रतिदिन 85-90 टन (लगभग) कूड़ा उत्पन्न किया जा रहा था जिसके प्रति 70 टन कूड़े को भरमाल स्थित अभिक्रिया संयंत्र को ढ़ोया जा रहा था। नगर निगम द्वारा कूड़ा खाद उद्देश्यार्थ प्रयोग में लाए जा रहे कूड़े की प्रमात्रा के सम्बन्ध में ब्योरे का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
- भरयाल स्थित भूमि भरने के अविकसित कार्यस्थल के कारण (**परिच्छेद 2.4.17.2**) गैर-जीव विकृत कचरा दाड़नी बगीचा शिमला में समाप्त किया गया। अस्वीकृत कचरे की प्रमात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा, जो प्रतिदिन समाप्त किया जा रहा था, नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं था।

आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि कूड़े की कम ढुलाई के कारण अभिक्रिया संयंत्र की प्रयुक्ति इसकी अधिकतम क्षमता तक नहीं की गई। उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखना चाहिए कि कूड़ा निपटान/ढके बिना (छायात्रित) पड़ा हुआ पर्यावरण को बु री तरह प्रभावित कर रहा था।

ठोस कचरा अभिक्रिया संयंत्र, भरयाल (जुलाई 2014)

2.4.12 सड़कों/गलियों की सफाई

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार नगर निगम, शिमला को सड़को/गलियों व नालियों की सफाई, एकत्रित करना, तथा कूड़े को ढ़ेर के प्रांगणों में ले जाना और वैज्ञानिक ढ़ंग से निपटान करना अनिवार्य है। नगर ठोस कचरा नियमावली, 2000 के नियम 3 (ii) में अनुबद्ध है कि निगम प्राधिकारियों द्वारा भण्डारण किया जाने वाले कचरे का परिरूप ऐसा हो कि भण्डार किया गया कचरा खुले वातावरण को दूषित न करे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर निगम शिमला के क्षेत्र का घेरा 32.30 किलोमीटर था जिसमें सड़कों/गलियों की लम्बाई 176 किलोमीटर थी। सड़कों/गलियों की सफाई के कार्य के लिए नगर निगम तथा शिमला पर्यावरणीय धरोहर एवं सौन्दर्यकरण समिति के स्टाफ को लगाया गया।

यह देखा गया कि 2009-14 के दौरान नगर निगम द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण तथा निपटानार्थ 171 डम्पर पलेसरज़ को प्रयुक्त किया जा रहा था। इनमें से 89 डम्पर पलेसरज़ सही हालत में और 82 अक्रियाशील थे तथा नगर निगम द्वारा जून 2014 तक अक्रियाशील डम्परों को नये में बदलने की कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। पुनः, नगर निगम द्वारा 12 अनावृत्त प्रत्यक्ष/हस्तचालित डम्परों को विभिन्न स्थलों पर, जैसाकि निम्नांकित छायाचित्रों से स्पष्ट है, कूड़े के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाया जा रहा था जो नगर ठोस कचरा नियमावली, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

शाही ठेठर, रामबाजार के निकट फैला हुआ कूड़ा (जुलाई 2014)

लोअर बाजार सुरंग के निकट फैला हुआ कूड़ा (जुलाई 2014)

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि अन्त: क्षेत्रों को दिन में दो बार तथा बाहरी क्षेत्रों को दिन में एक बार साफ किया जाता है। यह भी बताया गया कि डम्परों की मरम्मत नहीं की गई क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने शिमला को डम्पर मुक्त करने के निदेश दिए थे। उत्तर इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि नगर निगम को डम्परों को अन्य विकल्पों से बदलना चाहिए था।

2.4.13 शिकायतों का समाधान

जलापूर्ति, स्वच्छता तथा गलियों की लाईटें निगम के मूलभूत कार्य थे। पुन: निगम के नागरिक घोषणापत्र के अनुसार उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित सभी शिकायतें 24 घण्टों के भीतर निपटाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पानी, स्वच्छता तथा गलियों की लाईट से सम्बन्धित 31,841 शिकायतें[95] 2009-14 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा निगम के पास दर्ज़ करवाने का समय एवं तिथि अभिलिखित पाई गई किन्तु उनके वास्तविक निपटान का समय व तिथि तथा शिकायतकर्त्ता को उसकी सूचना अभिलिखित नहीं पाई गई जिसके अभाव में प्रत्येक शिकायत के निपटान के सम्बन्ध में लिया गया वास्तविक समय ज्ञात नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि निगम द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान शिकायत निपटान से सम्बन्धित प्रभावी अनुश्रवण के दस्तावेज़ नहीं किए गए।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए आयुक्त ने बताया कि शिकायतों के समाधानार्थ पृथक कक्ष नहीं बनाया गया तथा स्टाफ की भारी कमी के कारण प्रत्येक शिकायत के निपटान का समय दर्ज़ करना तथा शिकायतकर्त्ता को इसके निपटान को सूचित करना सम्भव नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यह निगम के नागरिक घोषणापत्र के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

2.4.14 करों/फीस का निर्धारण, मांग एवं वसूली

2.4.14.1 भूमि एवं भवनों पर करों की बकाया वसूली

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम नगर सीमाओं के भीतर भूमि एवं भवनों पर निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाएगा।

भूमि एवं भवनों पर करों के सम्बन्ध में बकाया वसूली के वर्षवार ब्योरे **तालिका-2.4.7** में दिए गए हैं।

[95] जलापूर्ति: 24967, स्वच्छता: 4597 तथा गली में रोशनी: 2277

तालिका- 2.4.7
भूमि एवं भवनो पर करों के सम्बन्ध में बकाया वसूली का वर्षवार ब्योरा

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान की गई मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	लम्बित वसूली
1.	2009–10	4.71	7.42	12.13	7.18	4.95
2.	2010–11	4.95	8.32	13.27	8.29	4.98
3.	2011–12	4.98	8.97	13.95	8.42	5.53
4.	2012–13	5.53	5.00	10.53	2.97	7.56
5.	2013–14	7.56	7.75	15.31	9.13	6.18
	कुल		**37.46**		**35.99**	

स्रोत: नगर निगम द्वारा दिए गए आंकड़े

तालिका से देखा जा सकता है कि भूमि एवं भवनों पर किराए की वसूली के बकाए 1 अप्रैल 2009 को ₹ 4.71 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹ 6.18 करोड़ (31 *प्रतिशत*) हो गए।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि दोषियों को नोटिस जारी किए जा चुके थे तथा भूमि राजस्व का बकाया/किराया जब्ती मामलों को पहले ही बकाया अप्राप्तों की वसूली हेतु बना दिया गया/उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि नगर निगम को समय पर राशि की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

2.4.14.2 भवनों का अनाधिकृत निर्माण

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार आयुक्त की पूर्ववर्ती स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निर्माण नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रूप व सूचना सहित, जो इस सम्बन्ध में बनाए गए उप नियमों द्वारा निर्धारित है, आयुक्त को लिखित रूप में नोटिस देकर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि 2009–14 के दौरान निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के 667 मामले[96] देखे गए। नोटिसों को जारी करने तथा कारण बताओ में उपयुक्त समय देने के पश्चात् निगम द्वारा ₹ 3.29 लाख की वसूली करके 183 मामलों का निपटान किया गया और 484 मामले (73 *प्रतिशत*) नगर निगम, शिमला के पास मार्च 2014 को लम्बित पड़े हुए थे। यह भी देखा गया कि अनाधिकृत निर्माण के मामलों को पकड़ने हेतु नगर निगम द्वारा उड़न दस्ता नहीं बनाया गया तथापि, उपरोक्त मामले नगर निगम की सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर पंजीकृत किए गए। यह इस तथ्य का सूचक था कि नगर निगम ने नगर निगम, शिमला के भीतर अवैध भवन निर्माण की जांच के लिए कोई सुस्पष्ट तंत्र नही अपनाया।

समापन बैठक में आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि उद्देश्यार्थ निरीक्षण दस्तों का गठन (सितम्बर 2014) कर लिया गया था तथा भविष्य में मासिक प्रगति प्राप्त कर ली जाएगी।

2.4.14.3 मोबाईल टॉवरों पर वार्षिक नवीकरण फीस की अवसूली

राज्य सरकार ने नगर निगम को मोबाईल संचार टॉवरों के लगाने पर ₹ 20,000 प्रति टॉवर शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण फीस ₹ 10,000 की दर से उद्ग्रहणार्थ प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया।

96 2009-10: 85; 2010-11: 322; 2011-12: 86; 2012-13: 78 तथा 2013-14: 96

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2006-14 के दौरान 14 मोबाईल कम्पनियों ने 67 मोबाईल टॉवरों को नगर निगम के पास पंजीकृत करवाया। इन कम्पनियों से 2007-08 से 2013-14 की अवधि हेतु वार्षिक नवीकरण फीसों के सम्बन्ध में देय ₹ 48.54 लाख में से ₹ 38.34 लाख वसूल कर लिया गया और शेष ₹ 10.20 लाख नगर निगम की दोषियों के प्रति समय पर कार्रवाई न करने के कारण मार्च 2014 तक वसूली के लिए रहते थे। अत: नगर निगम की ढ़िलाई के कारण मई 2014 तक बकाया राशि की वसूली नहीं हुई।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए आयुक्त ने बताया (मई 2014) कि बकाया राशि की वसूली करने हेतु दोषियों को बहुत शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि मई 2014 तक बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई।

2.4.14.4 दुकानों/स्टॉलों का बकाया किराया

नगर निगम स्वनिर्मित दुकानों/स्टॉलों को गैर-सरकारी व्यक्तियों को किराए के आधार पर पट्टे पर दे रही थी।

यह देखा गया कि मार्च 2014 की समाप्ति पर नगर निगम की परिसम्पत्तियों से आवंटतियों से वसूलयोग्य किराया ₹ 2.52 करोड़ इकट्ठा हो गया जैसाकि **तालिका-2.4.8** में दिया गया है।

तालिका- 2.4.8
मार्च 2014 से दुकानों/स्टॉलों के बकाया किराए की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्षों की संख्या जिससे बकाया है	दुकानों/स्टॉलों आदि की संख्या	बकाया राशि
10 वर्षों से अधिक	40	0.99
पांच से 10 वर्षों के मध्य	68	1.14
एक से पांच वर्षों के मध्य	141	0.39
कुल	**249**	**2.52**

स्रोत: नगर निगम द्वारा दिए गए आंकड़े

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि आवंटतियो से बकाया किराए की अवधि एक वर्ष तथा 10 वर्षों से अधिक के मध्य की थी। यह इंगित करता है कि किराए वसूली की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया गया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने बताया (मई 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण बकाया किराए की वसूली हेतु प्रभावी पग नहीं उठाए जा सके। सच्चाई यह है कि नगर निगम ने बकाया किराए की वसूली नहीं की।

2.4.14.5 पार्किंग भू-भागों की प्राप्ति में अवसूली/विलम्ब

(i) नगर सीमाओं के भीतर पर्यटकों के साथ-साथ लोगों को पार्किंग सुविधाएं मुहैया करवाने की दृष्टि से नगर निगम द्वारा 20 पार्किंग भू-भागों[97] का अनुरक्षण किया जा रहा था। ये पार्किंग भू-भाग वार्षिक किराए के आधार पर नीलाम किए जाते थे तथा उच्चतर बोलीदाता को पार्किंग भू-भाग का कब्ज़ा लेने से पूर्व अग्रिम के रूप में दी गई राशि का 25 *प्रतिशत* जमा करवाना और शेष 75 *प्रतिशत* राशि को प्रत्येक मास की 10 तारीख को भुगतान योग्य 10 उत्तर-दिनांकित चैकों द्वारा भुगतान करना अपेक्षित था।

97 जोधा निवास यू एस क्लब तथा मेट्रोपोल चतुर्थ मंजिल स्थित पार्किंग

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि 13 ठेकेदारों से प्राप्त पार्किंग किराए के सम्बन्ध में ₹ 32.35 लाख मूल्य के 40 चैक जून 2008 से मार्च 2014 के दौरान बाऊंस हो गए तथा भुगतानों में चार और 1735 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ। यह देखा गया कि नगर निगम द्वारा नौ बाऊंस चैकों के सम्बन्ध में ₹ 1.06 लाख के भुगतान मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किए गए। विलम्बित भुगतानों हेतु संविदा अनुबन्ध में शास्ति खण्ड जोड़ने में नगर निगम की विफलता से दोषियों के विरूद्ध शास्ति को नहीं लगाया जा सकता।

(ii) यह भी देखा गया कि तीन पार्किंग भू-भागों[98] को निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण फरवरी 2012 तथा जुलाई 2013 के मध्य पुनः आवंटित नहीं किया जा सका तथा उन्हें नई निविदा प्रक्रिया की पूर्णता तक विद्यमान ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने/रखने हेतु अनुमत किया गया। नगर निगम द्वारा जून 2014 तक इन तीन ठेकेदारों से ₹ 2.33 लाख की राशि की मांग नहीं की गई।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि शेष राशि की वसूली हेतु दोषी ठेकेदारों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि भविष्य में विलम्बित भुगतानार्थ शास्ति खण्ड को निविदा/अनुबन्ध के निबन्धन व शर्तों में सम्मिलित किया जाएगा।

2.4.14.6 पार्किंग भू-भागों की कमी

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधान के अनुसार नगर निगम को पार्किंग भू-भागों को विकसित/निर्मित करना अपेक्षित था जिससे निगम की सीमाओं में रहने वाले लोग अपने वाहनों की पार्किंग हेतु सुविधा प्राप्त कर सकें।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि मार्च 2014 को नगर निगम द्वारा 585 वाहनों की क्षमता वाले 20 पार्किंग भू-भागों (चार पहिया: 485 तथा दो पहिया: 100) का अनुरक्षण किया जा रहा था। तथापि, निगम सीमाओं में बिना पार्किंग स्थल के रहने वाले लोगों द्वारा पंजीकृत करवाए गए वाहनों और प्रतिदिन शिमला में प्रवेश करने वाले पयर्टक वाहनों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं था। परिणामतः, नगर निगम शहर में पार्किंग भू-भागों की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा तद्नुसार नए पार्किंग भू-भागों की निर्माण योजना बनाने की स्थिति में नहीं था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि निजी गैरेज़ तथा परिवहन प्राधिकारी के पास नगर निगम क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखना चाहिए कि उचित ब्यौरे के बिना नगर निगम नए पार्किंग भू-भागों की उपयुक्त रूप से निर्माण योजना बनाने में असमर्थ था।

2.4.15 अवसंरचना विकास

2.4.15.1 सड़को एवं रास्तों का निर्माण

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार सड़कों व रास्तों का निर्माण और अनुरक्षण नगरपालिका का अनिवार्य कार्य है। मार्च 2010 को 176 किलोमीटर फासले की सड़कों व रास्तों का अनुरक्षण नगर निगम, शिमला द्वारा किया जा रहा था इसमें से नगर निगम क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली 32 किलोमीटर सड़कें मोटर योग्य स्तर की (भारी वाहन), 50 किलोमीटर जीप योग्य स्तर की (हल्का वाहन) और शेष 94 किलोमीटर सड़कें या तो रास्तों अथवा गलियों से सम्बन्धित थीं। यह देखा गया कि मार्च 2014 को मोटर योग्य दो किलोमीटर (छः *प्रतिशत*) सड़क, जीप योग्य सात किलोमीटर

[98] 485 वाहनों के लिए 18 पार्किंग स्थल तथा 100 दुपहिया वाहनों के लिए दो पार्किंग स्थल

सड़क (14 *प्रतिशत*) तथा 17 किलोमीटर (18 *प्रतिशत*) फासले वाली रास्तों/गलियों की सड़कें पक्की नहीं/कच्ची थीं। पुन: मार्च 2010 के पश्चात् निर्मित सड़कों/रास्तों का ब्यौरा निगम के पास उपलब्ध नहीं था। आयुक्त ने तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई 2014)।

2.4.15.2 रोगी वाहनों/जीपों योग्य सड़कों का निर्माण

निदेशक, शहरी विकास एवं उपायुक्त, शिमला द्वारा 2001-14 के दौरान विभिन्न विकासात्मक स्कीमों अर्थात विकेन्द्रीकृत घटक योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम, आदि के अंतर्गत नगर निगम की सीमाओं में 55 रोगीवाहनों की सड़कों के निर्माणार्थ ₹ 1.19 करोड़ स्वीकृत किए गए। प्रदत्त स्वीकृतियों के अनुसार ये सभी कार्य स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा में निम्नांकित कमियां दृष्टिगोचर हुई:

- नगर निगम, शिमला द्वारा मार्च 2014 को 55 रोगीवाहन सड़कों में से ₹ 0.40 करोड़ मूल्य की 29 सड़कें पूर्ण की गई। पूर्ण की गई 29 सड़कों में से 21 को वाहनीय यातायात हेतु खोल दिया गया और शेष आठ आंशिक पूर्ण (2001-10) ₹ 0.08 करोड़ मूल्य की सड़कें (स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण) जून 2014 तक प्रयोग में नहीं लाई गई। अत: रोगीवाहन सड़कों की पूर्णता पर किया गया ₹ 0.08 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
- 2002-14 के दौरान स्वीकृत ₹ 0.51 करोड़ की लागत के 13 सड़कों के कार्य जून 2014 को प्रगतिरत थे। ₹ 0.42 करोड़ का व्यय किया जा चुका था तथा शेष ₹ 0.09 करोड़ नगर निगम के पास जून 2014 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इन 13 कार्यों की पूर्णता में 3 तथा 135 महीनों के मध्य का विलम्ब हुआ। भूमि झगड़ों के कारण इन सड़कों की पूर्णता बिना न केवल ₹ 0.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ अपितु लोगों को इच्छित लाभों से वंचित भी रहना पड़ा।
- शेष 13 कार्यों में से ₹ 0.07 करोड़ मूल्य के चार कार्यों का कार्यान्वयन वन/निजी भूमि के अंतर्ग्रस्त होने तथा भूमि झगड़ों के कारण आरम्भ नहीं करवाया जा सका। ₹ 0.07 करोड़ मूल्य के तीन कार्य आकलनों के न बनने, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के कारण आरम्भ नहीं किए गए और शेष ₹ 0.15 करोड़ की लागत के छ: कार्य प्रगति पर बताए गए किन्तु लेखापरीक्षा को सम्बद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि कुछ मामलों में वन भूमि आने, भूमि झगड़े तथा भू-स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण कार्यों का कार्यान्वयन आरम्भ नहीं करवाया जा सका।

2.4.15.3 अन्य विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन

नगर निगम क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु भवनों, सड़कों, पैदल रास्तों, क्रीड़ा स्थलों, सामुदायिक भवनों, शौचालयों, वर्षा शालिकाओं, पार्किंगों, आदि जैसे 416 कार्यों के कार्यान्वयनार्थ 1992-2013 के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ₹ 27.84 करोड़ स्वीकृत किए गए। कार्यों को स्वीकृत तिथि से 3 से 18 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि ₹ 7.74 करोड़ मूल्य के 169 कार्यों का कार्यान्वयन जुलाई 2014 तक कार्यस्थलों की अनुपलब्धता, भूमि झगड़े और वन भूमि के अंतर्ग्रस्त होने के कारण आरम्भ नहीं

करवाया जा सका। इसके अतिरिक्त, मार्च 2014 को ₹ 20.10 करोड़ हेतु स्वीकृत 247 कार्य ₹ 13.71 करोड़ व्यय करने के पश्चात् प्रगतिरत थे तथा शेष राशि ₹ 6.39 करोड़ एक से 22 वर्षों से अधिक तक अव्ययित पड़ी हुई थी। अत: नगर निगम ने कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 14.13 करोड़ का अवरोधन हुआ अपितु लाभार्थियों को भी इन कार्यों के इच्छित लाभों से वंचित रहना पड़ा।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि ये सभी कार्य जल्दी ही पूर्ण करवा लिए जाएंगे तथापि, सच्चाई यह है कि भारी संख्या में कार्य दीर्घावधि के लिए अकार्यान्वित/अपूर्ण रहे।

2.4.16 गली की लाईटें

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधान के अनुसार गलियों की लाईटों का कार्य राज्य सरकार द्वारा नगर निगम के सुपुर्द किया गया है।

यह देखा गया कि नगर निगम ने 2009-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को अपने क्षेत्राधिकार में 766 नई गलियों की लाईटों को लगाने हेतु ₹ 2.73 करोड़ का अग्रिम दिया। तथापि, जून 2014 तक अग्रिम के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा लगाई गई गलियों की लाईटों का ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के सम्बन्धित मण्डलों से मांगा गया था तथा गलियों की लाईटों को लगाने के ब्यौरे का अनुरक्षण भविष्य में किया जाएगा।

2.4.17 परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.4.17.1 आवासीय परियोजना आशियाना-I एवं II का निर्माण

शहरी गरीबों के लिए 636 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरूत्थान मिशन के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार व नगर निगम शिमला के बीच 80:10:10 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर ₹ 24 करोड़ में दो परियोजनाएं संस्वीकृत की जिनका विवरण **तालिका-2.4.9** में दिया गया है।

तालिका- 2.4.9
आशियाना-I एवं II के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन का परियोजनाबद्ध विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	परियोजना का नाम (आवासीय इकाइयां)	संस्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत	जारी राशि	निधियों के जारी करने की तिथि	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की अनुबंधित तिथि	जुलाई 2014 तक किया गया व्यय
1.	आशियाना-I (252)	मार्च 2007	9.99	2.65	अगस्त 2007	--	मार्च 2014 से मार्च 2015 तक संवर्धित	---
2.	आशियाना-II (384)	फरवरी 2008	14.01	5.95	फरवरी 2008	अक्तूबर 2009	संस्वीकृति की तिथि से मार्च 2015 तक 18 महीने तक संवर्धित	5.94

स्रोत: नगर निगम द्वारा आपूरित सूचना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि:

- आशियाना-I के अंतर्गत 252 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा टुटू में 0.439 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई थी तथापि, वन भूमि सम्मिलित होने के कारण जुलाई 2014 तक भू-स्वामित्व नगर निगम के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (कार्यकारी अभिकरण) के उद्देश्यार्थ ₹ 2.65 करोड़ सात वर्षों के लिये अवरूद्ध पड़े रहे।
- ढ़ली स्थित 1.454 हेक्टेयर माप वाली पहचान की गई भूमि आशियाना-II के अंतर्गत 176 आवासीय इकाइयों के निर्माणार्थ नगर निगम के नाम पर हस्तांतरित की गई थी तथा फरवरी 2008 में ₹ 5.95 करोड़ की निधियां हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को जारी की गई थी। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादनार्थ ली गई (अक्तूबर 2009) 176 आवासीय इकाइयों में से 40 आवासीय इकाइयां पूर्ण की जा चुकी थी (जनवरी 2014) तथा शेष 136 आवासीय इकाइयों का निर्माण जुलाई 2014 तक प्रगति पर था। लागत आधिक्य के कारण नगर निगम ने राज्य सरकार को ₹ 9.77 करोड़ का एक संशोधित आकलन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया (मई 2012) जोकि प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परवाणू-ढ़ली फोर लेन राजमार्ग का संरेखन परियोजना स्थल में आता था जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम द्वारा निर्मित 40 आवासीय इकाइयों का अधिकार लाभार्थियों के आवंटन हेतु प्राप्त नहीं किया गया था। अत: परियोजना पर किया गया ₹ 5.94 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त शेष 208 आवासीय इकाइयों (384 आवासीय इकाइयों में से) का निष्पादन भूमि की अनुपलब्धता तथा अपर्याप्त निधियों के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था।
- आशियाना-I के अनिष्पादन तथा आशियाना-II के पूर्ण न होने के कारण वित्त पोषक अभिकरणों (भारत सरकार: ₹ 11.56 करोड़ तथा राज्य सरकार: ₹ 1.44 करोड़) से देय ₹ 13.00 करोड़ से नगर निगम वंचित रह गया।

इन तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि आशियाना-I के निष्पादनार्थ नए स्थल के रूप में ढ़ींगुधार (ढ़ली) अभिज्ञात किया गया था तथा आशियाना-II के अंतर्गत आवासीय इकाइयों के आवंटन हेतु मामला प्रक्रियाधीन था। उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि आवासीय इकाइयों के निर्माण/आवंटन नहीं होने से सम्बंधित शहरी गरीब अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

2.4.17.2 परियोजनाओं को आरम्भ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

शिमला शहर में जलापूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ करने, शिमला में विद्यमान सीवर नेटवर्क के जीर्णोद्धार तथा भरयाल स्थित ठोस कचरा प्रबंधन के लिए लेंडफिल स्थल के विकास के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरूत्थान मिशन के अंतर्गत ₹ 137.61 करोड़ के लिए तीन परियोजनाएं[99] अनुमोदित की गई थी (फरवरी 2009 से मार्च 2010 के मध्य) ये परियोजनाएं मार्च 2013 से मार्च 2014 के मध्य पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध थी। फरवरी 2009 से मार्च 2012 के मध्य भारत

---

99 जलापूर्ति स्कीम का पुनर्वास तथा वितरण नेटवर्क (फरवरी 2009): ₹ 72.36 करोड़; लुप्त सम्पर्कों तथा छोड़े गए क्षेत्रों/जीर्णशीर्ण सीवर के लिए सीवर नेटवर्क का जीर्णोद्धार (जनवरी 2010): ₹ 54.74 करोड़ और ठोस कचरा प्रबंधन हेतु स्वच्छता लेंडफिल स्थल का विकास (मार्च 2010): ₹ 10.51 करोड़

सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 26.53 करोड़[100] की पहली किश्त जारी की गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार ने लोक निजी भागीदारी रूप में दो परियोजनाएं (जलापूर्ति तथा सीवर नेटवर्क) आरम्भ करने का निर्णय लिया था (मार्च 2012)। दो बार (मार्च 2012 तथा सितम्बर 2012) आमंत्रित की गई निविदाओं को दोनों अवसरों पर एक बोलीकर्त्ता की सहभागिता के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। राज्य सरकार ने नगर निगम को परियोजनाएं वापिस लेने तथा अभियांत्रिक खरीद एवं निर्माण रूप पर नवीन स्कीम कार्यान्वित करने की सूचना दी थी (जुलाई 2013)। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किये गए संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन[101] नगर निगम को क्रमश: जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014 में प्रस्तुत किये गए थे तथापि, निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण ये निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किये गए थे। परिणामस्वरूप, भारत सरकार/राज्य द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी (फरवरी 2009: ₹ 14.47 करोड़ तथा जनवरी 2010: ₹ 9.70 करोड़) ₹ 24.17 करोड़ चार से पांच वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहे और इसके पश्चात भी सहायता जारी नहीं की गई।
- भरयाल में लेंडफिल स्थल के विकासार्थ दो बार आमंत्रित की गई निवदाओं (जनवरी 2013 तथा मार्च 2013) को अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि फर्म (एकल बोलीकर्त्ता) द्वारा दरों की पेशकश विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संगणित प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित लागत से पांच *प्रतिशत* से ऊपर थी। मामला अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था जोकि जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित था। समय पर निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने से दो से चार वर्षों से अधिक के लिए ₹ 2.36 करोड़ के अवरोधन तथा ₹ 2.02 करोड़[102] के निष्क्रिय निवेश में परिणत हुआ तथा इसके अतिरिक्त नगर निगम को भारत सरकार तथा राज्य सरकार से ₹ 8.15 करोड़ के शेष अनुदान से वंचित रहना पड़ा।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने बताया (मई-जून 2014) कि 2016 तक जलापूर्ति तथा सीवर की परियोजनाओं के स्पिल ओवर के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित था और लैंडफिल स्थल की पुन: बोली प्रक्रियाधीन थी तथापि, तथ्य यह है कि समय पर परियोजनाओं के अनिष्पादन के परिणामस्वरूप जन सामान्य को परिकल्पित लाभ नहीं मिले।

2.4.17.3 ई-गवर्नेस प्रणाली का कार्यान्वयन न होना

भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना का सूत्रपात किया। यह योजना गवर्नेस प्रणाली को सुधारने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रयोग द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तंत्र की स्थापना तथा सुयोग्य बनाने के लिए अभिप्रेत थी। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगर निगम शिमला ने फरवरी 2011 में ₹ 23 लाख की लागत से एक सलाहकार[103] नियुक्त किया। भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 तक परियोजना को पूर्ण करने की अनुबद्धता पर ₹ 11.20 करोड़ के लिए विस्तृत योजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया था।

---

100 जलापूर्ति: ₹ 14.47 करोड़; सीवर: ₹ 9.70 करोड़ तथा लेंडिफल स्थल: ₹ 2.36 करोड़

101 जलापूर्ति का पुनर्वास: ₹ 136.93 करोड़ तथा सीवर नेटवर्क: ₹ 170.35 करोड़

102 भूमि की लागत (मार्च 2010): ₹ 1.91 करोड़ तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत (मार्च 2012): ₹ 10.75 लाख

103 मैसर्ज फीडबैक वेंचरर्स प्राईवेट लिमिटेड, हरियाणा

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि हिमाचल प्रदेश नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए ₹ 2.52 करोड़ (केन्द्र सहभागिता: ₹ 2.24 करोड़ तथा राज्य सहभागिता: ₹ 0.28 करोड़) में से नगर निगम शिमला को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2013 में ₹ 0.63 करोड़ जारी किए गए थे। यह पाया गया था कि परियोजना के निष्पादन के लिए अगस्त 2012 में प्रस्ताव के लिए आवेदन मांगा गया था लेकिन इसे निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा अतिरिक्त शर्तों एवं निबंधनों को जोड़ने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया था। नगर निगम द्वारा निवदा पुन: आमंत्रित की गई थी और अक्तूबर 2013 में खोली गई थी। स्वीकृति पत्र मैसर्ज ए0बी.एम0 नॉलेज वेयर लिमिटेड, मुबई को पांच महीनों के विलम्ब के पश्चात मार्च 2014 में जारी किया गया था तथापि, उपरोक्त फर्म ने जून 2014 तक परियोजना का निष्पादन आरम्भ नहीं किया था। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त परियोजना को आरम्भ न किये जाने के कारण नगर निगम जुलाई 2014 तक भारत सरकार, राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश नगरीय विकास प्राधिकरण से ₹ 10.57 करोड़ की शेष राशि प्राप्त करने में विफल रहा था।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने बताया (मई 2014) कि फर्म को स्वीकृति पत्र 31 मार्च 2014 से पहले जारी किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना को मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था और नगर निगम ने परियोजना का कार्यान्वयन समयबद्ध रूप में नहीं किया था, जिससे जन सामान्य अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

2.4.18 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.4.18.1 अनुश्रवण तथा निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 राज्य सरकार/नगरीय विकास विभाग स्तर पर नगर निगम के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के उचित अनुश्रवण तथा निरीक्षणों के लिए प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि राज्य सरकार/विभाग ने उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों/गतिविधियों के अनुश्रवण तथा निरीक्षणों के लिए अवधि/समय सारणी इंगित करने वाला कोई तंत्र उद्‌भूत नहीं किया था। परिणामस्वरूप नगर निगम की आधिकाधिक परियोजनाएं/निर्माण कार्य असामान्य रूप से विलम्बित हुए, जिससे जन सामान्य अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

2.4.18.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग द्वारा जारी (अगस्त 1987) निर्देशों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन लेखाओं की जांच, पर्यवेक्षण, बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान, भण्डार एवं स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन, आदि के उद्देश्य के लिए वित्त विभाग से तैनात कर्मियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना था। वित्त विभाग ने नगर निगम शिमला में आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य प्रबंधन के लिए एक उप वित्त-नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) तैनात किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम शिमला में तैनात उप वित्त-नियंत्रक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कर रहा था। इस प्रकार नगर निगम में आंतरिक लेखापरीक्षा उचित रूप से की जा रही थी।

2.4.18.3 ई-समाधान के अंतर्गत शिकायतें

नगर निगम शिमला के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शिकायतों के निवारणार्थ निगम में एक कक्ष की स्थापना की गई थी जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। राज्य सरकार के नागरिक चार्टर के अनुसार शिकायतों पर 24 घण्टों के भीतर सुनवाई की जानी है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जून 2010 के दौरान नगर निगम शिमला में ई-समाधान प्रणाली क्रियाशील की गई थी। वर्ष 2010 से उपभोक्ताओं द्वारा ई-समाधान पोर्टल के माध्यम से नगर निगम शिमला में 1201 शिकायतें दर्ज करवाई गई थी जिनमें से जुलाई 2014 तक 1009 शिकायतों का निपटारा किया गया था और 192 लम्बित थी। ये शिकायतें नगर निगम की विभिन्न शाखाओं में 7 से 1447 दिनों की अवधि के लिए लम्बित थी। इससे इंगित हुआ कि शिकायतों का निपटारा नागरिक चार्टर में यथा निर्धारित 24 घण्टों की समय सीमा के अनुसार नहीं किया गया था।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने बताया (जुलाई 2014) कि ई-समाधान के अंतर्गत शिकायतें आंशिक रूप से निपटाई गई थी। उन्होंने पुनः बताया कि एक नोडल अधिकारी शिकायतों के निपटान का अनुश्रवण करने के लिए नामित किया जाएगा।

2.4.18.4 वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 नगर निगम को प्रत्येक वर्ष इसकी विगत वर्ष की गतिविधियों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करने का और इसे निदेशक, नगरीय विकास के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2003-04 से अनुगामी अवधि तक नगर निगम की कार्य प्रणाली से सम्बंधित वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन जून 2014 तक तैयार नहीं किया गया था। आयुक्त ने बताया (जून 2014) कि 2003-04 से 2012-13 की अवधि के लिए वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन स्टाफ की न्यूनता के कारण तैयार नहीं किए जा सके थे। उन्होंने पुनः बताया कि वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन शीघ्र ही तैयार करके अनुमोदन के लिए नगर निगम सदन को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.4.19 निष्कर्ष

2009-14 के दौरान नगर निगम शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वार्ड सभाओं तथा वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया था। इन स्तरों से पर्याप्त सहभागिता न होने से नगर निगम की योजना प्रक्रिया बाधित हुई थी। 2009-14 वर्षों के दौरान नगर निगम द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं तथा नगर विकास योजना तैयार नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन हुआ। स्वतंत्र जल परीक्षण निकाय न होने से नगर निगम द्वारा आपूरित जल की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकती थी। चालू किए गए छः सीवर शोधन संयत्रों (प्रतिष्ठापित क्षमता 35.63 मिलियन लीटर प्रति दिन) में से वास्वतिक उपयोग 4.8 मिलियन लीटर प्रति दिन (13 *प्रतिशत*) थी जिसके परिणामस्वरूप अशोधित सीवर ढके नहीं गए तथा खुले में छोड़ दिए गए। ठोस कचरा शोधन संयंत्र द्वारा ठोस कचरा का शोधन प्रभावी तथा पर्यावरणानुकूल नहीं था। अवैध निर्माण को रोकने तथा पकड़ने की व्यवस्था अपर्याप्त थी क्योंकि पकड़े गए मामलों पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। करों, शुल्कों एवं अन्य देय राशियों के निर्धारण, मांग एवं संग्रहण की प्रणाली सक्षम नहीं थी क्योंकि लाभार्थियों से विभिन्न कर/प्रभार बकाया थे। शहरी गरीबों के लिए आवास स्कीम का निष्पादन उचित कार्य स्थलों के चयन में नगर निगम की विफलता के कारण शिथिल था। जलापूर्ति स्कीम एवं सीवर, ई-गवर्नेंस प्रणाली तथा स्वच्छता लैंडफिल कार्य स्थल से सम्बंधित परियोजनाओं को निविदा

प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण आरम्भ नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम द्वारा परियोजनाओं/स्कीमों, आदि के अनुश्रवण तथा निरीक्षणों के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

2.4.20 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए कि:

(i) विकासात्मक योजना तैयार करने में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने तथा वार्ड सभाओं/वार्ड समितियों का गठन करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाना;

(ii) मानदण्डों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रभावशाली कदम उठाना;

(iii) पर्यावरण तथा जल स्रोतों का नुकसान रोकने के लिए सीवर एवं पालिका ठोस कचरा के निपटारे हेतु वैज्ञानिक अथवा पर्यावरणानुकुल कार्य पद्धति अपनाना;

(iv) लाभार्थियों से करों, किराया, शुल्क, आदि की वसूली की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाना और करों/किराया/पार्किंग समूहों का आवंटन/मोवाइल टावरों के अधिष्ठापन से सम्बंधित करारों/अनुबंधों विधायी कार्यों में चूककर्त्ताओं से दण्डनीय ब्याज दर का प्रावधान करना; और

(v) भवनों का निर्माण/ परियोजनाओं का निष्पादन/स्कीमों/किराया संग्रहण, आदि के प्रभावी अनुश्रवण हेतु समस्त डाटा बेस का अनुरक्षण करना और आंतरिक नियंत्रण तंत्र (परियोजनाओं/निर्माण कार्यों ई-समाधान के अंतर्गत शिकायतों का अनुश्रवण और वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना) को मजबूत करना ।

सरकार को लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2014 में संदर्भित किये गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग (हिमाचल प्रदेश पशुधन एवं पौल्ट्री विकास बोर्ड)

3.1 लिक्विड नाइट्रोजन गैस के उत्पादन पर परिहार्य व्यय

2008-14 के दौरान विभाग द्वारा इसके अपने संयन्त्रों के माध्यम से उत्पादित लिक्विड नाइट्रोजन गैस के उपयोग पर ₹ 1.85 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया था।

फ्रोजन सीमेन स्ट्रा के परिरक्षण हेतु वीर्य बैंक की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य में जून 1986 से सितम्बर 2002 के मध्य ₹ 2.85 करोड़ की लागत पर सात लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयन्त्र[1] अधिष्ठापित किए गए थे।

निदेशक, पशुपालन एवं सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश पशुधन एवं पौल्ट्री विकास बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) और एकत्रित सूचना (अप्रैल-जून 2014) ने दर्शाया कि विभाग द्वारा जुलाई 2008 और जून 2011 के मध्य चार अनुप्रयोगी/निष्क्रिय लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयन्त्र[2] बंद कर दिए गए थे। शेष तीन संयन्त्रों[3] ने 2008-14 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ की लागत पर 5.71 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन गैस का उत्पादन किया था। विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान निजी आपूर्तिकर्त्ताओं[4] से ₹ 2.80 करोड़ की लागत पर 18.41 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन गैस भी खरीदी थी। विभाग द्वारा उत्पादित गैस की औसत लागत की गणना ₹ 47.63 प्रति लीटर की गई थी जोकि निजी आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीदी गई गैस की औसत लागत (₹ 15.21 प्रति लीटर) की तुलना में गैस संयन्त्रों की स्थापना और मुरम्मत तथा अनुरक्षण की उच्च लागत के कारण अत्यंत उच्च थी। स्पष्ट रूप से विभाग ने औसतन ₹ 1.85 करोड़[5] का अतिरिक्त व्यय किया जोकि परिहार्य था।

निदेशक ने बताया (अप्रैल 2014) कि पुराने लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयन्त्र आपातकाल में गैस की आपूर्ति हेतु आवश्यक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बाजार में गैस की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद अपने संयन्त्र में गैस का उत्पादन जारी रखा था जोकि महंगा था।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

---

1 भंगरोटु, चम्बा, घनाहट्टी, ज्यूरी, पालमपुर, सोलन तथा ताल

2 चम्बा, घनाहट्टी, ज्यूरी तथा ताल

3 भंगरोटु, पालमपुर तथा सोलन

4 मैसर्ज रॉयल एयर प्रोडक्टस, हरिद्वार, मैसर्ज अजय एयर प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, ओखला तथा मैसर्ज रिजेंट एयर प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, गुडगांव

5 संयन्त्रों में उत्पादित गैस की औसत लागत: ₹ 2,72,00,000 / 5,71,000 = ₹ 47.63 प्रति लीटर

विभाग द्वारा खरीदी गई गैस की औसत लागत: ₹ 2,80,00,000 / 18,41,000 = ₹ 15.21 प्रति लीटर

अंतर: ₹ 47.63 - ₹ 15.21 = ₹ 32.42 प्रति लीटर

परिहार्य व्यय: 5,71,000 x ₹ 32.42 = ₹ 1,85,11,820 राउण्डिड टू ₹ 1.85 करोड़

प्राथमिक शिक्षा विभाग

3.2 रसोई शालिका-एवं-गोदामों के निर्माण में विलम्ब

मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत रसोई शालिका एवं गोदामों के निर्माण के लिए अनुचित योजना के परिणामस्वरूप 957 विद्यालयों को सुविधा की उपलब्धता में विलम्ब, अपूर्ण रसोई शालिकाओं पर ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 3.18 करोड़ का अवरोधन हुआ।

विद्यालयों में मिड डे मील पकाने के लिए स्वच्छ स्थल और उचित भंडारण स्थान उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड डे मील स्कीम) के अंतर्गत 2008-09 के दौरान ₹ 0.60 लाख और 2011-12 के दौरान ₹ 1.20 लाख प्रति रसोई शालिका एवं गोदाम की दर पर अनुदान उपलब्ध करवाया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 (11,325 विद्यालयों को ₹ 67.95 करोड़) और 2011-12 (37 विद्यालयों को ₹ 0.44 करोड़) के दौरान 11,362 सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों[6] को ₹ 68.39 करोड़ जारी किये थे। 2008-09 के दौरान समस्त निधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी तथा 2011-12 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया गया था। रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान समिति के माध्यम से किया जाना था और तीन महीनों के अन्दर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) और एकत्रित सूचना (जनवरी एवं जुलाई 2014) ने दर्शाया कि ₹ 4.15 करोड़ की लागत के 681 रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण ₹ 2.72 करोड़ खर्च करने के पश्चात भी निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा अतिरिक्त निधियों की कमी के कारण अब भी प्रगति पर था। 11 जिलों[7] में 276 रसोई शालिका एवं गोदामों (लागत ₹ 1.75 करोड़) का निर्माण कार्य निर्माण स्थल विवादों तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण जून 2014 तक आरम्भ भी नहीं किया गया था।

निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2014) कि रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण नहीं किया जा सका था क्योंकि सम्बंधित विद्यालय इस हेतु भूमि उपलब्ध करवाने में असफल रहे थे। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि निर्माण की सम्भाव्यता निधियां जारी किये जाने से पूर्व वास्तविक रूप से आकलित की जानी चाहिए थी और इस आकलन में भूमि की स्पष्ट उपलब्धता प्रथम पूर्वापेक्षित होनी चाहिए थी।

अत: विभागीय स्तर पर अनुचित योजना के परिणामस्वरूप 957 विद्यालयों को रसोई शालिका एवं गोदामों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अनुबद्ध समय से दो से पांच वर्षों का विलम्ब और ₹ 3.18 करोड़ का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त अपूर्ण रसोई शालिका-एवं-गोदामों पर अब तक (जून 2014) उपयोग किए गए ₹ 2.72 करोड़ राशि की निधियां निष्फल सिद्ध हुई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

---

6 प्राथमिक: 7150 तथा माध्यमिक: 4212

7 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पिति, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना

वन विभाग

3.3 वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ की गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आगजनी नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 10 से 33 *प्रतिशत* के मध्य थी। फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया तीन भवनों का निर्माण (संस्वीकृत लागत ₹ 0.43 करोड़) ₹ 0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण था।

भारत सरकार द्वारा प्रभावशाली वन संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एकीकृत वन संरक्षण स्कीम को संशोधित कर (अगस्त 2009) वर्तमान तीन[8] संघटकों में चार[9] नए संघटक जोड़कर इसे वन प्रबंधन के तीव्रीकरण की स्कीम के रूप में पुनर्नामित किया। 2011-12 से 2013-14 की अवधि को आवृत्त करती स्कीम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा जनवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य स्कीम के नोडल अधिकारी के रूप में कार्यालय मुख्य अरण्यपाल (वन सुरक्षा), बिलासपुर और 46 वन मण्डलों में से 15 में संचालित की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

3.3.1 योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

3.3.1.1 प्रचालनों की वार्षिक योजना, निधियों की उपलब्धता और किया गया व्यय

स्कीम के दिशा-निर्देश राज्य वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के अनुसार राज्य को निधियों की संस्वीकृति/जारी करने का प्रावधान करते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य (विशेष श्रेणी राज्य होते हुए) को प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के 90 *प्रतिशत* की सीमा तक सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी और शेष 10 *प्रतिशत* राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। भारत सरकार के अंशदान का 80 *प्रतिशत* तक आरम्भ में जारी किया जाना था और शेष राशि प्रथम किस्त की राशि के 50 *प्रतिशत* के उपयोग की प्रस्तुती पर जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 2011-14 के दौरान ₹ 13.78 करोड़ (भारत सरकार का अंशदान: ₹ 12.41 करोड़ और राज्य का अंशदान: ₹ 1.37 करोड़) के प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के प्रति भारत सरकार ने ₹ 9.14 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹ 1.17 करोड़ जारी किये थे। उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 3.27 करोड़ की भारत सरकार द्वारा निधियों के अल्प जारीकरण विगत वर्षों से उपयोग नहीं की गई निधियों के अंतरण, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्रों[10] की प्रस्तुती में विलम्ब के कारण था।

---

[8] वन आग नियंत्रण तथा प्रबंधन, अवसंरचना की मजबूती और सर्वेक्षण, सीमांकन तथा कार्य योजना बनाना

[9] पवित्र वृक्ष समूहों की सुरक्षा तथा संरक्षण, विशिष्ट वनस्पति तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण तथा पुनर्स्थापन, वन आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण तथा उन्मूलन और बांस पुष्पीकरण की चुनौती पूरी करने तथा बांस वनों के प्रबंधन के लिए तैयार रहना

[10] उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की तिथि (2011-12: 08 मई 2012, 2012-13: 2 मई 2013 एवं 2013-14: 06 मई 2014)

- 2011-14 के दौरान राज्य वन विभाग ने ₹ 12.05 करोड़ की उपलब्धता के प्रति ₹ 11.26 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 1.74 करोड़ (2010-11: ₹ 0.97 करोड़, 2011-12: ₹ 0.75 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.02 करोड़) के केन्द्रीय अंशदान के अंतर्गत अव्ययित शेष को पुन: सत्यापित कर आगामी वित्त वर्ष में ले जाया गया था तथा जुलाई 2014 तक राज्य सरकार के पास ₹ 0.02 करोड़ पड़े थे।
- ₹ 11.26 करोड़ के व्यय के प्रति भारत सरकार को मात्र ₹ 10.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे। 2011-13 के दौरान प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष की 15 जनवरी को या पहले प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित होते हैं, भारत सरकार को 113 और 106 दिनों के विलम्ब के पश्चात प्रेषित किए गए थे।

नोडल अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि भारत सरकार को प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई थी और क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण ये भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य वन विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं की सीमा तक भी निधियों का उपयोग नहीं किया था।

3.3.1.2 प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं की प्रस्तुती/अनुमोदन में विलम्ब

स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वन विभाग से भारत सरकार को एक विशेष वित्तीय वर्ष हेतु प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दिसम्बर अंत तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तथापि यह पाया गया था कि 2011-14 के दौरान विभाग ने 101 से 179 दिनों के विलम्ब के पश्चात प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की थी जिसके अनुक्रम में भारत सरकार से निधियों के जारीकरण में विलम्ब हुआ। नोडल अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भारत सरकार को देय तिथि पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी।

3.3.1.3 नवीन संघटकों के लिए विशिष्ट योजना का न बनाया जाना

स्कीम के दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 6 (ख) चार नवीन संघटकों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रस्ताव बनाये जाने और प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वन विभाग ने 2011-12 के दौरान 'पवित्र वृक्ष समूहों की सुरक्षा तथा संरक्षण' संघटक के अंतर्गत ₹ 3.00 लाख की अल्प राशि के प्रस्ताव को छोड़कर 2011-14 के दौरान नवीन संघटकों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये थे। स्पष्ट रूप से स्कीमों के नवीन संघटकों के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियां[11] राज्य में कार्यान्वित नहीं की गई थी। नोडल अधिकारी ने बताया (जुलाई 2014) कि प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित की जा रही हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य वन विभाग ने वन सुरक्षा और वन स्थिति में सुधार से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को अनदेखा किया था।

---

11 1. पवित्र वनों, वनस्पति एवं जीव-जन्तु की सूचियों तथा सुधारात्मक निर्माण कार्यों की प्रबन्धन योजना के लिए एक विस्तृत प्रलेख 2. विशिष्ठ, स्थानीय तथा अत्यंत मूल्यवान प्रकार की वनस्पतियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रबन्धन, सर्वेक्षण/सूची, संचारण, अवसंरचना, आदि 3. वन आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम तथा अनुसंधान के कार्य और 4. बांस क्षेत्रों का असंकुलन, निस्सारण मार्गों को बिछाना तथा अनुरक्षण, आदि

3.3.2 गतिविधियों का निष्पादन

3.3.2.1 वन्य आग नियंत्रण और प्रबंधन

2011-14 के दौरान वन्य आग नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत वस्तुगत और वित्तीय लक्ष्यों (प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं) की उपलब्धियों के गतिविधि-वार विवरण **तालिका-3.3.1** में दिये गये हैं।

तालिका- 3.3.1
2011-14 के दौरान गतिविधि-वार लक्ष्य और उनके प्रति उपलब्धियां

(₹ करोड़)

क्रमांक	गतिविधि	2011-14						
		इकाइयां	लक्ष्य		उपलब्धियां		कमी	
			वस्तुगत	वित्तीय	वस्तुगत	वित्तीय	वस्तुगत	वित्तीय
1.	फायर लाईन अनुरक्षण	कि0मी0	3700	0.95	2961	0.75	739 (20)	0.20 (21)
2.	फायर लाईन का सृजन	कि0मी0	400	1.00	316	0.78	84 (21)	0.22 (22)
3.	फायर वाचर्स		167800	2.02	143686	1.82	24114 (14)	0.20 (10)
4.	जल भंडारण संरचनाएं	संख्या	48	0.72	41	0.58	7 (15)	0.14 (19)
5.	फायर फाइटिंग उपकरण[12]	संख्या	--	0.60	--	0.48	--	0.12 (20)
6.	फायर मैपिंग/योजनाएं	एल एस	40	0.10	31	0.07	9 (23)	0.03 (30)
7.	प्रशिक्षण एवं जागरूकता	एल एस	--	0.24	212	0.19	--	0.05 (21)
8.	कंट्रोल बर्निंग	हेक्टेयर	3000	0.15	4068	0.17	1068 (+36)	0.02 (+13)
9.	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता	संख्या	500	0.40	539	0.27	39 (+8)	0.13 (33)
10.	टैक्सियां किराये पर लेना	एल एस	--	--	--	0.02	--	0.02 (+100)
11.	होमगार्डों की तैनाती	संख्या	--	--	--	0.01	--	0.01 (+100)
		योग	**--**	**6.18**	**--**	**5.14**		

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

उपरोक्त **तालिका 3.3.1** से देखा जा सकता है कि:

- 2011-14 के दौरान कन्ट्रोल बर्निंग तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता को छोड़कर सभी गतिविधियों के सम्बंध में वस्तुगत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी प्रतिशतता 14 से 23 के मध्य थी और जहां तक वित्तीय लक्ष्यों की बात है कन्ट्रोल बर्निंग को छोड़कर यह 10 से 33 के मध्य थी।
- 2011-14 के दौरान विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं में बिना किसी प्रावधान के दो गतिविधियों अर्थात टैक्सियां किराये पर लेना तथा होमगार्डों की तैनाती पर ₹ 0.02 करोड़ का व्यय किया था।

अत: उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य वन विभाग द्वारा गतिविधियां प्रभावशाली रूप से निष्पादित नहीं की जा रही थी। पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता को लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का कारण बताया गया।

3.3.2.2 वन सुरक्षा की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार वन सुरक्षा हेतु अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण संघटक में वन सुरक्षा कार्यालय के लिए भवनों, वन क्षेत्रीय स्टाफ के आवास, ट्रांजिट कैंपों, निरीक्षण कुटीरों, वन सड़कों, निरीक्षण मार्गों के निर्माण की गतिविधियां, वाहनों की खरीद, ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली, आदि सम्मिलित हैं। निम्नवत् कमियां पाई गई थी:

12 आग उन्मूलक, रेकर्स, फायर ब्रूम, फायर बीटर, पोलस्की आदि

(i) प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं के प्रति उपलब्धियां

- 2011-14 के दौरान राज्य वन विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं में उल्लिखित 280 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली के लक्ष्य के प्रति ₹ 0.25 करोड़ के व्यय से 210 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली प्राप्त की थी, परिणामस्वरूप 70 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली की कमी हुई थी। कमी उपरोक्त अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अंतिम किस्त जारी न किये जाने के कारण थी।
- 2011-14 के दौरान ₹ 0.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर 75 किलो मीटर के निर्माण के लक्ष्य के प्रति ₹ 0.24 करोड़ के व्यय से 59 किलो मीटर वन सड़कों/ मार्गों का निर्माण किया गया था। शेष सड़कों/मार्गों का निष्पादन निधियों की कमी के कारण आरम्भ नहीं किया गया था क्योंकि उपरोक्त अवधि के दौरान भारत सरकार ने अंतिम किस्त जारी नहीं की थी।
- 2011-14 के दौरान 65 भवनों (कार्यालय भवन: 15 तथा जांच चौकियां/दल कुटीर: 50) के निर्माण के लक्ष्यों के प्रति 48 भवनों (कार्यालय भवन: 10 तथा जांच चौकियां/दल कुटीर: 38) का निर्माण हाथ में लिया गया था। निधियों की कमी के कारण मार्च 2014 तक शेष 17 भवनों का निष्पादन आरम्भ नहीं किया गया था। यद्यपि निष्पादन के लिए आरम्भ किए गए सभी भवनों को ₹ 3.42 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किया बताया गया था, तथापि नोडल अधिकारी ने उनके निष्पादन का उचित अनुश्रवण नहीं किया था क्योंकि कुछ भवनों का निर्माण अपूर्ण था जैसाकि उत्तरवर्ती उप-परिच्छेदों में इंगित किया गया है।

(ii) अपूर्ण भवन निर्माण कार्य

15 नमूना जांचित मण्डलों में से दो (बिलासपुर तथा धर्मशाला) में तीन भवनों[13] का निर्माण ₹ 43.20 लाख की अनुमानित लागत पर आरम्भ किया गया था (फरवरी 2011 और नवम्बर 2012 के मध्य)। राज्य वन विभाग ने उनके निर्माण पर ₹ 35.90 लाख का व्यय किया था लेकिन ये मार्च 2014 तक निधियों की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण थे। स्पष्ट रूप से विभाग ने पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किये बिना निर्माण कार्य आरम्भ किया था। भवनों की अपूर्णता के परिणामस्वरूप ₹ 35.90 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी की संशोधित अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्य अरण्यपाल कार्यालय के निर्माण पर ₹ 4.97 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था जोकि अनियमित था।

(iii) वाहनों का प्रतिस्थापन

प्रभावशाली वन प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत अग्रपंक्ति स्टाफ (रेंज अधिकारी) को उपलब्ध करवाने हेतु चार वाहनों की खरीद के लिए ₹ 24.00 लाख की स्वीकृति दी थी (मार्च 2011)। वाहनों की खरीद केन्द्र (90 *प्रतिशत*) और राज्य (10 *प्रतिशत*) के मध्य लागत अंशदान आधार पर की जानी थी। भारत सरकार ने साथ ही साथ इसके लिए ₹ 21.60 लाख जारी किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वन विभाग ने विभाग के चार पुराने वाहनों (जिप्सी वाहन) के प्रतिस्थापन के रूप में ₹ 22.40 लाख की लागत पर चार बोलेरो जीप खरीदी थी (मार्च 2012) और इन्हें अग्रपंक्ति स्टाफ के स्थान पर वन मण्डल अधिकारियों[14] के साथ लगा दी थी। अत: उपरोक्त निर्देशों के विपरीत ₹ 22.40 लाख का व्यय अनियमित था।

---

13 मुख्य अरण्यपाल का कार्यालय भवन (अनुमानित लागत: ₹16.53 लाख), रेंज कार्यालय का कार्यालय भवन (अनुमानित लागत: ₹19.73 लाख) और दल कुटीर बिलासपुर स्थित कुठारना धर्मशाला (अनुमानित लागत: ₹6.94 लाख)

14 पांवटा, नालागढ़, उड़न दस्ता बिलासपुर तथा हमीरपुर

अरण्यपाल (वित्त) ने बताया कि वाहन वन मण्डल अधिकारियों जोकि राज्य वन विभाग की अग्रपंक्ति इकाई हैं, के साथ न्यायसम्मत रूप से संलग्न किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रपंक्ति स्टाफ में मात्र रेंज अधिकारी शामिल होते हैं।

3.3.3 समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन न होना

दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 11 स्कीम की आवधिक समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल की अध्यक्षता के तहत एक समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान करता है जिसमें मुख्य अरण्यपाल (मुख्यालय) इसके सदस्य सचिव और अरण्यपाल सदस्य होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में मार्च 2014 तक समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था जिसने दर्शाया कि स्कीम के अंतर्गत प्रगति की प्रभावशाली समीक्षा/अनुश्रवण नहीं किया गया था। नोडल अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2014) कि समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

अत: वन प्रबंधन के तीव्रीकरण स्कीम के अंतर्गत 2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ के गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती से राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आग नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 10 से 33 *प्रतिशत* के मध्य थी।

लेखापरीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में सरकार को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4 जन स्वास्थ्य अवसंरचना के गैर-सृजन के कारण निधियों का अवरोधन

निधियों के आहरण से पूर्व बाधा रहित निर्माण स्थलों तथा संहिताबद्ध औपचारिकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप एक से 12 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए जन स्वास्थ्य अवसंरचना का गैर-सृजन और ₹ 6.54 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली का नियम 2.10 (ख) 5 अनुबद्ध करता है कि कोषागार से धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। इसी प्रकार उन निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए भी कोषागार से अग्रिमों के आहरण की अनुमति नहीं है, जिनकी पूर्णता में अधिक समय लगने की सम्भावना है।

राज्य सरकार ने 2001-02 से 2011-12 के मध्य स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आदि के 19 भवनों[15] के निर्माण हेतु ₹ 8.06 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की थी। निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध थे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013-जनवरी 2014) तथा आगे एकत्रित सूचना (जुलाई-अगस्त 2014) से पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने दिसम्बर 2006 से सितम्बर 2013 के मध्य पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तीन सामुदायिक

[15] बिलासपुर: चार; कांगड़ा: तीन तथा सिरमौर: 12

स्वास्थ्य केन्द्रों, आठ स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, दो शवगृहों एवं एक बाह्य रोगी विभाग खण्ड के निर्माण के लिए ₹ 6.58 करोड़[16] आहरित किए थे और इस राशि को निष्पादन अभिकरणों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग: ₹ 4.76 करोड़ तथा भारत संचार निगम लिमिटिड: ₹ 1.82 करोड़) के पास जमा करवाये निर्माण कार्यों का निष्पादन अगस्त 2014 तक भूमि की अनुपलब्धता/हस्तांतरण (10 मामले), भूमि विवाद (दो मामले), अस्पष्ट निर्माण स्थल (एक मामला) और निविदाओं[17] को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब (छ: मामले) के कारण आरम्भ नहीं किया गया था, यद्यपि 2006-14 के दौरान निष्पादन अभिकरणों द्वारा इन निर्माण कार्यों की प्रारम्भिक मदों पर ₹ 0.04 करोड़ की राशि व्ययित की गई थी। स्पष्ट रूप से कोषागार से निधियां उपरोक्त राज्य वित्तीय नियम के प्रावधान के विपरीत वास्तविक आवश्यकता के अग्रिम में आहरित की गई थी जिससे विभागीय स्तर पर अनुचित योजना प्रदर्शित हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2013 तथा अगस्त 2014) निधियों का आहरण राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के अनुसार किया गया था। आगे यह भी बताया गया था कि निर्माण कार्य उचित निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, भूमि विवादों, संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, आदि के कारण आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करते कि उपयुक्त/बाधा रहित निर्माण स्थल की उपलब्धता और संहिताबद्ध औपचारिकताओं का अनुसरण सुनिश्चित किये बिना निधियों का अग्रिम आहरण क्यों किया गया था।

अत: निधियों के आहरण से पूर्व बाधा रहित निर्माण स्थल और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य अवसंरचना का गैर-सृजन तथा एक से 12 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए ₹ 6.54 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ जिससे सामान्य जनता अभिप्रेत लाभों से वंचित रही। इसके अतिरिक्त 2010-14 के दौरान राशि को सरकारी खाते से बाहर भारत संचार निगम लिमिटिड के पास रखने के कारण राज्य सरकार को ₹ 31.14 लाख[18] की ब्याज हानि हुई।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.5 ट्रामा केन्द्रों की स्थापना

आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं तथा विशेषज्ञ श्रमशक्ति उपलबध करवाने में विभाग की असफलता और योजना की कमी के कारण ₹ 3.24 करोड़ की लागत पर निर्मित ट्रामा केन्द्र पूरी तरह से क्रियाशील नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने केन्द्रीकृत प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट स्थित सरकारी अस्पताओं में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन तथा सशक्तीकरण हेतु बिलासपुर में एक ट्रामा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹ 1.50 करोड़ की संस्वीकृति (मई 2007) इसे संस्वीकृति की तिथि से दो वर्षों के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त पर दी थी। निधियों का व्यय सिविल कार्यों के निष्पादन (₹ 63.00 लाख), दो एम्बुलैंसों (₹ 20.00 लाख), उपकरणों (₹ 66.00 लाख) की खरीद तथा संचार प्रणाली की स्थापना (₹ 1.00 लाख) पर किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2008)

---

16 बिलासपुर: ₹ 2.29 करोड़; कांगड़ा: ₹ 1.32 करोड़ तथा सिरमौर: ₹ 2.97 करोड़

17 ड्राइंगों को अंतिम रूप न दिया जाना, अनुमानों का संशोधन, आदि

18 राज्य सरकार उधारों पर औसत ब्याज दर पर आकलित

किये गये संशोधित प्राक्कलनों के आधार पर ट्रामा केन्द्र भवन के निर्माण के लिए ₹ 2.00 करोड़ (केन्द्र: ₹ 0.63 करोड़ तथा राज्य: ₹ 1.37 करोड़) का अनुमोदन (नवम्बर 2011) प्रदान किया। तथापि इसकी पूर्णता की संशोधित समय सीमा संशोधित अनुमोदन में अनुबद्ध नहीं की गई थी। ट्रामा केन्द्र के लिए विशेषज्ञ श्रमशक्ति[19] विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादन के लिए सिविल निर्माण कार्य निक्षेप निर्माण कार्यों के रूप में सितम्बर 2008 में हाथ में लिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) तथा आगे एकत्रित सूचना (जून 2014) ने दर्शाया कि लोक निर्माण विभाग ने ₹ 2.35 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 0.63 करोड़ तथा राज्य: ₹ 1.72 करोड़) का व्यय करने के पश्चात भवन का निर्माण जून 2012 में पूर्ण किया । राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अतिरिक्त निधियां अन्य चल रहे निर्माण कार्यों से अपवर्तित की गई थी। विभाग द्वारा ट्रामा केन्द्र को चलाने के लिए जून 2012 तक ₹ 10.36 लाख की लागत पर एक एम्बुलैंस और ₹ 78.82 लाख की लागत पर मशीनरी एवं उपकरण भी खरीदे गये थे। तथापि यह पाया गया था कि ट्रामा केन्द्र को पूर्णत: क्रियाशील बनाने के लिए अपेक्षित नियमित विशेषज्ञ श्रमशक्ति[20] जून 2014 तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन थियेटर, रैंप तथा लिफ्ट जो मूल योजना में सम्मिलित नहीं थे, समेत आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। यह विभागीय स्तर पर उपयुक्त योजना की कमी दर्शाता है। परिणामस्वरूप ट्रामा केन्द्र विगत दो वर्षों से पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं किया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (जून 2014) कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑपरेशन थियेटर के प्रारूप अनुमोदन के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि मशीनरी एवं उपकरण ट्रामा रोगियों के अतिरिक्त सामान्य रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे और क्षेत्रीय अस्पताल, बिलासपुर के विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं ट्रामा रोगियों के लिए भी ली जा रही थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ट्रामा केन्द्र की स्थापना का मूल लक्ष्य अप्राप्य रहा था।

अत: आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं तथा विशेषज्ञ श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता और योजना की कमी के कारण ₹ 3.24 करोड़ की लागत पर निर्मित ट्रामा केन्द्र पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं किया गया था, जिससे इसका वास्तविक लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

उच्च शिक्षा विभाग

3.6 शिक्षकों के वेतन पर अनुचित व्यय

विद्यालयों के उन्नयन और विज्ञान तथा वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने हेतु मानदण्डों का पालन करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप शिक्षकों के वेतन पर ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, 2001 के परिच्छेद 2.8.3.2 (3) के अनुसार विद्यालय में विज्ञान तथा वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का पंजीकरण आवश्यक है। निदेशक,

[19] एनेस्थिटिस्ट, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, ऑर्थो-विशेषज्ञ तथा सहायक स्टॉफ

[20] एनेस्थिटिस्ट, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, ऑर्थो-विशेषज्ञ

उच्च शिक्षा ने आगे निर्देश जारी किये थे (अप्रैल 2009) कि विज्ञान तथा वाणिज्य समूह तभी आरम्भ किए जाएं जब 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विद्यालय में ये समूह उपलब्ध नहीं होंगे। उन मामलों में जिनमें ये समूह पहले से कार्य कर रहे थे, वहां तीन निरंतर वर्षों में पंजीकरण 30 विद्यार्थियों से कम नहीं होना चाहिए और यदि पंजीकरण लगातार कम रहता है निदेशक, उच्च शिक्षा से इन समूहों को नियमित रखने के लिए आवश्यक अनुमति ली जानी चाहिए और ऐसी अनुमति लिए बिना इन समूहों में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सप्ताह में 54 पीरियड (छः दिनों के लिये निर्दिष्ट समय के नौ पीरियड) होगें और संस्थान की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक को अन्य प्रशासनिक एवं सह-पाठ्य गतिविधियों सहित न्यूनतम 36 पीरियड्स (एक हफ्ते के छः दिनों के लिए प्रति दिन छः पीरियड) सौंपे जायेंगे।

प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माताहानी, जिला हमीरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) तथा प्राप्त की गई सूचना (जनवरी 2014) ने दर्शाया कि विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2006-07 से माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक में उन्नयन किया गया था (जनवरी 2006)। तथापि 2006-14 के दौरान 10+1 तथा 10+2 में विज्ञान समूह के अंतर्गत पंजीकृत विद्याार्थियों की संख्या शून्य से 19 के मध्य थी जबकि वाणिज्य समूह में यह शून्य से 16 के मध्य थी। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माताहानी के 10 किलो मीटर के दायरे के भीतर विज्ञान तथा वाणिज्य समूह उपलब्ध करवाने वाले तीन[21] राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और अन्य निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों के विद्यमान होने के बावजूद विज्ञान तथा वाणिज्य समूह आरम्भ किए गए थे और ये समूह (जनवरी 2014) आठ वर्षों तक निरंतर कम पंजीकरण के बाद भी जारी रखे गए थे, वो भी निदेशक, उच्च शिक्षा से स्वीकृति लिए बिना। आगे यह भी पाया गया कि 2007-14 के दौरान (दिसम्बर 2013 तक) 36 पीरियड के अपेक्षित न्यूनतम शिक्षण कार्यभार के प्रति विज्ञान तथा वाणिज्य समूहों के छः शिक्षकों को सह-पाठ्य गतिविधियों सहित मात्र 26 पीरियड सौंपे गए थे। अतः मार्च 2008 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों के शिक्षकों के वेतन पर किया गया ₹ 1.43 करोड़ का व्यय पूर्णतया अनुचित रहा।

प्राचार्य ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2014) कि विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय जनता की मांग और भविष्य में पंजीकरणों में वृद्धि की प्रत्याशा पर चल रही थी। प्राचार्य का उत्तर निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम लगातार कम पंजीकरणों तथा आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना चल रहे थे।

अतः नवीन समूह आरम्भ करने के लिए मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

---

21 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अमरोह, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक (बाल) विद्यालय, हमीरपुर

उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

3.7 छात्रावासों तथा आवासीय निवास के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप उनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय बडे पैमाने पर निष्फल रहा।

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के पुरूष छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 1.52 करोड[22] की लागत पर क्रमश: राजकीय महाविद्यालय, बासा (जिला मण्डी) और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम (जिला किन्नौर) में दो छात्रावास निर्मित किए गए थे (2008-09) और सितम्बर 2010 में उपरोक्त वर्णित संस्थानों को हस्तांतरित किए गए थे। इन भवनों के निर्माण के लिए निधियां सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी।

निदेशक, उच्च शिक्षा (नवम्बर 2011) और प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम (नवम्बर 2013) के अभिलेखों की संवीक्षा तथा आगे एकत्रित सूचना (दिसम्बर 2013) ने दर्शाया कि 2010-13 के दौरान राजकीय महाविद्यालय, बासा में 180 (वार्षिक अंतर्ग्रहण क्षमता: 60) विद्यार्थियों की क्षमता के प्रति मात्र 49 विद्यार्थियों[23] को छात्रावास रिहायिश आवंटित की गई थी। दिसम्बर 2013 तक अनुसूचित जाति वर्ग के मात्र चार विद्यार्थियों, जिनके लिए छात्रावास का निर्माण किया गया था, ने छात्रावास रिहायिश के लिए आवेदन किया था जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम में किसी भी विद्यार्थी ने छात्रावास रिहायिश के लिए आवेदन नहीं किया था। छात्रावास कम-प्रयुक्त/ अप्रयुक्त रहे क्योंकि ये मात्र स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता दिये गए विद्यालय/महाविद्यालय में निर्मित किए गए थे।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम तथा राजकीय महाविद्यालय, बासा के प्राचार्यों ने छात्रावास रिहायिशों के कम/गैर-प्रयोग का कारण मुख्यत: छात्रों का निकटवर्ती स्थानों से आना बताया था (नवम्बर-दिसम्बर 2013)। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये सभी पहलू इन छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले ध्यान में रखे जाने चाहिए थे। प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम ने यह भी बताया कि छात्रावास में कक्षाएं तथा प्रयोगशाला चलाई जा रही हैं क्योंकि शिक्षण-कक्षों की कमी थी। यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कक्षाएं तथा प्रयोगशाला को छात्रावास कक्षों में चलाना उचित नहीं था क्योंकि छात्रावास कक्षों के परिमाप शिक्षण कक्षों तथा प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।

(ii) प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम के अभिलेखों की आगे संवीक्षा (नवम्बर 2013) ने दर्शाया कि शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यशवंत गुरूकुल आवास योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 19.50 लाख की लागत पर आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया गया था (2008-09) और सितम्बर 2010 में प्राचार्य को हस्तांतरित किए गए थे। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया था कि तीन वर्षों से अधिक की अवधि के बाद भी उपरोक्त वर्णित आवासीय

22 राजकीय महाविद्यालय, बासा: ₹ 1.09 करोड़ तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम: ₹ 43 लाख

23 2010-11: 11 (अनुसूचित जाति: एक, अन्य पिछडा वर्ग: दो तथा सामान्य: आठ); 2011-12: आठ (अन्य पिछडा वर्ग: तीन तथा सामान्य: पांच) तथा 2012-13: 30 (अनुसूचित जाति: तीन, अन्य पिछडा वर्ग: दो तथा सामान्य: 25)

क्वार्टर मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से शिक्षकों के आने के कारण आवंटित नहीं किये गये थे।

प्राचार्य ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2013) कि आवासीय रिहायिशें आवंटित नहीं की जा सकी थी क्योंकि अधिकांश शिक्षक स्थानीय निवासी थे। प्राचार्य का उत्तर पुष्टि करता है कि आवासीय रिहायिश का निर्माण बताए गए लक्ष्य के सम्बंध में वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना किया गया था और इस प्रकार ₹ 19.50 लाख का समस्त व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

अत: वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप इनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल सिद्ध हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

3.8 जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि पर निष्फल व्यय

जलापूर्ति स्कीम, मूलधार कठांडा की वृद्धि पर किया गया ₹ 1.19 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि लाभार्थियों को परिकल्पित पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

राज्य सरकार ने सात[24] ग्राम पंचायतों के 24 ग्रामों के 5039 व्यक्तियों को पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जिला कुल्लू के निरमंड खंड में विद्यमान जलापूर्ति स्कीम, मूलधार कठांडा की वृद्धि (1978-79) के लिए नाबार्ड[25] की आर.आई.डी.एफ.[26]-XIII के अंतर्गत ₹ 1.24 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन जून 2011 तक पूर्ण किए जाने की शर्त पर दिया (जून 2008) था। स्कीम की तकनीकी संस्वीकृति ₹ 1.20 करोड़[27] के लिए दी गई थी (सितम्बर से नवम्बर 2008 के मध्य)। कार्यक्षेत्र में दो अंतर्ग्रहण चैम्बरों, चार भंडारण टैंक[28], एक सैडिमेंनटेशन टैंक (53000 लीटर), तीन इकाई फिल्टर बैड, चार स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण और गैल्विनाइज्ड आयरन पाइपों[29] को बिछाना सम्मिलित था।

आनी मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि मार्च 2012 तक 2185 प्रवाही मीटर[30] गैल्विनाइज्ड पाइपों को बिछाना, दो अंतर्ग्रहण चैम्बर तथा एक स्टोरेज टैंक (7000 लीटर क्षमता) के निर्माण को छोड़कर मार्च 2012 तक स्कीम के समस्त घटक ₹ 1.19 करोड़ के व्यय से पूर्ण कर लिये गए थे। उपरोक्त घटक भूमि मालिकों द्वारा उनकी भूमि से गैल्विनाइज्ड पाइपों, आदि, के बिछाने के लिए आपत्तियों (मार्च 2012) के कारण निष्पादित नहीं किए गए थे। विभाग ने 2000 में प्राप्त किए गए

24 अरसू, बारी, बहवा, भालसी, कोटे, निरमण्ड तथा निशानी

25 कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

26 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

27 सितम्बर 2008: ₹ 59.99 लाख, अक्तूबर 2008: ₹ 39.31 लाख तथा नवम्बर 2008: ₹ 20.36 लाख

28 क्षमता: 99000 लीटर, 60000 लीटर, 12300 लीटर तथा 7000 लीटर

29 15 मिलीमीटर डायामीटर: 6020 प्रवाही मीटर, 20 मिलीमीटर डायामीटर: 3750 प्रवाही मीटर, 25 मिलीमीटर डायामीटर: 2070 प्रवाही मीटर, 32 मिलीमीटर डायामीटर: 670 प्रवाही मीटर, 40 मिलीमीटर डायामीटर: 2671 प्रवाही मीटर, 50 मिलीमीटर डायामीटर: 2260 प्रवाही मीटर, 80 मिलीमीटर डायामीटर: 2020 प्रवाही मीटर, 100 मिलीमीटर डायामीटर: 7200 प्रवाही मीटर तथा 125 मिलीमीटर डायामीटर: 2000 प्रवाही मीटर

30 गैलविनाइज्ड आयरन पाइप 125 मिलीमीटर डायामीटर: 1100 प्रवाही मीटर तथा गैलविनाइज्ड आयरन पाइप 100 मिलीमीटर डायामीटर: 1085 प्रवाही मीटर

पंचायत प्रस्तावों के आधार पर 2008 में स्कीम को अंतिम रूप दिया था और भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र सुनिश्चित नहीं किए गए थे। कार्य मार्च 2012 से निलंबित स्थिति में पडा था और इस प्रकार स्कीम मार्च 2014 तक प्रचालनीय नहीं की गई थी।

मंडल के अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2014) कि सम्बंधित ग्राम पंचायत से आवश्यक स्वीकृतियां पहले ही ले ली गई थी लेकिन भूमि मालिकों ने आपत्ति उठाई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को स्कीम आरम्भ करने से पूर्व भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने चाहिए थे।

अत: भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप स्कीम समय पर पूर्ण नहीं की गई और ₹ 1.19 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त लाभार्थी पर्याप्त पेय जल की सुविधा से वंचित रहे।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.9 प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण पर निष्फल व्यय

मोचका खड़गा प्रवाह सिंचाई स्कीम के निष्पादन के लिए उचित योजना की कमी से लाभार्थियों को वांछित लाभ मुहैया करवाने में विलम्ब हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 1.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

जिला कुल्लू में कृषियोग्य कमांड क्षेत्र के 175.30 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 11.260 किलोमीटर मोचका खड़गा प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण के लिए राज्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 49.71 लाख का व्यय किया गया था (1980-2003)। तथापि स्कीम के अंतर्गत निर्माण कार्य[31] पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और किया जा चुका कार्य वर्षा से नष्ट होने तथा फिसलनों से भरा होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। निर्माण कार्यों को रि-ग्रेड करने के लिए ₹ 51.59 लाख संस्वीकृत किए गये थे (नाबार्ड: नवम्बर 2002 में ₹ 46.59 लाख और एस.सी.एस.पी[32]: मार्च 2008 में ₹ 5.00 लाख)। निर्माण कार्य मार्च 2009 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध थे।

आनी मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि अक्तूबर 2010 तक ₹ 1.02 करोड़[33] के कुल व्यय के साथ 55 *प्रतिशत* निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था (पत्तरा कटिंग 10579 प्रवाही मीटर; सी.सी. लाइनिंग: 4281 प्रवाही मीटर तथा स्रोत पर अस्थायी बांध: एक संख्या)। इसके बाद निधियों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम परित्यक्त रही और इस बीच में किये गये निर्माण कार्य का भी अपक्षीणन हुआ। कार्य की आगे रि-ग्रेडिंग तथा शेष कार्य की पूर्णता के लिए मंडल ने अधीक्षण अभियंता, कुल्लू के अनुमोदन के लिए ₹ 1.48 करोड़[34] के संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किये थे (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) जो नवम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे। इसने इंगित किया कि स्कीम का निष्पादन उचित योजना के बिना आरम्भ किया गया था। इसके अतिरिक्त निधियां समयबद्ध रूप से जारी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप स्कीम को समय पर क्रियाशील नहीं किया जा सका था।

---

31 *पत्तरा कटिंग* 11260 प्रवाही मीटर.; सी.सी. लाइनिंग: 11260 प्रवाही मीटर., आउटलेट: आठ संख्या, नाला क्रोसिंग: दो संख्या, स्रोत पर अस्थायी बांध: एक संख्या तथा हैड वियर: एक संख्या

32 अनुसचित जाति उप योजना

33 राज्य शीर्ष: ₹ 49.71 लाख; नाबार्ड: ₹ 47.12 लाख तथा अनुसूचित जाति उप योजना: ₹ 5.46 लाख

34 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम: फरवरी 2014 में ₹ 0.92 करोड़ तथा पिछडा क्षेत्र उप-योजना: जनवरी 2014 में ₹ 0.56 करोड़

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2014-नवम्बर 2014) कि निर्माण कार्य अपर्याप्त बजट प्रावधान तथा कठिन भौगोलिक दशाओं के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग को समय पर स्कीम की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की उचित योजना करनी चाहिए।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.10 उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर अनुत्पादक व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप उठाऊ जलापूर्ति स्कीम अपूर्ण रही और ₹ 74.84 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

अली खड्डु से रोहिन (जिला बिलासपुर) तक उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के निर्माण हेतु ₹ 52.41 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति दी गई थी (मार्च 2007)। स्कीम रोहिन तथा इसके साथ लगे हुए ग्रामों के 1555 निवासियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई थी। यह प्रस्तावित था कि 5660 मीटर लम्बाई में ग्रेवटी मेन सहित उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण द्वारा स्रोत से पानी उठाया जाये। स्कीम को मार्च 2010 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था।

बिलासपुर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) ने दर्शाया कि स्कीम का निष्पादन सितम्बर 2009 में आरम्भ किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 पर कन्दरौर पुल (सतलुज नदी पर) पर 460 मीटर की लंबाई में ग्रेवटी मेन के एक भाग को बिछाने को छोड़कर स्कीम के समस्त संघटक मार्च 2010 तक पूर्ण कर लिये गये थे। पुल के आर-पार ग्रेवटी मेन को बिछाने से सम्बंधित निर्माण कार्य इस तथ्य के कारण निष्पादित नहीं किया गया था कि विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति नहीं ली थी। आगे यह भी पाया गया था कि पुल की रेलिंगों से बाहर पाइपलाईन को फिक्स करने की स्कीम की रूपरेखा यथार्थत: उचित नहीं थी। रूपरेखा बनाते समय महत्त्वपूर्ण प्रभाव वाले वाटर हैमर पर विचार नहीं किया गया था और पुल की रेलिंगों पर पाइप लाईन को सहारा देना सुरक्षित नहीं था। मंडल ने अन्य निर्माण कार्यों की पूर्णता से तीन वर्षों के पश्चात् मई 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से स्वीकृति मांगी थी जो प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)। परिणामस्वरूप स्कीम दिसम्बर 2014 तक प्रचालित नहीं की गई थी। इस बीच में स्कीम पर ₹ 74.84 लाख का व्यय किया जा चुका था।

मंडल के अधिशाषी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2014) कि कन्दरौर पुल पर ग्रेवटी मेन बिछाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण स्कीम आरम्भ नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने निष्पादन के लिए स्कीम को आरम्भ करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी और पुल पर ग्रेवटी मेन को बिछाने की त्रुटिपूर्ण रूपरेखा के कारण विगत चार वर्षों से स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

अत: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से विभागीय स्तर पर पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की योजना में दूरदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप स्कीम अपूर्ण रही जिससे ₹ 74.84 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हुई।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

3.11 अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को अतिरिक्त भुगतान और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि

अस्पताल के निर्माण पर वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली के गैर-अनुपालन से ₹ एक करोड़ सरकारी लेखा से बाहर रखे जाने के अतिरिक्त ₹ 51.60 लाख की ब्याज हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 का नियम 2.10 (ख) 5 अनुबद्ध करता है कि कोषागार से धन तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो।

राज्य सरकार ने ₹ 54.99 करोड़ की अनुमानित लागत पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टांडा के लिए 500 बैड वाले अस्पताल भवन के निर्माण को अनुमोदित किया था (जून 2003 तथा जून 2007)। भवन का निर्माण अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम (भारत) लिमिटिड, नोएडा द्वारा किया जाना था। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री अभिकरण के साथ अनुबंध किया था (सितम्बर 2000)। अनुबंध के अनुसार परामर्शदात्री अभिकरण को चल भुगतान प्रारम्भिक/विस्तृत लागत अनुमानों जो अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम द्वारा प्रत्येक तीसरे महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है, के आधार पर किये जाने थे। तथापि अंतिम भुगतान परियोजना के वास्तविक व्यय के आधार पर जारी किया जाना था। भवन का निर्माण दिसम्बर 2005 तक पूर्ण किया जाना अनुबद्ध था।

प्राचार्य, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी-जून 2014) में पाया गया कि अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम द्वारा निष्पादन के लिए भवन का निर्माण जून 2003 में आरम्भ किया गया था तथा मार्च 2007 में पूर्ण किया था। प्राचार्य द्वारा अक्तूबर 2000 तथा मार्च 2006 के मध्य ₹ 54.99 करोड़[35] आहरित किये थे और अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम को अक्तुबर 2000 तथा अप्रैल 2007 के मध्य ₹ 53.99 करोड़[36] जारी किये थे। यह पाया गया था कि ₹ 53.99 करोड़ में से ₹ 50.47 करोड़ अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण कार्य प्रगति के आधार पर आवधिक रूप से जारी किये गये थे, लेकिन ₹ 3.52 करोड़ का अंतिम भुगतान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय की जांच किये बिना किया गया था। जुलाई 2009 में प्राचार्य से प्राप्त किये निर्माण कार्यों के विस्तृत लेखों की जांच से यह सुनिश्चित किया गया था कि ₹ 53.99 करोड़ की कुल जारी राशि के प्रति भवन के निर्माण पर ₹ 52.43 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम को ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम द्वारा जून 2014 तक राशि प्रत्यर्पित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि मार्च 2006 में कोषागार से आहरित ₹ एक करोड़ (अर्थात ₹ 54.99 करोड़ - ₹ 53.99 करोड़) की शेष राशि फरवरी 2011 तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई थी

[35] अक्तूबर 2000 से मार्च 2005 के मध्य: ₹ 50.47 करोड़ तथा मार्च 2006: ₹ 4.52 करोड़

[36] अक्तूबर 2000: ₹ 1.00 करोड़; सितम्बर 2003: ₹ 1.29 करोड़; दिसम्बर 2003: ₹ 7.00 करोड़; मार्च 2004: ₹ 6.50 करोड़; जुलाई 2004: ₹ 6.00 करोड़; अक्तूबर 2004: ₹ 3.00 करोड़; नवम्बर 2004: ₹ 5.00 करोड़; जनवरी 2005: ₹ 5.00 करोड़; मार्च 2005: ₹ 15.00 करोड़; जुलाई 2005: ₹ 0.68 करोड़ तथा अप्रैल 2007: ₹ 3.52 करोड़

और उसके पश्चात बैंक में फिक्सड डिपोसिट प्राप्तियों के रूप में रखी गई थी। जून 2014 तक राशि फिक्सड डिपोसिट प्राप्तियों के रूप में जमा रही थी। सरकारी धन को पांच वर्षों तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में और आठ वर्षों से अधिक समय के लिए सरकारी लेखा से बाहर रखना हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के उपरोक्त प्रावधान के विपरीत था। आठ वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ एक करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.60 लाख (सरकारी उधारों की औसत ब्याज दरों पर गणना की गई) की ब्याज हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त मार्च 2006 से फरवरी 2011 के दौरान बैंक को अनुचित लाभ दिया गया था।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2014) कि अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम से राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया था। फिक्सड डिपोजिट प्राप्ति में रखे गये ₹ एक करोड़ के सम्बंध में यह बताया गया था कि राशि बर्न इकाई के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को जारी की जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग वित्तीय आदेशों तथा सख्त मितव्ययी अर्थव्यवस्था को सख्ती से लागू करने में असफल रहा था।

अत: अस्पताल भवन के निर्माण पर किए गए वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली की गैर-अनुपालना से ₹ एक करोड़ सरकारी लेखों से बाहर रखने के अतिरिक्त ₹ 51.60 लाख की ब्याज हानि हुई।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

योजना विभाग

3.12 पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन

स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ की निधियां आहरित कर बैंकों में रखी गई थी। 2011-14 के दौरान पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्रों के अंतर्गत ₹ 10.31 करोड़ के 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। 11 निष्पादन अभिकरणों द्वारा जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे जिसमें चार से 72 महीनों का विलम्ब हुआ।

राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लक्ष्य के साथ पहचान किए गए पिछडा क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए जून 1974 में पिछडा क्षेत्र उप-योजना आरम्भ की गई थी। तथापि इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन 1995-96 से आरम्भ किया गया था। इस उद्देश्य के लिए परिव्यय को गैर-अपवर्तित बनाने हेतु अनुदान के लिए एक भिन्न मांग लाई गई। स्कीम राज्य के 10 गैर-जनजातीय जिलों में विकास के 13[37] क्षेत्रों/शीर्षों में लाइन विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस उप-योजना

[37] कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बागवानी, लघु सिंचाई, सड़क तथा पुल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी तथा मृदा संरक्षण

के अंतर्गत उपायुक्तों को स्कीम की संस्वीकृति तथा अनुश्रवण के लिए नियंत्रण अधिकारी घोषित किया गया है।

मई-जुलाई 2014 के दौरान शिमला क्षेत्र में दो उपायुक्तों[38] के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 2011-14 की अवधि को आवृत करती पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना की लेखापरीक्षा की गई थी। इन जिलों में 23 निष्पादन अभिकरणों में से 11[39] के अभिलेखों (सड़क तथा पुल क्षेत्रों) की नमूना जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

3.12.1 योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन

3.12.1.1 वार्षिक कार्य योजना

नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों द्वारा समस्त क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित स्कीमों के नाम, राशि, वास्तविक लक्ष्यों, आदि, को दर्शाती वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी थी और आगामी वित्त वर्ष के आरम्भ से पूर्व जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान उपायुक्तों द्वारा नमूना-जांचित जिलों की वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। आगे, जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने भी आयोजित बैठकों (**परिच्छेद 3.12.3.3**) में वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार न किये जाने और उनके अनुमोदन का संज्ञान नहीं लिया था। अत: वार्षिक कार्य योजनाओं के न होने से 2011-14 के दौरान उपायुक्तों द्वारा ₹ 18.45 करोड़ की समस्त राशि तदर्थ तरीके से संस्वीकृत और जारी की गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2014) उपायुक्त, शिमला ने वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करने के कारण नहीं बताये। उपायुक्त, सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई थी और जिले की जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवा ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपायुक्त द्वारा अपेक्षित विस्तृत कार्य योजनाओं के स्थान पर मात्र बजट प्राक्कलन तैयार किए गए थे।

3.12.1.2 निधियों की उपलब्धता और इनको निष्पादन अभिकरणों को जारी किया जाना

व्यय को एक चरणबद्ध रूप में विनियमित करने के लिए और किसी असामान्य उतार-चढावों से बचने के लिए पिछडा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 14 वित्तीय वर्ष के दौरान उपायुक्तों द्वारा किये जाने वाले व्यय की तिमाहीवार प्रतिशतता[40] का प्रावधान करता है। आगे राज्य सरकार निर्देशों (जनवरी 2004) के अनुसार, निधियां कोषागार से तब तक आहरित नहीं की जायें जब तक ये तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। इसी प्रकार ऐसी निधियां बैंक/डाकखाने में नहीं रखी जानी चाहिये। लेखापरीक्षा में निम्नवत कमियां पाई गई :

(i) 2011-14 के दौरान ₹ 17.46 करोड़[41] के आवंटन के प्रति नमूना जांचित उपायुक्तों ने स्कीमों/निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कोषागार से समस्त राशि आहरित की थी। यद्यपि उपरोक्त अवधि के दौरान बुक किया गया व्यय आवंटित निधियों के बराबर था, बुक किये गये व्यय ने केवल

---

[38] शिमला तथा सिरमौर

[39] खंड विकास अधिकारी: पांच (छोहारा, चौपाल, पांवटा साहिब, रोहडू तथा संगड़ाह), उप मंडलीय अधिकारी (सिविल) के अंतर्गत उप-खंड, डोडरा क्वार तथा लोक निर्माण मंडल: पांच (चौपाल, डोडरा क्वार, पांवटा साहिब, रोहडू तथा संगड़ाह)

[40] व्यय की प्रतिशतता: प्रथम तिमाही: 25, द्वितीय तिमाही: 40, तृतीय तिमाही: 25 तथा चतुर्थ तिमाही:10

[41] 2011-12: ₹ 3.96 करोड़; 2012-13: ₹ 6.91 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 6.59 करोड़

सरकारी खाते से आहरित राशि को ही प्रतिबिम्बित किया था, न कि निष्पादित निर्माण कार्यों पर वास्तव में खर्च की गई राशि दर्शाई थी जैसा कि **परिच्छेद संख्या 3.12.2.3** में इंगित किया गया है।

(ii) उपरोक्त निर्देशों के विपरीत 2011-14 के दौरान नमूना-जांचित जिलों मे प्रत्येक वर्ष की चौथी तिमाही में व्यय 16 से 59 *प्रतिशत* के मध्य था। नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि व्यय जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति (सिरमौर जिला) द्वारा स्कीमों के अनुमोदन के पश्चात और पंचायतों, आदि से प्रस्तावों की (जिला शिमला) प्राप्ति पर किया गया था। उत्तर दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उपायुक्तों को नियंत्रित रूप से निधियों का जारीकरण सुनिश्चित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त 2011-14 के दौरान जिला सिरमौर में अंतिम तिमाही में जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी जैसा कि **परिच्छेद संख्या 3.12.3.2** में इंगित किया गया है।

(iii) 2011-14 के दौरान नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा निधियों की कुल उपलब्धता और निष्पादन अभिकरणों को जारीकरण **तालिका-3.12.1** में दिया गया है।

तालिका-3.12.1

2011-14 के दौरान निधियों की वर्षवार उपलब्धता और इनका निष्पादन अभिकरणों को जारीकरण

(₹ करोड़)

वर्ष	अधशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां	निधियों की कुल उपलब्धता	निष्पादन अभिकरणों को जारी निधियां	शेष
2011-12	1.23	3.96	5.19	4.92	0.27
2012-13	0.27	6.91	7.18	6.94	0.24
2013-14	0.24	6.59	6.83	6.59	0.24
योग		**17.46**		**18.45**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-3.12.1 से देखा जा सकता है कि उपरोक्त निर्देशों के विपरीत, ₹ 1.98 करोड़ राशि की निधियां आवश्यकता के प्रति अग्रिम रूप में आहरित कर (2010-11: ₹ 1.23 करोड़; 2011-12 ₹ 0.27 करोड़; 2012-13: ₹ 0.24 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 0.24 करोड़) बैंकों में रखी गई थी। कोषागार में निधियां जमा करवाने के स्थान पर इन्हें आगे ले जाया गया और निष्पादन अभिकरणों को अनुवर्ती वर्षों के दौरान जारी किया गया। अत: निधियां सरकारी खाते और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखी गई थी।

(iv) नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों में वित्तीय वर्षों 2011-14 के अंत में ₹ 4.34 करोड़ से ₹ 5.39 करोड़ के मध्य की निधियां बैंकों में अप्रयुक्त रखी थी और अनुवर्ती वर्षों में ले जाई गई थी। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने के अतिरिक्त स्कीमों को समय पर निष्पादित भी नहीं किया गया था (**परिच्छेद 3.12.2.3**)। सम्बन्धित निष्पादन अभिकरणों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के निष्पादन और निधियों का उपयोग की गति तीव्र करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निष्पादन अभिकरणों ने निधियों के समयबद्ध उपयोग के लिए प्रयास नहीं किए थे।

3.12.1.3 जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना निधियों का पुनर्विनियोजन

जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति को उपक्रम अवसंरचनात्मक विकास के लिए क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित बजट का अंतर्विभागीय/क्षेत्रीय

पुनर्विनियोजन करने का अधिकार दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अंत में नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹ 4.96 करोड़ (**परिशिष्ट-3.1**) के विभागीय/अंतर्क्षेत्रीय पुनर्विनियोजन किए गए थे।

उपायुक्त शिमला ने बताया (जून 2014) कि पुनर्विनियोजन शीघ्र ही जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवा लिए जायेंगे। उपायुक्त सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि योजना विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन वित्त विभाग से अनुमोदन के पश्चात किया गया है। उत्तर पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत है।

3.12.2 स्कीमों का कार्यान्वयन

3.12.2.1 प्राक्कलनों के तकनीकी अनुमोदन के बिना निर्माण कार्यों की संस्वीकृति

राज्य सरकार के निर्देशों (दिसम्बर 1999) के अनुसार उपायुक्तों द्वारा निर्माण कार्यों की संस्वीकृति से पूर्व प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। इस अनुबंध के उल्लंघन में 2011-14 के दौरान नमूना जांचित उपायुक्तों द्वारा पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सडक तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 10.31 करोड़ की लागत के 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे जिससे अंततः निर्माण कार्यों की प्रगति बाधित हुई (**परिच्छेद 3.12.2.3 तथा 3.12.2.4**)। उपायुक्त शिमला ने बताया (जून 2014) कि समस्त संस्वीकृत निर्माण कार्य का तकनीकी अनुमोदन सम्बंधित निष्पादन अभिकरणों द्वारा प्राप्त किया जाना था। उपायुक्त सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि निर्माण कार्य/स्कीम निष्पादन अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार संस्वीकृत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति देने से पहले स्कीमों की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए थी।

3.12.2.2 अस्वीकार्य निर्माण कार्यों पर व्यय

पिछडा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देश प्रावधान करते हैं कि विकासात्मक निर्माण कार्य सामान्य जन को लाभान्वित करने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संस्वीकृत किया जाना चाहिए। स्कीम उन निर्माण कार्यों[42] की सूची भी प्रस्तुत करती है जिनके लिए निधियों का जारीकरण पूर्णतया निषेध है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में 2009-13 के दौरान उपायुक्त शिमला ने सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 0.95 करोड़ (परिसीमा दीवारें-29 कार्य: ₹ 0.41 करोड़; सामुदायिक भवन-पांच कार्य: ₹ 0.10 करोड़, महिला मंडल भवन-दो कार्य: ₹ 0.02 करोड़ तथा मरम्मत कार्य-19: ₹ 0.42 करोड़) की लागत के 55 अस्वीकार्य निर्माण कार्यों को संस्वीकृति दी थी।

3.12.2.3 निर्माण कार्यों की प्रास्थिति

पिछडा क्षेत्र उप-योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों द्वारा संस्वीकृत निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिए। तथापि यह पाया गया था कि:

(i) 2011-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों ने पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ₹ 10.31 करोड़ के लिए संस्वीकृत सडकों तथा पुलों से सम्बंधित 592 निर्माण कार्यों के

42 सामुदायिक हॉल, महिला मंडल भवन परिसीमा दीवारें तथा मुरम्मत कार्य

वास्तविक निष्पादन की प्रास्थिति के आंकडे अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किए थे। सम्बंधित उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि निष्पादन अभिकरणों को निर्माण कार्यों की समयबद्ध पूर्णता के लिए निदेश जारी किये गये थे।

(ii) 11 नमूना-जांचित निष्पादन अभिकरणों में निर्माण कार्यों के निष्पादन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- 2011-14 के दौरान ₹ 7.97 करोड़ के लिए संस्वीकृत 461 निर्माण कार्यों में से 232 निर्माण कार्य ₹ 3.60 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किए गए थे। शेष 229 निर्माण कार्यों में से ₹ 1.61 करोड़ की संस्वीकृत लागत से अंतर्ग्रस्त 104 निर्माण कार्य ₹ 0.77 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद अपूर्ण थे और ₹ 2.69 करोड़ के लिए संस्वीकृत 125 निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किए गए थे।
- 2008-11 के दौरान ₹ 2.10 करोड़ के लिए संस्वीकृत 66 निर्माण कार्यों में से 23 निर्माण कार्य (संस्वीकृत लागत: ₹ 0.83 करोड़) ₹ 0.59 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद अपूर्ण थे और ₹ 1.26 करोड़ के लिए संस्वीकृत 43 निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किए गए थे। निर्माण कार्यों को आरम्भ करने/पूर्णता में विलम्ब तीन से छः वर्षों के मध्य था।

निर्माण कार्यों का आरम्भ न किये जाने/पूर्णता न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ, इसके अतिरिक्त क्षेत्र के लोग अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। निष्पादन अभिकरणों ने बताया (मई-जूलाई 2014) कि भूमि की अनुपलब्धता, सीमित कार्य मौसम, पंचायतों द्वारा विलम्ब, आदि के कारण निर्माण कार्यों के आरम्भ/पूर्णता में विलम्ब था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि निष्पादन अभिकरणों ने समय पर निर्माण कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की थी।

3.12.2.4 निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन/स्थल निरीक्षण

लेखापरीक्षा द्वारा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत कुछ निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण के दौरान निम्नवत् कमियां पाई गई थी:

(i) निष्फल व्यय

मार्च 2010 में संगड़ाह लोक निर्माण मंडल द्वारा निष्पादन के लिए 2/0 से 3/510 किलोमीटर लाना चेट्टा बसाली सड़क का निर्माण आरम्भ किया गया था। ₹ 13 लाख के व्यय पर 2/765 किलोमीटर तक सड़क के निर्माण के बाद निर्माण कार्य निधियों के अभाव के कारण अवरूद्ध हुआ था (जून 2013) और 2/0 किलोमीटर पर नेत खल्ला पर वाहन योग्य पुल के गैर-निर्माण के कारण निर्मित सड़क भी प्रयोग के लिए खोली नहीं गई थी। आगे यह पाया गया था कि खंड विकास अधिकारी, संगड़ाह ने उपरोक्त स्थल पर वाहन योग्य पुल के स्थान पर ₹ 2.52 लाख के व्यय पर एक पैदल पुल (मार्च तथा जुलाई 2013 के मध्य) का निर्माण किया था लेकिन यह भारी वर्षा के कारण जुलाई 2013 में नष्ट हो गया था। सड़क का निर्माण जून 2014 तक पुन: आरम्भ नहीं किया गया था। अत: ₹ 1552 लाख का व्यय निष्फल रहा। अधिशासी अभियंता, संगडाह मंडल ने बताया (जून 2014) कि निधियों की प्राप्ति पर सड़क निर्माण कार्य पुन: आरम्भ किए जायेंगे । खंड विकास अधिकारी, संगडाह ने बताया (जून 2014) कि निधियों की प्राप्ति पर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र ही पुन: आरम्भ किया जायेगा।

(ii) निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

उपायुक्त शिमला ने शिमला जिले के डोडराक्वार उपमण्डल में ₹ 31.00 लाख के लिये पांच निर्माण कार्यों[43] को संस्वीकृत किया था (मार्च 2007 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) तथापि पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण निर्माण कार्यों की तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन अभिकरणों के पास 30 से 87 महीनों के लिये ₹ 31.00 लाख का अवरोधन हुआ । निष्पादन अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2014)।

3.12.3 अनुश्रवण

3.12.3.1 परिसम्पति रजिस्टर का अनुरक्षण

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा निर्देश सामान्य जन को लाभ पहुंचाने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये प्रावधान करते है और परिसम्पत्तियों का मालिकाना हक सम्बंधित पंचायतों/निष्पादन अभिकरणों/विभागों के पास होगा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान उप-योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित नहीं किये थे। अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई-जुलाई 2014) बताया कि मामले पर भविष्य में अनुपालना की जायेगी। उत्तर इस की व्याख्या नहीं करते कि महत्वपूर्ण अभिलेख अनुरक्षित क्यों नहीं किये गये थे।

3.12.3.2 मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार न किया जाना

राज्य सरकार के निदेश (अप्रैल 1996 तथा मई 2001) मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन तथा व्यय समीक्षा आगामी महीने की 15 तारीख तक संचालित करने और आगामी तिमाही की 20 तारीख तक उपायुक्तों द्वारा योजना विभाग को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान करते है । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों के उपायुक्तों ने अपेक्षित मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए थे। इसी प्रकार, उपायुक्तों ने उपरोक्त अवधि के दौरान निष्पादन अभिकरणों से कोई भी मासिक/ त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किए थे । स्पष्ट रूप से, न तो उपायुक्तों ने, न ही निष्पादन अभिकरणों ने प्रभावी रूप से स्कीमों/निर्माण कार्यो के निष्पादन का अनुश्रवण किया था । उपायुक्तों तथा निष्पादन अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई तथा जुलाई 2014 के मध्य) इस के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।

43 रूपिन नदी (ग्राम जिसकून) के ऊपर सस्पेंशन पुल का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (अगस्त 2008); चाधार नाले के ऊपर पुल का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (मार्च 2011); ग्राम पंचायत क्वार में सराय भवन का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (मार्च 2007); ग्राम धन्ड़रवारी से भरारा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण: ₹ 8.00 लाख (अगस्त 2008) तथा धन्ड़रवारी तथा डोडरा ग्राम पंचायतों में दो सड़कों का निर्माण: ₹ 8.00 लाख (दिसम्बर 2011)

3.12.3.3 जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें

जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों, जो उप-योजना के गठन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की बैठकें तिमाहीवार आयोजित की जानी अपेक्षित थी ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान दो नमूना जांचित जिलों में प्रत्येक में आयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की 12 बैठकों के प्रति उपरोक्त अवधि के दौरान शिमला जिले में मात्र एक बैठक (01 फरवरी 2012) और सिरमौर जिले मे तीन बैठकें (28 दिसम्बर 2011, 09 जुलाई 2012 तथा 05 अगस्त 2013) आयोजित की गई थी। बैठकों के आयोजन में कमी 75 से 92 *प्रतिशत* के मध्य थी । इस ने दर्शाया कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति द्वारा उप योजना के अन्तर्गत स्कीमों का अनुश्रवण तथा समीक्षा नहीं किया जा रहा था। उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें अध्यक्ष की उपलब्धता के अनुसार निश्चित की गई थी। तथापि तथ्य यह रहा कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें, नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थी ।

अत: पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकता के प्रति अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ के मध्य निधियां आहरित की गई और स्कीम के दिशा निर्देशों के विपरीत बैकों में रखी गई थी । 2011-14 के दौरान उपायुक्तों ने पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्रों के अन्तर्गत ₹ 10.31 करोड़ के लिए 592 निर्माण कार्यो को संस्वीकृत किया था । नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों ने जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के लिए संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए थे जिस में चार से 72 महीनों का विलम्ब शामिल है ।

सरकार को लेखा परीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

लोक निर्माण विभाग

3.13 फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ

विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल सिद्ध हुआ।

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 0/0 किलोमीटर से 30.375 किलोमीटर बरोटी-राखेरा-धर्मपुर-मरही-कमलाह-गल्लू सड़क के सुधार तथा चौड़ी करने के लिए ₹ 33.10 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिया था (जनवरी 2010)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला ने ₹ 31.86 करोड़ के कार्य की तकनीकी संस्वीकृत दी थी (फरवरी 2010)। निर्माण कार्य[44] एक फर्म को ₹ 28.54 करोड़ की निविदा लागत पर दिया गया (मई 2011) और दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था। तद्नुसार फर्म ने निर्माण कार्य जून 2011 में आरम्भ किया।

44 फॉर्मेशन कटिंग, क्रोस ड्रेनेज, सोलिंग, मेटलिंग एवं टारिंग यू आकारीय के ड्रेन, पेरापेट्स, कौचर लाइन तथा मील पत्थर (कुल लम्बाई: 30.375 किलोमीटर) उपलब्ध करवाना

धर्मपुर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) में पाया गया कि फर्म ने संविदा अनुबंध में निर्धारित निर्माण कार्य की गति प्राप्त नहीं की थी और अनुबद्ध तिथि तक इसे पूर्ण करने में असफल रही थी । 30 *प्रतिशत* निर्माण कार्य[45] अर्थात ₹ 12.66 करोड़ से निष्पादन करने के पश्चात फर्म ने मई 2013 में कोई कारण सूचित किए बिना निर्माण कार्य रोक दिया । फर्म ने अक्तूबर 2014 तक निर्माण कार्य पुन: आरम्भ नहीं किया था। इस तथ्य के बावजूद कि फर्म ने निर्माण कार्य रोक दिया था, विभाग ने संविदा अनुबंध की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार उसको निम्नवत् अनुचित लाभ पहुचाएं:

- संविदा अनुबंध की धारा 49 के अनुसार विभाग ने विलम्ब के लिए ₹ 2.85 करोड़ (₹ 28.54 करोड़ की निविदा राशि का 10 *प्रतिशत*) के परिसमाप्त नुकसानों का उद्ग्रहण नहीं किया था।
- संविदा अनुबंध की धारा 51 के अनुसार अगस्त 2011 से मार्च 2012 के मध्य फर्म को भुगतान किया गया ₹ 4.12 करोड़ (मशीनरी अग्रिम: ₹ 1.27 करोड़ तथा संग्रहण अग्रिम: ₹ 2.85 करोड़) का अग्रिम पूर्णता के लिए मूल समय बीतने से पहले ब्याज सहित (भारतीय स्टैट बैंक की मुख्य उधार दरों से ऊपर 2 *प्रतिशत* की दर पर) वसूल किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त अग्रिम में से, ₹ 3.18 करोड तथा अक्तूबर 2014 तक का ₹ 1.69 करोड़ ब्याज जनवरी 2014 तक वसूल नहीं किया गया था ।
- विभाग ने फर्म को निर्माण कार्य की पूर्णता की अनुबद्ध तिथि से परे की अवधि के लिए लागत वृद्धि के लिए ₹ 29.16 लाख का भुगतान अनुमत किया था (अगस्त 2013) जो संविदा अनुबंध के अनुसार स्वीकार्य नहीं था।
- विभाग ने संविदा को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी और अनिश्चित समय के लिए संविदा को जारी रखा था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी तथा नवम्बर 2014) कि वसूलियां प्रभावी करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी और कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर इन कारणों की व्याख्या नहीं करता कि संविदा अनुबंध को तोड़ने के लिए समय पर फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी ।

अत: विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़[46] का अनुचित लाभ पहुंचने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि निर्माण कार्य की अपूर्णता के कारण क्षेत्र के लोग वांछित लाभों से वंचित रहे थे।

सरकार को लेखा परीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

45 फॉर्मेशन कटिंग: 16.500 किलोमीटर; क्रोस ड्रेनेज: 5.520 किलोमीटर, सोलिंग: 2.100 किलोमीटर तथा यू आकारीय ड्रेन: 1.684 किलोमीटर

46 वसूल नहीं किया गया अग्रिम: ₹ 3.18 करोड़, अग्रिमों पर वसूल नहीं किया गया ब्याज: ₹ 1.69 करोड़, परिसमाप्त नुकसान: ₹ 2.85 करोड़ तथा अस्वीकार्य लागत वृद्धि: ₹ 29.16 लाख

3.14 अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

कार्यों को निष्पादन के लिए आरम्भ करने से पहले पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं की अनुपालना करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के भाग 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित था । अन्य मामलों मे भी विभाग को निर्माण कार्यों का निष्पादन आरम्भ करने से पहले बाधा रहित भूमि सुनिश्चित करनी थी ।

जोगिन्द्र नगर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) में पाया गया कि नाबार्ड[47] के अंतर्गत ₹ 4.60 करोड़ के लिए संस्वीकृत (अगस्त 2009 तथा सितम्बर 2010) दो सड़कों[48] (लम्बाई :8.300 किलोमीटर) का निर्माण क्रमश: नवम्बर 2011 तथा नवम्बर 2012 में पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था। 4.300 किलो मीटर की लम्बाई के लिए इन निर्माण कार्यों के आंशिक निष्पादन पर जनवरी 2014 तक ₹ 2.60 करोड़ (कुट-चांदनी सड़क-किलोमीटर 2.300: ₹ 0.64 करोड़ तथा कुनी रेंस सड़क-किलोमीटर 2.000: ₹ 1.96 करोड़) का व्यय किया जा चुका था । तथापि शेष हिस्सों में निर्माण कार्यों का निष्पादन सड़कों के संरेखन में वन तथा निजी भूमि के होने के कारण बीच में रोकना पड़ा (मई 2011 तथा मई 2012)। आगे यह पाया गया कि विभाग ने वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी । निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पहले अंतर्ग्रस्त निजी भूमि को भी विभाग के नाम पर अधिग्रहित नहीं किया गया था, यद्यपि नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि ऋण के लिए विभाग द्वारा बाधा रहित भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए गए थे। ये निर्माण कार्य 22 से 34 महीनों के लिए अपूर्ण रहे थे ।

इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2014) कि वन भूमि के अपवर्तन के लिए मामले प्रक्रियाधीन थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था ।

अत: निष्पादन के लिए निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पहले पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं की अनुपालना करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि इन निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण क्षेत्र के लोग समय पर अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे ।

सरकार को लेखापरीखा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

---

47 नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

48 कुट-खेतरू-चांदनी सडक (4.300 किलोमीटर): ₹ 1.38 करोड़ तथा कुन्नी-कटकल-भलारा-रेंस सडक (तीन पुलों सहित 4.000 किलोमीटर): ₹ 3.22 करोड़

3.15 सड़क/पुल के निर्माण पर निरर्थक व्यय और संविदाकार को अनुचित लाभ

₹ 71.36 लाख का व्यय करने के पश्चात संपर्क मार्ग की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप पुल के निर्माण पर ₹ 1.64 करोड़ का निरर्थक व्यय और एक संविदाकार को ₹ 22.51 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

कांगडा जिले के चार[49] ग्रामों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संसाई चौबिन रोड़ से पटेल नगर 7.000 किलोमीटर (5/405 किलोमीटर से 12/405 किलोमीटर) संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 1.20 करोड़ अनुमोदित किया था (अक्तूबर 2003)। निर्माण कार्य एक संविदाकार को ₹ 1.21 करोड़ के लिए दिया गया था (मई 2004) और जून 2005 तक पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था ।

बैजनाथ मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2012) और आगे एकत्रित की गई सूचना (फरवरी 2013–मई 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने अक्तूबर 2004 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था। संविदाकार ने अनुबद्ध अवधि के भीतर निर्माण कार्य की गति प्राप्त नहीं की थी। ₹ 43.85 लाख की राशि के निर्माण कार्य[50] का निष्पादन करने के पश्चात् संविदाकार ने 5/405 किलोमीटर से 8/630 किलोमीटर पर सड़क के संरेखन में वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण इसे रोक दिया था (जुलाई 2007)। यद्यपि नवम्बर 2007 में भारत सरकार द्वारा उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु स्वीकृति दी गई थी , तथापि संविदाकार ने पुरानी दरों पर निर्माण कार्य का निष्पादन पुन: आरम्भ करने से मना कर दिया था (अक्तूबर 2008)। अंतत: विभाग ने निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए ₹ 12.14 लाख (निविदा राशि की 10 *प्रतिशत* की दर से) परिसमाप्त नुकसानों और ₹ 10.37 लाख के मूल्य की सामग्री की वसूली किए बिना संविदा को निरस्त कर दिया (सितम्बर 2011)। इस बीच निर्माण कार्य जो विगत सात वर्षों से स्थगित अवस्था में पड़ा है, पर ₹ 71.36 लाख[51] का व्यय किया जा चुका था ।

मंडल ने शेष निर्माण कार्य के केवल एक भाग[52] के सम्बंध में ₹ 76.43 लाख के संशोधित प्राक्कलन मुख्य अभियंता मंडी क्षेत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए (मई 2014)। यह बताया गया था कि शेष निर्माण कार्य निधियां उपलब्ध होने पर चरणबद्ध रूप से राज्य शीर्ष के अंतर्गत निष्पादित किया जाना है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि संपर्क मार्ग को संसाई चौबीन सड़क से जोड़ने के लिए विभाग ने नाबार्ड[53] (आर0आई0डी0एफ0[54]-XIII) के अंतर्गत ₹ 1.64 करोड़ के व्यय पर रास्तों सहित (राज्य योजना के अंतर्गत निर्मित 0/000 से 5/000 किलोमीटर संपर्क सड़क) ग्राम गोवल (आर0डी0 5/286) में बिनवा खड्ड के ऊपर एक 56.76 मीटर स्पैन पुल का निर्माण किया था (नवम्बर 2010 से मार्च 2014 के मध्य)। तथापि, निर्मित पुल संपर्क मार्ग की अपूर्णता के कारण वाहनीय परिवहन के लिए खोला नहीं जा सका था।

---

49 चंब, कोठी, भरवा ल खड्ड तथा पटेल नगर

50 फोर्मेशन कटिंग: 2.500 किलोमीटर, सोलिंग: 2.932 किलोमीटर, वियरिंग जी-II: 2.932 किलोमीटर, वियरिंग जी-III: 1.642 किलोमीटर, टेरिंग: 1.387 किलोमीटर, साइड ड्रेन: 693 आर.एम.टी.एस. तथा पैराफिट: 144 संख्या

51 निर्माण कार्य पर व्यय: ₹ 43.85 लाख; फेन्स पोस्ट (जुलाई 2007): ₹ 0.41 लाख, क्षतिपूरक वनारोपण (जुलाई 2007): ₹ 2.68 लाख तथा निवल वर्तमान मूल्य (सितम्बर 2009): ₹ 24.42 लाख

52 फोर्मेशन कटिंग: 3.240 किलोमीटर तथा क्रॉस ड्रेनज: 2 संख्या

53 कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

54 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी तथा मई 2014) कि संशोधित प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात कार्य पुनर्निविदा किए जाएंगे और सामग्री की वसूली संविदाकार के अंतिम बिल के प्रति समायोजित की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने से पहले बाधा रहित भूमि सुनिश्चित की जानी चाहिए इसके अतिरिक्त, संविदाकार का अंतिम बिल विगत 30 महीनों से अधिक में तैयार नहीं किया गया।

अत: सड़क की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की अक्षमता से विगत पांच से सात वर्षों के लिए ₹ 71.36 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ । इसके साथ ही परिसमाप्त नुकसानों तथा सामग्री की गैर-वसूली के द्वारा संविदाकार को ₹ 22.51 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त पुल पर ₹ 1.64 करोड़ का व्यय भी निरर्थक रहा ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे । उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.16 भोड़ी - खरजान सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

सड़क के निर्माण की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता से ₹ 2.26 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कांगड़ा जिले के भोड़ी और खरजान ग्राम को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड[55] की आर.आई.डी. एफ-XIV स्कीम के अंतर्गत 6.045 किलोमीटर लम्बी सुआन पुल-भोड़ी खरजान संपर्क सड़क के निर्माण के लिए ₹ 2.37 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2008) दिया गया था। मुख्य अभियंता, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला द्वारा कार्य को ₹ 2.16 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई थी (जनवरी 2009)। निर्माण कार्य का प्रथम चरण (0 से 6.045 किलोमीटर में फोर्मेशन कटिंग तथा रोड़ साइड स्ट्रक्चर) एक संविदाकार को ₹ 1.06 करोड़ के लिए दिया गया था (फरवरी 2009)और सितम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था। निर्माण का अनुवर्ती कार्य (0 से 6.045 किलोमीटर में सोलिंग उपलब्ध करवाना तथा डालना, वियरिंग तथा कारपेट प्रीमिक्स करना) उसी संविदाकार को ₹ 0.90 करोड़ के लिए दिया गया था (अगस्त 2010) और अगस्त 2011 में पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था ।

बैजनाथ मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013)तथा आगे एकत्रित सूचना (जनवरी तथा सितम्बर 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने संविदा अनुबंधों में निर्धारित निर्माण कार्यों की गति प्राप्त नहीं की थी और 2.870 से 3.090 किलोमीटर तथा 3.285 से 4.405 किलोमीटर पर वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण इन निर्माण कार्यों को अनुबद्ध तिथियों तक पूर्ण करने में विफल रहा। 4.200 किलोमीटर में फोर्मेशन कटिंग तथा क्रॉस ड्रेनेज, 3.545 किलोमीटर में सोलिंग, वियरिंग तथा टैरिंग और 3.000 किलोमीटर में साइड ड्रेनेज एवं 2.000 किलोमीटर में पैराफिटों का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था । जनवरी 2014 तक ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किया गया था ।

आगे यह पाया गया था कि विभाग ने नाबार्ड प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की थी । इसके विपरीत, विभाग द्वारा बाधा रहित भूमि की उपलब्धता

55 नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

गलत ढंग से सत्यापित की गई थी। इसके बाद भी उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन का मामला वन विभाग के साथ उत्साहपूर्वक नहीं उठाया गया था। आगे मंडल के अधिशासी अभियंता ने इस याचिका पर वन भूमि के अपवर्तन की प्रक्रिया छोड दी (सितम्बर 2013) कि दिसम्बर 2013 में आर.आई.डी.एफ.-XIV के अंतर्गत निधियन बंद होने से निर्माण कार्यों को जारी नहीं रखा जा सकता था। इससे तीन वर्षों से अधिक के लिए सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण रहा। न तो संविदाकार को संविदाओं को जारी रखने के लिए समय वृद्धियां दी गई थी और न ही संविदाएं निरस्त/बंद की गई थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 2013 तथा सितम्बर 2014) कि सड़क का निर्माण 4.200 किलोमीटर तक किया गया था और दोनों ग्राम सड़क द्वारा जुड़ गए थे। उत्तर विरोधाभाषी है क्योंकि दोनों ग्राम निर्माण के अंतर्गत सड़क के संरेखन के 5.000 किलोमीटर से बाहर थे और यहां तक कि आंशिक रूप से निर्मित सड़क भी सड़क फिटनेस समिति द्वारा वाहनीय परिवहन के लिए पारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करता कि विभाग द्वारा उद्देश्य के लिए बाधा रहित भूमि प्राप्त करने के लिए वांछित समयबद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी।

अत: ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद लाभार्थी ग्रामों को परिवहन सुविधा के वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

3.17 बंडी-धरोह सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी से समय पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ₹ 1.74 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त लाभार्थी वांछित परिवहन सुविधाओं से वंचित रहे।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के भाग 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और अन्य मामलों में, विभाग से निर्माण कार्यों के निष्पादन से पूर्व बाधा रहित भूमि सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। प्रमुख अभियंता ने सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने से पहले भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश जारी किए थे (मई 2008)।

कांगड़ा जिले में पांच ग्रामों[56] को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड[57] की आर.आई.डी.एफ[58] स्कीम के अंतर्गत 5.985 किलोमीटर लंबी[59] बंडी-धरोह-वाया-नगनपट सड़क के निर्माण के लिए ₹ 3.54 करोड़ का अनुमोदन दिया गया था (फरवरी 2010)। मुख्य अभियंता, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला द्वारा ₹ 3.64 करोड़ के लिए सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी (अप्रैल 2010)। निर्माण कार्य ₹ 3.05 करोड़ के लिए कांगड़ा आधारित संविदाकार को दिया गया था (अक्तूबर 2010) और अक्तूबर 2012 में पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था।

---

56 बनोई, भोई, नगनपट, कल्यारा तथा ऊपरी ओडर

57 नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

58 आर.आई.डी.एफ- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

59 प्रथम स्ट्रेच: 0.000 से 1.000 किलोमीटर; दूसरा स्ट्रेच: 1.000 से 3.960 किलोमीटर तथा तीसरा स्ट्रेच: 4.165 से 6.190 किलोमीटर

कांगड़ा मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने दिसम्बर 2010 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था। तथापि, संविदाकार ने निजी भूमि (किलोमीटर 0.0 से 3.960, किलोमीटर 4.165 से 4.500 तथा किलोमीटर 5.690 से 6.190) तथा वन भूमि (किलोमीटर 4.500 से 5.690) की अंतर्ग्रस्तता के कारण अनुबद्ध अवधि के भीतर निर्माण की गति प्राप्त नहीं की थी। जिला प्रशासन द्वारा सीमा सुरक्षा बल टुकड़ी की प्रतिस्थापना के लिए भूमि चिह्नित (फरवरी 2009) किए जाने के कारण किलोमीटर 0.500 से 1.000 पर निर्माण कार्य रूका हुआ था (जुलाई 2011)। किलोमीटर 0.638 में फोर्मेशन कटिंग, किलोमीटर 3.550 में क्रास ड्रेनेज, किलोमीटर 2.400 में ग्रेनुलर सब बेस कोर्स तथा वियरिंग उपलब्ध करवाने तथा बिछाने तथा किलोमीटर 0.500 पैराफिटों का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि विभाग ने नाबार्ड प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति और निजी भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं किया था। इस बीच में, विभाग ने ₹ 1.74 करोड़ का व्यय किया था लेकिन निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक अपूर्ण था ।

इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्माण कार्य सड़क के संरेखन में निजी तथा वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण विलम्बित हुआ था । आगे यह बताया गया कि निजी भूमि के मालिक हिस्सेदार थे और विभाग के नाम पर भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप में समस्त भूमि मालिकों की एक साथ उपलब्धता होने पर आरम्भ की जायेगी। तथ्य यह है कि विभाग ने सड़क की वैचारिकता से पूर्व बाधा रहित भूमि सुनिश्चित नहीं की थी ।

अत: विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी से समय पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ₹ 1.74 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, इसके अतिरिक्त लाभार्थी वांछित सुविधा से वंचित रहे ।

3.18 सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ ।

जिला सोलन में आठ[60] ग्रामों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड[61] (आर.आई.डी.[62] एफ-XIII) के अन्तर्गत ₹ 2.34 करोड़ के लिए भुड़-गुलारवाल-भटौली कलां-घराडे-पट्टा सड़क[63] (लम्बाई 15.600 किलोमीटर) का निर्माण अनुमोदित किया था (अक्तूबर 2007)। 16.105 किलोमीटर पर पुल सहित निर्माण कार्य[64] एक संविदाकार को इसे 29 नवम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने की शर्त पर ₹ 1.73 करोड़ की निविदा लागत पर दिया गया था (मई 2008)।

कसौली मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) तथा आगे एकत्रित सूचना (जनवरी 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने मई 2008 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था और निर्माण कार्य की अनुबंधित गति प्राप्त नहीं की थी। 15.000 किलामीटर में फोर्मेशन कटिंग, क्रॉस ड्रेनेज 9.000 किलोमीटर, सोलिंग 3.300 किलोमीटर तथा साइड ड्रेन 1.700 किलोमीटर सहित ₹ 1.28 करोड़ के मूल्य का निर्माण कार्य

60 घराडे, फोफटा, कटल, दूनी, नली, एखू, गाटीवाला तथा बरघु

61 नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

62 आर.आई.डी.एफ- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

63 15.000 से 30.600 किलोमीटर

64 फोर्मेशन कटिंग: 15.600 किलोमीटर; क्रॉस ड्रेनज: 15.600 किलोमीटर; सोलिंग: 15.600; साईड ड्रेन: 15.600; पैराफिट: 15.600 तथा पुल: 24 मीटर स्पैन

निष्पादित करने के पश्चात् संविदाकार ने मंडल से पुल के प्रारूप की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य रोक दिया था (मार्च 2010)। मंडल ने 31 मार्च 2011 तक समय वृद्धि दी थी लेकिन संविदाकार ने इस तर्क पर निर्माण कार्य पुन: आरम्भ नहीं किया कि निर्माण कार्य पूर्व निर्दिष्ट दरों पर निष्पादित नहीं किया जा सकता था । संविदाकार को पुल का प्रारूप मई 2011 में उपलब्ध करवाया गया था अर्थात् परियोजना की पूर्णता की निर्धारित तिथि से 18 महीने पश्चात् । तथापि संविदाकार निर्माण कार्य का निष्पादन करने में असफल रहा था। अंतत: निर्माण कार्य को जुलाई 2012 में संविदा अनुबंध के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कोई भी परिसमाप्त नुकसान/शास्ति का उद्ग्रहण किए बिना बंद करना पड़ा था क्योंकि विलम्ब मुख्यत: विभाग द्वारा समय पर पुल का प्रारूप प्रस्तुत करने में अक्षमता के कारण था। इस बीच निर्माण कार्य पर ₹ 1.46 करोड़ का व्यय किया गया था ।

मंडल ने शेष निर्माण कार्य का संशोधित प्राक्कलन ₹ 0.85 करोड़ के लिए तैयार किया (मई 2013) जोकि ₹ 1.73 करोड़ के पूर्व प्राक्कलन से ₹ 0.58 करोड़ अधिक था, जो कि मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) शिमला द्वारा अनुमोदित किया गया (जून 2013)। निर्माण कार्य जनवरी 2014 तक निलम्बित अवस्था में था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी 2014) कि पुल का निर्माण स्थल निश्चित न किये जाने के कारण संविदाकार को समय पर प्रारूप उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था। शेष निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने से पहले समस्त संहिताबद्ध औपचरिकताएं पूर्ण की जानी चाहिए थी।

अत: सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गये थे । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग

3.19 पर्यटक सर्किटों का समेकित विकास के अंतर्गत निर्माण कार्यों के गैर-निष्पादन के कारण निधियों का अवरोधन

राज्य में पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास के लिए निर्माण कार्यों/सुविधाओं के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा उचित योजना की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 9.66 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अवरोधन।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने "पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास" की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पर्यटक सर्किटों में 98 सुविधाओं जैसे जन सुविधाओं का प्रावधान, पर्यटक सूचना केन्द्रों, पार्कों, वर्षा शालिकाओं का निर्माण, कैंपिंग स्थलों, पिकनिक स्थलों, ट्रेक मार्गों, पब्लिक पार्किंगों का विकास, आदि, के सृजन के लिए ₹ 12.08 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की थी (सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2010)। भारत सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को ₹ 9.66 करोड़ की प्रथम किस्त नवंबर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य जारी की थी और ₹ 2.42 करोड़ की शेष राशि, तथापि, राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद जारी की जानी थी। निर्माण कार्य स्वीकृति की तिथि से 30 महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे ।

निदेशक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) और निदेशक से प्राप्त सूचना (अगस्त 2014) ने दर्शाया कि भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 9.66 करोड़ में से विभाग ने निर्माण कार्यों/ परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को ₹ 8.11 करोड़ जारी किए थे (जनवरी 2010 से मार्च 2011)। तथापि, निर्माण कार्य/परियोजनाएं उचित निर्माण स्थलों, की अनुपलब्धता, निविदाओं/प्राथमिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने, आदि के कारण आरम्भ नहीं की गई थी और ₹ 9.66 करोड़ की समस्त राशि चार से पांच वर्षों के लिए अप्रयुक्त (विभाग: ₹ 1.55 करोड़ तथा निष्पादन अभिकरण: ₹ 8.11 करोड़) रही। राशि के गैर–उपयोग के कारण भारत सरकार ने अगस्त 2014 तक राज्य सरकार को ₹ 2.42 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त अपेक्षित पर्यटन सुविधाओं का सृजन नहीं किया जा सका था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्माण कार्यों का निष्पादन सीमित कार्य अवधि तथा क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण समय पर आरम्भ नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये सभी पक्ष परियोजना प्रस्तावों में ध्यान में रखे जाने चाहिए थे तथा योजना चरण में सम्मिलित किये जाने चाहिए थे।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

परिवहन विभाग (हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण)

3.20 बस अड्डा के निर्माण पर निरर्थक व्यय

रोहड़ू में बस अड्डा के निर्माण के लिए प्राधिकरण की अनुचित योजना तथा निधि प्रबंधन से ₹ 76 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने ₹ 6.48 करोड़ के लिए रोहड़ू (जिला शिमला) में नवीन बस अड्डे के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन दिया था (जनवरी 2007) और इसका निष्पादन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द किया था (मई 2007)। आगे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य एक संविदाकार को इसे एक वर्ष में पूर्ण करने की शर्त पर ₹ 5.93 करोड़ के लिए दिया था (मई 2007)। प्राधिकरण ने मई 2007 से जनवरी 2008 के मध्य उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 50 लाख जारी किए थे ।

प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2012) तथा एकत्रित सूचना (मार्च 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने बस अड्डे का निर्माण कार्य मई 2007 में आरम्भ किया था। चूंकि प्राधिकरण के पास बस अड्डे की पूर्णता के लिए आगे निधियां नहीं थी, यह निधियों के जारीकरण के लिए राज्य सरकार के पास गया (जुलाई 2007)। तथापि राज्य सरकार ने प्राधिकरण को अपने स्तर पर निधियों के संवहन के लिए निर्देश दिये (जनवरी 2008) क्योंकि बस अड्डे का निर्माण प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में था। इस बीच संविदाकार ने ₹ 76 लाख के मूल्य का एटिक तल स्तर तक बस अड्डे के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात बिल के गैर–भुगतान के कारण आगे निर्माण कार्य रोक दिया (सितम्बर 2010)। प्राधिकरण ने संविदाकार को भुगतान करने के लिए ₹ 26 लाख की राशि जारी की थी (नवम्बर 2011) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी निधियों की कमी के कारण संविदा अनुबंध बंद करने के लिए कहा था। निर्माण कार्य सितम्बर 2010 से निलम्बित अवस्था में था और बस अड्डे के निर्माण पर किया गया ₹ 76 लाख का निवेश मई 2014 तक निरर्थक रहा।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012, अप्रैल 2013 तथा जून 2013) राज्य सरकार ने परियोजना की लागत कम करने तथा तद्नुसार योजना में बदलाव करने के निर्देशों के साथ प्राधिकरण को ₹ 1.95 करोड़

जारी किये (जनवरी 2014)। तथापि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से योजना संशोधित करवाने में प्राधिकरण की असफलता के कारण निर्माण कार्य मई 2014 तक आरम्भ नहीं किया गया था ।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि निर्माण कार्य अपर्याप्त निधियों के कारण छोड़ दिया गया था और निधियां जुटाने का मामला बार-बार राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। उत्तर प्राधिकरण के स्तर पर अनुचित योजना दर्शाता है क्योंकि निर्माण कार्य पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किए बिना आरम्भ किया गया था जिसके कारण बस अड्डे का निर्माण समयबद्ध रूप में नहीं किया जा सका था।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

जनजातीय विकास विभाग

3.21 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन

2011-14 के दौरान दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये बिना ₹ 13.35 करोड़ के लिए 552 कार्य संस्वीकृत किये थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2.15 करोड़ के लिए संस्वीकृत 124 अस्वीकार्य कार्य भी संस्वीकृत किये गए थे। पुल के निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने के कारण तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सडकों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत राज्य योजना विभाग राज्य के कुल परिव्ययों के नौ *प्रतिशत* विभाग को आवंटित करता है जो बदले में विभाज्य परिव्ययों को राज्य में पांच में से प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को तथा अविभाजित परिव्ययों को सहायता अनुदान आदि के रूप में प्रशासनिक विभागों को आवंटित करता है। 2011-14 की अवधि को आवृत करने वाली जनजातीय क्षेत्र उप-योजना की एक लेखापरीक्षा आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, शिमला तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं भरमौर तथा स्पिति स्थित काजा के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से जून-अगस्त 2014 के दौरान संचालित की गई थी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, केन्द्र बजट, सामुदायिक विकास-2515 लघु निर्माण कार्य तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए इन दो एकीकृत जनजातीय विकास परियाजनाओं में 13 कार्यकारी अभिकरणों[65] में छात्रावासों की स्कीम के निष्पादन अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

3.21.1 निधियों का आवंटन एवं व्यय

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत निधियां सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा केन्द्र बजट स्कीमों के सम्बंध में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को तथा लघु कार्यों के सम्बन्ध में विकास खण्डों की आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग द्वारा संस्वीकृती हेतु उपलब्ध करवाई हैं। 2011-14 के दौरान ₹ 80.25 करोड़[66] के आवंटन के प्रति पांच एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/ विकास खण्डों ने स्कीमों/ निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कोषागार से ₹ 80.33 करोड़[67] आहरित किये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसको जुलाई 2014

65 खण्ड विकास अधिकारी: भरमौर तथा काजा स्थित स्पिती; हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल: काजा स्थित स्पिती; ग्राम पंचायतें: भरमौर, चोबिया, दनखड़ा, घरेड़, गरीमा, सेंचुइन, होली, खुरीक, टैबो तथा टूंडा

66 2011-12: ₹ 24.63 करोड़; 2012-13: ₹ 29.62 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 26.00 करोड़

67 2011-12: ₹ 24.63 करोड़; 2012-13: ₹ 29.70 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 26.00 करोड़

तक विनियोजित नहीं किया गया था। यद्यपि, किया गया व्यय उपरोक्त अवधि के दौरान आवंटित निधियों के लगभग बराबर था, व्यय मात्र सरकारी लेखों से आहरित राशि को प्रतिबिम्बित करता है, न की उस राशि को जो वास्तव में स्थल पर निष्पादित कार्यों पर व्यय की गई है।

3.21.1.1 कार्यकारी अभिकरणों के पास उपलब्ध निधियां एवं उनका जारीकरण

राज्य सरकार के अनुदेशों (मई 2004) के अनुसार निधियों का प्रयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि कोषागार में जमा की जानी थी। इसी तरह, सीमा क्षेत्र विकास परियोजना निधियों का बैंकों में रखा जाना भी पूर्णतया प्रतिबंधित था। नमूना जांचित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने 2011-14 के दौरान कार्यकारी अभिकरणों को कुल उपलब्ध ₹ 29.05 करोड़ में से ₹ 28.44 करोड़ जारी किये तथा उपरोक्त अनुदेशों की अवमानना में ₹ 0.70 करोड़ से लेकर ₹ 3.12 करोड़ के मध्य की निधियां बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त रहीं। इसी तरह, नमूना जांच किये गये खण्डों तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के काजा मण्डल ने 2011-14 के दौरान विभिन्न विकासशील कार्यों पर ₹ 21.04 करोड़ की कुल उपलब्धता के प्रति ₹ 14.11 करोड़ (67 *प्रतिशत*) व्यय किये तथा ₹ 6.93 करोड़ की राशि मार्च 2014 तक बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, खण्ड विकास अधिकारी स्पिती स्थित काजा ने ₹ 1.12 करोड़ चार गैर सरकारी संगठनों[68] को संस्वीकृत किये तथा नवम्बर 2011 तथा सितम्बर 2012 के मध्य यह सुनिश्चित किये बिना कि वे किसी विदेशी सहायता को प्राप्त नहीं कर रहे थे ₹ 0.76 करोड़ छः कार्यों के निष्पादन हेतु जारी किये थे।

सम्बंधित परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई2014)कि निधियां बजट व्यपगत से बचने की अपेक्षा में अग्रिम के रूप में आहरित की गई थी तथा कार्य की अधिकता के कारण प्रयोग नहीं की गई थी। उत्तर राज्य सरकार के उपरोक्त अनुदेशों के अनुरूप नहीं है क्योंकि बहुत राशि सरकारी खाते से बाहर रखी गयी थी।

3.21.1.2 निधियों को मानदण्डों के अनुसार जारी न करना तथा सतर्कता समितियों का गठन न करना

(i) अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2014) कि खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर ने 2009-14 के दौरान विभिन्न समितियों को 79 निर्माण कार्यों[69] के निष्पादन हेतु ₹ 76.68 लाख प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 107 में अन्तर्निहित मानकों के आधिक्य में चार किश्तों के बजाए तीन किश्तों में अर्थात् प्रथम किश्त ₹ 31.84 लाख; द्वितीय किश्त ₹ 40.58 लाख तथा तृतीय किश्त ₹ 4.25 लाख की राशि जारी की जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय किश्तों में ₹ 12.67 लाख तथा ₹ 21.41 लाख की राशि अधिक जारी की गई। इन समितियों द्वारा कार्यों के निष्पादन के अभिलेख समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर, द्वारा उनको अनुरक्षित नहीं रखा गया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 108 में प्रावधान है कि सतर्कता समितियों के पास ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले समस्त कार्य इन कार्यों के सम्बंध में अनुरक्षित रखे जाने वाले लेखा एवं अभिलेख समेत के निरीक्षण की शक्ति होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2014 तक निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों को सुपुर्द कार्यों की कार्यप्रणाली पर निगरानी हेतु

---

68 सपन फाउण्डेशन सोसायटी, काजा: दो कार्य; योंटन सोसायटी फॉर कॉमन स्पिती वेलफेयर, रंगरिक: एक कार्य; प्रधान, बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, ताबो: दो कार्य तथा निदेशक, स्पिती बाल गृह स्कूल, रंगरिक स्थित मुनसेलिंग: एक कार्य

69 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: 25 कार्यों हेतु ₹ 29.97 लाख; मूल बजट: 20 कार्यों हेतु ₹ 13.42 लाख तथा सामुदायिक विकास-2515 लघु कार्य: ₹ 33.29 लाख 34 कार्यों हेतु

खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कोई सतर्कता समिति गठित नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर ने बताया (जून 2014) कि भविष्य में निधियों को जारी करने के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

3.21.1.3 परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अनुरक्षण

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा केन्द्र बजट स्कीम के दिशा-निर्देशों में सम्बंधित पंचायत/कार्यकारी अभिकरण/विभाग के स्वामित्व में आम जनता के लाभ वाली परिसम्पत्तियों के सृजन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 नमूना जांचित कार्यकारी अभिकरणों द्वारा 2011-14 के दौरान उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की परिसम्पत्ति पंजिकाएं अनुरक्षित नहीं की गई थी। अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल स्पिती स्थित काजा ने बताया (जुलाई 2014) कि परिसम्पत्ति पंजिका स्टाफ की कमी के कारण अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा अन्य नमूना जांचित कार्यकारी अभिकरणों ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (मई-जुलाई 2014) कि भविष्य में परिसम्पत्ति पंजिका तैयार कर ली जाएगी।

3.21.2 कार्यों का निष्पादन

3.21.2.1 आकलन तैयार नहीं करना

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र बजट की स्कीम के दिशा-निर्देश अनुबंध करते हैं कि कार्यों के आकलन की संस्वीकृति से पूर्व कार्यकारी अभिकरणों के तकनीकी स्टाफ से तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाए जाने चाहिए। यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत ₹ 13.35 करोड़ लागत वाले 552 कार्य[70] कार्यकारी अभिकरणों के तकनीकी स्टाफ से पूर्व तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किये बिना नमूना जांच किये गये परियोजना अधिकारियों के द्वारा संस्वीकृत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए जैसा कि **परिच्छेद 3.21.2.4** में दर्शाया गया है। परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि समय बाध्यताओं के कारण तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु संस्वीकृतियां अनिवार्य थी।

3.21.2.2 कार्यों की अनियमित संस्वीकृति एवं निष्पादन

केन्द्र बजट नियमावली, 1995 निर्माण कार्यों की मुरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए निधियों की संस्वीकृति प्रतिबंधित करती है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों अथवा संगठनों से सम्बंधित कार्यालय, आवास तथा अन्य भवनों का निर्माण, सभी प्रकार के मुरम्मत कार्य एवं अन्य भवन, सभी प्रकार के मुरम्मत कार्य तथा पूजा अर्चना वाले स्थानों के भीतर निर्माण कार्य अनुमत नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियमों के विपरीत, परियोजना अधिकारी, एकीकृत जन-जातीय विकास कार्यक्रम भरमौर ने जुलाई 2007 तथा अगस्त 2013 के मध्य ₹ 9.55 लाख की लागत वाले 13 निर्माण कार्य पंचायत घरों, सरायों, महिला मण्डल भवनों, स्कूलों आदि जैसी परिसम्पत्तियों की मुरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु संस्वीकृत किया। भरमौर तथा काजा के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने

70 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.95 करोड़ लागत वाले 75 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.91 करोड़ लागत वाले 138 कार्य, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 7.52 करोड़ लागत वाले 88 कार्य तथा सामुदायिक विकास-2515 लघु कार्य: ₹ 3.97 करोड़ लागत वाले 251 कार्य

महिला मण्डल भवनों के निर्माण, सामुदायिक भवनों की साज-सज्जा, सरकारी भवनों के सौन्दर्यीकरण/निर्माण/मुरम्मत, पूजा अर्चना स्थलों के भीतर निर्माण कार्य आदि जैसे 111 अस्वीकार्य कार्यों के निर्माण के लिए ₹ 2.05 करोड़[71] संस्वीकृत (सितम्बर 2003-फरवरी 2014) किये थे। स्कीमों के अन्तर्गत अस्वीकार्य कार्यों के निर्माण हेतु ₹ 2.15 करोड़ के अपवर्तन करने की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की कार्रवाई अनियमित थी।

इसी प्रकार, ₹ 5.36 लाख (2012-14 के दौरान ₹ 35.74 लाख के आवंटन का 15 *प्रतिशत*) के अनुमत्य प्रावधान के प्रति परियोजना अधिकारी, भरमौर ने पक्के रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में 18 कार्यों के निष्पादनार्थ ₹ 20.15 लाख संस्वीकृत किये थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी (मार्च तथा सितम्बर 2000) अनुदेशों के विपरीत ₹ 14.79 लाख अधिक जारी किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, भरमौर के परियोजना अधिकारी ने अगस्त 2006 तथा फरवरी 2014 के मध्य ₹ 79.11 लाख की लागत वाले 79 कार्यों का निष्पादन सरकारी अभिकरणों के बजाए विभिन्न समितियों को सौंप दिया था जो कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, भरमौर ने बताया कि (मई 2014) मुरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य, अस्वीकृत कार्य एवं ग्रामीण रास्तों के लिए निधियां सम्बंधित विधायकों/परियोजना सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर संस्वीकृत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित नियमानुसार कार्यों को संस्वीकृत करवाया जाना चाहिए था।

3.21.2.3 कार्यों की स्थिति

स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/परियोजना अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत कार्य संस्वीकृति की तिथि से 12 से 18 महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किये जाने चाहिए थे।

यह देखा गया था कि नमूना जांचित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों के द्वारा ₹ 16.50 करोड़ के लिए संस्वीकृत (सितम्बर 2001 तथा मार्च 2013 के मध्य) 228 कार्य[72] जुलाई 2014 तक पूर्ण नहीं किए गए थे तथा इन कार्यों में ₹ 14.51 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ की अव्ययित राशि का अवरोधन हुआ। इसी प्रकार ₹ 2.16 करोड़ के लिए संस्वीकृत (अक्तूबर 2010 और मार्च 2014 के मध्य) 93 कार्य[73] जुलाई 2014 तक प्रारम्भ नहीं किए गए थे तथा सम्पूर्ण राशि विगत तीन से 46 महीनों के लिए बैंकों में अव्ययित पड़ी थी।

खण्ड विकास अधिकारियों तथा सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून-जुलाई 2014) कि निर्माण कार्य सीमित कार्य मौसमों के कारण अपूर्ण पड़े थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा संहिताबद्ध औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण शुरू नहीं किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये सभी घटक कार्यों की संस्वीकृति/निष्पादन से पूर्व देख लिए जाने चाहिए थे।

---

71 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 1.16 करोड़ लागत वाले 13 कार्य तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना: ₹ 0.89 करोड़ लागत वाले 98 कार्य

72 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.40 करोड़ लागत वाले 32 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.22 करोड़ लागत वाले 31 कार्य; सामुदायिक विकास -2515 लघु कार्य: ₹ 1.80 करोड़ की लागत वाले 111 कार्य तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 14.08 करोड़ लागत वाले 54 कार्य

73 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.09 करोड़ लागत वाले 13 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.17 करोड़ लागत वाले 26 कार्य; सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 1.47 करोड़ लागत वाले 22 कार्य तथा सामुदायिक विकास -2515 लघु कार्य: ₹ 0.43 करोड़ लागत वाले 32 कार्य

3.21.2.4 पुलों एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर निरर्थक व्यय

स्पिती घाटी (लाहौल एवं स्पिती जिला) में सात गांवों को सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने हेतु सहायक आयुक्त काजा स्थित स्पिती ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड तथा ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत ₹ 3.17 करोड़ (₹ 9.39 करोड़ में संशोधित) के लिए तीन पुलों[74] (सितम्बर 2001 और अक्तूबर 2002 के मध्य) के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन दिया तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्पिती मण्डल को कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 13.42 करोड़[75] जारी किए (मार्च 2014 तक)। स्पिती मण्डल के अभिलेखों (जुलाई 2014) ने निम्नवत् कमियां दर्शाई:

(i) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने स्पिती नदी के ऊपर हंसा-क्यामो पुल का निर्माण ₹ 98.48 लाख के लिए एक संविदाकार को मई 2010 तक इसे पूर्ण किए जाने के अनुबन्ध सहित अधिनिर्णित (मई 2008) किया। क्यामो की तरफ के एबटमेंट के कार्य के निष्पादन उपरान्त संविदाकार ने बिना कोई कारण बताए कार्य रोक दिया (सितम्बर 2012)। कार्य दो वर्षों के लिए निलम्बित अवस्था में पड़ा रहा था। इसी दौरान, मार्च 2013 तक कार्य पर ₹ 2.72 करोड़ (सिविल कार्य: ₹ 1.34 करोड़ तथा वेली पुल का उपार्जन: ₹ 1.38 करोड़) का व्यय किया गया था। पुल कार्य के पूर्ण न होने के कारण ₹ 34.38 लाख की लागत पर पूर्ण (अगस्त 2003) पहुंच मार्ग भी उपयोग में नहीं लाया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 3.06 करोड़ (पुल: ₹ 2.72 करोड़ तथा सड़क:0.34 करोड़) का व्यय निष्फल रहा।

(ii) टांगटी योग्मा गोमा से खार गांव सड़क पर पिन नदी के ऊपर 97.60 मीटर स्पैन सस्पेंसन वेली पुल (सड़क दूरी 0/397) का निर्माण एक संविदाकार को ₹ 1.19 करोड़ (जून 2007 में ₹ 4.03 करोड़ के लिए संशोधित) के लिए तथा मई 2009 तक पूर्ण किए जाने के लिए अधिनिर्णित (मार्च 2007) किया था। संविदाकार द्वारा निष्पादन हेतु कार्य जून 2007 में प्रारम्भ किया गया था । जब खुदाई (₹ 0.36 करोड़ के मूल्य पर) का कार्य प्रगति पर था, नदी में आई बाढ़ ने (10 अगस्त 2007) उपरोक्त तिथि तक निष्पादित किए गए सम्पूर्ण कार्य को बहा दिया। पुल का निर्माण स्थल 90 मीटर धारा के प्रतिकूल परिवर्तित कर दिया गया था (नवम्बर 2007) तथा तदनुसार नये रेखा-चिह्न विकसित किए गए थे। नये स्थल पर कार्य अगस्त 2008 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु कार्य की धीमी गति के कारण उप-संरचना का निर्माण कार्य नवम्बर 2014 तक कार्य पर ₹ 3.40 करोड़ के व्यय तथा नवम्बर 2010 तक संविदाकार को समय-सीमा वृद्धि प्रदान करने के बावजूद पूर्ण नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त पुल के पूर्ण न किए जाने के कारण टांगटी योग्मा गोमा से गांव खार तक ₹ 90.31 लाख की लागत पर निर्मित (फरवरी 2010) पांच किलोमीटर सम्पर्क सड़क को भी इसके पूर्ण होने के चार वर्षों से अधिक समय के बीतने के बावजूद वाहन-परिवहन के लिए खोला नहीं जा सका था। परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ (पुल: ₹ 3.40 करोड़ तथा सड़क: ₹ 0.90 करोड़) का व्यय निष्फल रहा।

(iii) चिच्चम से किब्बर सड़क पर सम्भा लामा नाला के उपर 111.10 मीटर स्पैन चिच्चम पुल (सस्पेंशन प्रकार) का निर्माण कार्य ₹ 2.61 करोड़ के लिए एक संविदाकार को अधिनिर्णित किया था (दिसम्बर 2002) तथा जो जनवरी 2006 तक पूर्ण किया जाना अनुबंधित था। संविदाकार ने जनवरी 2003 में कार्य प्रारम्भ किया था। ₹ 2.85 करोड़ का व्यय करने के बाद चिच्चम की ओर का लंगरगाह खण्ड

---

[74] ₹ 0.46 करोड़ (₹ 1.75 करोड़ से संशोधित) के लिए हंसा एवं कियामो गांवों के मध्य स्पिति नदी पर पुल, ₹ 0.46 करोड़ (संशोधित ₹ 1.75 करोड़), ₹ 1.44 करोड़ (संशोधित ₹ 4.04 करोड़) के लिए पिन नाला के ऊपर से टांगटी योग्मा गोमा से गांव खार तक वाहनीय पुल और ₹ 1.27 करोड़ (संशोधित ₹ 3.60 करोड़) के लिए चिच्चम से किब्बर सड़क पर संभा लामा नाला के ऊपर से पुल

[75] हंसा तथा क्यामो पुल: ₹ 3.59 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 0.40 करोड़ तथा नाबार्ड: ₹ 3.19 करोड़), टांगटी पुल: ₹ 5.78 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 2.15 करोड़; 13वां वित्त आयोग: ₹ 3.18 करोड़ तथा 5054 शीर्ष मुख्य पुल: ₹ 0.45 करोड़) और चिच्चम पुल: ₹ 4.05 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 3.60 करोड़ तथा 5054 शीर्ष मुख्य पुल: ₹ 0.45 करोड़)

तथा एबटमेंट पूर्ण कर लिये थे तथा किब्बर की ओर का लंगरगाह खण्ड प्रगति पर था किन्तु कार्य पूर्णता की अनुबंधित अवधि से नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी निष्पादन कार्य की धीमी गति होने के कारण नवम्बर 2014 तक अपूर्ण पड़ा था।

अत:, उचित अनुश्रवण की कमी के कारण संविदाकार के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने तथा उपरोक्त पुलों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने में विभागीय विफलता के कारण न केवल पुलों और सड़कों पर ₹ 10.21 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ बल्कि साथ में लाभार्थी वर्षों तक स्कीम के वांछित लाभों से वंचित रहे।

अधिशासी अभियंता स्पिती स्थित काजा ने बताया (जुलाई 2014) कि पुलों के निर्माण में विलम्ब अल्प कार्य मौसमों/वातावरणीय स्थितियों, कठिन स्थलाकृति तथा पुल स्थल के परिवर्तन के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी घटकों को कार्य संस्वीकृत करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

3.21.2.5 कार्यों के मासिक/तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों द्वारा अक्तूबर 2003 तथा जुलाई 2013 के मध्य संस्वीकृत ₹ 15.44 करोड़[76] की लागत वाले 1116 कार्यों के न तो कार्यवार भौतिक एवं आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये गए थे और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जुलाई 2014 तक प्राप्त किये गए थे।

नमूना जांच किये गए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि कार्यकारी अभिकरणों से कार्यवार भौतिक एवं आर्थिक मासिक/तिमाही प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे ।

3.21.3 अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

3.21.3.1 छात्रावास भवनों के पूर्ण होने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला तथा भारतीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर में 213 छात्रों (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: 88 तथा भारतीय तकनीकी संस्थान: 125) की अन्तर्ग्राही क्षमता वाले दो छात्रावास भवनों का निर्माण ₹ 7.84 करोड़ (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: ₹ 3.61 करोड़ भारतीय तकनीकी संस्थान: ₹ 4.23 करोड़) की अनुमानित लागत पर भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2010 तथा फरवरी 2012 के दौरान संस्वीकृत किया गया था । ये भवन क्रमश: अक्तूबर 2012 तथा जनवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबंधित किये गए थे ।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि कार्य छ: से 21 महीनों के मध्य अपने पूर्णता की समय सारणी से पीछे चल रहे थे तथा ₹ 4.03 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद अभी भी अपूर्ण थे। छात्रावास भवनों के निर्माण की धीमी गति के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 4.03 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि लाभार्थी भी छात्रावास भवन के वांछित लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा ₹ 3.81 करोड़

---

76 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: 163 निमार्ण कार्य लागत ₹ 1.22 करोड़; मूल बजट: 249 निमार्ण कार्य लागत ₹ 1.73 करोड़, सी.डी.-2515 लघु निर्माण कार्य: 500 निमार्ण कार्य लागत ₹ 6.39 करोड़ और पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना: 204 निमार्ण कार्य लागत ₹ 6.10 करोड़

की दूसरी किश्त भी राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.03 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण जुलाई 2014 तक जारी नहीं की गई थी ।

उप-निदेशक, जनजातीय विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि भारत सरकार द्वारा आगे की किश्तों को जारी न करने के कारण छात्रावास भवन अपूर्ण पड़े थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की धीमी गति के कारण भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से भेजे गए थे अर्थात क्रमशः मार्च 2014 तथा मई 2014 में।

यह देखा गया कि 2011-14 के दौरान ₹ 0.70 करोड़ से ₹ 3.12 करोड़ की निधियां बैंक बचत खाते में राज्य सरकार के निर्देशों (मई 2004) के विपरीत अप्रयुक्त पड़ी रहीं। नमूना जांच किए गए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 13.35 करोड़ की लागत वाले 552 कार्य बिना पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किए संस्वीकृत किए थे। स्कीमों के दिशा निर्देशों के विपरीत परियोजना अधिकारियों ने 124 अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 2.15 करोड़ संस्वीकृत किए थे। तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का किया गया व्यय पुल कार्यों के पूर्ण न होने के कारण निष्फल रहा ।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2014 में सरकार को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

शहरी विकास विभाग

3.22 पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए निधियों का अवरोधन

विभाग द्वारा पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप पांच से छः वर्षों की अवधि के लिए ₹ 1.18 करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त लोगों को पार्किंग सुविधाओं से वंचित रखा गया।

राज्य वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (ख) 5 में प्रावधान है कि उन कार्यों के सम्बन्ध में धन कोषागार से आहरित नहीं किया जाना चाहिए जिनको पूर्ण करने में अधिक समय लगने की संभावना होती है।

लोगों को पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा स्कीम के अन्तर्गत ₹ 1.49 करोड़ की अनुमानित लागत पर तीन[77] पार्किंग स्थलों के निर्माण/विकास हेतु अनुमोदित (2007-09) किया तथा ₹ 1.18 करोड़ नगर निगम रामपुर (₹ 59.55 लाख) तथा दो नगर पंचायतों (चुवाड़ी: ₹ 26.00 लाख तथा ज्वालामुखी: ₹ 32.30 लाख) को जारी (फरवरी 2008-मार्च 2009) किया। रामपुर, चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित पार्किंग स्थलों का निर्माण क्रमशः हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा नगर पंचायत ज्वालामुखी को सुपुर्द किया गया था। कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने के लिए अनुबन्धित किए गए थे।

निदेशक, शहरी विकास, शिमला के अभिलेखों (जनवरी 2014) की संवीक्षा तथा अन्य एकत्रित (जून 2014) सूचना ने दर्शाया कि हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण ने रामपुर स्थित पार्किंग स्थल का कार्य निष्पादित नहीं किया तथा सितम्बर 2013 में बिना कोई कारण बताए सम्पूर्ण राशि विभाग को लौटा दी थी । इसके बाद विभाग ने लोक निर्माण विभाग के पास कार्य निष्पादन हेतु निधियां निक्षेपित

77 चुवाड़ी, ज्वालामुखी और रामपुर

(अक्तूबर 2013) की । तथापि, लोक निर्माण विभाग ने भी आकलनों का निर्धारण न किए जाने के कारण जून 2014 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित निर्माण कार्य जून 2014 तक उचित स्थलों की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किए गए थे । सम्पूर्ण राशि पांच से छ: वर्षों के लिए कार्यकारी अभिकरणों के पास अप्रयुक्त रही ।

निदेशक (शहरी विकास) ने बताया (जून 2014) कि रामपुर स्थित कार पार्किंग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आकलनों का निर्धारण अभी प्रक्रियाधीन था । उन्होंने आगे बताया कि चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु नये स्थलों की अब पहचान की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बिना उचित योजना के कोषागार से धन आहरित किया था।

अत:, विभाग द्वारा पार्किंग स्थलों के निष्पादन हेतु उचित योजना न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा क्षेत्रों के लोगों को अभिप्रेत पार्किंग सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त ₹ 91.85 लाख सरकारी खातों (हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 59.55 लाख तथा नगर पंचायते: ₹ 32.30 लाख) से बाहर रखने के परिणामस्वरूप राज्य अधिकोष को ₹ 41.43 लाख[78] की ब्याज हानि[79] हुई ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2014 में सरकार को संदर्भित कर दिए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.23 बालिका कल्याण एवं संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान किशोरी बालाओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत 40 से 49 *प्रतिशत* पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु की) आवृत्त नहीं की गई। उपरोक्त अवधि के दौरान बेटी है अनमोल योजना में पहचान किए गए 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त किए गए थे, अत: 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे । मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ की कमी तथा मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी थी।

बालिकाओं के कल्याण एवं संरक्षण हेतु किशोरी शक्ति योजना, किशोर बालिका सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम, बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना तथा इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना समेत पांच स्कीमें राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत सेवाओं को प्रदान करने की प्रभावशाली सुनिश्चितता के उद्देश्य के साथ 2011-12 से 2013-14 की अवधि को आवृत्त करने वाली लेखा परीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान राज्य में महिला एवं बाल-विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालयों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 12 जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों प्रत्येक में से तीन[80] तथा 78 बाल विकास कार्यक्रम अधिकारियों में से छ:[81] तथा सात बालिका आश्रमों में से दो[82] के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा संचालित की थी ।

78 ₹ 25.85 लाख (नगर निगम रामपुर के साथ फरवरी 2009 से सितम्बर 2013) और ₹ 15.58 लाख (नगर पंचायत ज्वालामुखी अप्रैल 2009 से मार्च 2014)

79 राज्य सरकार की उधारों पर औसत ब्याज दर पर आकलित

80 बिलासपुर, शिमला तथा सोलन

81 अर्की, बसन्तपुर, बिलासपुर, घुमारवीं, कण्डाघाट तथा ठियोग

82 दुर्गापुर तथा मशोबरा

3.23.1 वित्तीय सहायता एवं व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बालिका कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 2011-14 के दौरान ₹ 54.39 करोड़[83] की उपलब्धता के प्रति ₹ 53.84 करोड़[84] का व्यय किया गया था तथा ₹ 0.55 करोड़ मार्च 2014 तक अप्रयुक्त रहे।

3.23.2 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना तथा राजीव गांधी स्कीम

किशोरी शक्ति योजना तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम सभी किशोरी बालिकाओं (11-18 वर्ष) के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति के सशक्तिकरण एवं स्व: विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, पोषण, परिवार कल्याण व प्रबन्ध तथा महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता के उत्थान के लिए लक्ष्यित थी। किशोरी शक्ति योजना के लिए खण्ड-वार ₹ 1.10 लाख तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के लिए ₹ 3.80 लाख की अनुमोदित राशि तक हस्तक्षेप सीमित किया जाना था तथा व्यय राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान से किया जाना अपेक्षित था। 2011-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना आठ जिलो[85] के 46 खण्डों/परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही थी तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम किशोरी शक्ति योजना के बदले में पायलट आधार पर राज्य के चार जिलो[86] के 32 खण्डों/परियोजनाओं को आवृत्त करते हुए प्रतिस्थापित की गई थी (सितम्बर 2010)।

3.23.2.1 लाभार्थियों की व्यापकता

2011-14 के दौरान पहचान किए गए लाभार्थी तथा उनके प्रति आच्छादन की स्थिति **तालिका 3.23.1** में दी गई है।

तालिका-3.23.1

2011-14 के दौरान पहचान किए गए लाभार्थी तथा उनके प्रति आच्छादन की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	2011 की जनगणना के अनुसार किशोर बालिकाओं की जनसंख्या	किशोरी शक्ति योजना		किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम		कुल		
		पहचान की गई	आवृत	पहचान की गई	आवृत	पहचान की गई	आवृत	कमी
2011-12	416804	221631	90810	156772	101643	378403	192453	185950 (49)
2012-13	420889	217064	130056	164027	97551	381091	227607	153484 (40)
2013-14	416663	214543	60541	163305	152215	377848	212756	165092 (44)

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

तालिका-3.23.2 से देखा जा सकता है कि स्कीमों के अंतर्गत पहचान की गई बालिकाएं 2011 की जनगणना के अंतर्गत बालिकाओं (11-18 वर्ष) की जनसंख्या के अनुरूप नहीं थी तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 40 से 49 *प्रतिशत* तक पहचान की गई बालिकाएं भी आवृत नहीं की गई थी । इसने दर्शाया कि

83 किशोरी शक्ति योजना: ₹ 1.46 करोड़; किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम: ₹ 36.73 करोड़; बी.एच.ए.वाई. ₹ 10.68 करोड़; मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना: ₹ 2.16 करोड़ तथा इंदिरा गांधी बाल सुरक्षा योजना: ₹ 3.36 करोड़

84 किशोरी शक्ति योजना: ₹ 0.90 करोड़; किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम: ₹ 37.33 करोड़; बी.एच.ए.वाई.: ₹ 10.71 करोड़; मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना: ₹ 2.19 करोड़ तथा इंदिरा गांधी बाल सुरक्षा योजना: ₹ 2.71 करोड़

85 बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पिती, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

86 चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू तथा सोलन

विभाग 2011-14 के दौरान 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की सभी किशोर बालिकाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति को सशक्त करने में विफल रहा ।

विभाग ने राज्य की जटिल भौगोलिक दशाओं को लाभार्थियों के कम आच्छादन तथा उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत कैम्पों/प्रशिक्षण इत्यादि के लिए परिजनों का अपने बच्चों को भेजने में हिचकिचाहट को आरोपित (अगस्त 2014) किया। तथापि, तथ्य यह रहा कि स्कीमें प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित नहीं की गई थी क्योंकि 2011-14 के दौरान बालिकाओं की एक बड़ी संख्या अनावृत्त रही ।

3.23.2.2 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण

इस स्कीम के अंतर्गत प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र पर किशोरी समूह के रूप में पहचाना जाने वाला 15-25 किशोरी बालिकाओं से अंतर्ग्रस्त एक समूह गठित किया जाना था। समूह में एक बालिका सखी के रूप तथा दो बालिकाएं सहेलियों के रूप में समूह के लिए पीयर अनुश्रवण गठित करने के लिए चयनित की जानी थी । इन चयनित सखी-सहेलियों को खण्ड स्तर पर एक दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जाना था । प्रति परियोजना प्रत्येक 30 सखी-सहेलियों से अंतर्विष्ट 25 समूहों को प्रशिक्षण एक चरणबद्ध तरीके से दिया जाना अपेक्षित था ।

तथापि, यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान 2400 समूहों में 72,000 सखी-सहेलियों के लक्ष्यित प्रशिक्षण के प्रति 2076 समूहों में 70695 सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण दिया गया था तथा 1305 सखी-सहेलियां अपेक्षित प्रशिक्षण पाठयक्रम से वंचित रही।

निदेशक, महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जून 2014) कि जन शक्ति की कमी के कारण सभी सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था ।

3.23.2.3 प्रशिक्षण किटों का उपार्जन

2013-14 के दौरान किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सखी-सहेलियों की दैनिक गतिविधियों हेतु 8042 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट उपलब्ध करवाए जाने थे। इस उद्देश्य हेतु 2013-14 के दौरान ₹ 28.63 लाख उपलब्ध करवाये गये थे।

तथापि, यह देखा गया था कि 2013-14 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण किट खरीदा नहीं गया था । इससे 2013-14 के दौरान लाभार्थी अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहे ।

तथ्यों को स्वीकारते हुए निदेशक, महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जुलाई 2014) कि 2013-14 वर्ष के लिए उपार्जन हेतु निविदाएं फरवरी 2014 के दौरान आमंत्रित की गई थी तथा मई 2014 में आपूर्ति दी गई थी ।

3.23.2.4 किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की अपर्याप्त बैठकें

किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के दिशा निर्देशानुसार, कार्यक्रम की उचित समीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु समन्वयक समितियां खण्ड/परियोजना,जिला तथा राज्य स्तरों पर गठित की जानी अपेक्षित थी। समन्वयक समितियों की बैठकें खण्ड/परियोजना स्तर पर मासिक तथा जिला एवं राज्य स्तर पर त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी अपेक्षित थी।

यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी । लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि 2011-14 के दौरान जिला स्तरीय समिति की अपेक्षित 48 बैठकों के प्रति मात्र 12 बैठकें (25 *प्रतिशत*) आयोजित की गई थी । इसी तरह, खण्ड/परियोजना स्तर पर 1152 बैठकों के प्रति मात्र 51 बैठकें (पांच *प्रतिशत*) आयोजित की गई थी । इसने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उच्च स्तरीय अपर्याप्त अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन की कमी को दर्शाया ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, निदेशक महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जुलाई 2014) कि 2013-14 के दौरान लोक सभा चुनावों की तैयारी के कारण अपेक्षित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका था। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने बताया (जून 2014) कि 2011-14 के दौरान स्टाफ की कमी के कारण बैठकों का आयोजन नहीं किया गया था ।

3.23.3 बेटी है अनमोल योजना

बेटी है अनमोल योजना समय पूर्व विवाह को निरूत्साहित करने तथा स्कूलों में बालिकाओं के पंजीकरण में सुधार एवं संवर्धन की दृष्टि से प्रतिस्थापित की गई थी (जुलाई 2010)। इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 5100 (जुलाई 2010 से मई 2012 तक प्रभावी) तथा ₹ 10,000 (जून 2012 से आगे) की दर पर जन्मोपरांत अनुदान तथा ₹ 300 तथा ₹ 1500 के मध्य वार्षिक छात्रवृति गरीबी रेखा से नीचे की कक्षा प्रथम से 10+2 की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को उपलब्ध करवानी थी। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिजनों को एक परिवार में दो लड़कियों को दी जानी अनुमत्य थी।

3.23.3.1 लाभार्थियों का आच्छादन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जन्मोपरांत अनुदान के अंतर्गत 2011-14 के दौरान पहचान किये गये 18,222 लाभार्थियों के प्रति 13,332 लाभार्थी आवृत्त किये गए थे तथा 4,890 लाभार्थी (27 *प्रतिशत*) अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे । इसी तरह, 2011-14 के दौरान छात्रवृत्तियों के अंतर्गत पहचान किये गये 80,554 लाभार्थियों के प्रति 63,881 लाभार्थी आवृत्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप 16,673 लाभार्थियों (21 *प्रतिशत*) की कमी हुई । अत: 2011-14 के दौरान विभाग द्वारा लाभार्थियों को आवृत्त करने में कमी थी।

निदेशक ने बताया (जुलाई 2014) कि सभी पहचान किये गए लाभार्थियों को निधियों की कमी के कारण सहायता नहीं दी जा सकी थी । यह दावा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विभाग को आवश्यकताओं के अनुसार निधियां उपलब्ध करवानी चाहिए थी ।

3.23.4 मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना

राज्य सरकार ने 'मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना' के नाम से 6-18 वर्षों के मध्य की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता हेतु एक एकीकृत स्कीम आरम्भ (सितम्बर 2006) की थी। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य में सात[87] बालिका आश्रम स्थापित किये गए थे। आश्रमों के सहवासियों को 10+2 के स्तर तक निशुल्क छात्रावास, आवासीय तथा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी ।

3.23.4.1 बालिका आश्रमों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

दिशा निर्देशानुसार स्कीम के अंतर्गत चल रहे आश्रमों द्वारा पुस्तकालय, मनोरंजन एवं खेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी।

87 चम्बा, दुर्गापुर, गरली, मशोबरा, कल्पा, सुन्नी तथा तिस्सा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात बालिका आश्रमों में से चार[88] के पास पुस्तकालय सुविधा नहीं थी जबकि दो (गरली तथा सुन्नी) के पास खेल के मैदान नहीं थे ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक, महिला एवं बाल विकास ने बताया (जून 2014) कि गरली स्थित बालिका आश्रम में ऊपरवर्णित सुविधाएं अपर्याप्त स्थान के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं क्योंकि बालिका आश्रम निजी भवन में चल रहा था, जबकि अन्य बालिका आश्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि विभाग को बालिका आश्रमों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी ।

3.23.4.2 अपर्याप्त जनशक्ति

मुख्यमंत्री बालिका उद्धार योजना दिशा निर्देशों के अनुसार बालिका आश्रमों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना अपेक्षित था ।

तथापि, यह देखने में आया था कि बालिका आश्रमों में पर्याप्त स्टाफ नहीं था क्योंकि जून 2014 तक सात बालिका आश्रमों में 63 कर्मियो[89] की संस्वीकृत पद संख्या के प्रति विभिन्न वर्गों के 19 पद[90] (30 *प्रतिशत*) रिक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया कि सात में से किसी भी बालिका आश्रम में सुरक्षा कर्मी का कोई भी पद संस्वीकृत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 2012-14 के दौरान बालिका आश्रमों से नौ[91] बालिकाएं (2012-13:छ: तथा 2013-14:तीन) फरार हो गयी थी जिनमें से जून 2014 तक पांच लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। इसने दर्शाया कि आश्रमों के कार्यों को प्रभावशाली तरीके से प्रबन्धित नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक महिला एवं बाल विभाग ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों के बाह्यस्रोत की अनुमति का मामला सरकार के साथ उठाया गया था (सितम्बर 2013), किन्तु जून 2014 तक सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

3.23.5 इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना

घटते लिंगानुपात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना प्रतिस्थापित (अक्तूबर 2006) की जिसके अन्तर्गत एक बालिका तथा दो बालिकाओं वाले परिजनों को क्रमश: ₹ 25,000 तथा ₹ 20,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी । लाभ उन दम्पत्तियों के लिए था जिन्होंने टर्मिनल परिवार नियोजन पद्धतियों का अनुसरण किया था।

विभाग ने 2011-14 के दौरान इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ₹ 3.36 करोड़ प्राप्त किए जिनके प्रति ₹ 2.72 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 0.64 करोड़ की अप्रयुक्त राशि सरकार को अभ्यर्पित कर दी गई थी ।

3.23.5.1 लाभार्थियों का आच्छादन

यह देखने में आया कि निदेशालय स्तर पर लाभार्थियों के वास्तविक आच्छादन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया गया था। किसी भी अभिलेख की अनुपस्थिति में

---

88 गरली, कल्पा, सुन्नी तथा तीसा

89 अधीक्षक: सात; वार्डन: सात; कलर्क/सहायक; सात; कुक: सात; अनुचर: सात; आया: सात; सफाई कर्मी: सात; हस्तशिल्प अध्यापक: सात तथा हेल्पर: सात

90 अधीक्षक: दो; वार्डन: एक; कर्लक/सहायक: चार; कुक: दो; अनुचर: तीन; आया: तीन; सफाई कर्मी: एक; हस्तशिल्प अध्यापक: एक तथा हेल्पर: दो

91 दुर्गापुर: दो; मशोबरा: पांच तथा सुन्नी:दो

सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में व्यय की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकती थी । तथापि यह प्रेक्षण किया गया कि 2011-14 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन[92] मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में पहचान किए गए सभी लाभार्थियों को हकदारी के अनुसार प्रोत्साहन भुगतान किए गए थे ।

अत: 2011-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अन्तर्गत 40 तथा 49 *प्रतिशत* के मध्य पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु) आवृत्त नहीं हुई। उपरोक्त अवधि के दौरान बेटी है अनमोल योजना में पहचान की गई 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त की गई थी और इस तरह 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रही । मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अन्तर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ तथा मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को अगस्त 2014 में संदर्भित कर दिए गए थे । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
दिनांक: 24 MAR 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: 1 MA[illegible]

92 बिलासपुर, शिमला तथा सोलन

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़)

अवधि	आयुर्वेद विभाग			ग्रामीण विकास विभाग			कुल		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
मार्च 2004 तक	8	8	0.64	134	212	10.02	142	220	10.66
2004-05	4	4	0.83	10	13	0.94	14	17	1.77
2005-06	1	1	0.02	16	21	0.94	17	22	0.96
2006-07	5	6	0.42	28	49	10.65	33	55	11.07
2007-08	4	4	0.26	28	46	8.23	32	50	8.49
2008-09	1	1	0.17	31	69	15.60	32	70	15.77
2009-10	0	0	0.00	35	70	22.09	35	70	22.09
2010-11	1	1	7.01	22	68	37.19	23	69	44.20
2011-12	1	3	1.82	20	76	43.75	21	79	45.57
2012-13	0	0	0.00	24	124	67.97	24	124	67.97
2013-14	7	30	43.91	3	34	24.46	10	64	68.37
कुल	**32**	**58**	**55.08**	**351**	**782**	**241.84**	**383**	**840**	**296.92**

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों में टिप्पणित अनियमितताओं को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनियमितताओं का प्रकार	आयुर्वेद विभाग		ग्रामीण विकास विभाग		कुल	
		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि
1.	आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण	8	12.69	102	55.04	110	67.73
2.	आकस्मिक अग्रिमों का गैर-समायोजन	3	19.09	18	0.68	21	19.77
3.	संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	3	0.37	35	7.78	38	8.15
4.	अपव्ययों/निर्रथक/निष्फल व्यय	7	6.66	81	75.61	88	82.27
5.	निधियों का अपवर्तन	1	0.00	18	2.20	19	2.20
6.	अधिक भुगतान, किराये की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियां	15	0.15	76	0.68	91	0.83
7.	वास्तविक अदाकर्त्ता की प्राप्तियों का अप्रस्तुतीकरण	1	0.01	3	0.01	4	0.02
8.	बकाया ऋण	0	0.00	63	3.52	63	3.52
9.	निष्प्रयोज्य मशीनरी/उपकरण से अन्तर्विष्ट वाहन	1	0.01	16	0.23	17	0.24
10.	भण्डार/रोकड़ इत्यादि का गैर लेखांकन/कमी	1	0.00	19	0.35	20	0.35
11.	व्यय की पूर्ति न होना	0	0.00	1	0.37	1	0.37
12.	भण्डार/रोकड़/निधियों का दुर्विनियोजन	1	0.01	29	6.74	30	6.75
13.	अपूर्ण/त्याज्य कार्य	0	0.00	35	3.47	35	3.47
14.	हानि/चोरी अपहार/गबन, इत्यादि	1	0.00	25	0.25	26	0.25
15.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	1	10.78	10	8.32	11	19.10
16.	अनुपयोगी भण्डार सामग्री का निपटान न करना	0	0.00	13	0.14	13	0.14
17.	कोषागारों/बैंको के साथ मिलान न करना	0	0.00	18	3.81	18	3.81
18.	सहायता अनुदान का उपयोग न करना	1	0.72	6	0.38	7	1.10
19.	कोषागारों में ब्याज को जमा न करना	2	4.11	44	28.08	46	32.19
20.	विविध अनियमितताएं	12	0.48	170	44.18	182	44.66
	कुल	**58**	**55.08**	**782**	**241.84**	**840**	**296.92**

परिशिष्ट – 1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.12; पृष्ठ 6)

स्वायत्त निकायों के लेखा की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखा प्रस्तुत किये गए थे	लेखा प्रस्तुती की तिथि	लेखा के प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	अवधि जब तक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये है	विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	29.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
2.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	26.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर	मई 2009	2012-13	30.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला	मई 2009	2012-13	12.08.2013	1½ महीने	2011-12	26.08.2013
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	मई 2009	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	मई 2009	2012-13	28.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	मई 2009	2012-13	29.09.2013	3 महीने	2011-12	26.08.2013
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी	मई 2009	2012-13	22.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	मई 2009	2012-13	28.09.2013	3 महीने	2011-12	26.08.2013
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीना	2011-12	26.08.2013
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लु	मई 2009	2012-13	06.09.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीना	2011-12	26.08.2013
13.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2012-13	02.05.2014	10 महीने	2011-12	प्रस्तुत नहीं किया गया
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2012-13	26.01.2014

परिशिष्ट – 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.20; पृष्ठ 23)

छात्रों की अधिगम उपलब्धी एवं प्रगति में वृद्धि की समीक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान परियोजना दल द्वारा संचालित सर्वेक्षण के निष्कर्ष

1. सर्वेक्षण किये गए कक्षा-II से VIII के कुल 5,08,944 छात्रों में से 16,823 (3.30 *प्रतिशत*), 13,785 (2.70 *प्रतिशत*), 16,555 (3.30 *प्रतिशत*) तथा 12,066 (2.40 *प्रतिशत*) छात्रों ने क्रमश: अंग्रेजी, हिन्दी, गणित तथा विज्ञान में 100 में से 0 अर्जित किया।

2. छात्र आगामी उच्च स्तर पर बिना वास्तविक कक्षा स्तरीय वांछित अधिगम स्तर अर्जित किये ही पहुंच गए। कक्षावार उपलब्धी निम्नवत् दी गई थी:

- 50 *प्रतिशत* छात्र कक्षा-II में बिना वास्तविक कक्षा स्तरीय प्रतिभा अर्जित किये प्रविष्ट हो गए।
- कक्षा- III के 20 *प्रतिशत* के छात्र प्रारम्भिक स्तर पर थे तथा वर्णों व संख्याओं को नहीं पहचान सके थे।
- कक्षा- IV के मात्र 2-8 *प्रतिशत* के छात्र वास्तविक कक्षा सामर्थ्य स्तर पर है।
- कक्षा- V के मात्र 10 से 16 *प्रतिशत* छात्र कक्षा परक प्रश्न हल कर सके थे जबकि 35 *प्रतिशत* छात्र प्रारम्भिक स्तर पर थे वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं।
- मात्र 16 *प्रतिशत* छात्र कक्षा- VI के उचित स्तर पर थे।
- कक्षा- VII के मात्र 10 *प्रतिशत* छात्र कक्षा परक प्रतिभा स्तर पर है।
- कक्षा- VIII के मात्र 2-6 *प्रतिशत* छात्र कक्षा परक प्रतिभा स्तर है तथा 16-38 *प्रतिशत* छात्र अधिगम के बड़े निम्न स्तर पर थे।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ परिच्छेद - 2.4.6.1; पृष्ठ 68)

सरकार द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले कार्यों को दर्शाता विवरण

क्रमांक	सरकार द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले कार्य का नाम	स्थिति
1.	नगर योजना से अन्तर्विष्ट शहरी योजना	पूर्णतया हस्तांतरित
2.	भूमि उपयोग का विनियमन तथा भवन निर्माण	तदैव
3.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना	तदैव
4.	सडकें एवं पुल	तदैव
5.	घरेलु, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति	तदैव
6.	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन	अंशत: हस्तांतरित
7.	अग्निशमन सेवाओं	हस्तांतरित नहीं किया गया
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पहलुओं का उत्थान	पूर्णतया हस्तांतरित
9.	विकलांगता एवं मानसिक बधिरता सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा	हस्तांतरित नहीं किया गया
10.	बस्ती सुधार एवं उन्नयन	पूर्णतया हस्तांतरित
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन	तदैव
12.	शहरी रमणियताऐं एवं सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान	अंशत: हस्तांतरित
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्य-सम्बंधी पहलुओं का उत्थान	हस्तांतरित नहीं किया गया
14.	कब्रगाह एवं कब्रिस्तान, शमशान, शमशानघाट तथा विद्युत शमशानघाट	पूर्णतया हस्तांतरित
15.	पशु बाड़े, जानवरों के प्रति अत्याचार की रोकथाम	तदैव
16.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण सांख्यिकी	तदैव
17.	स्ट्रीटलाईट, पार्किंग स्थल, बस अड्डे तथा जन सुविधाओं से अन्तर्विष्ट	अंशत: हस्तांतरित
18.	कसाईखाना एवं चर्मशोधनशालाओं का विनियमन	पूर्णत: हस्तांतरित

परिशिष्ट -3.1

(संदर्भ परिच्छेद - 3.12.1.3; पृष्ठ 107)

वर्ष 2011-14 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत वास्तविक बजट तथा बजट के पुनर्विनियोजन का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	सम्भाग का नाम	वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		कुल		
		वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	भिन्नता
1.	कृषि	0.03	0	0.04	0.01	0.04	0	0.11	0.01	(-) 0.10
2	पशु पालन	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.08	0.08	0.16	(+) 0.08
3.	आयुर्वेद	0.06	0.02	0.10	0.20	0.08	0	0.24	0.22	(-) 0.02
4.	प्रारम्भिक शिक्षा	0.33	0.41	0.55	0.39	0.40	0.27	1.28	1.07 (6)	(-) 0.21
5.	उच्च शिक्षा	0.65	0.37	1.11	0.50	0.79	0.60	2.55	1.47 (8)	(-) 1.08
6.	बागवानी	0.03	0	0.04	0.01	0.04	0	0.11	0.01	(-) 0.10
7.	उद्योग	0.03	0	0.04	0.07	0.04	0	0.11	0.07	(-) 0.04
8.	लघु सिंचाई	0.01	0	0.02	0.01	0.03	0	0.06	0.01	(-) 0.05
9.	सड़क एवं पुल	0.98	2.57	1.95	3.67	2.45	4.02	5.38	10.26 (59)	(+) 4.88
10.	ग्रामीण स्वास्थ्य	0.77	0.18	1.16	0.27	0.85	0	2.78	0.45	(-) 2.33
11.	ग्रामीण जलापूर्ति	0.83	0.34	1.58	1.69	1.58	1.54	3.99	3.57 (20)	(-) 0.42
12.	मृदा संरक्षण	0.05	0.01	0.08	0.02	0.06	0.08	0.19	0.11	(-) 0.08
13.	सामाजिक वानिकी	0.16	0	0.22	0.05	0.20	0	0.58	0.05	(-) 0.53
	कुल	**3.95**	**3.95**	**6.92**	**6.92**	**6.59**	**6.59**	**17.46**	**17.46**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।